अल्हक़ मुबाहसा लुधियाना

लेखक
हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी
मसीह मौऊद व महदी माहूद अलैहिस्सलाम

Al-Haq Mubahasa Ludhiana

in Hindi

By

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani[as]

The Promised Messiah & Mahdi

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

अलहक़

मुबाहसा लुधियाना

हज़रत अक़्दस मसीह मौऊद
जनाब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब क़ादियानी
तथा
मौलवी मुहम्मद हुसैन बटालवी
के मध्य

नाम पुस्तक : अलहक़ मुबाहसा लुधियाना
Name of book : Alhaq Mubahasa Ludhiana
लेखक : हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी
मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम
Writer : Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani
Masih Mau'ud Alaihissalam
अनुवादक : डा अन्सार अहमद पी.एच.डी आनर्स इन अरबिक
Translator : Dr Ansar Ahmad, Ph.D, Hons in Arabic
टाईपिंग, सैटिंग : तसनीम अहमद बट्ट
Typing Setting : Tasneem Ahmad Butt
संस्करण तथा वर्ष : प्रथम संस्करण (हिन्दी) अगस्त 2018 ई०
Edition. Year : 1st Edition (Hindi) August 2018
संख्या, Quantity : 1000
प्रकाशक : नज़ारत नश्र-व-इशाअत,
क़ादियान, 143516
ज़िला-गुरदासपुर (पंजाब)
Publisher : Nazarat Nashr-o-Isha'at,
Qadian, 143516
Distt. Gurdaspur, (Punjab)
मुद्रक : फ़ज़्ले उमर प्रिंटिंग प्रेस,
क़ादियान, 143516
ज़िला-गुरदासपुर, (पंजाब)
Printed at : Fazl-e-Umar Printing Press,
Qadian, 143516
Distt. Gurdaspur (Punjab)

प्रकाशक की ओर से

हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब क़ादियानी मसीह मौऊद व महदी मा'हूद अलैहिस्सलाम द्वारा लिखित पुस्तक का यह हिन्दी अनुवाद श्री डॉ० अन्सार अहमद ने किया है और तत्पश्चात मुकर्रम शेख़ मुजाहिद अहमद शास्त्री (सदर रिव्यू कमेटी), मुकर्रम फ़रहत अहमद आचार्य (इंचार्ज हिन्दी डेस्क), मुकर्रम अली हसन एम. ए. और मुकर्रम नसीरुल हक़ आचार्य ने इसकी प्रूफ़ रीडिंग और रीवियु आदि किया है। अल्लाह तआला इन सब को उत्तम प्रतिफल प्रदान करे।

इस पुस्तक को हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्त्रिहिल अज़ीज़ (जमाअत अहमदिया के वर्तमान ख़लीफ़ा) की अनुमति से हिन्दी प्रथम संस्करण के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

विनीत

हाफ़िज़ मख़दूम शरीफ़

नाज़िर नश्र व इशाअत क़ादियान

पुस्तक परिचय
मुबाहसा लुधियाना

मुबाहसा लुधियाना का आयोजन इस प्रकार पैदा हुआ कि जनवरी 1891 ई. को मौलवी मुहम्मद हुसैन बटालवी ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को पत्र लिखा कि मैंने आप की पुस्तिका 'फ़तह इस्लाम' के प्रूफ़ जब वह अमृतसर में छप रही थी रियाज़ हिन्द प्रेस से मंगवाकर देखे और पढ़वा कर सुने। फिर उस से इबारतों को नक़ल करके पूछा कि आपने इसमें यह दावा किया है -

> "मसीह मौऊद जिन के प्रलय से पूर्व आने का ख़ुदा तआला ने अपने पवित्र कलाम में सांकेतिक तौर पर तथा ख़ुदा के रसूल[स.अ.व.] ने स्पष्ट तौर पर अपने मुबारक कलाम में जो सिहाह में मौजूद है वादा दिया है, वह आप ही हैं जो मसीह इब्ने मरयम के मसील (समरूप) कहलाते हैं, न कि वह मसीह इब्ने मरयम जिन्हें सामान्य मुसलमान मसीह मौऊद समझते हैं। मसीह इब्ने मरयम को मसीह मौऊद समझने में सामान्य मुसलमानों ने ग़लती की है और धोखा खाया है तथा उन हदीसों को जो मसीह मौऊद के संबंध में सिहाह में आई हैं ध्यानपूर्वक नहीं देखा।"

पुनः लिखते हैं :-

> "क्या इस दावे से आप का यही अभिप्राय है। हां या न में उत्तर दें।"

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने 5, फ़रवरी 1891 ई. को उत्तर देते हुए लिखा :-

> "आप के प्रश्न के उत्तर में केवल "हां" को पर्याप्त समझता हूं।"

पुनः 11 फ़रवरी को मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब बटालवी ने पत्र का उत्तर देते हुए लिखा :-

"आप यदि इस दावे में हज़रत ख़िज्र की भांति असमर्थ हैं तो मैं इसके इन्कार एवं विरोध में हज़रत मूसा की भांति विवश हूं। आपकी पुस्तक 'तौज़ीहुलमराम' तथा 'इज़ाला औहाम' मेरे विरोध को नहीं रोकेंगी। मुझे विश्वास है कि नक़ली या बौद्धिक तर्कों से आप और आपके अनुयायी आपका मसीह मौऊद होना सिद्ध न कर सकेंगे।"

हज़रत मसीह मौऊद ने इस पत्र का उत्तर देते हुए लिखा :-

> "आप ने हज़रत मूसा का जो उदाहरण लिखा है। स्पष्ट आयत का संकेत पाया जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा कि मूसा ने किया। इस वृत्तान्त को पवित्र क़ुर्आन में वर्णन करने का उद्देश्य भी यही है ताकि भविष्य में सत्य के अभिलाषी अध्यात्म ज्ञानों तथा गुप्त विलक्षणताओं के खुलने के

इच्छुक रहें। हज़रत मूसा की भांति शीघ्रता न करें।"

16 फ़रवरी 1891 ई. को मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब बटालवी ने अपने पत्र में पुस्तक 'तौज़ीह मराम' के प्राप्त होने की सूचना देते हुए लिखा कि :-

> "इस ने मेरी विरोधी राय को और अधिक सुदृढ़ कर दिया है। अनुमान कहता है कि ऐसा ही 'इज़ालतुल औहाम' होगा।"

21, फ़रवरी को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस पत्र का उत्तर देते हुए 5, फरवरी 1888 ई. की हस्तलिखित स्मरणिका से इस स्वप्न का वर्णन किया कि :-

> "मैंने स्वप्न में देखा कि मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब ने किसी मामले में विरोध करके कोई लेख छपवाया है और उसका शीर्षक मेरे बारे में "कमीना" रखा है। मालूम नहीं इसके क्या अर्थ हैं और मैंने वह लेख पढ़कर कहा है कि आप को मैंने मना किया था, फिर आप ने ऐसा लेख क्यों छपवाया।
>
> चूंकि यथाशक्ति स्वप्न की पुष्टि के लिए प्रयास करना सुन्नत है। इसलिए मैं आपको मना भी करता हूं कि आप इस इरादे से पृथक रहें। ख़ुदा तआला भली भांति जानता है कि मैं अपने दावे में सच्चा हूं और यदि सच्चा नहीं तो फिर اِنْ يَّكُ كَاذِبًا की

ललकार आने वाली है।"

फिर 24, फ़रवरी 1891 ई. के पत्र में मौलवी मुहम्मद हुसैन बटालवी ने लिखा :-

> "अन्त में मैं भी आपको नसीहत करता हूं (जैसे कि आपने मुझे नसीहत की है) कि आप इस दावे से कि मैं मसीह मौऊद हूं, ईसा इब्ने मरयम मौऊद नहीं है पृथक हो जाएं। यह मामला आसमानी नहीं है और न यह इल्हाम रहमानी है। इस इल्हाम के दावे में यदि आप सच्चे होंगे तो फिर बुख़ारी तथा मुस्लिम इत्यादि सिहाह की पुस्तकें निरर्थक एवं व्यर्थ हो जाएंगी अपितु इस्लाम धर्म के अधिकतर सिद्धान्त तथा मुख्य मसअले बेकार हो जाएंगे।"

इस पत्र का हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कोई उत्तर न दिया और 3 मार्च को क़ादियान से लुधियाना चले गए। फिर 6 मार्च को मौलवी साहिब ने हज़रत मसीह मौऊद[अ.] को लिखा कि -

> "हाफ़िज़ मुहम्मद यूसुफ़ साहिब ने लिखा था कि आप 9 मार्च 1891 ई. को लाहौर में आकर उलेमा की एक सभा में वार्तालाप करेंगे। आज ज्ञात हुआ कि आप अप्रैल माह में समारोह करना चाहते हैं। मैं आपको सूचित करता हूं कि अप्रैल माह में मैं हिन्दुस्तान में हूंगा। इसलिए यदि आप वार्तालाप

करना चाहते हैं तो अभी करें अन्यथा हम लोग जो
इरादा रखते हैं वह आप पर स्पष्ट कर चुके हैं।"

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने 8 मार्च 1891 ई. को लुधियाना से इस पत्र का उत्तर दिया तथा यह वर्णन करके कि प्रत्यक्ष में मुझे वार्तालाप में कुछ लाभ ज्ञात नहीं होता। उलेमा की सभा का आयोजन करने के लिए कुछ शर्तें लिखीं। उदाहरणतया यह कि सभा केवल कुछ मौलवी लोगों तक सीमित न हो तथा बहस केवल सत्य को प्रकट करने के लिए हो तथा लिखित हो और इस बहस की सभा में वह इल्हामी गिरोह भी अवश्य सम्मिलित हो, जिन्होंने अपने इल्हामों द्वारा इस विनीत को नारकी ठहराया है तथा ऐसा काफ़िर जो कभी हिदायत नहीं पा सकता और मुबाहला का निवेदन किया है। इल्हाम के द्वारा से काफ़िर तथा नास्तिक ठहराने वाले तो मियां अब्दुर्रहमान साहिब लखूके हैं और नारकी ठहराने वाले मियां अब्दुलहक़ ग़ज़नवी हैं, जिनके इल्हामों को सत्यापित करने वाले तथा अनुयायी मियां मौलवी अब्दुल जब्बार हैं। अतः इन तीनों का बहस के जल्से में उपस्थित होना आवश्यक है ताकि मुबाहला का भी साथ ही निर्णय हो जाए इत्यादि।

यदि आप हिन्दुस्तान की ओर यात्रा करना चाहते हैं तो लुधियाना मार्ग में है, क्या उचित नहीं कि लुधियाना में ही यह जल्सा आयोजित हो अन्यथा जिस स्थान पर ग़ज़नवी लोग तथा मौलवी अब्दुर्रहमान (इस विनीत को नास्तिक और काफ़िर कहने वाले) इस जल्सा का आयोजन उचित समझें तो उस स्थान पर यह विनीत उपस्थित हो

सकता है। पुनः यह कि 23, मार्च 1891 ई. जल्से की तिथि निर्धारित हो गई है और यह तय पाया है कि अमृतसर के स्थान पर जल्सा हो।

9 मार्च 1891 ई. को मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब ने लिखा :-

> "उलेमा के जल्से की प्रेरणा का प्रस्ताव मेरी ओर से नहीं हुआ। इसलिए मैं इन शर्तों का उत्तरदायी नहीं हो सकता जो विशेष तौर पर मेरे अस्तित्व से सम्बद्ध न हों।"

यह पत्राचार का क्रम 30 मार्च तक जारी रहा। मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब लिखते हैं कि :-

> "29, मार्च 1891 ई. को लुधियाना से एक पत्र पहुंचा जो न तो मिर्ज़ा साहिब के क़लम का लिखा हुआ था तथा न उस पर मिर्ज़ा साहिब के दस्तख़त अंकित थे तथा उसके साथ मिर्ज़ा साहिब का वह विज्ञापन पहुंचा जो 26, मार्च 1891 ई. को उन्होंने प्रकाशित किया था।"

इस पत्र पर मौलवी साहिब ने यह लिख कर वापस कर दिया कि :-

> "इस पत्र पर मिर्ज़ा साहिब के हस्ताक्षर नहीं हैं इसलिए वापस है।"

1, अप्रैल को हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह लिख कर कि "इस विनीत की इच्छानुसार है" उसे पुनः मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब को वापस भेज दिया। जिसके उत्तर में मौलवी साहिब ने

लिखा कि -

> "इस पत्र तथा इस विज्ञापन (दिनांक 26, मार्च) से आप ने मित्रता और भ्रातृत्व के संबन्धों को समाप्त कर दिया है तथा शत्रुतापूर्ण मुबाहसा की नींव को स्थापित और सुदृढ़ कर दिया। इसलिए हम भी आप से मित्रतापूर्ण एवं भाई-चारे वाली बहस अपितु व्यक्तिगत भेंट तक करना नहीं चाहते तथा शत्रुतापूर्ण मुबाहसा के लिए उपस्थित एवं तत्पर हैं।"*

तत्पश्चात् मौलवी साहिब ने "इशाअतुस्सुन्नः" में यह वर्णन करके कि अब "इशाअतुस्सुन्नः" केवल आपके दावों का खण्डन प्रकाशित करेगा और आपकी जमाअत को अस्त-व्यस्त करने का प्रयास करेगा तथा यह कि "इशाअतुस्सुन्नह का रीव्यू बराहीन आप को संभावित वली और मुल्हम न बनाता तो आप समस्त मुसलमानों की दृष्टि में अविश्वसनीय हो जाते तथा यह कि उसी ने आपको इस्लाम का समर्थक बना रखा था, लिखा -

> "अतः इसी (इशाअतुस्सुन्नः) का कर्त्तव्य तथा उस के दायित्व में यह एक ऋण था कि उसने जैसा कि उसको पुराने दावे के अनुसार आकाश पर चढ़ाया था वैसा ही इन नवीन दावों के अनुसार उसको पृथ्वी पर गिरा दे और क्षतिपूर्ति करे और

* इशाअतुस्सुन्नः जिल्द - 12, पृष्ठ - 12

> जब तक यह क्षतिपूर्ति न हो तब तक अत्यन्त आवश्यकता के बिना किसी दूसरे विषय को सामने न लाए।"*

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह प्रथम[रज़ि.] से वार्तालाप

इस के पश्चात् लाहौर के कुछ लोगों की इच्छानुसार हज़रत मौलवी हकीम नूरुद्दीन[रज़ि.] 13, अप्रैल 1891 ई. को लाहौर पहुंचे और मुंशी अमीरुद्दीन साहिब के मकान पर ठहरे। 14, अप्रैल की प्रातः मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब बटालवी को भी बुलाया गया। जब वह पधारे तो मुहम्मद यूसुफ़ साहिब ने कहा कि आप को

> "इस उद्देश्य से बुलाया है कि आप मिर्ज़ा साहिब के बारे में हकीम साहिब से वार्तालाप करें।"

मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब ने कहा कि अभीष्ट बहस से पूर्व आप से कुछ नियम स्वीकार कराना चाहता हूं। इन नियमों से सम्बन्धित बातचीत हुई। तत्पश्चात् अपने तौर पर उन लोगों ने आप से मसीह[अ.] की मृत्यु और उनके जीवित रहने तथा यह कि हज़रत ईसा[अ.] की मृत्यु सलीब पर नहीं हुई थी इत्यादि मामलों से सम्बन्धित बातें सुनीं और चूंकि आप को वापस जाना आवश्यक था, इसलिए आप लाहौर बुलाने वालों से आज्ञा लेकर वापस लुधियाना पहुंच गए। (इसकी विस्तृत रिपोर्ट का पंजाब गज़ट के परिशिष्ट दिनांक 25 अप्रैल 1891 ई. में उल्लेख है)

---

* इशाअतुस्सुन्नः जिल्द - 13, पृष्ठ 1-3

15 अप्रैल को मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को इस विषय का तार दिया :-

> "तुम्हारे डेसाइपल (हवारी) नूरुद्दीन ने मुबाहसा आरंभ किया और भाग गया, उसे वापस भेजें या स्वयं आएं अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह पराजित हुआ।"[1]

इस तार के उत्तर में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने 16 अप्रैल 1891 ई. को एक पत्र लिखा और एक विशेष व्यक्ति के द्वारा मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब को लाहौर पहुंचाया। उस पत्र में आपने लिखा :-

> "हे प्रिय ! विजय और पराजय ख़ुदा तआला के हाथ में है, जिसको चाहता है विजयी करता है और जिसको चाहता है पराजय देता है। कौन जानता है कि वास्तविक तौर पर विजयी होने वाला कौन है और पराजित होने वाला कौन है। जो आकाश पर तय हो गया है वही पृथ्वी पर होगा यद्यपि विलम्ब से ही हो।"

फिर लाहौर के वार्तालाप के बारे में लिखा :-

> "मूल बात यह थी कि हाफ़िज़ मुहम्मद यूसुफ़ साहिब ने आदरणीय मौलवी नूरुद्दीन साहिब की

---

① इशाअतुस्सुन्नः नं. 2, जिल्द - 13, पृष्ठ - 46

सेवा में पत्र लिखा था कि मौलवी अब्दुर्रहमान यहां आए हुए हैं, हमने उन को दो,तीन दिन के लिए ठहरा लिया है ताकि उनके सामने कुछ सन्देहों का निवारण करा लें तथा यह भी लिखा कि हम इस सभा में मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब को भी बुला लेंगे। अत: आदरणीय मौलवी साहिब हाफ़िज़ साहिब के आग्रह पर लाहौर पहुंचे और मुंशी अमीरुद्दीन साहिब के मकान पर उतरे। इस आयोजन पर हाफ़िज़ साहिब ने अपनी ओर से आप को भी बुला लिया। तब मौलवी अब्दुर्रहमान साहिब तो वार्तालाप के मध्य ही उठकर चले गए और जिन लोगों ने मौलवी साहिब को बुलाया था उन्होंने मौलवी साहिब के सम्मुख वर्णन किया कि हमें मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब का बहस करने का ढंग पसन्द नहीं आया। यह क्रम तो दो वर्ष तक भी समाप्त नहीं होगा। आप स्वयं हमारे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब के आने की आवश्यकता नहीं देखते और न उन्होंने आप को बुलाया है। तब जो कुछ उन लोगों ने पूछा आदरणीय मौलवी साहिब ने उनकी भली भांति सन्तुष्टि कर दी। तत्पश्चात् हृदय की प्रफुल्लता के साथ हाफ़िज़ मुहम्मद यूसुफ़

साहिब तथा क़ुरैशी अब्दुल हक़ साहिब, मुंशी इलाही बख़्श साहिब, मुन्शी अमीरदीन साहिब और मिर्ज़ा अमानुल्लाह साहिब ने कहा — हमारी सन्तुष्टि हो गई और धन्यवाद किया तथा कहा कि नि:संकोच जाइए। जब बुलाने वालों ने कहा - हम मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब को बुलाना नहीं चाहते हमारी सन्तुष्टि हो गई तो आप से क्यों अनुमति मांगते।

यदि आपकी यह इच्छा है कि बहस होनी चाहिए जैसा कि आप अपनी पत्रिका में लिखते हैं तो यह विनीत पूर्णरूप से उपस्थित है किन्तु केवल लिखित बहस होनी चाहिए तथा केवल दो पर्चे होंगे और बहस का विषय यह होगा कि मैं मसील-ए-मसीह हूं तथा यह कि हज़रत मसीह इब्ने मरयम मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं।"

मौलवी मुहम्मद हुसैन ने अपने पत्र में दोनों शर्तें स्वीकार करते हुए अपनी ओर से दो शर्तें बढ़ा दीं, जिन में एक यह थी कि

"मैं मुबाहसा से पूर्व कुछ नियमों की भूमिका बताऊं और आप से उन्हें स्वीकार कराऊं।"

और यह कि आप अपने नवीन दावों के समस्त प्रमाण लिख कर मुझे भेजें।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस पत्र का तार्किक एवं

विस्तृत उत्तर लिखा परन्तु यह प्रस्तावित मुबाहसा भी न हो सका।[1]

फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने 3 मई को विज्ञापन प्रकाशित किया जिसमें उलेमा को मुबाहसा के लिए निमंत्रण दिया और उसमें मौलवी मुहम्मद हसन साहिब रईस लुधियाना को भी सम्बोधित किया और लिखा कि यदि आप चाहें तो स्वयं बहस करें और चाहें तो अपनी ओर से मौलवी अबू सईद मुहम्मद हुसैन को बहस के लिए वकील नियुक्त करें।

मुबाहसा लुधियाना

इस विज्ञापन के प्रकाशित होने के पश्चात् मौलवी मुहम्मद हसन साहिब रईस लुधियाना और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मध्य मुबाहसा के लिए पत्राचार हुआ। मुबाहसा के विषय से सम्बन्धित हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने लिखा कि -

> "बहस का विषय मसीह[अ.] की मृत्यु और उनका जीवित रहना होगा क्योंकि इस विनीत का दावा इसी आधार पर है, जब आधार टूट जाएगा तो यह दावा स्वयं टूट जाएगा।"

मौलवी मुहम्मद हसन साहिब ने मौलवी मुहम्मद हुसैन बटालवी के परामर्श के अनुसार यह उत्तर दिया कि -

> "आप के विज्ञापन में मसीह की मृत्यु और अपने मसीह मौऊद होने का दावा पाया जाता है।

---

① इशाअतुस्सुन्नः नं. 3, जिल्द - 13,

अतः मैं यह चाहता हूं कि प्रथम आपके मसीह मौऊद होने में बहस हो फिर हज़रत इब्ने मरयम की मृत्यु के बारे में।"

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उत्तर देते हुए कहा कि -

"इस बहस की मूल बात जनाब मसीह इब्ने मरयम की मृत्यु या जीवन है और मेरे इल्हाम में भी इसी बात को प्रमुखता दी गई है कि "मसीह इब्ने मरयम ख़ुदा का रसूल मृत्यु पा चुका है तथा उस के रंग में हो कर वादे के अनुसार तू आया है।"

अतः प्रथम और मूल बात इल्हाम में ही यही निश्चित की गई है कि मसीह इब्ने मरयम मृत्यु पा चुका है। अतः स्पष्ट है कि यदि आप हज़रत मसीह[अ.] का जीवित होना सिद्ध कर देंगे तो जैसा कि इल्हाम का प्रथम वाक्य झूठा होगा वैसा ही दूसरा वाक्य भी झूठा हो जाएगा, क्योंकि ख़ुदा तआला ने मेरे दावे के होने की शर्त मसीह का मृत्यु प्राप्त हो जाना वर्णन की है।

मैं इक़रार करता हूं और क़सम खाकर कहता हूं कि यदि आप मसीह का जीवित रहना सिद्ध कर देंगे तो मैं अपने दावे से पृथक हो जाऊंगा और इल्हाम को शैतानी इल्क़ा समझ लूंगा और तौबा करूंगा।[1]

इसके पश्चात् भी शर्तों से संबंधित पत्राचार होता रहा तथा मौलवी मुहम्मद हसन साहिब ने यह शर्त भी आवश्यक ठहराई कि मौलवी

[1] इशाअतुस्सुन्नः नं. 3, जिल्द - 13, पृष्ठ - 84

मुहम्मद हुसैन साहिब बटालवी वार्तालाप से पूर्व कुछ नियम आप से स्वीकार कराएंगे।

अत: 20 जुलाई 1891 ई. को मुबाहसा आरंभ हुआ और बारह दिन तक जारी रहा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को अन्तिम पर्चा 29 जुलाई को सुनाना था, जिसकी सूचना मौलवी मुहम्मद हुसैन बटालवी को भी दी गई, परन्तु उनके कहने पर 21 मार्च को सुनाया गया, जिस पर यह मुबाहसा समाप्त हुआ।

मुबाहसा का विषय

यह मुबाहसा (शास्त्रार्थ) उन्हीं प्राथमिक बातों पर होता रहा जो मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब स्वीकार कराना चाहते थे तथा मूल विषय मसीह[अ.] की मृत्यु और जीवन पर बहस से बचने के लिए आदरणीय मौलवी साहिब उन प्रारंभिक बातों पर बहस को लम्बा करते चले गए। बहस के अन्तर्गत यह बात रही कि हदीस की श्रेणी शरीअत का प्रमाण होने की हैसियत से पवित्र क़ुर्आन के समान है अथवा नहीं और यह कि बुख़ारी और मुस्लिम की हदीसें सब की सब सही हैं तथा पवित्र क़ुर्आन के समान पालन करने योग्य हैं या नहीं ? हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बार-बार यही उत्तर दिया कि मेरा मत यह है कि ख़ुदा की किताब प्रमुख और इमाम है, जिस बात में हदीस के जो अर्थ किए जाते हैं ख़ुदा की किताब के विरोधी न हों तो वे अर्थ शरीअत के प्रमाण के तौर पर स्वीकार किए जाएंगे, परन्तु जो अर्थ क़ुर्आन के स्पष्ट आदेशों के विपरीत होंगे तो हम यथासंभव उसकी अनुकूलता और समानता के

लिए प्रयास करेंगे और यदि ऐसा न हो सके तो उस हदीस को छोड़ देंगे और प्रत्येक मोमिन का यही मत होना चाहिए कि ख़ुदा की किताब को बिना शर्त तथा हदीस को शर्त के तौर पर शरई प्रमाण ठहराए।

हमारा यह मत अवश्य होना चाहिए कि हम प्रत्येक हदीस तथा प्रत्येक कथन को पवित्र क़ुर्आन पर प्रस्तुत करें क्योंकि क़ुर्आन क़ौले फ़सल, फ़ुर्क़ान, मीज़ान (तुला) और प्रकाश है। इसलिए समस्त मतभेदों के निवारण के लिए उपकरण है और हदीस की प्रतिष्ठा और श्रेणी पवित्र क़ुर्आन की प्रतिष्ठा एवं श्रेणी को नहीं पहुंचती। अधिकतर हदीसें अधिक से अधिक दृढ़ अनुमान का लाभ देती हैं और यदि कोई हदीस निरन्तरता की श्रेणी पर भी हो तब भी पवित्र क़ुर्आन की निरन्तरता से उसकी कदापि समानता नहीं।

फिर हदीसें दो प्रकार की हैं। एक वे हदीसें जो कर्मों एवं धार्मिक कर्त्तव्यों (फ़राइज़) पर आधारित हैं। जैसे नमाज़, हज, ज़कात इत्यादि। ये समस्त कर्म परम्परागत नहीं अपितु उनके विश्वसनीय होने का कारण क्रियात्मक श्रृंखला है। अतः ऐसी हदीसें जिन्हें क्रियात्मक श्रृंखला से शक्ति प्राप्त हुई है एक विश्वास की श्रेणी तक और दूसरी हदीसें जो अतीत के वृत्तान्तों या भावी घटनाओं पर आधारित हैं उनको अनुमान की श्रेणी से बढ़कर स्वीकार नहीं किया जाएगा और ये वे हदीसें हैं जिन्हें क्रियात्मक श्रृंखला से कुछ भी संबंध नहीं। उनमें से यदि कोई हदीस पवित्र क़ुर्आन की आयत की विरोधी या विपरीत होगी तो वह निरस्त करने योग्य होगी।

किन्तु मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब बटालवी इस विचार का खण्डन करते चले गए और कहते गए कि आप ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और अपना मत यह वर्णन किया कि सहीहैन की समस्त हदीसें निश्चित तौर पर सही तथा बिना विलम्ब, शर्त एवं बिना विवरण अमल करने और आस्था रखने योग्य हैं। मुसलमानों को क़ुर्आन पर ईमान लाना यही शिक्षा देता है कि जब किसी हदीस का सही होना रिवायत के नियमों के अनुसार सिद्ध हो तो उसे पवित्र क़ुर्आन के समान अमल करने योग्य समझें।

जब सही हदीस क़ुर्आन की सेवक और व्याख्याकार और क्रियात्मक अनिवार्यता में क़ुर्आन के समान है तो फिर क़ुर्आन उस के सही होने का हकम, मापदण्ड एवं कसौटी क्योंकर हो सकता है। अत: सुन्नत क़ुर्आन पर क़ाज़ी (निर्णायक) है और क़ुर्आन सुन्नत का क़ाज़ी नहीं।

परन्तु हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने घोषणा की कि -

पवित्र क़ुर्आन اَلۡيَوۡمَ اَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِيۡنَكُمۡ
का कभी अवनतिशील न होने वाला ताज अपने सर
पर रखता है और تِبۡيَانًا لِّكُلِّ شَيۡءٍ के विशाल और
सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान है।"

अन्तिम पर्चे में हज़रत मसीह मौऊद^{अ.} ने यह लिखा कि मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब शास्त्रार्थ के मूल विषय अर्थात् मसीह^{अ.} की मृत्यु और जीवन से पलायन कर रहे हैं तथा निरर्थक एवं असंबंधित बातों

में समय नष्ट किया है। अब इन प्राथमिक बातों को अधिक लम्बा करना उचित नहीं। हां यदि मौलवी साहिब मूल दावे में जो मैंने किया है आमने सामने तर्क प्रस्तुत करने से बहस करना चाहें तो मैं उपस्थित हूं तथा कहा कि मैं उनके मुकाबले पर निर्णय की इस पद्धति पर सहमत हूं कि चालीस दिन निर्धारित किए जाएं और प्रत्येक सदस्य ख़ुदा तआला से अपने लिए कोई आकाशीय विशेषता मांगे। जो सदस्य इसमें सच्चा निकले और कुछ परोक्ष की बातों को प्रकट करने में ख़ुदा तआला के समर्थन उसके साथ हो जाएं वही सच्चा ठहरा दिया जाए।

हे दर्शक गण ! इस समय अपने कानों को मेरी ओर करो कि मैं महावैभवशाली ख़ुदा की क़सम खाकर कहता हूं कि यदि हज़रत मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब चालीस दिन तक मेरे मुकाबले पर ख़ुदा तआला की ओर ध्यान करके वे आकाशीय निशान या परोक्ष के रहस्य दिखा सकें जो मैं दिखा सकूं। तो मैं स्वीकार करता हूं कि जिस शस्त्र से चाहें मेरा वध कर दें और जो क्षतिपूर्ति चाहें मुझ पर लगा दें।

"दुनिया में एक नज़ीर (डराने वाला) आया
परन्तु दुनिया ने उसे स्वीकार न किया लेकिन
ख़ुदा उसे स्वीकार करेगा और बड़े शक्तिशाली
आक्रमणों से उसकी सच्चाई प्रकट करेगा।"

मौलवी निज़ामुद्दीन साहिब की बैअत

जब मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब बटालवी शास्त्रार्थ (मुबाहसा) के उद्देश्य से लुधियाना आए तो एक दिन मौलवी निज़ामुद्दीन साहिब

ने कहा - कि हज़रत मसीह[अ.] के जीवन पर क़ुर्आन में कोई आयत मौजूद भी है ? मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब बटालवी बोले कि बीस आयतें मौजूद हैं। मौलवी निज़ामुद्दीन साहिब ने कहा फिर मिर्ज़ा साहिब के पास जाकर बात करूं। उन्होंने कहा - हां जाओ। उन्होंने जाकर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से कहा कि यदि पवित्र क़ुर्आन में हज़रत ईसा के जीवित होने की आयत मौजूद हो तो मान लोगे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि हां हम मान लेंगे। मौलवी निज़ामुद्दीन साहिब ने कहा- एक दो नहीं इकट्ठी बीस आयतें हज़रत ईसा के जीवित रहने पर ला दूंगा। आपने कहा - तुम एक ही आयत ला दोगे तो मैं स्वीकार कर लूंगा और अपने मसीह मौऊद होने का दावा त्याग दूंगा और तौबा करूंगा परन्तु स्मरण रहे कि एक आयत भी हज़रत ईसा[अ.] के जीवित रहने की नहीं मिलेगी। जब उन्होंने मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब बटालवी से इसकी चर्चा की और कहा कि मिर्ज़ा को हरा आया हूं और मैंने मिर्ज़ा से स्वीकार करवा लिया है कि यदि मैंने मसीह[अ.] के जीवन की आयतें लाकर दे दीं तो वह तौबा कर लेगा। अतः बीस आयतें मुझे शीघ्र निकाल कर दे दो। इस पर मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब बटालवी ने कहा - तुमने हदीसें प्रस्तुत नहीं कीं। कहा कि हदीसों की बात ही नहीं प्रमुख पवित्र क़ुर्आन है। इस पर मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब बटालवी घबरा कर खड़े हो गए और पगड़ी सर से उतार कर फेंक दी और कहा कि तू मिर्ज़ा को हराकर नहीं आया हमें हराकर आया है तथा हमें लज्जित किया। मैं

एक लम्बे समय से मिर्ज़ा साहिब को हदीस की ओर ला रहा हूं और वह पवित्र क़ुर्आन की ओर मुझे खींचता है। पवित्र क़ुर्आन में यदि कोई आयत मसीह[अ.] के जीवित होने की होती तो हम कभी की प्रस्तुत कर देते। इसलिए हम हदीसों पर ज़ोर दे रहे हैं, पवित्र क़ुर्आन से हम पार नहीं निकल सकते। पवित्र क़ुर्आन तो मिर्ज़ा के दावे को हरा भरा करता है[1] - मौलवी निज़ामुद्दीन साहिब ने कहा - यदि पवित्र क़ुर्आन तुम्हारे साथ नहीं है और वह मिर्ज़ा साहिब के साथ है तो फिर मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। इस स्थिति में मिर्ज़ा साहिब का साथ दूंगा। यह धार्मिक मामला है जिस ओर क़ुर्आन उस ओर मैं।

इस पर मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब बटालवी ने अपने साथ वाले मौलवी साहिब से सम्बोधित होते हुए कहा - यह निज़ामुद्दीन तो अल्पबुद्धि व्यक्ति है इसे अबू हुरैरा वाली आयत निकाल कर दिखा दो। मौलवी निज़ामुद्दीन साहिब ने कहा - कि मुझे अबू हुरैरा वाली आयत नहीं चाहिए, मैं तो शुद्ध अल्लाह तआला की आयत लूंगा। इस पर दोनों मौलवियों ने कहा - हे मूर्ख ! आयत तो अल्लाह तआला की है परन्तु अबू हुरैरा ने उसकी व्याख्या की है। मौलवी निज़ामुद्दीन साहिब ने उत्तर दिया मुझे व्याख्या की आवश्यकता नहीं। मिर्ज़ा साहिब की मांग तो क़ुर्आन की आयत की है। अतः मुझे तो मसीह[अ.] के जीवन पर क़ुर्आन की स्पष्ट आयत चाहिए। इस पर मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब को विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति तो हाथ से गया। उन दिनों

---

[1] "तज़किरतुल महदी" लेखक हज़रत पीर सिराजुल हक़ साहिब नो'मानी।

मौलवी निज़ामुद्दीन साहिब मौलवी मुहम्मद हसन साहिब रईस लुधियाना के यहां भोजन किया करते थे। इसलिए मौलवी साहिब मुहम्मद हुसैन बटालवी उनसे सम्बोधित होकर बोले कि आप इस की रोटी बन्द कर दें। मौलवी निज़ामुद्दीन साहिब यह सुनकर तुरन्त खड़े हो गए और व्यंग के तौर पर हाथ जोड़ कर बोले कि

"मौलवी साहिब ! मैंने पवित्र क़ुर्आन छोड़ा,
रोटी मत छुड़ाओ।"

इस पर मौलवी बटालवी साहिब बहुत लज्जित हुए और मौलवी निज़ामुद्दीन साहिब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सेवा में उपस्थित हुए और समस्त वृत्तान्त सुना कर कहा - अब तो जिधर पवित्र क़ुर्आन है उधर मैं हूं। इसके पश्चात् आपने बैअत कर ली।

विनीत
जलालुद्दीन शम्स

इंट्रोडक्शन

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الشَّفِيْعِ الْمُشَفَّعِ الْمُطَاعِ الْمَكِيْنِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ أَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

मुबाहसे और शास्त्रार्थ वास्तव में बहुत ही लाभदायक मामले हैं। मानवीय प्रकृति की उन्नति जिसे स्वाभाविक तौर पर अन्धे अनुकरण से घृणा है और जिसे हर समय नवीन अनुसंधानों की धुन लगी रहती है इसी पर निर्भर है। मनुष्य की प्रकृति में भावनाएं एवं आवेग ही ऐसे ख़मीर उठाए गए हैं कि किसी दूसरे सजातीय की बात पर नतमस्तक होना उसे अत्यन्त लज्जा मालूम होती है। अंधकार के युग (जो इस्लाम की परिभाषा में कुफ्र का युग है और जो हमारे पूर्ण पथ-प्रदर्शक, सत्य के सूर्य मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अवतरण से पहले का युग है) में बड़े स्वाभिमानी कुफ्र में प्रचंड अरब के सरदार इस पर गर्व करते हैं कि **हम वे लोग हैं जो किसी की बात नहीं माना करते।** वास्तव में यह एक रहस्य है जो एक बड़े महान उद्देश्य के लिए हकीम, हमीद (ख़ुदा) ने मनुष्य की प्रकृति में प्रदत्त कर दिया है। मतलब इस से यह है कि यह वजूद चौपायों की तरह बहरे, गूंगे और मात्र अनुकरणकर्ता न हों, अपितु एक की बात दूसरे की नवीनता प्रिय अविष्कारी प्रकृति के पक्ष में शक्तिशाली प्रेरक और उत्तेजना पैदा करने वाली हो। यदि अल्लाह की आदत यों जारी होती कि एक ने कही तथा दूसरे ने मानी तो यह नय्यर-ए-नजात चमत्कारों से भरा हुआ संसार एक भयावह निर्जन स्थल और भयभीत करने वाले जंगल से अधिक न होता। किन्तु हकीम ख़ुदा ने अपना

प्रताप प्रकट करने के लिए प्रत्येक वस्तु के अस्तित्त्व के साथ बुराई का अस्तित्त्व भी अनिवार्य कर रखा है। कम ही कोई ऐसी वस्तु होगी जो ज़ौजैन (पती-पत्नी) और द्विमुखी न हो। इस गर्व योग्य श्रेष्ठता को भी इस व्यापक नियम के अनुसार अत्यन्त कुरूपी निकृष्टता अर्थात् पक्षपात, अनुचित आग्रह, शत्रुतापूर्ण हठधर्मी, क़ौम की काल्पनिक मान्यताओं की पच। सत्य के विरुद्ध अहंकार ने उसको अनुसंधान पूर्ण उच्च श्रेणी से गिरा कर, और बाज़ारी शिष्टाचार की निचली और अधम सतह पर उतार कर उसको संसार में अविश्सनीय कर दिया। न केवल अविश्वसनीय अपितु भयानक रक्तपायी बना दिया। इस प्रकार एक सच्ची, सही और आवश्यक बुनियाद को मनुष्य के अनुचित प्रयोग के अन्याय ने ऐसा बिगाड़ा, ऐसा बदनाम किया कि इस उन्नति और सुधार के उपकरण को प्रत्येक प्रकार के उत्पातों, शरारतों, शहर में लोगों के परस्पर मिलजुल कर रहने की खराबियों का स्रोत कहा गया। दुर्भाग्य से दुष्कर्मी लोगों ने जहां मुबाहसा एवं शास्त्रार्थ की सभा आयोजित की तो पल भर में उसे अंधकार के समयों की कुश्ती, पंजा मारना और युद्ध के भयानक दंगल के रूप में परिवर्तित कर दिया। सामान्य इतिहासों को छोड़ कर पवित्र इतिहास (अर्थात इतिहास की पुस्तकों) को उठा कर देखो। सहाबा में भी सामने आने वाले मामलों और कठिन विषयों के संबंध में जिनमें किसी प्रकार की कठिनाई और क्लिष्टता होती तथा किताब और सुन्नत की प्रकाशमान चमक उसके अंधकार का निवारण करने की उत्तरादायी न होती, मुबाहसे होते। बड़े-बड़े इस्लामी धर्मशास्त्र के ज्ञानी विद्वान एकत्र होते। परन्तु वे इस सच्चे प्रकाश से प्रकाशित थे और सद्मार्ग में तामसिक भवानाओं को

मिटा चुके थे। बड़ी शान्ति और नम्रतापूर्वक विवादित विषय की जटिलता को सुलझा लेते। و لله در من قال

झगड़ते थे लेकिन न झगड़ों में शर था
खिलाफ़ आश्ती से खुशआइन्द तर था

हज़रत पवित्र आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि) बहुत शास्त्रार्थ करने वाली थीं। अधिकतर मामलों में सहाबा ने उन की ओर रुजू किया और मुबाहसों के बाद हज़रत सिद्दीक़ा के मत को ग्रहण किया।

सारांश यह कि मुबाहसा कोई बिदअत और उपद्रव फैलाने वाली चीज़ न थी। परन्तु क्रोध में आपे से बाहर होने वाले, पशुओं का चरित्र रखने वाले प्रतिद्वंदियों की अशिष्टताओं ने इसे बिदअत और उद्दंडता की सीमा से भी कहीं दूर कर दिया है।

कुछ समय से हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब क़ादियानी ने (प्रतापी ख़ुदा के इल्हाम और ज्ञान कराने से) यह दावा किया है-

(1) कि हज़रत मसीह इस्राईली जिनको इंजील दी गई थी, अपने दूसरे भाइयों (अंबिया अलैहिमुस्सलाम) की तरह मृत्यु पा चुके हैं। पवित्र क़ुर्आन उनकी मृत्यु के निश्चित एवं अटल साक्ष्य दे चुका है। और

(2) दुनिया में दोबारा आने वाले इब्ने मरयम से अभिप्राय मसीह के अस्तित्व से है न कि असली मसीह से। और

(3) मैं मसीह मौऊद हूं ख़ुदा तआला के शुभ सन्देशों के आधार पर दुनिया में सृष्टि के सुधार के लिए आया हूं।

हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने ख़ुदा की उसी सुन्नत के अनुसार जो नबियों और मुहद्दिसों के जीवन चरित्र से प्रकट है इन दावों को स्वीकार करने की ओर समस्त लोगों को उच्च स्तर एवं सामान्य

आवाज़ से बुलाया। अहले पंजाब से (पवित्र आयत के आदेशानुसार وَمَاۤ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِكَ مِنۡ رَّسُوۡلٍ وَّ لَا نَبِیٍّ ★ बटाला के शेखों में से एक बुज़ुर्ग मौलवी अबू सईद मुहम्मद हुसैन साहिब इस दावत के खण्डन हेतु खड़े हुए। लोगों की आस्थानुसार इन नवीन दावों ने पुरानी आस्थाओं की दुनिया में विलक्षण महाप्रलय (क़यामत) पैदा कर रखी थी तथा प्रत्येक सरसरी देखने वाले को भी वे इमारतें जो पूर्णतः रेत पर उठाई गई थीं उस बाढ़ के प्रचंड प्रवाह के आघात से बहती दिखाई देने लगीं। लम्बी अवधि की मान्यता के स्नेह ने किसी सहायक एवं सहयोगी की अभिलाषापूर्ण खोज में निगाहें चारों ओर दौड़ा रखी थीं। मौलवी मुहम्मद हुसैन के अस्तित्त्व में उन्हें सुवक्ता सहायक और प्रिय प्रतिद्वन्द्वी सामने दिखाई दिया। सच्ची श्रद्धा और सुदृढ़ आस्था ने सहमति से प्रत्येक ओर से विच्छिन्न होकर अब मौलवी अबू सईद साहिब को आशा और निराशा का शरण-स्थल ठहरा दिया। पंजाब के अधिकतर मस्जिदों में बैठने वाले उलेमा ने (जो प्रत्यक्ष रूप से स्वयं को ग़ैर मुक़ल्लिद-व-अन्वेषक कहते हैं) एक स्वर होकर बड़े गर्व से हमारे बटालवी मौलवी साहिब को अपना आज़ाद वकील ठहराया। सर्वप्रथम लाहौर की एक चुनी हुई जमाअत ने जिन्होंने अब तक अपने व्यावहारिक जीवन से सबूत दिया है कि वे इस्लाम के सच्चे शुभ चिन्तक और सत्यप्रिय एवं सत्यपरायण लोग हैं। मेरे शेख एवं सच्चे दोस्त मौलवी नूरुद्दीन को जबकि वह लुधियाना में अपने मुर्शिद हज़रत मिर्ज़ा साहिब की सेवा में उपस्थित थे बड़ी श्रद्धा और आग्रह एवं विनय से लाहौर में बुलाया कि वह उन्हें उन कठिन विषयों की

★ (अलहज-53)

दशा पर अवगत कराएँ। मौलवी नूरुद्दीन साहिब के आगमन पर स्वाभाविक तौर पर वे इस ओर ध्यान आकृष्ट किया कि मौलवी अबू सईद साहिब को जो इन दावों के खण्डन के मुद्दई हैं, उन के मुक़ाबले पर खड़ा करके दोनों ओर के इस्लामी मुबाहसे और सहाबियों जैसे शास्त्रार्थ के द्वारा सत्य को पा लें। किन्तु खेद कि उनके गुमान के विरुद्ध एक शालीन, विनम्रता का व्यवहार करने वाले और ग़रीब-दिल मौलवी के मुक़ाबले में जनाब मौलवी अबू सईद साहिब ने सहाबा जैसे शास्त्रर्थ के ढंग का सबूत न दिया। अभिलाषियों की तड़पती रूहों (आत्मओं) की मांग के विरुद्ध दावे की असल बुनियाद को छोड़ कर मौलवी अबू सईद साहिब ने एक गृहनिर्मित काल्पनिक नियमों का बहुत बड़ा ढेर प्रस्तुत करके उपस्थितगण और अधीर अभिलाषियों के प्रिय समय और बहुमूल्य मनोकामनाओं का ख़ून कर दिया और मामला जस का तस रह गया।

तत्पश्चात् हज़रत मिर्ज़ा साहिब के दावों के समर्थन में एक के बाद एक पुस्तकें और पत्रिकाएं प्रकाशित होनी आरंभ हुईं और समूह के समूह सत्याभिलाषी लोग इस आध्यात्मिक एवं पवित्र सिलसिले में प्रवेश करने लगे। प्रतिरक्षकों और विरोधियों ने इसकी बजाए कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के ज़िन्दा रहने के बारे में पवित्र क़ुर्आन और स्पष्ट सही हदीस के आधार पर तार्किक तौर पर अपनी पुरानी आस्था की सहायता करते और लोगों पर इस नवीन दावे की कमज़ोरी को सिद्ध करते, आदत के अनुसार काफ़िर ठहराने के पंतगे और कान कौवे इधर-उधर उड़ाने आरंभ किए जो सच्चाई की तीव्र आंधी की चोट से टूट कर तथा फट कर मिट गए।

कुछ समयोपरान्त कुछ शक्तिशाली लोगों की अखण्डनीय उत्तेजना और उनके बार-बार के शर्म दिलाने से मौलवी साहिब ने फिर करवट ली और अन्तत: शक्तिशाली धक्कों से न चाहते हुए भी लुधियाना में पहुंच गए। अब से इस मुबाहसे की नींव पड़ने लगी जो **अलहक़्क़** के इन चारों नम्बरों में दर्ज है।

लुधियाना वाले मुबाहसे पर कुछ रिमार्क्स

हमारे उद्देश्य में दाख़िल नहीं कि हम इस समय यहां मुबाहसे की आंशिक और पूर्ण परिस्थितयां तथा अन्य संबंधित बातों से विरोध करें। इस निबंध पर हमारे आदर्णीय और प्रतिष्ठित दोस्त मुंशी ग़ुलाम क़ादिर साहिब फ़सीह अपने महान अखबार पंजाब ग़ज़ट के परिशिष्ट दिनांक 12 अगस्त में पूर्ण प्रकाश डाल चुके हैं। हमें बहस का मूल उद्देश्य और अन्तत: उसके घटित परिणाम से संबंध है। सारांश यह कि मौलवी अबू सईद साहिब लुधियाना लाए गए। इस्लामी जमाअतों में एक बार पुन: हरकत पैदा हुई और प्रत्येक ने अपने-अपने अभिलाषी विचार के उच्च टीले पर चढ़कर और कल्पना का दूरदर्शी यंत्र लगाकर उस मुक़द्दस जंग के परिणाम की प्रतीक्षा करना प्रारंभ कर दिया।

अत: मुबाहसा आरंभ हुआ। 12 दिन तक यह कार्रवाई चलती रही। किन्तु खेद है कि परिणाम पर लुधियाना के लोग भी पूर्ण अर्थों में अपने भाइयों अहले-लाहौर के भाग्य के भागीदार रहे। मौलवी साहिब ने अब भी वही बनावटी नियम प्रस्तुत कर दिए। हालांकि अत्यावश्यक था कि वह अति शीघ्र उस फ़ित्ने का दरवाज़ा बन्द करते जो उन के गुमान के अनुसार इस्लाम और मुसलमानों के पक्ष में बहुत हानिप्रद सिद्ध हो रहा था। अर्थात् यदि उन्हें अपनी ईमानदारी और सच्चाई पर

पूर्ण प्रतिभा तथा पूर्ण विश्वास था तो वही सर्वप्रथम हर ओर से हट कर और निरर्थक बातों से विमुख होकर हज़रत मिर्ज़ा साहिब के मूल आधारभूत दावे अर्थात् मसीह की मृत्यु के संबंध में वार्तलाप आरंभ करते। यह तो कमज़ोर और बे-सामान का काम होता है कि वह अपने बचाव के लिए इधर-उधर पंजे मारता और हाथ अड़ाता है। उन पर अनिवार्य था कि तुरन्त पवित्र क़ुर्आन से कोई ऐसी आयत प्रस्तुत करते जो मसीह के जीवित रहने पर प्रमाण होती। या उन आयतों के अर्थों पर प्रतिप्रश्न करते तथा उन तर्कों को क़ुर्आन या व्यापक सही हदीस से तोड़ कर दिखाते जो हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने मसीह की मृत्यु पर लिखी हैं। परन्तु उस हार्दिक विवेक ने कि वह वास्तव में निशस्त्र हैं उन्हें इस ओर झुका दिया कि वह ज्यों-त्यों करके अपने मुंह के आगे से इस मौत के प्याले को टाल दें परन्तु वह न टला। और अन्त में मौलवी साहिब पर अपमान की मृत्यु आई।

فَاعْتَبِرُوْا يَاُولِى الْاَبْصَارِ (अर्थात हे बुद्धिसंपन्न लोगो! शिक्षा ग्रहण करो) अब आशा है कि वह व्यापक नियम के अनुसार इस दुनिया में पुनः न उठेंगे। अतः लाहौरी प्रतिष्ठित जमाअत ने भी उन्हें मुर्दा विश्वास करके उस निवेदन में भिन्न भिन्न, बज़ाहिर ज़िन्दा मौलवियों को सम्बोधित किया है और उन पर फ़ातिहा पढ़ दी है। हम भी उन्हें रूह में मुर्दा समझते हैं और उनकी मृत्यु पर खेद करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन

इस्लामी पब्लिक हैरान है कि क्यों मौलवी अबू सईद साहिब ने इस बहस और पहली बहस में पवित्र क़ुर्आन की ओर आने से बचते रहना पसंद किया और वह क्यों साफ़-साफ़ पवित्र क़ुर्आन और फ़ुर्क़ान

मजीद की दृष्टि से मसीह की मृत्यु और जीवित रहने के विषय के बारे में वार्तालाप करने का साहस न करते या जान-बूझ कर करना न चाहते थे। मूल वास्तविकता यह है कि पवित्र क़ुर्आन अपने अटल स्पष्ट आदेशों की बहुत बड़ी असंख्य सेना जो शत्रु पर बार-बार आक्रमण करने वाली है, को लेकर हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने समर्थन पर तैयार है। दो सौ आयतों के लगभग हज़रत मसीह की मृत्यु पर स्पष्ट तौर पर दलालत कर रही हैं। मौलवी अबू सईद साहिब ने न चाहा (यदि वह चाहते तो शीघ्र फ़ैसला हो जाता) कि पवित्र क़ुर्आन को इस विवाद में शीघ्र और बिना माध्यम हकम और निर्णायक बनाएं। इसलिए कि वह भली-भांति समझते थे कि समस्त क़ुर्आन हज़रत मिर्ज़ा साहिब के साथ है और वह इस अकारण शत्रुतापूर्ण कार्रवाई से हानि उठाएंगे। परन्तु किसी कार्य की अग्रिम भूमिका के तौर पर यह प्रसिद्ध करना और बात-बात में यह कहना आरंभ कर दिया कि मिर्ज़ा साहिब हदीस को नहीं मानते। नऊज़ुबिल्लाह। हम इस बात का फैसला अनुसंधान करने वाले दर्शकगण पर छोड़ते हैं। वे देख लेंगे और मिर्ज़ा साहिब के जगह जगह इक़रारों से भली भांति समझ लेंगे कि हदीस का वास्तविक और सच्चा सम्मान हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने ही किया है। उनका उद्देश्य और आशय यह है कि हदीस के ऐसे मायने किए जाएं जो किसी भी प्रकार से ख़ुदा की पवित्र किताब के विपरीत न हों, अपितु हदीस का सम्मान स्थापित रखने के लिए यदि उसमें कोई ऐसा पहलू हो जो देखने में अल्लाह की किताब के विरोध की संभावना रखता हो तो वह अल्लाह तआला की सहायता से उसे क़ुर्आन के साथ अनुकूलता देने का भरपूर प्रयास करते हैं। यदि विवशतापूर्वक कोई ऐसी हदीस (क़िस्सों, दिन

और खबरों से संबंधित) हो जो पवित्र क़ुर्आन के नितान्त विरुद्ध पड़ी हो तो वह ख़ुदा की किताब सर्वांगपूर्ण तौर पर मान्य, आदरणीय, और सम्माननीय समझ कर उस हदीस के सही होने का इन्कार करते हैं। और ठीक हज़रत (आइशा) सिद्दीक़ा रज़ि. की तरह जैसा कि उन्होंने उस रिवायत- اِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهٖ को पवित्र क़ुर्आन की आयत- لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى (फ़ातिर-19) के मुकाबले में रद्द कर दिया था। हज़रत अक़्दस मिर्ज़ा साहिब (जिनका असली मिशन और परम कर्त्तव्य पवित्र क़ुर्आन की श्रेष्ठता का दुनिया में स्थापित करना और उसी की शिक्षा का प्रसारण है) भी ऐसी विरोधी और क़ुर्आन के विपरीत हदीसों को (यदि हों और फिर जिस पुस्तक में हों) क़ुर्आन के मुकाबले में किसी भर्त्सना करने वाले की भर्त्सना के भय के बिना रद्द कर देते हैं।

हे पाठकगण! हे पाठकगण! हे रब्बुल आलमीन (समस्त लोकों के प्रतिपालक) की किताब के प्रेमियो! ख़ुदा के लिए सोचो! इस आस्था में क्या बुराई है। इस पर यह कैसा असंभव हंगामा है जो संसार के लोगों ने मचा रखा है! लोग कहते हैं कि फ़ैसला नहीं हुआ। यद्यपि चूंकि इन मूल विवादित विषयों में व्यापक बहस नहीं हुई न कहा जा सके कि स्पष्ट फैसला हुआ, परन्तु मिर्ज़ा साहिब के उत्तरों को पढ़ने वालों पर पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा कि हदीसों के दो प्रकार करके दूसरे प्रकार की हदीसों को जो क्रियात्मक शक्ति से शक्ति प्राप्त न हों और फिर पवित्र क़ुर्आन से विरोध करती हों, हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने खण्डन करके वास्तव में विवादित मामले का अन्तिम निर्णय कर दिया है। मानो साफ समझा दिया है कि पवित्र क़ुर्आन सही कलाम से मसीह की मृत्यु की खबर देता है और यह एक सच्चाई है। अब

यदि कोई हदीस इब्ने मरयम के उतरने की ख़बर देती हो तो निश्चित तौर पर यही समझा जाएगा कि वह मसीह के किसी मसील (समरूप) की ख़बर देती है और यदि उसमें कोई ऐसा पहलू होगा जो किसी भी कारण से क़ुर्आन से अनुकूलता न दिया जा सके तो वह अवश्य ही रद्द की जाएगी। तो बहरहाल पवित्र क़ुर्आन अकेला बिना किसी विवादित प्रतिद्वन्द्वी के दावे को सिद्ध करने के मैदान में खड़ा रहा और सत्य भी यही है कि वह अकेला बिना किसी प्रतिद्वन्द्वी के अपने स्पष्ट आदेशों की सच्चाई सिद्ध करने वाला हो और किसी किताब किसी लेख तथा किसी संग्रह की क्या शक्ति, क्या मजाल है कि उसके दावों को तोड़ने का दम मार सके और यही मिर्ज़ा साहिब का उद्देश्य है, अतः वास्तव में फैसला दे चुके और कर चुके हैं। हमारा इरादा था कि मौलवी अबू सईद साहिब के विज्ञापन लुधियाना दिनांक 1, अगस्त की उन बातों पर ध्यान देते जिन के उत्तर के लिखने का संकेत आदरणीय एडीटर पंजाब गज़ट ने अपने परिशिष्ट में हमारी ओर किया था परन्तु हम ने इस बीच अपने विशाल अनुभव से देख लिया है कि प्रतिष्ठित और समझदार मुसलमान इस निर्मूल विज्ञापन को पूर्णतया बड़े तिरस्कार से देखने लगे हैं। हमारा अब इसकी ओर ध्यान न देना ही उसे गुमनामी के अथाह कुएं में फेंक देना है।

अन्त में हम खेदपूर्वक कहते हैं कि यदि मौलवी अबू सईद साहिब मायने की दृष्टि से भी सईद होते तो याद करते अपने उस वाक्य को जो वह रीव्यू बराहीन अहमदिया में लिख चुके हैं और वह यह है -

"बराहीन का लेखक ग़ैबी ख़ुदा से प्रशिक्षण पाकर ग़ैबी इल्हामों और ख़ुदा के दिए ज्ञानों के उतरने का स्थान हुए हैं।"

फिर लिखते हैं -

"क्या किसी क़ुर्आन के अनुयायी मुसलमान के नज़दीक शैतान को भी क़ुव्वते क़ुदसी है कि वह अंबिया और फरिश्तों की तरह ख़ुदा की ओर से ग़ैबी बातों पर सूचना पाए और उसकी कोई बात ग़ैब औऱ सच्चाई से खाली न जाए?"

मिर्ज़ा साहिब क़ुव्वते क़ुदसिया हैं और अल्लाह तआला उन्हें ग़ैब की बातों पर सूचना देता है।

इस सत्यापन के और ऐसे पहले इक़रार के बावजूद उचित न था कि उसी क़लम से काज़िब, मुफ़्तरी, नेचरी, धोखेबाज़ इत्यादि शब्द निकलते।

رَبَّنَا اِنْ هِیَ اِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ

दर्शकों पर गुप्त न रहे कि **अलहक़** आइन्दा इन्शा अल्लाह तआला अपने प्रोस्पेकटस के अनुसार निबन्द प्रकाशित किया करेगा। वास्तव में यह एक रूप में हज़रत अक़्दस मिर्ज़ा साहिब की कार्रवाइयों को जो सर्वथा सत्य और भलाई पर आधारित हैं हर प्रकार की संभव और संदिग्ध ग़लत फहमियों तथा अवैध आलोचनाओं से सुरक्षित रखने के लिए बड़ी स्पष्टतापूर्वक वर्णन किया करेगा।

وَمَا تَوْفِیْقِیْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَیْهِ اُنِیْبُ

अब्दुल करीम

हज़रत मसीह मौऊद जनाब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब क़ादियानी
तथा
मौलवी अबू सईद मुहम्मद हुसैन बटालवी के मध्य

शास्त्रार्थ

प्रश्न नं. 1

मौलवी साहिब

मैं आप की कुछ आस्थाओं तथा निबंधों पर बहस करना चाहता हूं परन्तु इस से पूर्व कुछ सिद्धान्तों की भूमिका आवश्यक है। आप अनुमति प्रदान करें तो मैं उन सिद्धान्तों को प्रस्तुत करूं।

हस्ताक्षर - अबू सईद मुहम्मद हुसैन 20 जुलाई 1891 ई

मिर्ज़ा साहिब

आपको अनुमति है बड़ी ख़ुशी से प्रस्तुत करें किन्तु यदि यह विनीत उचित समझेगा तो आप से भी कुछ प्रारंभिक सिद्धान्त मालूम करेगा।

हस्ताक्षर - ग़ुलाम अहमद 20 जुलाई 1891 ई.

प्रश्न नं. 2

मौलवी साहिब

मेरे इन सिद्धान्तों को जिन्हें मैं पत्रिका नं. 1 जिल्द-12 में वर्णन कर चुका

हूं और उनको आप के हवारी हक़ीम नूरुद्दीन ने स्वीकार किया है आप भी स्वीकार करते हैं या किसी सिद्धान्त के स्वीकार करने में आपत्ति है।

हस्ताक्षर - अबू सईद मुहम्मद हुसैन 20 जुलाई 1891 ई

मिर्ज़ा साहिब

मुझे उन सिद्धान्तों की सूचना नहीं। पहले मुझे बताए जाएं, तब उन के संबंध में वर्णन करूंगा।

हस्ताक्षर - ग़ुलाम अहमद 20 जुलाई 1891 ई.

पर्चा नं. 1

मौलवी साहिब

वे सिद्धान्त ये हैं जो पत्रिका से पढ़कर सुनाए जाते हैं। उन सिद्धान्तों में से जिस सिद्धान्त को आप को स्वीकार करना हो तो आप स्पष्ट करें। चूंकि पत्रिका प्रकाशित हो चुकी है इसलिए उन सिद्धान्तों को पुन: लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप एक-एक सिद्धान्त पर क्रमश: बात करें।

हस्ताक्षर - अबू सईद मुहम्मद हुसैन 20 जुलाई 1891 ई.

मिर्ज़ा साहिब

किताब तथा सुन्नत के शरीअत के अनुसार प्रमाण होने में मेरा मत यह है कि ख़ुदा की किताब प्रमुख और इमाम है। जिस बात में

हदीसों के जो अर्थ किए जाते हैं वे ख़ुदा की किताब (क़ुर्आन) के विपरीत न हों तो वे अर्थ बतौर **शरई प्रमाण** के स्वीकार किए जाएंगे, परन्तु जो अर्थ क़ुर्आन करीम की अति स्पष्ट आयतों के विपरीत होंगे उन अर्थों को हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे अपितु जहां तक हमारे लिए संभव होगा हम उस हदीस के ऐसे अर्थ करेंगे जो पवित्र क़ुर्आन की स्पष्ट आयत के अनुसार तथा अनुकूल हों और यदि हम कोई ऐसी हदीस पाएंगे जो पवित्र क़ुर्आन की स्पष्ट आयत के विपरीत होगी तथा हम किसी प्रकार से उसके प्रत्यक्ष अर्थों से हटकर उसकी व्याख्या करने पर समर्थ नहीं हो सकेंगे तो ऐसी हदीस को हम मौज़ू' (मनघड़त) ठहराएंगे, क्योंकि ख़ुदा तआला का कथन है -① فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُونَ अर्थात् तुम अल्लाह और उसकी आयतों के पश्चात् किसी हदीस पर ईमान लाओगे। इस आयत में स्पष्ट तौर पर इस बात की ओर संकेत है कि यदि पवित्र क़ुर्आन किसी बात के बारे में ठोस एवं निश्चित निर्णय दे, यहां तक कि उस निर्णय में किसी भी प्रकार से सन्देह शेष न रह जाए तथा आशय भलीभांति स्पष्ट हो जाए तो इसके पश्चात् किसी ऐसी हदीस पर ईमान लाना जो स्पष्ट तौर पर उसके विपरीत हो मोमिन का काम नहीं है। पुनः कथन है -② فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ इन दोनों आयतों के एक ही अर्थ हैं इसलिए यहां व्याख्या की आवश्यकता नहीं। अतः उपरोक्त आयत के अनुसार प्रत्येक मोमिन का यह ही मत होना चाहिए कि वह ख़ुदा की किताब

① अलजासिया : 7 ② अलअ'राफ़ : 182

क़ुर्आन को बिना शर्त तथा हदीस को सशर्त शरई प्रमाण ठहराए और यही मेरा मत है।

(2) आप की दूसरी बात जो "इशाअतुसुन्नह" के पृष्ठ 19 में लिखी है के बारे में पृथक तौर पर उत्तर देने की आवश्यकता नहीं क्योंकि उसका उत्तर इसी में आ गया है अर्थात् जो बात कथन या कर्म अथवा भाषण के तौर पर हज़रत पैग़म्बर स.अ.व. की ओर हदीसों में वर्णन की गई है हम उस बात की भी इसी मापदण्ड पर परीक्षा लेंगे तथा देखेंगे कि इस आयत के अनुसार ① فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ वह हदीस के कथन या कर्म के अनुसार पवित्र क़ुर्आन की किसी स्पष्ट आयत के विपरीत तो नहीं। यदि विपरीत नहीं होगी तो हम सर आंखों के साथ उसे स्वीकार करेंगे और यदि प्रत्यक्षतः विपरीत दिखाई देगी तो हम यथासंभव उसकी अनुकूलता के लिए प्रयत्न करेंगे और यदि हम पूर्ण प्रयत्न करने के बावजूद उसे अनुकूल करने में विफल रहेंगे तथा हमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर विपरीत मालूम होगी तो हम खेद के साथ उस हदीस को छोड़ देंगे, क्योंकि हदीस का स्तर क़ुर्आन करीम के स्तर और श्रेणी को नहीं पहुंचता। क़ुर्आन करीम **पढ़ी जाने वाली वह्यी** है तथा उसे एकत्र करने और सुरक्षित रखने में वह पूर्णतम व्यवस्था की गई थी कि हदीसों की व्यवस्था की इससे कुछ भी तुलना नहीं। अधिकांश हदीसें सुदृढ़ अनुमान का लाभ देती हैं और कल्पना तथा अनुमान के परिणाम का कारण हैं तथा यदि कोई हदीस निरन्तरता

① अलअ'राफ़ : 182

की श्रेणी पर भी हो तथापि पवित्र क़ुर्आन की निरन्तरता से उसे कदापि समानता नहीं। व्यावहारिक तौर पर इतना लिखना पर्याप्त है।

हस्ताक्षर - ग़ुलाम अहमद

20 जुलाई 1891 ई.

पर्चा नं. 2

मौलवी साहिब

आप की बात में मेरे प्रश्न का स्पष्ट एवं ठोस उत्तर नहीं है।* आपने हदीस या सुन्नत को स्वीकार करने या प्रमाण होने की एक शर्त बताई है, यह स्पष्ट नहीं किया कि इसी हदीस या सुन्नत में जो हदीस की पुस्तकों विशेष तौर पर सहीहैन (बुख़ारी तथा मुस्लिम) में है जिनका वर्णन तृतीय सिद्धान्त में है, पाई जाए सिद्ध है या नहीं, इसी के आधार पर वह हदीस या सुन्नत जो इन पुस्तकों में है शरीअत के अनुसार प्रमाण है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त इस कलाम में आपने स्वीकार करने या प्रमाण की जो शर्त वर्णन की है वह दिरायत** के क़ानून की शर्त है न कि रिवायत के कानून की। अत: आप यह वर्णन करें कि रिवायत के सिद्धान्त की दृष्टि से हदीस की पुस्तकें विशेष

---

* मौलवी साहिब की समझ पर हमें आश्चर्य है। हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने तो स्पष्ट और ठोस उत्तर दे दिया है। आप एक गुप्त उद्देश्य को सीने में दबा कर लोगों को क्यों बोधभ्रम में डालना चाहते हैं। मिर्ज़ा साहिब स्पष्ट तौर पर कहते हैं "जो बात कथन, कर्म अथवा भाषण के तौर पर ..... अन्त तक" चाहे वे हदीसें बुख़ारी और मुस्लिम की हों या इनकी न हों। (एडीटर)

** वह सिद्धान्त जिस का उद्देश्य किसी (हदीस की) रिवायत को बौद्धिक तौर पर परखना है। (अनुवादक)

तौर पर सहीहैन जिन का वर्णन तृतीय सिद्धान्त में है ठोस नबी की सुन्नत हैं या नहीं तथा उन पुस्तकों की हदीसें बिना विलम्ब एवं शर्त पालन करने तथा आस्था रखने योग्य हैं या उन पुस्तकों में ऐसी हदीसें भी हैं जिन पर रिवायत के सिद्धान्त के अनुसार उनके उचित होने की छानबीन किए बिना अमल और आस्था वैध नहीं।

अबू सईद मुहम्मद हुसैन

20 जुलाई 1891 ई.

मिर्ज़ा साहिब

मौलवी साहिब का उत्तर सुनकर मेरा कहना यह है कि मेरे वर्णन का सारांश यह है कि प्रत्येक हदीस चाहे वह बुख़ारी की हो या मुस्लिम की हो इस शर्त के साथ हम किन्हीं विशेष अर्थों में जो वर्णन किए जाते हैं स्वीकार करेंगे कि वह हदीस उन अर्थों की दृष्टि से पवित्र क़ुर्आन के वर्णन से अनुकूल हो। अब मौखिक वर्णन से विदित हुआ कि आप यह ज्ञात करना चाहते हैं कि "रिवायत के सिद्धान्त की दृष्टि से हदीस की पुस्तकें विशेष तौर पर सहीहैन ठोस सुन्नत-ए-नबविया हैं अथवा नहीं तथा इन पुस्तकों की हदीसें अविलम्ब अमल और आस्था योग्य हैं या उन पुस्तकों में ऐसी हदीसें भी हैं जिन पर अमल करना तथा आस्था रखना वैध नहीं।" इस का उत्तर मेरी ओर से यह है कि चूंकि हदीसों का एकत्र होना ऐसे निश्चित एवं ठोस तौर से नहीं कि जिस से इन्कार करना किसी प्रकार से वैध न हो तथा जिस पर ईमान लाना उसी श्रेणी एवं स्तर का हो जैसा कि क़ुर्आन करीम पर

ईमान लाना। इसलिए हमारा यह मत ऐसा कदापि नहीं है कि रिवायत की दृष्टि से भी हदीस को वह निश्चित श्रेणी दें जैसा कि हम पवित्र क़ुर्आन की श्रेणी पर आस्था रखते हैं।* हम पहले वर्णन कर चुके हैं कि हदीसें बहरहाल ऊहात्मक हैं और जबकि वे अनुमान का लाभ देती हैं तो हम रिवायत की दृष्टि से भी उनको वह श्रेणी क्योंकर दे सकते हैं जो श्रेणी पवित्र क़ुर्आन की है। जिस ढंग से हदीसें एकत्र की गई हैं उस ढंग पर ही दृष्टि डालने से प्रत्येक बुद्धिमान समझ सकता है कि कदापि संभव ही नहीं कि हम उस विश्वास के साथ उनकी रिवायत के औचित्य पर ईमान लाएं जैसा कि पवित्र क़ुर्आन पर ईमान लाते हैं। उदाहरणतया यदि कोई हदीस बुख़ारी या मुस्लिम की है परन्तु पवित्र क़ुर्आन के स्पष्ट आदेश के विपरीत है तो क्या हमारे लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि हम उसके विपरीत होने की स्थिति में अपने प्रमाण में पवित्र क़ुर्आन को प्राथमिकता दें ? अतः आप का यह कहना कि हदीसें रिवायत के नियमों की दृष्टि से मानने योग्य हैं। यह एक **धोखा** देने वाला कथन है, क्योंकि हमें यह देखना चाहिए कि हदीस के मानने में हमें विश्वास की जो श्रेणी प्राप्त है वह श्रेणी पवित्र क़ुर्आन के प्रमाण के समान है अथवा नहीं ? यदि यह सिद्ध हो जाए कि प्रमाण की वह श्रेणी पवित्र क़ुर्आन के प्रमाण की श्रेणी से समान है तो निःसन्देह हमें उसी स्तर पर हदीस को मान लेना चाहिए। किन्तु

* लीजिए मौलवी साहिब फैसला हो गया। अब इस से अधिक स्पष्ट उत्तर आप और क्या चाहते हैं। आशा है कि भविष्य में आप शिकायत न करेंगे। (एडीटर)

यह तो किसी का भी मत नहीं, समस्त मुसलमानों का यही मत है कि अधिकांश हदीसें अनुमान का लाभ देती हैं وَالظَّنُّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا उदाहरणतया यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की क़सम खाए कि इस हदीस के समस्त शब्द नबी[स.अ.व.] की ओर से हैं और समस्त शब्द ख़ुदा की वह्यी से हैं तो इस क़सम खाने में वह झूठा होगा। इसके अतिरिक्त स्वयं हदीसों का विरोधाभास जो उन में पाया जाता है स्पष्ट तौर पर सिद्ध कर रहा है कि वे स्थान अक्षरान्तरण से रिक्त नहीं हैं, फिर कोई मोमिन क्योंकर यह आस्था रख सकता है कि हदीसें रिवायत के प्रमाण की दृष्टि से पवित्र क़ुर्आन के प्रमाण के बराबर हैं, क्या आप अथवा कोई अन्य मौलवी साहिब ऐसी राय प्रकट कर सकते हैं कि प्रमाण की दृष्टि से जिस श्रेणी पर पवित्र क़ुर्आन है उसी श्रेणी पर हदीसें भी हैं ? फिर जब कि आप स्वयं मानते हैं कि हदीसें अपने रिवायती प्रमाण की दृष्टि से उच्च स्तरीय प्रमाण से गिरी हुई हैं और अन्ततः अनुमान का लाभ देती हैं तो आप इस बात पर क्यों बल देते हैं कि उसी विश्वास की श्रेणी पर उन्हें मान लेना चाहिए जिस श्रेणी पर पवित्र क़ुर्आन माना जाता है। अतः सही और सच्चा मार्ग तो यही है कि जैसे हदीसें कुछ हदीसों के अतिरिक्त केवल अनुमान की श्रेणी तक हैं तो इसी प्रकार हमें उनके बारे में अनुमान की सीमा तक ही ईमान रखना चाहिए तथा प्रत्येक मोमिन स्वयं समझ सकता है कि हदीसों की जांच-पड़ताल रिवायत के दोष से रिक्त नहीं क्योंकि उनके मध्य के रिवायत करने वालों के आचरण आदि के बारे में ऐसी जांच-

पड़ताल पूर्ण नहीं हो सकती और न ही संभव थी कि किसी प्रकार सन्देह शेष न रहता। आप स्वयं अपनी पत्रिका "इशाअतुसुन्नह" में लिख चुके हैं कि हदीसों के बारे में कुछ विद्वानों का यह मत रहा है कि "एक मुल्हम व्यक्ति एक सही हदीस को ख़ुदा के इल्हाम से काल्पनिक ठहरा सकता है और एक काल्पनिक हदीस को ख़ुदा के इल्हाम से सही ठहरा सकता है।"

अब मैं आप से पूछता हूं कि जब कि स्थिति यह है कि बुख़ारी या मुस्लिम की कोई हदीस कश्फ़ द्वारा काल्पनिक ठहर सकती है तो हम ऐसी हदीसों को क्योंकर पवित्र क़ुर्आन के समतुल्य मान लेंगे ? हां यह तो हमरा ईमान है कि काल्पनिक तौर पर बुख़ारी और मुस्लिम की हदीसें बड़ी सावधानी से लिखी गई हैं और कदाचित उनमें से अधिकतर सही होंगी परन्तु हम क्योंकर इस बात पर शपथ खा सकते हैं कि निःसन्देह वे समस्त हदीसें सही हैं जबकि वे केवल अनुमान के तौर पर सही हैं न कि निश्चित तौर पर। तो फिर विश्वसनीयता के साथ उनका सही होना क्योंकर मान सकते हैं।

अतः मेरा मत यही है कि यद्यपि बुख़ारी और मुस्लिम की हदीसें अनुमान के तौर पर सही है परन्तु उनमें से जो हदीस स्पष्ट तौर पर पवित्र क़ुर्आन के विपरीत होगी वह सही होने से बाहर हो जाएगी क्योंकि बुख़ारी और मुस्लिम पर वह्यी तो नहीं उतरी थी अपितु जिस ढंग से उन्होंने हदीसों को एकत्र किया है उस ढंग पर दृष्टि डालने से ही ज्ञात होता है कि निःसन्देह वह ढंग अनुमानित है, उनके बारे

में विश्वसनीयता का दावा करना मिथ्या दावा है। विश्व में इस्लाम में जो इतने विभिन्न समुदाय हैं। विशेषत: चार विचारधाराएं। इन चारों विचारधाराओं (मतों) के इमामों ने अपने व्यावहारिक ढंग से स्वयं ही साक्ष्य दे दी है कि ये हदीसें काल्पनिक हैं तथा इसमें कुछ सन्देह नहीं कि उन्हें बहुत सी हदीसें मिली होंगें किन्तु उनकी राय में वे हदीसें सही नहीं थीं आप ही बताएं कि यदि कोई व्यक्ति बुख़ारी की किसी हदीस से इन्कार करे कि यह सही नहीं है जैसा कि अधिकांश मुक़ल्लिदीन इन्कार करते हैं तो क्या वह व्यक्ति आप के निकट काफ़िर हो जाएगा ? फिर जिस स्थिति में वह काफ़िर नहीं हो सकता तो आप क्योंकर उन हदीसों को रिवायती प्रमाण की दृष्टि से विश्वसनीय ठहरा सकते हैं ? और जब कि वह विश्वसनीय नहीं हैं। अत: इस स्थिति में यदि हम किसी हदीस को पवित्र क़ुर्आन के विपरीत पाएंगे और स्पष्ट तौर पर देख लेंगे कि वह स्पष्ट तौर पर पवित्र क़ुर्आन के विपरीत है तथा किसी भी प्रकार से अनुकूलता नहीं दे सकते तो क्या हम ऐसी स्थिति में पवित्र क़ुर्आन की उस आयत को विश्वसनीयता के स्तर से गिरा देंगे ? या उसके ख़ुदा का कलाम होने के बारे में सन्देह में पड़ेंगे ? क्या करेंगे ? अन्तत: यही तो करना होगा कि यदि ऐसी हदीस किसी प्रकार से ख़ुदा के कलाम से अनुकूल नहीं होगी तो उसे ज़ैद तथा उमर के भय के बिना काल्पनिक ठहरा देंगे। नि:सन्देह आपका हार्दिक प्रकाश* इस बात पर साक्ष्य देता होगा कि हदीसें अपनी रिवायत के प्रमाण की दृष्टि से किसी प्रकार

* **नोट** - यदि हो और उस पर इच्छाओं के आवरण न चढ़े हों। (एडीटर)

से पवित्र क़ुर्आन से मुकाबला नहीं कर सकतीं। इसी कारण यद्यपि वे ख़ुदा की वह्यी में हों नमाज़ में किसी क़ुर्आनी सूरह के स्थान पर उन्हें नहीं पढ़ सकते। हदीसों में एक दोष यह भी है कि कुछ हदीसें विवेचनात्मक तौर पर आंहज़रत[स.अ.व.] ने वर्णन की हैं इसी कारण उनमें परस्पर विरोधाभास भी हो गया है। जैसा कि इब्ने सय्याद के कथित दज्जाल होने के बारे में हदीसें हैं वे हदीसें उन हदीसों से स्पष्ट तौर पर विरोधी हैं जो गिरजा वाले दज्जाल के बारे में हैं जिनका रिवायतकर्ता तमीमदारी है। अब हम उन हदीसों में से किस हदीस को सही समझें ? दोनों हज़रत मुस्लिम साहिब की सहीह में मौजूद हैं। इब्ने सय्याद के कथित दज्जाल होने के बारे में यहां तक विश्वास पाया जाता है कि हज़रत उमर [रज़ि.] ने आंहज़रत[स.अ.व.] के समक्ष क़सम खा कर वर्णन किया कि कथित दज्जाल यही है तो आप खामोश रहे, कदापि इन्कार नहीं किया। स्पष्ट है कि नबी का क़सम खाने के समय खामोश रहना जैसे स्वयं आंहज़रत[स.अ.व.] का क़सम खाना है और फिर इब्ने उमर की हदीस में स्पष्ट और साफ शब्दों में मौजूद है कि उन्होंने क़सम खा कर कहा कि कथित दज्जाल यही इब्ने सय्याद है तथा जाबिर ने भी क़सम खा कर कहा कि कथित दज्जाल यही इब्ने सय्याद है तथा आंहज़रत[स.अ.व.] ने स्वयं भी कहा कि मैं अपनी उम्मत पर इब्ने सय्याद के कथित दज्जाल होने के बारे में डरता हूं। फिर मुस्लिम में एक और हदीस है जिसमें लिखा है कि सहाबा की इस पर सहमति हो गई थी कि कथित दज्जाल इब्ने सय्याद ही है परन्तु फ़ातिमा की

हदीस तमीमदारी जो इसी मुस्लिम में मौजूद है स्पष्ट तौर पर इसके विपरीत है। अब हम इन दोनों दज्जालों में से किस को दज्जाल समझें ? सिद्दीक हसन साहिब जैसा कि मेरे एक मित्र ने वर्णन किया है इब्ने सय्याद की हदीस को प्राथमिकता देते हैं और तमीमदारी की हदीस को अपनी पुस्तक "आसारुल क़ियामत" में कमज़ोर ठहराते हैं। बहरहाल अब यह संकट और रोने का स्थान है या नहीं कि एक ही पुस्तक में जो बुख़ारी के पश्चात् सबसे अधिक सही पुस्तक समझी गई है। दो परस्पर विपरीत हदीसे हैं !!! जब हम एक को सही मानते हैं तो फिर दूसरी को ग़लत मानना पड़ता है। इसके अतिरिक्त तमीमदारी की हदीस में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि वही दज्जाल जो तमीमदारी ने देखा था किसी समय निकलेगा, परन्तु इसी मुस्लिम की तीन हदीसें स्पष्ट तौर पर प्रकट कर रही हैं कि सौ वर्ष की अवधि तक कोई व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा अपितु पहली हदीस में तो आंहज़रत[स.अ.व.] ने क़सम खा कर वर्णन किया है कि इस समय से सौ वर्ष तक कोई जीवित प्राणी पृथ्वी पर जीवित नहीं रहेगा। अब यदि इब्ने सय्याद और गिरजा वाला दज्जाल जीवित प्राणी और सृष्टि हैं तो इस से अनिवार्य होता है कि वे मर गए हों। अब यह दूसरा संकट है जो दोनों हदीसों के सही मानने से सामने आता है। आप बताएं* कि हम क्यों कर इन दोनों को इतने विरोधाभास के बावजूद सही मान सकते हैं ? अतः अब इसके अतिरिक्त और क्या उपाय है कि हम एक हदीस को सही न समझें।

* नोट :- मौलवी साहिब टालिएगा नहीं हदीसविद होने का प्रमाण अवश्य दीजिएगा। (एडीडर)

निष्कर्ष यह कि कहां तक वर्णन किया जाए। कुछ हदीसों में इतना अधिक विरोधाभास पाया जाता है कि उसके वर्णन करने के लिए तो एक पुस्तक चाहिए, परन्तु यहां इतना ही पर्याप्त है। अतः स्पष्ट है कि यदि समस्त हदीसें रिवायत के तौर पर विश्वसनीय होतीं तो ये ख़राबियां क्यों पड़तीं। अब मैं सोचता हूं कि आप के प्रश्न का पूरा-पूरा उत्तर दे चुका हूं क्योंकि जिस स्थिति में यह सिद्ध हो गया कि हदीसें अपनी अनुमानात्मक स्थिति, विरोधाभास तथा अन्य कारणों के उपलक्ष्य पूर्ण विश्वास की श्रेणी पर नहीं हैं। इसलिए वे पवित्र क़ुर्आन की साक्ष्य एवं अनुकूलता या विरोधरहित होने के अतिरिक्त शरीअत के प्रमाण के तौर पर काम में नहीं आ सकतीं तथा रिवायत के नियमानुसार उनका वह स्तर कदापि स्वीकार नहीं हो सकता जो स्तर पवित्र क़ुर्आन का है। इसलिए व्यावहारिक तौर पर इतना लिखना ही पर्याप्त है।

हस्ताक्षर ग़ुलाम अहमद 20 जुलाई. 1891 ई.

पर्चा नम्बर -3

मौलवी साहिब

नोट - इसके पश्चात मौलवी साहिब ने कुछ पंक्तियों का पुनः एक सर्वथा व्यर्थ उत्तर जिसमें पहले ही वर्णन की पुनरावृत्ति थी दिया जिसका तात्पर्य यह था कि आपने अब तक मेरा उत्तर नहीं दिया। चूंकि वह पर्चा संक्षिप्त और मात्र कुछ पंक्तियां थीं संभवतः उन्हीं के हाथ में रहा या खो गया। बहरहाल उसका विस्तृत उत्तर लिखा जाता है। इस से मौलवी साहिब के पर्चे का लेख भी भली भांति मस्तिष्क

में बैठ जाएगा। खेद कि मौलवी साहिब को यह शिकायत कि उनके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। साथ-साथ लिखी जाती है। दर्शकगण विचार करें। (एडीटर)

मिर्ज़ा साहिब

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

नहमदुहू व नुसल्ली

आपने पुनः मुझ पर यह आरोप लगाया है कि मैनें आपके प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। मैं आश्चर्य में हूं कि मैं किन श्ब्दों में अपने उत्तर का वर्णन करूं या किस शैली में उन बातों को प्रस्तुत करूं ताकि आप उसे निश्चित तौर पर उत्तर समझे।* आप का प्रश्न जो इस लेख एवं पहले लेखों से समझा जाता है यह है कि हदीसों की पुस्तकें विशेषतः सही बुख़ारी तथा सही मुस्लिम तथा उन पर अमल करना अनिवार्य है अथवा अनुचित और अमल करने योग्य नहीं तथा ज्ञात होता है कि आप मेरे मुख से यह कहलाना चाहते हैं कि मैं इस बात <u>का इक़रार करूं कि ये समस्त पुस्तकें सही और उन पर अमल करना</u>

* नोट - मान्यवर ! (रूह मन फिदाइतू) आप क्यों आश्चर्य में पड़ने का कष्ट उठाते हैं। मौलवी साहिब तो यही बेतुकी बातें किए जाएंगे जब तक आप उनके अन्त:करण के झुकाव के अनुसार या यों कहिए कि जब तक आप सच्चाई के विरुद्ध उत्तर न दें। विवेकवान लोग स्वीकार कर चुके हैं कि आप स्पष्ट, तार्किक एवं प्रतिद्वन्द्वी को निरुत्तर करने वाला उत्तर दे चुके हैं तथा कई बार दे चुके हैं। आप ने इस क़ौम का घटिया ताना-बाना उधेड़ कर रख दिया है। इसी बात का हार्दिक बोध मौलवी साहिब को व्याकुल करके उनके मुख से पागलों वाला वाक्य निकलवाता है। वह स्मरण रखें कि उनके धोखा देने का समय जाता रहा। (एडीटर)

अनिवार्य है। यदि मैं ऐसा करूं तो कदाचित आप प्रसन्न हो जाएंगे तथा कहेंगे कि अब मेरे प्रश्न का उत्तर पूरा-पूरा आ गया, किन्तु मैं सोच में हूं कि मैं किस शरीअत के नियमानुसार उन समस्त हदीसों को बिना जांच-पड़ताल उन पर अमल करना अनिवार्य या उचित ठहरा सकता हूं ? संयम का मार्ग यह है कि जब तक पूर्ण दक्षता तथा उचित विवेक प्राप्त न हो तब तक किसी वस्तु व प्रमाण अथवा प्रमाणरहित होने के बारे में आदेश जारी न किया जाए। महाप्रतापी ख़ुदा का कथन है -

لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا ①

अत: यदि मैं निर्भीक हो कर इस मामले में हस्तक्षेप करूं और यह कहूं कि मेरे विचार में जो कुछ मुहद्दिसीन, विशेषत: दोनों इमाम बुख़ारी तथा मुस्लिम ने हदीसों की समीक्षा में जांच-पड़ताल की है तथा जितनी हदीसें वे अपनी सहीहैन में लाए हैं वे नि:सन्देह बिना किसी परीक्षा की आवश्यकता के सही हैं, तो मेरा ऐसा कहना किन शरीअत के कारणों एवं तर्कों पर आधारित होगा ? यह तो आप को ज्ञात है कि सभी इमाम हदीसों का संकलन करने में एक प्रकार का विवेचन काम में लाए हैं और विवेचनकर्ता कभी बात की तह तक पहुंच जाता है और कभी गलती भी करता है। जब मैं विचार करता हूं कि हमारे एकेश्वरवादी मुसलमान भाई ने किस ठोस एवं विश्वसनीय **नियम** के

① बनी इस्राईल-37

अनुसार उन समस्त हदीसों पर अमल करना अनिवार्य ठहराया है ? तो मेरे अन्दर से **हार्दिक प्रकाश** यह ही साक्ष्य देता है कि उन पर अनिवार्य तौर पर अमल का यही एकमात्र कारण पाया जाता है कि यह समझ लिया गया है कि इस विशेष जांच-पड़ताल के अतिरिक्त जो हदीसों की समीक्षा में हदीस के इमामों ने की है वे हदीसें पवित्र क़ुर्आन की किसी नितान्त स्पष्ट एवं ठोस आयत के विरुद्ध एवं विपरीत नहीं है, तथा अधिकतर हदीसें जो शरीअत के आदेशों के संबंध में हैं अमल की निरन्तरता से ठोस एवं पूर्ण विश्वास की श्रेणी तक पहुंच गई है, अन्यथा यदि इन दोनों कारणों से **दृष्टि हटा ली जाए** तो उनके विश्वसनीय तौर पर प्रमाणित होने का कोई कारण **ज्ञात नहीं** होता। हां यह एक कारण प्रस्तुत किया जाएगा कि इसी पर सर्वसम्मति हो गई है, परन्तु आप ही रीव्यू बराहीन अहमदिया के पृष्ठ-330 में सर्वसम्मति के बारे में लिख चुके हैं कि सर्वसम्मति संयोगात्मक प्रमाण नहीं है। अतः आप कहते है कि:-

> "सर्वसम्मति में प्रथम यह मतभेद है कि यह संभव अर्थात् हो भी सकता है अथवा नहीं। कुछ लोग इसकी संभावना को ही नहीं मानते। फिर मानने वालों का इस में मतभेद है कि उसका ज्ञान हो सकता है या नहीं। एक जमाअत ज्ञान होने की संभावना की भी इनकारी है। इमाम फ़ख़रुद्दीन राज़ी ने पुस्तक "महसूल" में यह मतभेद वर्णन करके कहा है कि

> न्याय यही है कि सहाबा के युग की सर्वसम्मति के अतिरिक्त जबकि सर्वसम्मति करने वाले बहुत थोड़े थे और उन सब की विस्तृत मारिफ़त संभव थी, अन्य युगों की सर्वसम्मतियों की ज्ञान प्राप्ति का कोई उपाय नहीं।"

इसी के अनुसार पुस्तक "हुसूलुलमामूल" में है जो पुस्तक इरशादुलफ़ुहूल शौकानी का सार है उसमें कहा -

> "जो यह दावा करे कि सर्वसम्मति का नक़ल करने वाला संसार के उन समस्त उलेमा की जो सर्वसम्मति में विश्वसनीय हैं मारिफ़त पर समर्थ है वह उस दावे में अतिक्रमण कर गया तथा जो कुछ उसने कहा अटकल से कहा।"

ख़ुदा इमाम अहमद बिन हंबल पर दया करे कि उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जो सर्वसम्मति के दावे का दावेदार है वह झूठा है। इति

अब मैं आप से पूछना चाहता हूं कि बुख़ारी और मुस्लिम की हदीसों के बारे में जो सर्वसम्मति का दावा किया जाता है यह दावा सच के रंग से रंगीन क्योंकर समझ सकें ? हालांकि आप इस बात को मानते हैं कि सहाबा के पश्चात् कोई सर्वसम्मति प्रमाण नहीं हो सकती अपितु आप इमाम अहमद साहिब का कथन प्रस्तुत करते हैं कि जो सर्वसम्मति के अस्तित्व का दावेदार है वह झूठा है। इससे स्पष्ट होता है कि बुख़ारी और मुस्लिम के सही होने पर भी कदापि **सर्वसम्मति**

नहीं हुई। अत: निश्चित बात भी ऐसी ही है कि मुसलमानों के बहुत से सम्प्रदाय बुख़ारी और मुस्लिम की अधिकांश हदीसों को सही नहीं समझते। फिर जबकि इन हदीसों की यह स्थिति है तो क्योंकर कह सकते हैं कि बिना किसी शर्त के वे समस्त हदीसें अमल करने योग्य तथा निश्चित तौर पर सही हैं ? ऐसा सोचने में शरीअत का तर्क कौन सा है ? क्या पवित्र क़ुर्आन में ऐसी आयत पाई जाती है कि जिससे तुम्हें बुख़ारी और मुस्लिम को ठोस एवं निश्चित तौर पर प्रमाण समझना ? और उसकी किसी हदीस के बारे में आपत्ति न करना ? या रसूलुल्लाह[स.अ.व.] की कोई लिखित वसीयत मौजूद है, जिसमें इन पुस्तकों को किसी शर्त को ध्यान में रखे बिना तथा ख़ुदा के कलाम के मापदण्ड के माध्यम के बिना अमल करने योग्य ठहराया गया हो ? जब हम इस बात पर विचार करें कि इन्हीं पुस्तकों को क्यों अमल करने योग्य समझा जाता है तो हमें यह अनिवार्यता ऐसी ही ज्ञात है जैसी हनफ़ियों के निकट इस बात की अनिवार्यता है कि इमाम आज़म साहिब अर्थात् हनफ़ी मत की समस्त विवेचनाओं पर अमल करना अनिवार्य है परन्तु एक निपुण व्यक्ति समझ सकता है कि यह अनिवार्यता शरीअत की दृष्टि से नहीं अपितु कुछ समय से ऐसे विचारों के प्रभाव से अपनी ओर से यह अनिवार्यता बनाई गई है। जिस स्थिति में हनफ़ी मत पर आप लोग यही आक्षेप करते हैं कि वे नितान्त स्पष्ट शरीअत के आदेशों को छोड़ कर निराधार विवेचनाओं को ठोस एवं दृढ़ समझते तथा अकारण व्यक्तिगत अनुसरण का मार्ग अपनाते हैं तो

क्या यही आक्षेप आप पर नहीं हो सकता कि आप भी अकारण क्यों **अनुसरण** करने पर बल दे रहे है ? वास्तविक विवेक एवं अध्यात्म ज्ञान के अभिलाषी क्यों नहीं होते ? आप लोग सदैव वर्णन करते थे कि जो हदीस सही सिद्ध है उस पर अमल करना चाहिए और जो सही न हो उसे छोड़ देना चाहिए। अब आप मुक़ल्लिदों के रंग मे क्यों समस्त हदीसों को बिना किसी शर्त के सही समझ बैठे हैं ? इसका आपके पास शरीअत का क्या प्रमाण है ? इमाम मुहम्मद इस्माईल या मुस्लिम की मासूमियत कहां से सिद्ध हो गई ? क्या आप इस बात को नहीं समझ सकते कि जिसे ख़ुदा तआला अपनी कृपा एवं दया से क़ुर्आन का बोध प्रदान करे और वह ख़ुदा के बोध कराने से सम्मानित हो जाए तथा उस पर प्रकट कर दिया जाए कि पवित्र क़ुर्आन की अमुक आयत से अमुक हदीस विपरीत है और उसका यह ज्ञान पूर्ण एवं अटल विश्वास तक पहुंच जाए तो उसके लिए यही अनिवार्य होगा कि यथासंभव प्रथम शालीनतापूर्वक उस हदीस की व्याख्या करके क़ुर्आन के अनुकूल करे और यदि अनुकूलता असंभव हो तथा किसी प्रकार भी न हो सके तो विवशतावश उस हदीस का सही न होना स्वीकार करे, क्योंकि हमारे लिए यह उचित है कि पवित्र क़ुर्आन के विपरीत होने की अवस्था में हदीस की व्याख्या करने की ओर ध्यान दें, परन्तु यह सर्वथा नास्तिकता और क़ुफ्र होगा कि हम ऐसी हदीसों के लिए कि जो हमें मनुष्य के हाथों से मिली हैं और उनमें न केवल मनुष्यों की बातों के मिश्रण की संभावना है अपितु निश्चित तौर पर

पाई जाती है, कुर्आन को छोड़ दें !!! **मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ख़ुदा का बोध कराना मेरे साथ है और वह (उसका नाम बुलंद हो) जिस समय चाहता है क़ुर्आन के कुछ अध्यात्म-ज्ञान मुझ पर खोलता है तथा आयतों का मूल उद्देश्य उन के प्रमाण सहित मुझ पर प्रकट करता है और लोहे के खूंटे के समान मेरे हृदय के अन्दर प्रविष्ट कर देता है। अब मैं इस ख़ुदा की प्रदत्त ने'मत को क्योंकर त्याग दूं और जो वरदान वर्षा के समान मुझ पर हो रहा है उसका क्योंकर इन्कार करूं !**

और यह बात जो आपने मुझ से पूछी है कि अब तक बुख़ारी या मुस्लिम की किसी हदीस को मैंने काल्पनिक ठहराया है या नहीं। अत: मैं आपकी सेवा में कहना चाहता हूं कि मैंने अपनी पुस्तक में बुख़ारी या मुस्लिम की किसी हदीस को पवित्र क़ुर्आन से विरुद्ध पाया है तो ख़ुदा तआला ने मुझ पर स्पष्टीकरण* का द्वार खोल दिया है तथा आप ने यह प्रश्न जो मुझ से किया है हदीस के सही होने का मापदण्ड ठहराने में पुराने सदाचारी लोगों में से आपका इमाम कौन

---

* नोट - अर्थात् सच्चे तथा वास्तविक अर्थों का। जन सामान्य ने जो ख़ुदा के ज्ञान से सर्वथा अज्ञान हैं स्पष्टीकरण को अक्षरान्तरण एवं परिवर्तन का पर्याय समझ लिया है। यह केवल उनकी अल्प समझ है उन्हें इस शब्दकोष के अर्थ स्वयं पवित्र क़ुर्आन से समझना चाहिएं जहां अल्लाह तआला फरमाता है - وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهُ (आले इमरान-8) और يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ (अलआराफ़-54) हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का उद्देश्य यही है कि जहां कोई ऐसी हदीस आई है जो प्रत्यक्षत: क़ुर्आन के विरुद्ध ज्ञात होती है ख़ुदा तआला ने इल्हाम द्वारा मुझ पर उसके वास्तविक अर्थ खोल दिए। (एडीटर)

है। इसके उत्तर में मेरा कहना यह है कि इस बात का प्रमाण देना मेरा दायित्व नहीं अपितु मैं तो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो पवित्र क़ुर्आन पर ईमान लाता है चाहे वह गुज़र चुका है या मौजूद है उसी आस्था का पाबन्द समझता हूं कि वह हदीसों को परखने के लिए पवित्र क़ुर्आन को तुला, मापदण्ड एवं कसौटी समझता होगा क्योंकि जिस स्थिति में पवित्र क़ुर्आन अपने लिए स्वयं यह कार्य प्रस्तावित करता है तथा कहता है فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ [1] तथा कथन है - اِنَّ هُدَي اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰي [2] पुन: وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا [3] और هُدًي لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰي [4] और اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ और اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ [6] और कहता है - لَارَيْبَ فِيْهِ [7] तो फिर इसके बाद कौन ऐसा मोमिन जो पवित्र क़ुर्आन को हदीसों के लिए हकम (निर्णायक) नियुक्त न करे ? जब कि वह स्वयं कहता है कि यह कलाम हकम (न्यायकर्ता) है और निर्णायक कथन है, सत्य एवं असत्य की पहचान के लिए फ़ुरकान है तथा तुला है तो क्या यह ईमानदारी होगी कि हम ख़ुदा तआला के ऐसे कथन पर ईमान न लाएं ? और यदि हम ईमान लाते हैं तो हमारा अवश्य यह कर्तव्य होना चाहिए कि हम प्रत्येक हदीस तथा प्रत्येक कथन को पवित्र-क़ुर्आन पर प्रस्तुत करें ताकि हमें ज्ञात हो कि वह निश्चित तौर पर उसी वह्यी

---

① अलआराफ़ - 186 ② अलबक़रह - 121 ③ आले इमरान - 104

④ अलबक़रह - 186 ⑤ अश्शूरा - 18 ⑥ अत्तारिक़ - 14

⑦ अलबक़रह - 3

के दीपक से प्रकाश प्राप्त करने वाले हैं जिससे क़ुर्आन निकला है या उसके विपरीत हैं। अतः चूंकि मोमिन के लिए यह एक आवश्यक बात है कि पवित्र क़ुर्आन को हदीसों का एक हकम नियुक्त करे। इसलिए इस बात का प्रमाण कि पुराने सदाचारी पुरुषों ने पवित्र कुर्आन को हकम नहीं बनाया आपका दायित्व है न कि मेरा। यहां मुझे यह खेद भी है कि आप पवित्र क़ुर्आन का स्तर बुख़ारी और मुस्लिम के स्तर के बराबर भी नहीं समझते, क्योंकि यदि किसी किताब की कोई हदीस बुख़ारी तथा मुस्लिम की किसी हदीस के विपरीत और विरुद्ध हो और किसी भी प्रकार से अनुकूलता न हो सके तो आप लोग तुरन्त कह देते हैं कि वह हदीस सही नहीं है परन्तु नितान्त खेद का स्थान है कि पवित्र क़ुर्आन के संबंध में आप यह मत अपनाना नहीं चाहते!!! तथा सर्वसम्मति के बारे में जो आप ने पूछा है, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि इब्ने सय्याद जो मुसलमान हो गया था वर्णन करता है कि लोग मुझे ऐसा कहते हैं कि उसकी गवाही में कोई सन्देह नहीं जिससे समझा जाता है कि सामान्यतः सहाबा का यही विचार था कि इब्ने सय्याद ही वह दज्जाल है जिसका वादा दिया गया है। इसके अतिरिक्त हदीसों पर विचार करने से विदित होता है कि कुछ सहाबा का यह मत हो गया था कि वास्तव में इब्ने सय्याद ही कथित दज्जाल है। इस स्थिति में दूसरे सहाबा का ख़ामोश रहना स्पष्ट तौर पर इस बात का प्रमाण है कि वे इस मत को स्वीकार कर चुके थे और यदि उनकी ओर से कोई विरोध तथा इन्कार होता तो वह इन्कार अवश्य प्रकट हो जाता।

अत: सहाबा की सर्वसम्मति के लिए इतना पर्याप्त है, विशेषत: हज़रत उमर[रज़ि.] का आंहज़रत[स.अ.व.] के समक्ष क़सम खा कर वर्णन करना कि वास्तव में इब्ने सय्याद ही कथित दज्जाल है सर्वसम्मति पर स्पष्ट प्रमाण है क्योंकि यह स्पष्ट है कि आंहज़रत[स.अ.व.] सहाबा की जमाअत से अलग नहीं होते थे और कदाचित जिस समय हज़रत उमर[रज़ि.] ने क़सम खाई होगी उस समय सहाबा की बहुत सी जमाअत मौजूद होगी। अत: उनकी खामोशी सर्वसम्मति पर स्पष्ट प्रमाण है।

तत्पश्चात् आपने वर्णन किया है कि इशाअतुस्सुन्नह में आंहज़रत[स.अ.व.] का कोई कथन नक़ल नहीं किया गया है अपितु उसमें एक सहाबी अपना विचार प्रकट करता है। श्रीमान ! इसके उत्तर में इतना कहना पर्याप्त है कि आप लोगों के निकट तो सहाबी का कथन भी एक प्रकार की हदीस होती है यद्यपि मुन्क़ता' (खंडित) ही सही। नितान्त स्पष्ट है कि सहाबी आंहज़रत[स.अ.व.] पर झूठ नहीं बांध सकता और डरने की बात एक ऐसी बात है कि जब तक आंहज़रत[स.अ.व.] सांकेतिक तौर पर वर्णन न करते तो सहाबी की क्या मजाल थी कि स्वयं आंहज़रत[स.अ.व.] पर झूठ बांधता । नि:सन्देह उसने सुना होगा तब ही तो उसने चर्चा की। अत: जो कुछ उसने सुना यद्यपि आंहज़रत[स.अ.व.] के शब्दों द्वारा प्रकट नहीं किया परन्तु एक बच्चा भी समझ सकता है कि उसने अवश्य सुना तब ही वर्णन किया। अत: स्पष्ट है कि यह झूठ घड़ना नहीं अपितु यथार्थ का वर्णन है। क्या आप उस सहाबी पर सुधारणा नहीं रखते ? और यह समझते हैं कि

सुने बिना ही उसने कह दिया। आप कहते हैं कि उसने विचार प्रकट किया। मैं कहता हूं कि आंहज़रत[स.अ.व.] की अन्तरात्मा का उसे क्या ज्ञान था जब तक आंहज़रत[स.अ.व.] सांकेतिक या स्पष्टत: स्वयं प्रकट न करते ?

लेखक – विनीत ग़ुलाम अहमद उफ़िया अन्हो

बक़लम ख़ुद 21 जुलाई 1891 ई.

फिर आप कहते हैं कि –

"मैंने इशाअतुस्सन्नह में मुहियुद्दीन इब्ने अरबी का कथन नक़ल किया है और अन्त में मैंने लिख दिया कि हम इल्हाम को प्रमाण और तर्क नहीं समझते।"

इसके उत्तर में सविनय निवेदक हूं कि आप यदि इस कथन के विरोधी होते तो क्यों अकारण इसकी चर्चा करते ? निश्चित ही आप के कलाम में विरोधाभास होगा क्योंकि प्रथम स्पष्ट तौर पर स्वीकार कर आए हैं कि इल्हाम मुल्हम के लिए शरीअत के प्रमाण के स्थान पर होता है। इसके अतिरिक्त आप तो स्पष्ट तौर पर स्वीकार कर चुके हैं अपितु बुख़ारी की हदीस के हवाले से स्पष्ट तौर पर वर्णन कर चुके हैं कि **मुहद्दिस का इल्हाम शैतानी हस्तक्षेप से पवित्र किया जाता है।** इसके अतिरिक्त मैं आपको इस बात के लिए विवश नहीं करता कि आप इलहाम को प्रमाण समझ लें परन्तु यह तो आप अपनी समीक्षा में स्वंय स्वीकार करते हैं कि मुल्हम के लिए

वह इल्हाम प्रमाण हो जाता है। अतः मेरा **दावा** इतने से ही **सिद्ध** है। मैं भी आपको विवश करना नहीं चाहता।

ग़ुलाम अहमद बक़लम ख़ुद

पर्चा नः 4

मौलवी साहिब !

आपने इतने विस्तार के बावजूद मेरे प्रश्न का उत्तर स्पष्ट तौर पर फिर भी न दिया[1] तथा आप की इस बात में वही व्यग्रता एवं भिन्नता पाई जाती है जो पहले उत्तर में मौजूद है। आप सही होने की शर्त को जो आप के विचार में है दृष्टिगत रखकर स्पष्ट शब्दों में दो शब्दों में उत्तर दें कि हदीसें तथा हदीस की पुस्तकें विशेषतः सही बुख़ारी एवं सही मुस्लिम को बिना स्पष्टीकरण एवं विवरण सही और पालन करने योग्य हैं अथवा बिना स्पष्टीकरण एवं विवरण सही और पालन करने योग्य नहीं या उसमें स्पष्टीकरण है कि कुछ हदीसें सही हैं तथा कुछ सही नहीं हैं तथा काल्पनिक हैं। इसके साथ आप यह भी बता दें कि आपने अपनी पुस्तकों में किसी सही बुख़ारी तथा सही मुस्लिम की हदीस को ग़ैर सही और काल्पनिक कहा है अथवा नहीं ?

(2) आप ने जो मेरे इस प्रश्न का कि पूर्वजों में आपका कौन

[1] नोट - मौलवी सहिब ! आपकी यह तान कहीं टूटेगी भी तनिक ईर्ष्या एवं द्वेष के ज्वर से मस्तिष्क को ख़ाली करें। आपको स्पष्टतः ज्ञात हो जाएगा कि आपको साफ़ और पर्याप्त उत्तर दिया गया है (एडीटर)

इमाम है उत्तर दिया है वह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। मैनें इब्ने सय्याद के बारे में वह प्रश्न नहीं किया था अपितु आपकी आस्था के बारे में प्रश्न किया था कि हदीसों के सही होने का मापदण्ड क़ुर्आन है और जो हदीस क़ुर्आन के अनुकूल न हो वह काल्पनिक है। अब भी आप कहें (यदि आप की आस्था पथभ्रष्ट नेचरी सम्प्रदाय के अनुकूल नहीं है) कि हदीसों के सही होने का मापदण्ड क़ुर्आन के अनुकूल ठहराने में पूर्वजों में से आपका इमाम कौन है।

(3) सर्वसम्मति की परिभाषा में आपने जो कहा है यह किस सिद्धान्तों की पुस्तक आदि में पाई जाती है। तीन चार सहाबा की सर्वसम्मति को इस्लाम के उलेमा से कौन व्यक्ति सर्वसम्मति ठहराता है।

(4) शरह अस्सुन्नः से आपने जो हदीस नक़ल की है उसमें आंहज़रत[स.अ.व.] का कोई कथन नक़ल नहीं किया गया है अपितु उसमें एक सहाबी अपना विचार प्रकट करता है जो उसकी समझ में आया है। उस सहाबी के कथन को आंहज़रत[स.अ.व.] का कथन कहना आंहज़रत[स.अ.व.] पर झूठ बांधना नहीं तो और क्या है।

(5) इशाअतुस्सुन्नः में जो मैंने मुहियुद्दीन इब्ने अरबी का कथन नक़ल किया है क्या उसके बारे में मैंने अन्तिम समीक्षा में पृष्ठ 345 पर प्रकट नहीं किया कि मुझे इससे सहमति नहीं है। उस पृष्ठ पर क्या यह इबारत नहीं लिखी है ? इस तीसरी बात का वर्णन यही बताना हमारा उद्देश्य था। इससे इस बात का प्रकट करना अभीष्ट नहीं है कि हम स्वयं भी उस इल्हाम को प्रमाण तथा तर्क समझते हैं और

ग़ैर मुल्हम को किसी मुल्हम (ग़ैर नबी) के इल्हाम पर अमल करना अनिवार्य समझते हैं। नहीं, नहीं, कदापि नहीं। हम केवल ख़ुदा की किताब और सुन्नत के अनुयायी हैं तथा उसी को प्रमाण, कार्य-पद्धति एवं सामान्य मार्ग समझते हैं न कि स्वयं इल्हामी हैं, न किसी अन्य कश्फ़ी इल्हामी ग़ैर नबी (नबी के अतिरिक्त) के (पहलों में से हो चाहे बाद में आने वालों में से) अनुसरणकर्ता तथा चारों इमामों को मानने वाले हैं, फिर मुझे इब्ने अरबी के उस कथन का संभावित मानने वाला बनाना मुझ पर झूठ बांधना नहीं तो क्या है ? क़ुर्आन की आयतें जो आप ने नक़ल की हैं उनका विवादित बात से कुछ सम्बन्ध नहीं है। मैं इस बात को अपने विस्तृत उत्तर में वर्णन करूंगा जब कथित प्रश्नों का उत्तर पाऊंगा। इति

अबू सईद

मिर्ज़ा साहिब

मेरी ओर से पुनः निवेदन है कि हदीस के इमाम जिस प्रकार से सही और ग़ैर सही हदीसों में अन्तर करते हैं तथा उन्होंने हदीसों की समालोचना का जो नियम बनाया हुआ है वह तो सर्वविदित है कि वे वर्णनकर्ताओं की परिस्थितियों पर दृष्टि डालकर उनके सत्य एवं असत्य तथा समझ के सही या ग़लत होने के अनुसार तथा उनकी स्मरण शक्ति अथवा स्मरण शक्ति के अभाव आदि के अनुसार बातों के जिनका वर्णन यहां विस्तार का कारण है, किसी हदीस के सही या ग़लत होने के बारे में आदेश देते हैं, परन्तु उनका किसी हदीस

के बारे में यह कहना कि यह सही है उसके ये अर्थ नहीं हैं कि वह हदीस प्रत्येक प्रकार से पूर्ण प्रमाण के स्तर तक पहुंच गई है जिसमें ग़लती की संभावना नहीं अपितु उनके सही कहने का तात्पर्य केवल इतना होता है कि वह उनके विचार में विकारों एवं दोषों से पवित्र है जो ग़ैर सही हदीसों में पाए जाते हैं तथा संभव है कि एक हदीस सही होने के बावजूद फिर भी निश्चित एवं यथार्थ तौर पर सही न हो। **अतः हदीस विद्या एक अनुमानित विद्या है जो अनुमान का लाभ देती है।** यदि कोई यहां यह आक्षेप करे कि यदि हदीसें केवल अनुमान के स्तर तक सीमित हैं तो फिर इससे अनिवार्य होता है कि रोज़ा, नमाज हज तथा ज़कात इत्यादि कर्म जो केवल हदीसों के माध्यम से विस्तृत तौर पर ज्ञात किए गए हैं वे सब अनुमानित हों ते इसका उत्तर यह है कि यह बड़े धोखे की बात है कि ऐसा समझा जाए कि ये समस्त कर्म मात्र रिवायती तौर पर ज्ञात किए गए हैं और बस, अपितु इतने विश्वास होने का कारण यह है कि व्यावहारिक क्रम साथ-साथ चला आया है। यदि मान लें कि हदीस की यह कला संसार में पैदा न होती तो फिर भी ये समस्त कर्म एवं धार्मिक कर्त्तव्य अमल की निरनतरता के माध्यम से निश्चित तौर पर ज्ञात होते। विचार करना चाहिए कि जिस युग तक हदीसों का संकलन नहीं हुआ था, क्या उस समय लोग हज नहीं करते थे ? या नमाज़ नहीं पढ़ते थे ? या ज़कात नहीं देते थे ? हां यदि ऐसी स्थिति सामने आती कि लोग इन समस्त आदेशों एवं कार्यों को अचानक छोड़ बैठते और मात्र रिवायतों के माध्यम से वे बातें

संकलित की जातीं तो नि:सन्देह पूर्ण प्रमाण की यह निश्चित श्रेणी जो अब उनमें पाई जाती है कदापि न होती। अत: यह एक धोखा है कि ऐसा विचार कर लिया जाए कि हदीसों के माध्यम से रोज़ा, नमाज़ इत्यादि के विवरण ज्ञात हुए हैं अपितु वे अमल के क्रम की निरन्तरता के माध्यम से ज्ञात होती चली आई हैं और वास्तव में इस क्रम का हदीस की कला से कुछ सम्बन्ध नहीं। वह तो स्वाभाविक तौर पर प्रत्येक धर्म के लिए अनिवार्य होता है तथा बुख़ारी और मुस्लिम की हदीसों के बारे में मेरा मत यह नहीं है कि मैं अकारण उनकी किसी हदीस को काल्पनिक ठहराऊं अपितु मैं प्रत्येक हदीस को क़ुर्आन करीम के सामने रखना आवश्यक समझता हूं। यदि पवित्र क़ुर्आन की कोई आयत स्पष्ट और खुले तौर पर उनकी विरोधी न हो तो मैं सर आंखों से स्वीकार करूंगा वरन् यदि विरुद्ध भी हो ते प्रयास करूंगा कि उस विरोध का समाधान हो जाए परन्तु यदि किसी भी प्रकार से विरोध दूर न हो सके तो फिर यद्यपि मैं कहूंगा कि इस हदीस की वर्णन-शैली में कुछ अन्तर आ गया होगा जो कुछ किसी सहाबी ने वर्णन किया होगा उसके समस्त शब्द सहाबी के पश्चात् आने वाले व्यक्ति (ताबिई) इत्यादि की स्मरण शक्ति में सुरक्षित नहीं रहे होंगे परन्तु अब तक तो मुझे ऐसा संयोग नहीं हुआ कि बुख़ारी या मुस्लिम की कोई हदीस मुझे स्पष्ट तौर पर क़ुर्आन की विरोधी मिली हो जिसकी मैं किसी कारण अनुकूलता नहीं कर सका अपितु कुछ हदीसों में जो कुछ विरोधाभास पाया जाता है ख़ुदा तआला उस विरोधाभास का निवारण करने के लिए

भी मेरी सहायता करता है। हां मैं दावा नहीं कर सकता हूं क्योंकि जो निश्चित एवं वास्तविक विरोधाभास होगा उसका मैं कैसे निवारण कर सकता हूं या कोई अन्य व्यक्ति क्योंकर निवारण कर सकता है।

आपने मुझ से यह जो पूछा है कि "जो विरोधाभास इब्ने सय्याद वाली तथा गिरजा वाले दज्जाल की हदीस में पाया जाता है उस विरोधाभास के मानने में कौन तुम्हारे साथ है।"

इस प्रश्न से मैं आश्चर्य में हूं कि जिस स्थिति में तार्किक एवं स्पष्ट तौर पर मैं विरोधाभास को सिद्ध कर चुका हूं तो फिर मेरे लिए क्या आवश्यकता है कि मैं अपने लिए इस ख़ुदा द्वारा प्रदत्त विवेक में पुराने बुज़ुर्गों में से किसी का अनुसरण आवश्यक समझूं और फिर आप भी तो बराहीन अहमदिया की समीक्षा के पृष्ठ 310 में इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि किसी का अनुसरण किए बिना सिद्ध करना मना नहीं। अतः आप उस पृष्ठ में कहते हैं कि -

> "हमारे समकालीन जो अनुसरण को त्यागने के बावजूद अनुसरण के अभ्यस्त हैं सीधे तौर पर रुचि रखने वालों के माध्यम के बिना किसी आयत या हदीस को नहीं मानते और जो पुराने लोगों के माध्यम के बिना किसी आयत या हदीस से प्रमाण चाहें तो उसे आश्चर्य की दृष्टि से देखते हैं।"

आपका यह कहना कि

> "मेरे किसी शब्द से यह समझ लिया है कि मैं

हदीसों के सही होने का स्तर क़ुर्आन के सही होने
के स्तर के बराबर समझता हूं।"

यह मुझे आप के वार्तालाप की शैली से विचार आया था, यदि आप का यह उद्देश्य नहीं है और आप मेरी तरह हदीसों के सही होने का स्तर पवित्र क़ुर्आन के सही होने के स्तर से कम समझते हैं और पवित्र क़ुर्आन को इमाम ठहराते हैं और हदीसों के सही होने के लिए कसौटी ठहराते हैं तो फिर मेरी गलती है कि मैंने ऐसा विचार किया, परन्तु यदि आप वास्तव में पवित्र क़ुर्आन को उच्च श्रेणी का मानते हैं और उसके वास्तविक तौर पर हदीसों के सही होने के लिए एक कसौटी ठहराते हैं तथा उसके विपरीत होने की अवस्था में किसी हदीस को स्वीकार नहीं करते तो फिर तो आप मेरी राय से सहमत हैं, फिर इस लम्बे-चौड़े वाद-विवाद से लाभ क्या है।

और यह जो आप ने मुझ से पूछा है कि "आंहज़रत[स.अ.व.] के विवेचन से क्या तात्पर्य है।" तो मेरा कहना यह है कि यहां विवेचन से अभिप्राय है इस विनीत का **वह्यी में विवेचन** है, क्योंकि यह तो सिद्ध हो चुका है तथा आप को ज्ञात होगा कि आंहज़रत[स.अ.व.] संक्षिप्त वह्यी में विवेचना के तौर पर हस्तक्षेप कर दिया करते थे और प्रायः वह तफ़्सीर और व्याख्या जो आप[स.] किया करते थे सही और सच्ची होती थी तथा कभी ग़लती भी हो जाती थी। इसके उदाहरण बुख़ारी तथा मुस्लिम में बहुत हैं और हदीस **فذهب وهلى** भी इस की साक्षी है तथा आंहज़रत[स.अ.व.] का एक बड़ी जमाअत के साथ मदीना से श्रेष्ठ मक्का की ओर काबा

का तवाफ़ (परिक्रमा) के इरादे से यात्रा करना यह भी एक विवेचनात्मक ग़लती थी। अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं। फिर आप मुझ से पूछते है कि इब्ने सय्याद के कथित दज्जाल होने पर सहाबा का बहुमत कहां था। इसके उत्तर में कहता हूं कि यह बहुमत मुस्लिम की हदीस से जो अबी सईद ख़ुदरी से वर्णन की है सिद्ध होता है क्योंकि इस हदीस में इब्ने सय्याद कहता है कि लोग मुझे क्यों वादा दिया गया दज्जाल कहते हैं। अब स्पष्ट है कि उस समय कहने वाले केवल सहाबा थे और कौन लोग थे ? जो उसे दज्जाल कहते थे। यह हदीस स्पष्ट तौर पर बता रही है कि सहाबा का इस बात पर बहुमत था कि इब्ने सय्याद ही कथित दज्जाल है। सहाबा की कोई ऐसी बड़ी जमाअत न थी जिन के बहुमत का हाल ज्ञात होना दुर्लभताओं में से होता अपितु उनका बहुमत सामूहिक एकता के कारण बहुत शीघ्र ज्ञात हो जाता था, फिर तीन सहाबा का क़सम खाना कि वास्तव में इब्ने सय्याद ही कथित दज्जाल है स्पष्ट तौर पर बहुमत को सिद्ध करता है क्योंकि उनके विपरीत नक़ल नहीं किया गया।

तत्पश्चात आप पूछते हैं कि बहुमत की वास्तविकता क्या है। मैं नहीं समझ सकता कि इस प्रश्न से आप का तात्पर्य क्या है ? एक जमाअत का एक बात को पूर्ण सहमति के साथ मान लेना भी बहुमत की वास्तविकता है जो सहाबा में बड़ी सरलता से सिद्ध हो सकती थी यद्यपि दूसरों में नहीं।

और आप ने यह जो पूछा है कि "यह हदीस कहां है कि आंहज़रत[स.अ.व.] इब्ने सय्याद के दज्जाल होने पर डरते थे" अतः स्पष्ट

हो कि वह हदीस मिश्कात में "शरह अस्सुन्नः" के हवाले से मौजूद है और हदीस की मूल इबारत यह है –

فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم مُشْفِقًا اَنَّهٗ هُوَ الدَّجَّالُ

और आप ने जो पूछा था कि कुछ बड़े उलेमा का कथन इशाअतुस्सुन्नः में कहां है जिस में यह लिखा हो कि कुछ काल्पनिक हदीसें कश्फ़ के माध्यम से सही हो सकती हैं और सही हदीसें काल्पनिक ठहर सकती हैं। अतः वह कथन बराहीन अहमदिया के रीव्यू के पृष्ठ 340 में मौजूद है जिसमें आप ने अपने विचार के समर्थन में **शैख़ इब्ने अरबी साहिब** का यह कथन नक़ल किया है कि "हम इस ढंग से आंहज़रत[स.अ.व.] से हदीसों को दुरुस्त करा लेते हैं। बहुत सी हदीसें जो इस कला के लोगों की दृष्टि में सही हैं और हमारी दृष्टि में सही नहीं। और बहुत सी हदीसें उनके निकट काल्पनिक हैं तथा आंहज़रत के कथन से कश्फ़ के द्वारा सही हो जाती हैं।" अब यद्यपि मैं इस बात पर बल नहीं देता कि ईमानी तौर पर आप की यही आस्था है किन्तु मैं आपके वार्तालाप की शैली से समझता हूं अपितु प्रत्येक विचार करने वाला समझ सकता है कि संभावित तौर पर आपकी अवश्य यही आस्था है क्योंकि यदि यह बात पूर्णतया आपकी आस्था से बाहर थी तो फिर इस का वर्णन करना वयर्थ होने जैसा है जो आपकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। मनुष्य जिस किसी का कथन या मत अपनी समीक्षा में बतौर नक़ल के वर्णन करता है वह या तो अपने दावे के समर्थनों और राय के समर्थन में लाता है या उसके खण्डन के उद्देश्य से, परन्तु

बिल्कुल स्पष्ट है कि आप उस कथन को अपने दावे के संबंध में लाए हैं। आपने इसके अतिरिक्त इसी दावे के समर्थन के लिए एक हदीस बुख़ारी की भी लिखी है कि मुहद्दिस का इल्हाम शैतानी हस्तक्षेप से सुरक्षित किया जाता है, वरन् वहां तो आपने स्पष्ट तौर पर प्रकट कर दिया है आप इसी कथन के समर्थक हैं यद्यपि ईमानी तौर पर नहीं किन्तु संभावित तौर पर अवश्य समर्थक हैं और मेरे लिए केवल इतना ही पर्याप्त है क्योंकि मेरा उद्देश्य तो मात्र इतना ही है कि हदीसें यद्यपि सही भी हों परन्तु उनके सही होने का स्तर अनुमान या दृढ़ अनुमान से अधिक नहीं। अत: उन हदीसों के वास्तविक तौर पर सही होने को परखने वाला पवित्र क़ुर्आन है तथा पवित्र क़ुर्आन जितनी अपनी कीर्तियां तथा अपनी विशेषताएं वर्णन करता है उन पर गहरी दृष्टि डालने से भी यही ज्ञात होता है कि उसने स्वयं को अपने अतिरिक्त की दुरुस्ती करने के लिए कसौटी ठहराया है और अपने निर्देशों को पूर्ण तथा उच्च श्रेणी के निर्देश वर्णन करता है जैसा कि वह अपनी प्रतिष्ठा में कहता है-

فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ① فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ ② يَّهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ③ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ④ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ⑤ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ⑥ لَا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ⑦ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ

---

① अलबय्यिन: - 4 ② अलआराफ़ - 53 ③ अलमाइदह - 17 ④अलबक़रह - 152
⑤ अलबक़रह - 121 ⑥ ताहा - 124 ⑦ हाम्मीम अस्सज्दह - 43

بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا① اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ② اِنَّ فِىْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ③ وَاِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ④ حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ⑤ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ⑥ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا⑦ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ⑧ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ⑨ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى⑩ اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ⑪ فِىْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ⑫ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ⑬ اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ⑭ لَا رَيْبَ فِيْهِ⑮ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ⑯ قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى وَّ بُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ⑰ هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ⑱ وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ⑲ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّ شِفَآءٌ⑳ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى㉑

अत: स्पष्ट है कि ख़ुदा तआला ने इन आयतों में पवित्र क़ुर्आन की कई प्रकार की विशेषताएं एवं वास्तविकताएं वर्णन की हैं। उनमें से एक यह कि वह समस्त सच्चाइयों पर आधारित है।

(2) वह एक विस्तृत किताब है

(3) वह उन लोगों का मार्ग दर्शन करता है जो ख़ुदा तआला की

---

① अलबक़रह - 257 ② बनी इस्राईल -10 ③ अलअंबिया - 107 ④ अलहाक़्क़ह - 52

⑤ अलक़मर - 6 ⑥ अन्नहल - 90 ⑦ अश्शूरा - 53 ⑧ अन्नूर - 36

⑨ अश्शूरा - 18 ⑩ अलबक़रह - 186 ⑪ अलवाक़िअह - 78 ⑫ अलवाक़िअह - 79

⑬ अलआराफ़ - 53 ⑭ अत्तारिक़ - 14 ⑮ अलबक़रह - 3 ⑯ अन्नहल - 65

⑰ अन्नहल - 103 ⑱ आले इमरान - 139 ⑲ बनी इस्राईल - 106

⑳ हाम्मीम अस्सज्दह - 45 ㉑ यूसुफ़ - 112

प्रसन्नता और अमन के घर के अभिलाषी हैं।

(4) वह अंधकार से प्रकाश की ओर निकालता है और अज्ञात बातें सिखाता है।

(5) मार्ग-दर्शन उसी का मार्ग-दर्शन है।

(6) असत्य उस की ओर किसी प्रकार से मार्ग नहीं पा सकता।

(7) जिसने उससे पंजा मारा उसने सुदृढ़ कड़े से पंजा मारा।

(8) वह सबसे बढ़कर सीधा मार्ग बताता है।

(9) वह सुदृढ़ विश्वास है उसमें अनुमान एवं सन्देह का स्थान नहीं।

(10) वह पूर्ण बुद्धिमत्ता है, उसमें प्रत्येक बात का वर्णन है।

(11) वह सत्य है और सत्य की तुला है अर्थात् स्वयं भी सच्चा है और सत्य को पहचानने के लिए कसौटी भी है।

(12) वह लोगों के लिए हिदायत है तथा हिदायतों का उसमें विवरण तथा सत्य एवं असत्य में अन्तर करता है।

(13) वह पवित्र क़ुर्आन है, गुप्त किताब में है जिसके एक अर्थ यह हैं कि प्रकृति के ग्रन्थ में उसकी नक़ले अंकित हैं अर्थात् उसका विश्वास स्वाभाविक है, जैसा कि उसका कथन है -

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِیْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا

(14) वह अन्तर करने वाला कथन है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं।

(15) वह मतभेदों के निवारण के लिए भेजा गया है।

(16) वह ईमानदारों के लिए हिदायत और रोग-मुक्ति है।

अब बताइए कि ये महानताएं, श्रेष्ठताएं तथा विशेषताएं जो पवित्र

क़ुर्आन के बारे में वर्णन की गईं हैं। हदीसों के बारे में ऐसी प्रशंसाओं का कहां वर्णन हैं ? अतः मेरा मत "पथभ्रष्ट नेचरिया सम्प्रदाय" की भांति यह नहीं है कि मैं बुद्धि को प्राथमिकता देकर ख़ुदा और रसूल के कथन पर कुछ आलोचना करूं। ऐसे आलोचकों को नास्तिक तथा इस्लाम के दायरे से बाहर समझता हूं अपितु मैं जो कुछ आंहज़रत[स.ल.व.] ने ख़ुदा तआला की ओर से हमें पहुंचाया है उस सब पर ईमान लाता हूं। केवल विनय एवं विनम्रतापूर्वक यह कहता हूं कि पवित्र क़ुर्आन प्रत्येक कारण से हदीसों पर **प्राथमिक** है तथा हदीसों के सही होने या न होने को परखने के लिए वह **कसौटी** है और **मुझे** ख़ुदा तआला ने पवित्र क़ुर्आन के प्रचार के लिए मामूर किया है ताकि मैं पवित्र क़ुर्आन का जो **ठीक-ठीक** उद्देश्य है लोगों पर प्रकट करूं और यदि इस सेवा करने में समय के उलेमा का मुझ पर आरोप हो और वह मुझे 'नेचरी पथभ्रष्ट सम्प्रदाय' की ओर सम्बद्ध करें तो मैं उन पर कुछ खेद नहीं करता अपितु ख़ुदा तआला से चाहता हूं कि ख़ुदा तआला उन्हें वह विवेक दे जो मुझे दिया है। नेचरियों का प्रथम शत्रु मैं ही हूं और अवश्य था कि उलेमा मेरा विरोध करते क्योंकि कुछ हदीसों का यह उद्देश्य पाया जाता है कि **मसीह मौऊद** जब आएगा तो उलेमा उसका विरोध करेंगे। इसी की ओर मौलवी सिद्दीक़ हसन साहिब (स्वर्गीय) ने "आसारुलक़ियामह" में संकेत किया है और हज़रत मुजद्दिद साहिब सरहिन्दी ने भी अपनी पुस्तक के पृष्ठ (107) में लिखा है कि – "मसीह मौऊद जब आएगा तो समय के उलेमा उसे

अहलेराय कहेंगें अर्थात यह समझेंगे कि यह हदीसों को छोड़ता है और केवल क़ुर्आन का पाबन्द है तथा उसके विरोध पर तत्पर हो जाएंगे।"

सलामती हो उस पर जिसने हिदायत का अनुसरण किया।

ग़ुलाम अहमद क़ादियानी

21, जुलाई 1891 ई.

पर्चा नं. 5

मौलवी साहिब !

मैं खेद करता हूं कि आप ने फिर भी मेरे प्रश्न का उत्तर स्पष्ट* शब्दों में नहीं दिया। आप ने वर्णन किया है कि मैं आप से उन पुस्तकों का सही होना स्वीकार कराना चाहता हूं तथा आप इस स्वीकार को ठीक नहीं समझते अपितु उसे सर्वसम्मति पर एक ग़लत सिद्धान्त तथा कल्पना पर आधारित समझते हैं फिर स्पष्ट शब्दों में क्यों नहीं कहते कि सहीहैन की समस्त हदीसें बिना विलम्ब एवं बिना तर्क स्वीकार करने योग्य तथा सही नहीं हैं अपितु उनमें काल्पनिक या ग़ैर सही हदीसें मौजूद हैं या उनके मौजूद होने की आशंका है जब तक आप ऐसे स्पष्ट शब्दों में उस मतलब को अदा न करेंगे उस प्रश्न के उत्तर से मुक्त न होंगे, चाहे वर्षों गुज़र जाएं। आप हदीस-

اِنَّ مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهٗ مَالَا يَعْنِيْهِ

---

* अल्लाह अल्लाह ! चश्मबाज़ो गोश बाज़ू ईं ज़का + ख़ीरा अय दर चश्म बन्दिए ख़ुदा। आप का यह खेद समाप्त होने में नहीं आता और कदाचित मृत्यु (अर्थात शास्त्रार्थ का समापन) तक इस खेद से मुक्ति प्राप्त न हो। अच्छा देखें। एडीटर

को दृष्टिगत रख कर प्रश्न से हटकर बातों से विरोध करना त्याग दें और दो शब्दों में उत्तर दें कि सहीहैन की हदीसें सब की सब सही हैं या काल्पनिक हैं या मिश्रित हैं।

(2) आप कहते हैं मैंने अपनी पुस्तक में बुख़ारी अथवा मुस्लिम की किसी हदीस को काल्पनिक नहीं कहा (काल्पनिक शब्द आप के कलाम में ग़ैर सही के अर्थों में प्रयुक्त हुआ है) तथा यह बात नितान्त आश्चर्य का कारण है कि आप जैसे इल्हाम के दावेदार घटना के विपरीत ऐसी बात कहें। आपने पुस्तक 'इज़ाला औहाम' के पृष्ठ 220 में दमिश्क़ी हदीस के बारे में कहा है – "यह वह हदीस है जो सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम साहिब ने लिखी है जिसे कमज़ोर समझकर मुहद्दिसों के सरदार इमाम मुहम्मद-इस्माईल बुख़ारी ने छोड़ दिया है।"

अतः न्याय से कहें कि इस सही मुस्लिम की हदीस को आपने कमज़ोर ठहरा दिया है अथवा नहीं और यदि आप यह बहाना करें कि मैं केवल नक़ल करने वाला हूं उसे कमज़ोर कहने वाले इमाम बुख़ारी हैं तो आप सही की हुई नक़ल करें और स्पष्ट कहें कि इमाम बुख़ारी ने उसे अमुक पुस्तक में कमज़ोर ठहराया है या किसी अन्य इमाम मुहद्दिस से नक़ल करें कि उन्होंने इमाम बुख़ारी से इस हदीस का कमज़ोर होना नक़ल किया है अन्यथा आप इस आरोप से बरी न हो सकेंगे कि आपने सही मुस्लिम की हदीस को कमज़ोर ठहराया तथा फिर अपने लेख में उस से इन्कार किया। 'इज़ाला औहाम' के पृष्ठ -226 में

आप कहते हैं - “अब बड़ी कठिनाइयां ये सामने आती हैं कि यदि हम बुख़ारी या मुस्लिम की उन हदीसों को सही समझें जो दज्जाल को अन्तिम युग में उतार रही हैं तो ये हदीसें काल्पनिक ठहरती हैं और यदि उन हदीसों को सही ठहराएं तो फिर उसका काल्पनिक होना मानना पड़ता है और यदि ये विरोधाभासी तथा परस्पर भिन्न हदीसें सहीहैन में न होतीं केवल अन्य सहीहों में होतीं तो कदाचित हम उन दोनों किताबों का अत्यधिक ध्यान रखकर उन दूसरी हदीसों को काल्पनिक ठहरा देते परन्तु अब कठिनाई तो यह आ पड़ी कि इन्हीं दोनों किताबों में ये दोनों प्रकार की हदीसें मौजूद हैं। अब जब हम इन दोनों प्रकार की हदीसों पर दृष्टि डाल कर आश्चर्य के भंवर में पड़ जाते हैं कि किस हदीस को सही समझें और किसे ग़ैर सही। तब हमें ख़ुदा द्वारा प्रदत्त बुद्धि निर्णय का यह उपाय बताती है कि जिन हदीसों पर बुद्धि एवं शरीअत का कुछ आरोप नहीं उन्हें सही समझना चाहिए।” तथा ‘इज़ाला औहाम’ के पृष्ठ 224 में आप ने मुस्लिम की उस हदीस को जिस में यह वर्णन है कि दज्जाल के मस्तक पर क फ़ र लिखा होगा जो बुख़ारी में पृष्ठ 1056 में वर्णित है यह कहकर उड़ा दिया है कि मुस्लिम की यह हदीस उस हदीस के विपरीत है जिसमें यह आया है कि यह दज्जाल इस्लाम से सम्मानित हो चुका था इसी प्रकार आपने सहीहैन की उन हदीसों को उड़ाया है जिनमें दज्जाल की उन विलक्षणताओं का वर्णन है कि उसके साथ स्वर्ग तथा नर्क होंगे तथा उसके कहने से ऊसर वाली भूमि हरी-भरी हो जाएगी इत्यादि, इत्यादि। फिर आपका उस स्थान में यह कहना कि

मैंने सहीहैन की किसी हदीस को काल्पनिक या ग़ैर सही नहीं ठहराया तथा उन हदीसों के सही अर्थ वर्णन करने में ख़ुदा तआला मेरी सहायता करता है घटना के विपरीत नहीं तो और क्या है ?

आप सहीहैन की हदीसों को काल्पनिक समझते हैं तथा अविश्वसनीय जानते हैं। फिर इस आस्था को लम्बे भाषणों तथा आडम्बरों से छिपाते हैं और यह नहीं सोचते कि जिन बातों को आप प्रकाशित कर चुके हैं वे कब छिपती हैं।

(3) आप लिखते हैं कि क़ुर्आन को हदीस के सही होने का मापदण्ड ठहराने में इमाम का पता बताने का प्रमाण देना आपके दायित्व में नहीं है तथा यह दावा करते हैं कि प्रत्येक मुसलमान हदीसों के सही होने का मापदण्ड क़ुर्आन को समझता है। मैं आपके इस दावे का भी इन्कारी हूं तथा यह कह सकता हूं कि कोई मुसलमान जिनके कथनों से प्रमाण लिया जाता है इस बात को नहीं मानता। आप कम से कम एक मुसलमान का पिछले उलेमा में से नाम लें जो आप के विचार का भागीदार हो और यदि इन दावों के बावजूद आप पर प्रमाण देने का भार नहीं है तो आप यह बात किसी न्यायवान से (मुसलमान हो या अन्य धर्मावलम्बी) कहलवा दें। इस अध्याय में जो आयतें आपने नक़ल की हैं उनका आपके दावों से कोई संबंध नहीं है। इसका विवरण विस्तृत उत्तर में होगा इन्शाअल्लाह।

(4) सर्वसम्मति के अध्याय में आपने मेरे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कृपा करके मेरे प्रश्न पर पुनः विचार करें तथा उन बातों

का उत्तर दें कि सर्वसम्मति की परिभाषा जो आप ने लिखी है किस किताब में है तथा कुछ सहाबा की सहमति को कौन व्यक्ति सर्वसम्मति समझता है। सब के मौन रहने का आपने जो दावा किया है यह भी नक़ल एवं प्रमाण का मुहताज है। आप सही नक़ल के साथ सिद्ध करें कि हज़रत उमर इत्यादि ने इब्ने सय्याद को दज्जाल कहा तो उस समय सभी सहाबा अथवा अमुक, अमुक सहाबा मौजूद थे और उन्होंने इस पर मौन धारण किया या वह कथन जिस सहाबी को पहुंचा उसने इन्कार न किया। यह बात 'संभवत:' और 'होंगी' के शब्दों से सिद्ध नहीं हो सकती। ऐसे महान दावों में नक़ल किए इमामों से नक़ल काम देती है न कि केवल प्रस्ताव। बुद्धि सर्वसम्मति के अध्याय में जो कुछ इमामों से नक़ल किया गया है वह आप के लेख में मौजूद है फिर आश्चर्य है कि उस पर आप का ध्यान नहीं गया और केवल अनुमान से आप ने काम चलाया।

(5) शरह अस्सुन्न: की हदीस के लेख के बारे में आप ने बड़े ज़ोर से दावा किया था कि आंहज़रत[स.अ.व.] ने कहा है कि मैं इब्ने सय्याद के दज्जाल होने से डरता हूं तथा इज़ाला औहाम के पृष्ठ 224 में आप ने लिखा है कि आंहज़रत[स.अ.व.] ने हज़रत उमर[रज़ि.] को कहा है कि हमें उसके बारे में सन्देह है अर्थात उसके दज्जाल होने का हमें भय है। इन कथनों का आपने आंहज़रत[स.अ.व.] को निश्चय ही मानने वाला कहा है। अब आप यह कहते हैं कि सहाबी ने आप[स.] से सुना होगा तब ही आंहज़रत[स.अ.व.] की ओर इस बात को सम्बद्ध किया कि

आप इब्ने सय्याद के दज्जाल होने से डरते थे। अब न्याय, सत्य एवं ईमानदारी को दृष्टिगत रखकर कहें कि क्या संभावना विश्वास का कारण हो सकती हैं ? क्या यह संभावना नहीं है कि आंहज़रत[स.अ.व.] के इन मामलों से जो इब्ने-सय्याद के बारे में अनेकों बार घटित हुए हैं जैसे उसकी परीक्षा लेना या गुप्त रूप से उसकी परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करना इत्यादि-इत्यादि जिन का सहीहैन में वर्णन है। उस सहाबी को यह विचार पैदा हो गया कि आंहज़रत[स.अ.व.] उसे दज्जाल समझते थे इस संभावना के साथ जो सहाबी पर सुधारणा रखने पर आधारित है क्या यह विश्वास हो सकता है ? कि उस सहाबी ने आंहज़रत[स.अ.व.] को वे बातें कहते हुए सुना जो आप ने वास्तविकता के विपरीत आंहज़रत की ओर सम्बद्ध कीं तथा विश्वास प्राप्त किए बिना आंहज़रत[स.अ.व.] को उन कथनों का कहने वाला ठहरा देना तथा नि:संकोच यह कह देना कि आप ऐसा कहते थे वैध है ? तथा पूर्वज मुसलमानों से यह बात घटित हुई है। आप कम से कम एक मुसलमान का नाम बता दें जिस से यह साहस हुआ हो।

(6) आप लिखते हैं इब्ने अरबी के कथन के आप विरोधी होते तो क्यों अकारण उसकी चर्चा करते और उसकी चर्चा से आप के कलाम में विरोधाभास पैदा होता है। आप का यह बोध मेरी इबारत जो मैंने नक़ल की है के स्पष्ट आशय के विपरीत है। इसलिए ध्यान देने योग्य नहीं है तथा वह आपको झूठ घड़ने के आरोप से बरी नहीं कर सकता और न मेरी वे व्याख्याएं जो मैंने मुहद्दिस के संबंध में की हैं

आपको इस आरोप से बरी कर सकती हैं। मेरे किसी स्पष्टीकरण या कलाम में इब्ने अरबी के कथन का सत्यापन या समर्थन नहीं पाया जाता तथा मेरे स्पष्टीकरण का प्रकट करना कि मैं नबी के अतिरिक्त किसी अन्य के इल्हाम को प्रमाण नहीं समझता। किताब तथा सुन्नत का अनुयायी हूं न किसी इल्हाम या कश्फ़ वाले का अनुसरणकर्ता, स्पष्ट तौर पर साक्षी है कि आपने मुझ पर झूठ बांधा है। रहा विरोधाभास का आरोप तथा आस्था के विपरीत प्रकट करने का तो उसका उत्तर इशाअतुस्सुन्नः के इसी पृष्ठ में मौजूद है कि मैंने इब्ने अरबी इत्यादि के कथनों को इसलिए नक़ल किया है कि इल्हाम को प्रमाण मानने में लेखक बराहीन अहमदिया अकेला नहीं है तथा यह मामला ऐसा नवीन और अनोखा नहीं जिसका कोई मानने वाला न हो, जिससे स्पष्ट तौर पर सिद्ध है कि मैंने उन कथनों को नक़ल करने से बराहीन के लेखक को अकेले होने से बचाना चाहा था न कि यह कि मैं भी ऐसे इल्हामों को प्रमाण योग्य समझता हूं।*

आप के लेखों में बहुत से अर्थ अतिरिक्त तथा बहस से बाहर होते हैं जिन से मैं जानबूझ कर वाद-विवाद नहीं करता उन पर वाद-विवाद उस विस्तृत उत्तर में करूंगा जो पूछी गई बातों के तय होने के पश्चात्

---

* **नोट** - विवेकशील दर्शक यहां विचार करने के लिए थोड़ी देर के लिए विलम्ब करें। यदि हज़रत मिर्ज़ा साहिब अपने दावे में अकेले नहीं हैं तो उन पर आरोप ही क्या आ सकता है। बहरहाल इसमें तो आपत्ति नहीं कि मौलवी साहिब भरसक प्रयत्न करके हज़रत मसीह मौऊद को अकेले होने के आरोप से बचा चुके हैं और यही अभीष्ट था। अत: समझ लें। एडीटर

लिखूंगा अब मैं आपको पुनः अपने पहले प्रश्नों की ओर ध्यान दिलाता हूं कि आप कृपा करके दोनों सदस्यों का समय बचाने की दृष्टि से मेरे प्रश्नों का स्पष्ट तथा संक्षिप्त शब्दों में उत्तर दें और अतिरिक्त बातों की ओर ध्यान न दें। मैं आपके कष्ट का निवारण करने की दृष्टि से पुनः अपने प्रश्न का सारांश वर्णन करता हूं-

प्रथम प्रश्न का सारांश यह है कि आप स्पष्टतापूर्वक कहें कि सहीहैन की समस्त हदीसें सही और अमल करने योग्य हैं या समस्त ग़ैर सही, काल्पनिक या मिश्रित तथा आप ने अब तक सहीहैन की किसी हदीस को काल्पनिक या कमज़ोर नहीं कहा ।

द्वितीय - हदीसों के सही होने का मापदण्ड क़ुर्आन को ठहराने में समस्त मुसलमान आपके साथ हैं अथवा पूर्वकालीन इमामों में से कोई इमाम।

तृतीय - सर्वसम्मति (इज्मा') की परिभाषा तथा यह कि कुछ सहाबा की सहमति शरीअत की दृष्टि से सर्वसम्मति कहलाती है तथा हज़रत उमर के इब्ने सय्याद को दज्जाल कहने के समय समस्त सहाबी मौजूद थे या अमुक-अमुक थे और उस पर उन्होंने मौन धारण किया और यह मौन अमुक, अमुक हदीस के इमामों ने नक़ल किया।

चतुर्थ - आंहज़रत[स.अ.व.] के सहाबा आंहज़रत[स.] की ओर कोई आदेश अथवा विचार सम्बद्ध न करते जब तक कि वे आप से सुन न लेते तथा आंहज़रत[स.अ.व.] की घटनाओं एवं आदेशों से कोई बात निकाल कर आंहज़रत[स.अ.व.] की ओर सम्बद्ध न करते जिस प्रकार कुछ

सहाबा से नक़ल किया गया है कि फ़ैज या शफ़अत लिलजार* या यह कि केवल विचार और परिणाम निकाल कर आंहज़रत स.अ. के बारे में कह देते कि आपने ऐसा आदेश दिया है।

पंचम - मेरे इस लेख के होते वह अर्थ विश्वसनीय है जो आप के विचार में है। इसी आधार पर मैं इब्ने अरबी का चरितार्थ हूं और आप इस दावे में सच्चे हैं।

लेखक- अबू सईद मुहम्मद हुसैन

21, जुलाई -1891 ई.

मिर्ज़ा साहिब

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम

हज़रत मौलवी साहिब! आप फिर तीसरी बार शिकायत के तौर पर लिखते हैं कि अब भी मेरे प्रश्न का उत्तर स्पष्ट शब्दों में नहीं दिया तथा आप लिखते हैं कि "स्पष्ट शब्दों में कहना चाहिए कि सहीहैन की समस्त हदीसें बिना विलम्ब तथा विचार स्वीकार करने योग्य तथा सही नहीं अपितु उनमें काल्पनिक या ग़ैर सही हदीसें मौजूद हैं या उनके मौजूद होने की संभावना है और आप इस बात का उत्तर मुझ से मांगते हैं कि सहीहैन की हदीसें सब की सब सही हैं या काल्पनिक हैं या मिश्रित हैं।" इति।

उत्तर - अत: स्पष्ट हो कि हदीसों के दो भाग हैं। एक वह भाग जो

* असल में इसी प्रकार लिखा था हम इसे सही करने का अधिकार नहीं रखते। एडीटर।

परस्पर कार्य करने के क्रम की शरण में पूर्णरूप से आ गया है अर्थात् वे हदीसें जिनको परस्पर कार्यरत होने के कारण सुदृढ़, शक्तिशाली तथा सन्देह रहित क्रम ने शक्ति दी है और विश्वास की श्रेणी तक पहुंचा दिया है। जिसमें धर्म की समस्त आवश्यकताएं, उपासनाएं, समझौते, समस्याएं तथा सुदृढ़ शरीअत के आदेश सम्मिलित हैं। अतः ऐसी हदीसें तो निःसन्देह विश्वास तथा पूर्ण प्रमाण की सीमा तक पहुंच गई हैं और उन हदीसों को जो कुछ शक्ति प्राप्त है वह शक्ति हदीस की कला के द्वारा प्राप्त नहीं हुई और न वे नक़ल की गई हदीसों की व्यक्तिगत अपनी शक्ति है और न वर्णन कर्ताओं की दृढ़ता तथा विश्वास के कारण पैदा हुई है अपितु वह शक्ति निरन्तर कार्यरत रहने के कारण तथा बरकत से पैदा हुई है। अतः मैं ऐसी हदीसों को जहां तक उन्हें निरन्तर कार्यरत रहने से शक्ति मिली है। विश्वास की एक श्रेणी तक स्वीकार करता हूं परन्तु हदीसों का दूसरा भाग जिनका निरन्तर कार्यरत होने से कुछ सम्बन्ध और नाता नहीं है और केवल वर्णनकर्ताओं के सहारे से तथा उनके सच बोलने की दृष्टि से स्वीकार की गई हैं उनको मैं अनुमान की श्रेणी से अधिक नहीं समझता तथा अन्ततः अनुमान का लाभ दे सकती हैं क्योंकि जिस ढंग से वे प्राप्त की गई हैं वह विश्वसनीय तथा अटल प्रमाण की पद्धति नहीं है अपितु बहुत अधिक झगड़े का स्थान है। कारण यह है कि उन हदीसों का वास्तव में सही और सत्य होना समस्त वर्णनकर्ताओं की सच्चाई, सच्चरित्रता, पूर्ण विवेक एवं स्मरण-शक्ति, संयम तथा पवित्रता इत्यादि

शर्तों पर निर्भर है और इन समस्त बातों का यथोचित सन्तोष के अनुसार निर्णय होना तथा पूर्ण श्रेणी के प्रमाण पर जो देखने का आदेश रखता है पहुंचना असंभव का आदेश रखता है और किसी में शक्ति नहीं कि ऐसी हदीसों के बारे में ऐसा पूर्ण प्रमाण प्रस्तुत कर सके। क्या आप किसी हदीस के बारे में शपथ ले कर वर्णन कर सकते हैं कि उसके लेख के सही होने के बारे में मुझे पूर्ण सन्तोष एवं सन्तुष्टि प्राप्त है ? यदि आप शपथ उठाने पर तैयार भी हों तथापि मैं सोचूंगा कि आप पुराने विचार तथा स्वभाव से प्रभावित हो कर ऐसा साहस करने पर तत्पर हो गए हैं अन्यथा आपको बुद्धिमत्ता की दृष्टि से कदापि शक्ति नहीं होगी कि ऐसी हदीस के शब्द के सही तथा विश्वसनीय होने के बारे में उचित तर्क जो अन्य जाति के लोग भी समझ सकें प्रस्तुत कर सकें। अतः चूंकि वास्तविकता यही है कि जितनी हदीसें अमल की निरन्तरता से लाभान्वित हैं वे भलाई पहुंचाने तथा भलाई पाने के अनुसार विश्वास की श्रेणी तक पहुंच गई हैं परन्तु शेष हदीसें अनुमान की श्रेणी से अधिक नहीं। अन्ततः कुछ हदीसें दृढ़ अनुमान की श्रेणी तक हैं। इसलिए मेरा मत बुख़ारी और मुस्लिम इत्यादि किताबों के बारे में यही है जो मैंने वर्णन कर दिया है अर्थात् सही होने की श्रेणी में यह समस्त हदीसें एक समान नहीं हैं। कुछ हदीसें परस्पर अमल की निरन्तरता के संबंध के कारण विश्वास की सीमा तक पहुंच गई हैं और कुछ हदीसें इससे वंचित रहने के कारण अनुमान की स्थिति में है किन्तु इस स्थिति में मैं हदीस को जब तक क़ुर्आन के स्पष्ट तौर पर

विपरीत न हो काल्पनिक नहीं ठहरा सकता और मैं सच्चे हृदय से इस बात की साक्ष्य देता हूं कि हदीसों के **परखने के लिए पवित्र क़ुर्आन से बढ़कर और कोई मापदण्ड हमारे पास नहीं।** यद्यपि हदीसविदों ने अपने ढंग पर रिवायत की स्थिति को दुरुस्त या ग़ैर दुरुस्त हदीस के लिए मापदण्ड निर्धारित किया है किन्तु उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि यह मापदण्ड पूर्ण तथा पवित्र क़ुर्आन से निस्पृह करने वाला है। अल्लाह तआला का पवित्र क़ुर्आन में कथन है -

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنۡ جَآءَكُمۡ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوۡۤا[1]

अर्थात् यदि कोई पापी कोई सूचना लाए तो उसकी भली-भांति पड़ताल कर लेनी चाहिए तथा स्पष्ट है कि इस कारण कि नबी के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति मासूम नहीं ठहर सकता तथा संभावित तौर पर नबी के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति से झूठ इत्यादि पापों के हो जाने **की संभावना है।** इसलिए रिवायत के सत्य, असत्य, ईमानदारी तथा बेईमानी को परखने के लिए बहुत अधिक जांच-पड़ताल की आवश्यकता थी जो उन हदीसों को पूर्ण विश्वास की श्रेणी तक पहुंचाती किन्तु वह जांच-पड़ताल उपलब्ध नहीं हो सकी क्योंकि यद्यपि सहाबा की परिस्थितियां स्पष्ट थीं तथा उन हदीसों को हदीस के इमाम तक पहुंचाया परन्तु मध्य के लोग जिन्होंने सहाबा को देखा था और न हदीस के इमाम उनकी वास्तविक परिस्थितियों से पूर्ण तथा निश्चित तौर पर परिचित थे। उनके सच्चा या झूठा होने की परिस्थितियां

[1] अलहुजुरात - 7

विश्वसनीय एवं निश्चित तौर पर क्योंकर ज्ञात हो सकती थीं ?

अतः प्रत्येक न्यायवान तथा ईमानदार को यही मत और आस्था रखनी पड़ती है कि उन हदीसों के अतिरिक्त जो अमल की निरन्तरता के सूर्य से प्रकाशित होती चली आई हैं शेष समस्त हदीसें किसी सीमा तक अंधकार से भरी हुई हैं तथा उनकी वास्तविक स्थिति वर्णन करने के समय एक संयमी व्यक्ति का यह कार्य नहीं होना चाहिए कि आंखों देखी या निश्चित तौर पर प्रमाणित वस्तुओं की भांति उनके सही होने के बारे में दावा करे अपितु उनके सही होने का गुमान रखकर कह दे कि अल्लाह ही अधिक जानता है और जो व्यक्ति उन हदीसों के बारे में अल्लाह ही सही को अधिक जानने वाले है नहीं कहता और पूर्णतया जानने का दावा करता है वह निःसन्देह **झूठा** है। कृपालु ख़ुदा कदापि पसन्द नहीं करता कि मनुष्य पूर्ण ज्ञान से पूर्व पूर्ण ज्ञान का दावा करे। उतना ही दावा करना चाहिए जितना ज्ञान प्राप्त हो। फिर यदि इस से अधिक कोई प्रश्न करे तो अल्लाह ही सही को अधिक जानने वाला है, कह दिया जाए। अतः मैं आप की सेवा में स्पष्ट तौर पर विनती करता हूं कि मैं हदीसों के दूसरे भाग के बारे में चाहे वे हदीसें बुख़ारी की हैं या मुस्लिम की हैं कदापि नहीं कह सकता कि वे मेरे निकट निश्चित तौर पर प्रमाणित हैं। यदि मैं ऐसा कहूं तो ख़ुदा तआला को क्या उत्तर दूं। हां यदि कोई ऐसी हदीस पवित्र क़ुर्आन के विपरीत न हो तो फिर मैं उसे पूर्ण तौर पर सही होने के बारे में स्वीकार कर लूंगा तथा आप का यह कहना कि पवित्र क़ुर्आन को हदीसों के सही होने

की कसौटी क्यों ठहराते हो। अतः इस का उत्तर मैं बार-बार यही दूंगा कि पवित्र क़ुर्आन **निगरान, इमाम, तुला, सत्य-असत्य में अन्तर करने वाला कथन** तथा **पथ-प्रदर्शक** है। यदि इसे कसौटी न ठहराऊं तो और किसे ठहराऊं ? क्या हमें पवित्र क़ुर्आन के इस पद पर ईमान नहीं लाना चाहिए जो पद वह स्वयं अपने लिए ठहराता है ? देखना चाहिए कि वह स्पष्ट शब्दों में वर्णन करता है –

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ①

क्या इस हब्ल (रस्सी) से अभिप्राय हदीसें हैं ? फिर जिस स्थिति में वह इस हब्ल (रस्सी) से पंजा मारने के लिए बड़ा बल देता है तो क्या इसके ये अर्थ नहीं कि हम प्रत्येक मतभेद के समय पवित्र क़ुर्आन की और लौटें तथा पुनः कहता है-

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ﴿﴾ ②

अर्थात् **जो व्यक्ति** मेरे कथन से **मुख फेरे** और उसके विपरीत की ओर प्रवृत्त हो तो उसके लिए संकुचित जीविका है अर्थात् वह वास्तविकताओं एवं अध्यात्म ज्ञानों से **वंचित** है और प्रलय में **अंधा** उठाया जाएगा अब हम यदि एक हदीस को स्पष्ट तौर पर पवित्र क़ुर्आन के विपरीत पाएं और फिर विपरीत होने की स्थिति में भी उसे स्वीकार कर लें और उस विपरीत होने की कुछ भी परवाह न करें तो जैसे इस बात पर सहमत हो गए कि वास्तविक अध्यात्म ज्ञानों से

① आले इमरान – 104 ② ताहा - 125

वंचित रहें और प्रलय के दिन **अंधे उठाए जाएं**। फिर एक स्थान पर कहता है-

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِيْٓ اُوْحِيَ اِلَيْكَ ۚ [1] وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ [2]

अर्थात पवित्र क़ुर्आन को प्रत्येक बात में दस्तावेज़ बनाओ, तुम सब का इसी में सम्मान है कि तुम क़ुर्आन को दस्तावेज़ बनाओ तथा उसी को प्राथमिकता दो। अब यदि हम क़ुर्आन और हदीस के मतभेद के समय में क़ुर्आन को दस्तावेज़ के तौर पर न पकड़े तो जैसे हमारी यह इच्छा होगी कि जिस सम्मान का हमें वादा दिया गया है उस से वंचित रहें और पुनः कहता है -

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ۝ [3]

अर्थात् जो व्यक्ति पवित्र क़ुर्आन से मुख फेरे और जो स्पष्ट तौर पर उसके विपरीत है उसकी ओर झुके, हम उस पर शैतान को नियुक्त कर देते हैं जो हर समय उसके हृदय में भ्रम डालता है और उसे सत्य से विमुख करता है और अंधेपन को उसकी दृष्टि में सजाता है तथा एक पल के लिए भी उस से पृथक नहीं होता। अब यदि हम किसी ऐसी हदीस को स्वीकार कर लें जो स्पष्टतः क़ुर्आन के विपरीत है तो मानो हम चाहते हैं कि शैतान हमारा दिन-रात का साथी हो जाए और अपने भ्रमों में हमें गिरफ़्तार करे और हम पर अंधापन व्याप्त हो और हम सत्य से वंचित रह जाएं तथा पुनः कहता है-

---

① अज़्ज़ुख़रुफ़ - 44 ② अज़्ज़ुख़रुफ़ - 45 ③ अज़्ज़ुख़रुफ़ - 37

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحۡسَنَ الۡحَدِيۡثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ ۖ تَقۡشَعِرُّ مِنۡهُ جُلُوۡدُ الَّذِيۡنَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ ۚ ثُمَّ تَلِيۡنُ جُلُوۡدُهُمۡ وَقُلُوۡبُهُمۡ اِلٰى ذِكۡرِ اللّٰهِ ؕ① अर्थात ذالك الكتاب كتاب متشابه يشبه بعضه بعضا ليس فيه تناقض ولا اختلاف مثنى فيه كل ذكر ليكون بعض الذكر تفسيرا لبعضه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم يعنى يستولى جلاله وهيبته على قلوب العشاق لتقشعر جلودهم من كمال الخشية والخوف يجاهدون فى طاعة الله ليلا ونهارا بتحريك تاثيرات جلالية و تنبيهات قهرية من القرآن ثم يبدل الله حالتهم من التألم الى التلذّذ فيصير الطاعة جزو طبيعتهم و خاصة فطرتهم فتلين جلودهم و قلوبهم الى ذكر الله- يعنى ليسيل الذكر فى قلوبهم كسيلان الماء ويصدرمنهم كل امر فى طاعة الله بكمال السهولة والصفاء ليس فيه ثقل ولا تكلف ولا ضيق فى صدورهم بل يتلذذون بامتثال امرالههم ويجدون لذة وحلاوة فى طاعة مولاهم وهذا هوالمنتهى الذى ينتهى اليه امر العابدين والمطيعين فيبدل الله آلامهم باللذات**

① अज़्ज़ुमर - 24

** अर्थात यह पुस्तक अस्पष्ट है जिसकी आयतें और विषय परस्पर मिलते-जुलते हैं उनमें कोई विरोधाभास और मतभेद नहीं। प्रत्येक चर्चा और उपदेश उसमें बार-बार वर्णन किया गया है जिसका उद्देश्य यह है कि एक स्थान की चर्चा दूसरे स्थान की व्याख्या हो जाए। उसके पढ़ने से उन लोगों की खालों पर जो अपने रब्ब से डरते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं अर्थात उसका तेज तथा उसका भय प्रेमियों के हृदयों पर प्रभुत्व जमा लेता है इसलिए कि

अत: इन समस्त कीर्तियों से जो पवित्र क़ुर्आन अपने बारे में वर्णन करता है साफ एवं स्पष्ट तौर पर सिद्ध होता है कि वह अपने महान उद्देश्यों की स्वयं व्याख्या करता है तथा उसकी कुछ आयतें कुछ अन्य आयतों की व्याख्या करती हैं, यह नहीं कि वह अपनी व्याख्याओं (तफ़सीर) में भी हदीसों का मुहताज है अपितु केवल ऐसी बातों में जो मिलकर कार्य करने की मुहताज थीं वे इसी क्रम के सुपुर्द कर दी गई हैं उन बातों के अतिरिक्त जितनी भी बातें थीं उनकी व्याख्या भी पवित्र क़ुर्आन में मौजूद है। हां इस व्याख्या के बावजूद हदीसों की दृष्टि से जन साधारण को समझाने के लिए जो لَا يَمَسُّهٗ के वर्ग में सम्मलित हैं अधिकतर स्पष्टीकरण के साथ वर्णन कर दिया गया है, परन्तु जो इस उम्मत اِلَّا الْمُطَهَّرُوْن का गिरोह है वह पवित्र

शेष हाशिया : उनकी खालों पर नितान्त भय और रोब से रोंगटे खड़े हो जाएं वे क़ुर्आन की प्रकोपी चेतावनियों एवं प्रतापी प्रभावों की प्रेरणा से रात-दिन खुदा की आज्ञाकारिता में तन-मन से प्रयासरत रहें फिर उन की यह स्थिति हो जाती है कि ख़ुदा तआला उनकी इस स्थिति को जो पहले दुख-दर्द की स्थिति होती है आनन्द तथा हर्ष से परिवर्तित कर सकता है। अत: उस समय ख़ुदा की आज्ञाकारिता उनके शरीर का अंग तथा प्रकृति की विशेषता हो जाती है। फिर ख़ुदा तआला की स्तुति से उनके हृदयों तथा शरीरों पर प्रथम आर्द्रता छा जाती है अर्थात् ख़ुदा की स्तुति उनके हृदयों में जल की भांति बहना आरंभ हो जाती है तथा ख़ुदा की आज्ञा का पालन करने की प्रत्येक बात उन लोगों से नितान्त सरलता तथा स्पष्टता से जारी होती है न यह कि उसमें कोई भार हो या उनके सीनों में उस से कोई संकीर्णता पैदा हो अपितु वे तो अपने उपास्य के आदेश की आज्ञा का पालन करने में आनन्द प्राप्त करते हैं और अपने स्वामी का अनुसरण उन्हें मधुर लगता है। अत: उपासकों तथा आज्ञाकारियों की अन्तत: यही चरम सीमा है कि अल्लाह तआला उनके कष्टों को आनन्दों से परिवर्तित कर दे। एडीडर।

क़ुर्आन की अपनी तफ़्सीरों से पूर्णतया लाभ प्राप्त करता है किन्तु उसका अधिक उल्लेख करना आवश्यक नहीं। आवश्यक बात तो मात्र इतनी है कि प्रत्येक हदीस विरोधी होने की अवस्था में पवित्र क़ुर्आन पर प्रस्तुत करनी चाहिए। अतः यह बात मिश्कात की एक हदीस से भी हमारी इच्छानुसार भलीभांति तय हो जाती है और वह यह है —

وعن الحارث الا عور قال مررت فی المسجد فاذا الناس یخوضون فی الاحادیث فدخلت علی علیؓ فاخبرته فقال اوقدفعلوھا قلت نعم قال اما انی سمعت رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم یقول الا انھا ستکون فتنۃ قلت ماالمخرج منھا یارسول اللّٰہ قال کتاب اللّٰہ فیہ خبر ماقبلکم وخبر مابعدکم وحکم ما بینکم ھوالفصل لیس بالھزل من ترکہ من جبار قصمہ اللّٰہ ومن ابتغی الھدی فی غیرہ اضلہ اللّٰہ وھوحبل اللّٰہ المتین ... من قال بہ صدق ومن عمل بہ اجر ومن حکم بہ عدل ومن دعا الیہ ھدی الی صراط مستقیم۔

अर्थात् वर्णन किया गया है हारिस आ'वर से। मैं मस्जिद में जहां लोग बैठे हुए थे और हदीसों में चिन्तन कर रहे थे गुज़रा। अतः मैं यह बात देखकर कि लोग क़ुर्आन को छोड़कर दूसरी हदीसों में क्यों लग गए। अली[रज़ि.] के पास गया और उसको जाकर यह सूचना दी। अली[रज़ि.] ने मुझ से कहा कि निश्चय समझ कि मैंने रसूलुल्लाह[स.अ.व.] से सुना कि आप[स.] कहते थे कि निकट समय में ही एक उपद्रव होगा अर्थात् धार्मिक मामलों में लोगों को ग़लतियां लगेंगी और मतभेद में पड़ेंगे और कुछ का कुछ

समझ बैठेंगे। तब मैंने कहा - कि इस उपद्रव से कैसे मुक्ति प्राप्त होगी। तब आप[स.] ने कहा कि **ख़ुदा की किताब** के द्वारा मुक्ति होगी। उसमें तुम से पहले लोगों की सूचना मौजूद है और आने वाले लोगों की सूचना मौजूद है तथा तुम में जो विवाद जन्म लें उनका इसमें निर्णय मौजूद है। वह **फैसला करने वाला कथन** है निरर्थक बात नहीं। जो व्यक्ति उसके अतिरिक्त मार्ग-दर्शन ढूंढेगा तथा उसे हकम (न्यायकर्ता) नहीं बनाएगा, ख़ुदा तआला उसे पथभ्रष्ट कर देगा। वह **ख़ुदा की सुदृढ़ रस्सी** है जिसने उसके हवाले से कोई बात कही उसने सच कहा और जिसने उस पर अमल किया उसे प्रतिफल दिया गया, जिस ने उस के अनुसार आदेश दिया उसने न्याय किया और जिसने उसकी ओर बुलाया उसने सद्मार्ग की ओर बुलाया। इसे तिरमिज़ी और दारमी ने वर्णन किया है। अतः स्पष्ट है कि इस हदीस में स्पष्ट तौर पर सूचना दी गई है कि उस समय में उपद्रव हो जाएगा और लोग भिन्न-भिन्न प्रकार के निर्देश निकाल लेंगे तथा उस समय में परस्पर नाना प्रकार के मतभेद पैदा हो जाएंगे। तब उस उपद्रव से मुक्ति पाने के लिए पवित्र क़ुर्आन ही मार्ग-दर्शक होगा। जो व्यक्ति उसे कसौटी तथा मापदण्ड और तुला ठहराएगा वह बच जाएगा और जो व्यक्ति उसे कसौटी नहीं ठहराएगा वह तबाह हो जाएगा। अब दर्शक न्याय करें कि क्या यह हदीस उच्च स्वर में नहीं पुकारती कि हदीसों इत्यादि में परस्पर जितने मतभेद पाए जाते हैं उन का निर्णय पवित्र क़ुर्आन के अनुसार करना चाहिए अन्यथा यह तो स्पष्ट है कि इस्लाम के तिहत्तर के लगभग फ़िर्क़े हो गए हैं। प्रत्येक अपने तौर पर हदीसें प्रस्तुत करता है

और दूसरे की हदीसों को कमज़ोर या काल्पनिक ठहराता है। अतः देखना चाहिए कि स्वयं हनफ़ियों को बुख़ारी और मुस्लिम की हदीसों की छान-बीन पर आरोप हैं। अतः ऐसी स्थिति में निर्णय कौन करे ? अन्ततः पवित्र क़ुर्आन ही है कि इस भंवर से अपने निष्कपट बन्दों को बचाता है और उसे **सुदृढ़ कड़े** के मार्ग द्वारा उसके सच्चे अभिलाषी तबाह होने से बच जाते हैं।

और आपने जो यह पूछा है कि इस मत में तुम्हारा कोई अन्य सहपंथी भी है तो इस बारे में कहना यह है कि वे समस्त लोग जो इस बात पर ईमान लाते हैं कि क़ुर्आन करीम वास्तव में निर्णायक एवं मार्ग-दर्शक, इमाम, निगरान, फ़ुरक़ान (सत्य-असत्य में अन्तर करने वाला) तथा तुला है वे सब मेरे साथ भागीदार हैं। यदि आप पवित्र क़ुर्आन की इन श्रेष्ठताओं पर ईमान लाते हैं तो आप भी भागीदार हैं तथा जिन लोगों ने यह हदीस वर्णन की है कि आंहज़रत[स.अ.व.] ने कहा है कि एक उपद्रव होने वाला है उस से क़ुर्आन के माध्यम के बिना निकलना संभव नहीं, वे लोग भी मेरे साथ सम्मिलित हैं तथा **उमर फ़ारूक़** जिसने कहा था - حسبنا کتاب الله वह भी मेरे साथ सम्मिलित है तथा अन्य बहुत से बुज़ुर्ग हैं जिन का वर्णन करने के लिए एक रजिस्टर चाहिए। केवल नमूने के तौर पर लिखता हूं। तफ़्सीर हुसैनी में आयत وَاَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوۡنُوۡا مِنَ الۡمُشۡرِكِيۡنَ* के अन्तर्गत लिखा है कि किताब 'तैसीर' में शैख़ मुहम्मद बिन असलम

* अरूम - 32

तूसी ने नक़ल किया है कि एक हदीस मुझे पहुंची है कि आंहज़रत[स.अ.व.] कहते हैं कि -

> "मुझ से जो कुछ रिवायत करो प्रथम ख़ुदा की किताब पर प्रस्तुत कर लो। यदि वह हदीस ख़ुदा की किताब के अनुकूल हो तो वह हदीस मेरी ओर से होगी अन्यथा नहीं।"

अत: मैंने उस हदीस को कि -

مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ को क़ुर्आन से अनुकूल करना चाहा और इस बारे में तीस वर्ष विचार करता रहा मुझे यह आयत मिली -

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

(अर्रोम - 32)

अब चूंकि आपने कहा था कि पहले लोगों में से किसी एक का नाम लो जो पवित्र क़ुर्आन को कसौटी ठहराता है। अत: मैंने उपरोक्त हवाले से सिद्ध कर दिया है या तो आपको हठ छोड़कर स्वीकार कर लेना चाहिए[1] तथा बिल्कुल स्पष्ट है कि चूंकि ये समस्त हदीसों को परस्पर अमल की निरन्तरता की दृढ़ता प्राप्त नहीं केवल अनुमान या सन्देह की श्रेणी पर हैं और हदीस की कला की पड़तालें उनको पूर्ण प्रमाण की श्रेणी तक नहीं पहुंचा सकतीं। इस स्थिति में यदि हम उस पवित्र कसौटी से उन्हें सही करने के लिए सहायता न लें तो जैसे हम

---

[1] नोट - نفس در آئینہ آہنیں کند تاثیر۔ سخن نمی شنوی ظالم ایں چہ خارائے است۔ एडीटर।

कदापि नहीं चाहते कि वे हदीसें पूर्ण तौर पर सही होने की श्रेणी तक पहुंच सकें। मैं आश्चर्य में हूं कि आप इस बात को स्वीकार करने से क्यों और किस कारण से रुकते हैं कि पवित्र क़ुर्आन को ऐसी हदीसों के लिए **कसौटी और मापदण्ड** ठहराया जाए ? क्या आप पवित्र क़ुर्आन की इन विशेषताओं के बारे में कि वह कसौटी, मापदण्ड तथा तुला है कुछ सन्देह में हैं ? आप इस बात पर बल देते हैं कि बुख़ारी और मुस्लिम के सही होने पर सर्वसम्मति हो चुकी है। अब उनको बहरहाल आंखें बन्द करके सही मान लेना चाहिए। किन्तु मैं समझ नहीं सकता कि यह सर्वसम्मति किन लोगों ने की है और किस कारण से अमल करने योग्य हो गई है ? संसार में हनफ़ी लोग पन्द्रह करोड़ के लगभग हैं। वे इस सर्वसम्मति के इन्कारी हैं। इसके अतिरिक्त आप लोग ही कहा करते हैं कि हदीस को सही होने की शर्त के साथ मानना चाहिए तथा पवित्र क़ुर्आन पर बिना शर्त ईमान लाना अनिवार्य है। अब यद्यपि इस बात पर तो हमारा ईमान है कि जो हदीस सही सिद्ध हो जाए उस पर अमल करना अनिवार्य है, परन्तु इस बात पर हम क्योंकर ईमान लाएं कि बुख़ारी और मुस्लिम की प्रत्येक हदीस बिना किसी सन्देह एवं संशय के अमल करने योग्य स्वीकार कर लेनी चाहिए। यह अनिवार्यता शरीअत के किस प्रमाण या स्पष्ट आदेश से हुआ करता है, कुछ वर्णन तो किया होता। 'तफ़्सीर फ़त्हुल अज़ीज़' में —

فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ [1] के अन्तर्गत लिखा है

① अलबक़रह - 223

कि " چنانچہ عبادت غیر خدا مطلقاً شرک و کفر است اطاعت غیر او تعالیٰ نیز بالاستقلال کفر است و معنے اطاعت غیر بالاستقلال آنست کہ ربقۂ تقلید اودرگردن اندازد و تقلید اولازم شارد باوجود ظہور مخالفت حکم او بحکم او تعالیٰ " और स्वर्गीय **मौलवी अब्दुल्लाह साहिब** गज़नवी भी अपने एक पत्र में जो आप ही के नाम है जो लाहौर की गोल सड़क के बाग़ में आपने मुझे दिया था पवित्र क़ुर्आन के बारे में कुछ शर्तें इस बात के समर्थन में लिखते हैं और वे ये हैं कि -

"فقیر را از ابتداء حال میلان بکلام رب عزیز بودو دعاء میکردم کہ یاالہ العالمین دروازہ ہائے کلام خودبریں عاجز بازکن۔ سالہا شدو مصیبت بسیار شدتا بحدے کہ ہرجا کہ مے رفتم بلوامے شد و دل تنگ شد ناگاہ القاشد

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۪ [1]

بعد ازاں رو بقرآن شد و آیاتے کہ درباب توجہ بقرآن بود القامے شد مانند

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ؕ [2]

وامثال آن تا بحدیکہ یک روز دیدم کہ قرآن مجید پیش رویم نہادہ شدو القاشد

هٰذَا كِتَابِىْ وَ هٰذَا عِبَادِىْ فَاقْرَءُوْا كِتَابِىْ عَلٰى عِبَادِىْ. "

अत: यह आयत जो कि मौलवी साहिब अपने इल्क़ा की दृष्टि से वर्णन करते हैं कि اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ (अर्थात वे अनुसरण करते हैं उसका जो उनकी ओर उतारा जाता है- अनुवादक) कैसे फैसला करने वाली आयत है जिससे स्पष्ट और खुले तौर पर सिद्ध होता है कि मोमिन का ध्यान प्रथम पवित्र क़ुर्आन की ओर होना चाहिए, फिर यदि इसके पश्चात् किसी हदीस या इसके अतिरिक्त

① अलबक़रह - 145 ② अलआराफ़ - 4

किसी अन्य कथन की ओर ध्यान जाए तो उस से मुख फेर ले।

फिर आप मुझ से पूछते हैं अपितु मुझे दोषी ठहराते हैं कि मैंने मुस्लिम की हदीस को इस कारण कमज़ोर ठहराया है कि बुख़ारी ने उसको छोड़ दिया है। इसके उत्तर में मेरी ओर से कहना यह है कि किसी हदीस का काल्पनिक होना और बात है तथा उसका कमज़ोर होना और बात। चूंकि दमिश्क़ी हदीस एक ऐसी हदीस है कि उससे संबंधित हदीसें बुख़ारी ने अपनी किताब में लिखी हैं परन्तु इस लम्बी हदीस को छोड़ दिया है। इसलिए इस हदीस के अन्य हदीसों से विशेष सम्बन्धों के कारण यह सन्देह कदापि नहीं हो सकता कि बुख़ारी साहिब इस हदीस के विषय से अनभिज्ञ रहे हैं अपितु मस्तिष्क इसी बात की ओर जाता है कि उन्होंने अपनी राय में उसे कमज़ोर ठहराया है। अतः यह मेरी ओर से एक विवेचनात्मक बात है और मैं ऐसा ही समझता हूं। इसका काल्पनिक होने से कोई सम्बन्ध नहीं और यह बहस मूल बहस से बाहर है। इसलिए मैं इसको लम्बा करना नहीं चाहता। आपको अधिकार है जो राय स्थापित करना चाहें करें। पाठक स्वयं मेरी और आप की राय में निर्णय कर लेंगे। मुझ पर इस बात का कोई आरोप नहीं आ सकता और फिर आपने 'इज़ाला औहाम' के पृष्ठ 226 का हवाला देकर अकारण अपनी बात को लम्बा किया है। मेरे इस समस्त कलाम का कदापि यह मतलब नहीं है कि मैंने निर्णय के तौर पर मुस्लिम या बुख़ारी की किसी हदीस को काल्पनिक ठहरा दिया है अपितु मेरा उद्देश्य केवल विरोधाभास को प्रकट करना

है तथा यह दिखाना है कि यदि विरोधाभास को दूर न किया जाए तो यह दोनों प्रकार की हदीसों में से एक को काल्पनिक मानना पड़ेगा। मेरे इस वर्णन में निर्णय के तौर पर कोई निश्चित आदेश नहीं कि वास्तव में बिना सन्देह अमुक हदीस काल्पनिक है अपितु मेरा तो आरंभ से यही मत है कि यदि किसी हदीस की पवित्र क़ुर्आन से किसी प्रकार की अनुकूलता न हो सके तो वह हदीस काल्पनिक ठहरेगी या वे हदीसें जो अमल के क्रम की निरन्तरता वाली हदीसों से या जो ऐसी हदीसों से विपरीत हों जो संख्या और गुणवत्ता के तौर पर अपने साथ प्रचुरता और शक्ति रखती हैं वे काल्पनिक माननी पड़ेंगी। यदि किसी हदीस को क़ुर्आन के विपरीत ठहराऊं और आप उसे क़ुर्आन के अनुकूल करके दिखा दें तो मैं यदि उसे काल्पनिक तौर पर काल्पनिक ही ठहराऊं तब भी अनुकूल होने के समय अपने मत से लौट जाऊंगा। मेरा उद्देश्य तो मात्र इतना है कि हदीस को पवित्र क़ुर्आन के अनुकूल होना चाहिए। हां यदि अमल के क्रम की दृष्टि से किसी हदीस का विषय क़ुर्आन के किसी विशेष आदेश से प्रत्यक्षतः विपरीत विदित हो तो उसे भी स्वीकार कर सकता हूं क्योंकि अमल का क्रम दृढ़ प्रमाण है। मेरे निकट यह उचित है कि आप इन बातों की चिन्ता को जाने दें तथा उस आवश्यक बात पर ध्यान दें कि क्या ऐसी अवस्था में जब कि एक हदीस स्पष्ट तौर पर पवित्र क़ुर्आन के विपरीत मालूम हो और अमल के क्रम से बाहर हो तो उस समय क्या करना चाहिए ? मैं आप के सामने अपनी आस्था बार-बार प्रकट करता हूं कि मैं सही

बुख़ारी और मुस्लिम की हदीसों को यों ही अकारण कमज़ोर तथा काल्पनिक नहीं ठहरा सकता अपितु उनके बारे में मेरी सुधारणा है। हां जो हदीस पवित्र क़ुर्आन के विपरीत मालूम हो और किसी प्रकार भी उस से अनुकूलता न हो सके, मैं उसको रसूले करीम[स.] की ओर से होने का कदापि विश्वास नहीं करूंगा, जब तक मुझे तर्कसंगत तौर पर समझा न दे कि वास्तव में कोई विरोध नहीं, हां अमल के क्रम वाली हदीसें इसका अपवाद हैं।

फिर आप कहते हैं कि "पवित्र क़ुर्आन के सही होने का मापदण्ड ठहराने में कोई पहले उलेमा में से तुम्हारे साथ है।" अत: हज़रत मैं तो हवाला दे चुका अब मानना न मानना आप के अधिकार में है।

फिर आप मुझ से सर्वसम्मति (इज्मा') की परिभाषा पूछते हैं। मैं आप पर स्पष्ट कर चुका हूं कि मेरे निकट सर्वसम्मति का शब्द उस अवस्था पर चरितार्थ हो सकता है कि जब सहाबा में से प्रसिद्ध सहाबा अपनी एक राय व्यक्त करें और दूसरे उस राय को सुनने के बावजूद विरोध प्रकट न करें तो यही सर्वसम्मति (इज्मा') है। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि उसी **सहाबी** ने जो अमीरुलमोमिनीन थे इब्ने सय्याद के मौऊद दज्जाल होने के बारे में **क़सम** खा कर आंहज़रत[स.अ.व.] के सम्मुख अपनी राय प्रकट की और **आंहज़रत**[स.] ने उस से इन्कार नहीं किया और न ही किसी सहाबी ने। फिर इसी बात के बारे में **इब्ने उमर** ने भी क़सम खाई और जाबिर ने भी तथा अन्य कई सहाबा ने भी अपनी राय प्रकट की। अत: स्पष्ट है कि यह बात शेष सहाबा से

गुप्त नहीं रही होगी। अत: मेरे निकट यही सर्वसम्मति (इज्मा') है। आप सर्वसम्मति की और कौन सी परिभाषा मुझ से पूछना चाहते हैं ? यदि आप के निकट यह इज्मा नहीं तो सहाबा ने इब्ने सय्याद के दज्जाल होने पर जितनी क़समें खाकर उसके दज्जाल होने का वर्णन किया है या बिना क़सम के इस बारे में साक्ष्य दी है, आप दोनों प्रकार की साक्ष्यें तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करें और यदि आप प्रस्तुत न कर सकें तो आप पर हर प्रकार के समझाने का अन्तिम प्रयास सिद्ध हो चुका है कि इज्मा अवश्य हो गया होगा, क्योंकि यदि इन्कार पर क़समें खाई जातीं तो वे भी अवश्य नक़ल की जातीं। आंहज़रत[स.अ.व.] का क़सम को सुनकर खामोश रहना हज़ार इज्मा से श्रेष्ठ है तथा समस्त सहाबा की साक्ष्य से पूर्णतम साक्ष्य है। फिर यदि यह छोड़-छाड़ व्यर्थ नहीं तो और क्या है।

फिर आप कहते हैं कि "इब्ने सय्याद के दज्जाल होने पर आंहज़रत[स.अ.व.] ने अपनी जीभ से अपना डरना प्रकट किया है।" मैं कहता हूं कि समस्त बातें व्याख्या से ही सिद्ध नहीं होतीं संकेत से भी सिद्ध हो जाती हैं। जिस अवस्था में सहाबी का यह कथन है कि जिस समय तक इब्ने सय्याद को देखने के पश्चात् जीवित रहे इस बात से डरते रहे कि वही कथित दज्जाल होगा। जैसा कि 'लम यज़ल' शब्द से प्रकट है इस अवस्था में कोई बुद्धिमान समझ सकता है कि इस लम्बी अवधि का डर एक संभावित बात थी ? इस लम्बी अवधि में कभी आंहज़रत[स.] ने अपने मुख से नहीं कहा था। जिस स्थिति में

आंहज़रत[स.] स्वयं ही कहते हैं कि प्रत्येक नबी दज्जाल से डराता रहा है और मैं भी डराता हूं तो ऐसी स्थिति में क्योंकर समझ आ सकती है कि जो डर आंहज़रत के हृदय में छिपा हुआ था वह किसी ऐसे समय में किसी सहाबी पर प्रकट नहीं किया। इसके अतिरिक्त जब एक तुच्छ कथन से एक व्यक्ति एक बात वर्णन करके उस का मानने वाला ठहरता है, इसी प्रकार अपने संकेतों, इशारों एवं परिस्थितियों द्वारा उसे अदा करके उसका मानने वाला ठहरता है। अत: यह कौन सी बड़ी बात है जिसके कारण आप मुझे झूठ बनाने वाला ठहराते हैं। आप को डरना चाहिए। मनुष्य जो अकारण अपने भाई पर लांछन लगाता है वह ख़ुदा के सामने इस योग्य हो जाता है कि उसी प्रकार का लांछन कोई अन्य व्यक्ति उस पर लगाए। ख़ुदा तआला भली भांति जानता है कि मुझे ठोस रंग में इस बात पर विश्वास है कि यदि हदीस में लमयज़ल (لَمْ يَزِلْ) का शब्द सही तथा घटना के अनुकूल है तो परिस्थितियों की केवल निगरानी उसका चरितार्थ कदापि नहीं ठहर सकता। उदाहरणतया यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं ज़ैद को दस वर्ष से निरन्तर देखता हूं कि वह दिल्ली जाने का हमेशा इरादा रखता है तो क्या इस से यह समझा जाएगा कि ज़ैद ने कभी मुख से इस दस वर्ष की अवधि में दिल्ली जाने का इरादा प्रकट नहीं किया और तथा कष्ट कल्पना के तौर पर यदि यह संक्षिप्त बात है तो जैसा संक्षेप इस बात का है कि मुख से कुछ न कहा हो यह संभावना भी तो है कि मुख से कहा हो परन्तु 'लम यज़ल' का शब्द संभावना की बात को दूर करता है। एक

समय तक किसी बात के बारे में वह स्थिति बनाए रखना जिस का अदा करना मुख का कार्य है, इस बात पर स्पष्ट प्रमाण है कि इतने लम्बे समय में कभी तो मुख से भी काम लिया होगा।

फिर आप कहते हैं कि तुम्हारा यह कहना, आप इब्ने अरबी के विरोधी थे तो क्यों अकारण उसकी चर्चा की, मिथ्या है। क्योंकि मेरी बात के स्पष्ट कथन से भिन्न है। मैं कहता हूं कि आप के कलाम का आपके प्रारंभिक वर्णन में स्पष्ट कथन भी पाया जाता है कि आप इब्ने अरबी के समर्थक हैं। यदि आप समर्थक हैं तो आपने सही बुख़ारी की हदीस क्यों नक़ल की है ? जिसमें लिखा है कि मुहद्दिस भी नबी की भांति भेजा गया है तथा आप ने क्यों मुहम्मद इस्माईल साहिब का यह कथन नक़ल किया है कि मुहद्दिस की वह्यी नबी की भांति शैतानी हस्तक्षेप से पवित्र की जाती है। यदि आप बुख़ारी की हदीस को नहीं मानते तो गुज़री हुई बात को जाने दो अभी इक़रार कर दें कि मैं मुहद्दिस की वह्यी को शैतानी हस्तक्षेप से पवित्र होने वाली नहीं समझता। आश्चर्य है कि एक ओर तो आप बुख़ारी बुख़ारी करते हो तथा दूसरी ओर उसके विपरीत चलते हैं! फिर जबकि आप का बुख़ारी पर ईमान है कि उसकी सब हदीसें सही हैं तो इस अवस्था में तो आप को इब्ने अरबी से सहमत होना पड़ेगा क्योंकि यदि किसी मुहद्दिस पर यह खुल जाए कि अमुक हदीस काल्पनिक है और वह बार-बार की वह्यी से उस पर स्थापित किया जाए तो क्या अब बुख़ारी की इच्छानुसार यह आस्था नहीं रखेंगे कि मुहद्दिस को यह हदीस

काल्पनिक मान लेनी चाहिए। फिर जबकि आपकी यह आस्था है तो मैंने आप पर क्या झूठ बांधा ? हज़रत मौलवी साहिब आप ऐसे शब्द क्यों प्रयोग करते हैं। اِتَّقُوْااللّٰہَ अल्लाह का संयम धारण करो के आदेश को क्यों अपने हृदय में स्थापित नहीं करते ? झूठ बनाने वाले ला'नती तथा धर्म से बहिष्कृत होते हैं। विवेचनात्मक बात को किसी प्रकार से यद्यपि ग़लत हो सही समझ लेना और बात है तथा जानबूझ कर एक ऐसी घटना जिसका यथार्थ ज्ञात हो, के विपरीत कहना यह और बात है।

(1) आप के प्रश्न के सारांश के बारे में मेरा यही वर्णन है कि इस प्रकार से कि जैसे हनफ़ी लोग इमाम आ'ज़म साहिब[रह.] पर मात्र अनुसरण के तौर पर ईमान रखते हैं बुख़ारी और मुस्लिम पर ईमान नहीं रखते उनके सही होने को अनुमान के तौर पर मानता हूं तथा اَلغیب عنداللّٰہِ परोक्ष का ज्ञान ख़ुदा के पास है कहता हूं। मुझे उनके बारे में देखने की भांति ज्ञान नहीं है। यदि किसी हदीस को ख़ुदा की किताब के विपरीत पाऊंगा तो बिना अनुकूलता और फैसले के उसे रसूले करीम[स.अ.व.] का कथन कदापि नहीं समझूंगा यद्यपि हदीस सही मेरा मत है और क़ुर्आन के मापदण्ड ठहराने में पहले बता चुका हूं तथा सब वर्णन कर चुका हूं। पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। इति।

मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद

22 जुलाई 1891 ई.

पर्चा नं. 6

मौलवी साहिब

खेद आपने फिर भी मेरे मूल प्रश्न का उत्तर स्पष्ट और निश्चित तौर पर नहीं दिया* और न कहा कि सही बुख़ारी तथा मुस्लिम की सारी हदीसें सही हैं (1) या सारी काल्पनिक या मिश्रित। अर्थात् कुछ उनमें सही हैं कुछ काल्पनिक। इसके बावजूद कि मेरा यह प्रश्न आपने

* मिर्ज़ा साहिब के उत्तर हमारे प्रश्नों के मुकाबले में लुधियाना के कुछ रईसों ने सुने। उनकी दृष्टि में एक आंखों देखी वृत्तान्त वर्णन किया। उस वृत्तान्त का इस स्थान में नक़ल करना मज़े से रिक्त नहीं। कथित रईस ने वर्णन किया कि सैनिकों की एक टुकड़ी के एक कमाण्डर एक यूरोपियन थे जो रात को दो घंटे दरबार लगाया करते थे। उसमें अपनी सेना के सरदारों की प्रार्थनाएं तथा टुकड़ी की दैनिक घटनाएं सुनते। एक दिन एक सरदार की ऊंटनी खो गई कमाण्डर को यह घटना ज्ञात हुई तो उन्होंने रात के दरबार में ऊंटनी के स्वामी सरदार से कहा कि सरदार साहिब ! इस घटना के सम्बन्ध में मुझे केवल तीन बातों का उत्तर दें और कुछ न कहें। यह इसलिए कह दिया था कि कमाण्डर को इस बात का ज्ञान था कि सरदार साहिब बड़े बातूनी हैं, वह मतलब की बात का उत्तर शीघ्र न देंगे। वे तीन बातें यह हैं कि ऊंटनी किस पड़ाव पर खोई गई ? और किस समय तथा किस तिथि को। सरदार साहिब ने यह भूमिका प्रारंभ की कि हुज़ूर मैंने वह ऊंटनी साढ़े तीन सौ रुपए में खरीदी थी, परन्तु उसके पांच सौ रुपए मांगे जाते थे। कमाण्डर ने कहा - सरदार साहिब ! मैंने यह बात आप से नहीं पूछी जो मैंने आप से पूछा है उसका उत्तर दें। सरदार साहिब ने कहा - कि वह ऊंटनी मैंने बीकानेर की मण्डी से खरीदी थी। इस पर पुनः कमाण्डर ने कहा - सरदार साहिब यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं। आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। सरदार ने कहा - हां जनाब उत्तर देता हूं। वह ऊंटनी सौ कोस प्रतिदिन चलती थी। इस पर साहिब ने पुनः वही कहा - सरदार साहिब आप और कष्ट न करें केवल मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। इस पर सरदार साहिब ने उन तीनों प्रश्नों का कोई उत्तर न दिया और अपनी ऊंटनी की घटनाओं की गणना आरंभ कर दी यहां तक कि दरबार का समय समाप्त हो गया और उन तीनों प्रश्नों का उत्तर न दिया। **(अबू सईद)**

लेख के प्रारंभ में लिख दिया, जिस से यह विचार कि आपने प्रश्न का अर्थ न समझा निवारण हो गया। यद्यपि आपने यह बात स्पष्ट तौर पर कह दी कि यदि मैं सही बुख़ारी तथा सही मुस्लिम की किसी हदीस को ख़ुदा की किताब के अनुकूल नहीं पाऊंगा तो उसे काल्पनिक ठहराऊंगा, रसूले करीम[स.] का कथन न समझूंगा।

(2) और आप अपने पर्चा नं. 4 में स्पष्ट तौर पर यह कह चुके हैं कि इन किताबों के वे स्थान जिन में विरोधाभास है अक्षरांतरण से रिक्त नहीं किन्तु उसमें यह व्याख्या नहीं है कि सही बुख़ारी तथा सही मुस्लिम में ऐसी कोई हदीस है अथवा नहीं जिसको आप इस नियम की साक्ष्य से काल्पनिक ठहराते हैं तथा विचित्र बात यह कि 'इज़ाला औहाम' के उन स्थानों में जो मेरे पर्चा नं. 7 में लिखे गए हैं आप सहीहैन की कुछ हदीसों को काल्पनिक ठहरा चुके हैं किन्तु आप पर्चा नं. 8 में इससे इन्कार करते हैं तथा यह कहते हैं कि मैंने वहां जो कुछ कहा है शर्त के तौर पर कहा है कि विरोधाभास प्रतिकूलता तथा अनुकूलता के अभाव के होते हुए वे हदीसें काल्पनिक हैं। मेरा यह निर्णय बिल्कुल नहीं है। इसके बावजूद कि उन स्थानों में आप ने यह शर्त नहीं लगाई अपितु उन हदीसों का परस्पर विरोधाभास बड़े ज़ोर से सिद्ध किया और फिर उनको काल्पनिक ठहरा दिया है। आप का मेरे मूल प्रश्न का उत्तर न देना और "इज़ाला औहाम" की कथित व्याख्याओं का जो पर्चा नं. 7 में हैं, से इन्कार करने का कारण यह है कि आप उस प्रश्न के दोनों भागों के उत्तर में फंसते हैं और कोई

भाग निश्चित तौर पर नहीं अपना सकते। यदि आप यह भाग उत्तर के लिए अपनाएं कि वे हदीसें सब की सब सही हैं तो इस से आप पर बड़ी बड़ी कठिनाई आती है क्योंकि सही बुख़ारी तथा सही मुस्लिम की हदीसें आप की नवीन पैदा की हुई आस्थाओं के सर्वथा विपरीत हैं। उन हदीसों को सही मानकर आपकी कोई नवीन आस्था स्थापित एवं सुरक्षित नहीं रह सकती। इस कारण आपने यह मार्ग (मत) धारण किया है कि सहीहैन की हदीसों को अविलम्ब बिना चिन्तन सही स्वीकार करना अंधापन तथा तर्करहित अनुसरण है और यदि उत्तर का यह भाग अपनाएं कि सहीहैन की समस्त हदीसें काल्पनिक या उनमें से कुछ सही तथा काल्पनिक हैं तो इससे सामान्य मुसलमान और विशेषत: अहले हदीस जिनके कुछ लोग आप के जाल में फंस गए हैं आप से अपनी श्रद्धा को समाप्त कर देते तथा कुफ्र या पाप और बिदअत* का फ़त्वा लगाने को तैयार होते हैं।①

---

* बिदअत - किसी नवीन बात को शरीअत में समावेश कर देना जो पहले शरीअत में न हो। यह अवैध है। (अनुवादक)

① मौलवी साहिब की तीव्र समझ देखने योग्य है। मौलवी साहिब के निकट जैसे मिर्ज़ा साहिब ने उत्तर का दूसरा भाग नहीं लिया इस विचार से कि कदाचित सामान्य मुसलमान और अहले हदीस का फ़त्वा लगाने को तैयार न हो जाएं। परन्तु आश्चर्य है कि इस पर भी हमारे गुस्सैल मौलवी साहिब के मुख द्वारा कष्ट देने से हज़रत मिर्ज़ा साहिब बच न सके। मौलवी साहिब ने पहले ही से उस बात को समस्त अहले हदीस को कभी मिर्ज़ा साहिब के उत्तर की दूसरे भाग को अपनाने से सूझती अपने मस्तिष्क में झंडा उठाकर मिर्ज़ा साहिब के पक्ष में वे फ़त्वे जड़ दिए तथा इस प्रकार अहले हदीस की पीठ से एक वह कर्त्तव्य का बोझ जो कुछ लोगों

यही कारण है कि आप मेरे प्रश्न का स्पष्ट एवं निश्चित उत्तर नहीं देते, केवल शर्त के तौर पर कहते हैं कि यदि बुख़ारी तथा मुस्लिम की हदीसों को क़ुर्आन के अनुकूल न पाऊंगा तो मैं उन को काल्पनिक ठहराऊंगा अन्यथा मुझे बुख़ारी तथा मुस्लिम से सुधारणा है। मैं अकारण समय से पूर्व तथा बिना आवश्यकता उनकी हदीसों को काल्पनिक ठहराना आवश्यक नहीं समझता। आवश्यकता होगी अर्थात् क़ुर्आन से उनकी अनुकूलता न हो सके तो काल्पनिक ठहराऊंगा।

यद्यपि आप के इस सशर्त उत्तर पर भी अधिकार प्राप्त है कि मैं आप से इस प्रश्न के उत्तर की मांग करूं परन्तु अब मेरी यह आशा कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे समाप्त हो गई तथा मैं यह भी जान चुका हूं कि मेरी इस मांग पर भी आप 26 पृष्ठ या इस से दोगुने 52 पृष्ठ भी ऐसी ही निरर्थक एवं व्यर्थ बातों की पुनरावृत्ति करेंगे जो इस समय तक तीन बार लिख चुके हैं जिन से आप का तो यह लाभ है कि आपके उपस्थित मुरीद यह कहेंगे और कह रहे हैं सुब्हान अल्लाह*

के करने से सब के सर से उतर जाए हल्का कर दिया। शाबाश।

این کارازتو آید و مرداں چنیں کنند - एडीटर

* अल्लाह अल्लाह ! मौलवी साहिब के द्वेष एवं शत्रुता की कोई सीमा शेष नहीं रही। बात-बात पर जले छाले फोड़ते हैं। दर्शक इस रहस्य को हम खोले देते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए और न्याय कीजिए जिस दिन हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने लेख नं. 5 सुनाया। चूंकि एक अध्यात्म ज्ञानी ख़ुदा से समर्थित मुल्हम के कलाम में स्वाभाविक रूप से एक प्रभाव होता है अधिकतर दर्शकों के मुख से सहसा सुब्हान अल्लाह निकल गया और सामान्य उपस्थित लोगों के चेहरों पर दृष्टि डालने से प्रतीत होता था कि प्रभाव के प्रभुत्व से उन पर आत्म-विस्मृति तथा आर्द्रता

हमारे हज़रत मसीह अक़दस कितने लम्बे लेख लिखते हैं तथा काग़ज़ों के कितने पृष्ठ भरते हैं तथा क़ुर्आन की बीसियों आयतें लिखते हैं और इस लेख से यही लाभ आप की दृष्टि में है परन्तु मेरे समय की नितान्त क्षति है। मुझे इस बहस के अतिरिक्त और भी बहुत से महत्त्वपूर्ण कार्य लगे हुए हैं इसलिए अब मैं आप से इस प्रश्न के उत्तर की मांग नहीं करता और मैं दर्शकों एवं श्रोताओं को आपके लम्बे लेखों के वे परिणाम बताना चाहता हूं जिन परिणामों से अवगत कराने के उद्देश्य से मैं आप के उत्तर पर आलोचनाएं करता रहा हूं। मेरा यह उद्देश्य न होता जो मैं आपके पर्चा नं. 3 के उत्तर में लिख चुका था कि आपने हदीस की स्वीकारिता की शर्त बताई है परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया कि यह शर्त सहीहैन की हदीसों में पाई जाती है या नहीं और इसी आधार पर वे हदीसें सही हैं अथवा नहीं इस को पर्याप्त समझता और उसके उत्तर देने पर आपको विवश करता और आप की कोई अन्य बात न सुनता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जिसे शास्त्रार्थ की कला में थोड़ा सा भी ज्ञान हो यह बात समझ सकता है कि जब कोई अपने शास्त्रार्थ एवं सम्बोध्य से नियमों को स्वीकार कराना चाहे कोई नियम प्रस्तुत करके उस से पूछे कि आप इस नियम को मानते हैं या नहीं तो उसके

छा रही है। हमारे नीरस अनुदार संयमी मौलवी साहिब को यह दृश्य भी नितान्त कष्टदायक गुज़रा। यह कह देना और जानबूझ कर ईमान के विरुद्ध प्रकट करना कि वह मुरीदों का समूह था बड़ी साधारण बात है इस से मिर्ज़ा साहिब के लेखों की ख़ुदा की प्रदत्त विशेषता एवं महत्त्व कम नहीं हो सकता। लेख मौजूद हैं पब्लिक स्वयं देख लेगी। एडीटर

सम्बोध्य का कर्त्तव्य केवल यह होता है कि वह उसे स्वीकार करे या उस से इन्कार करे। इससे अधिक किसी नियम के स्वीकार करने या अस्वीकार करने के विरुद्ध का दावेदार हो और अपने अपने बनाए हुए नियम पर तर्क स्थापित करे। आपने मेरे नियम के बारे में स्वीकारिता या अस्वीकारिता तो निश्चित तौर पर प्रकट नहीं की परन्तु उन नियमों के विपरीत सिद्ध करने पर तत्पर हो गए, वह भी इस प्रकार कि मूल प्रश्न से असंबंधित तथा व्यर्थ बातों में लिखना आरंभ कर दिया। इस स्थिति में मुझ पर अनिवार्य न था कि मैं आप की किसी बात का उत्तर देता या उस पर कोई प्रश्न करता, परन्तु इसी उद्देश्य से अब तक आप के उत्तरों के बारे में शंका एवं प्रश्न करता रहा हूं कि आपके कलाम से वे परिणाम पैदा हों जिनको मैं सामान्य मुसलमानों पर प्रकट

उपरोक्त हाशिए पर हाशिया - मौलवी साहिब की स्वनिर्मित या मौलवी साहिब के किसी काल्पनिक रईस की गृह-निर्मित कहानी पर हम इसके अतिरिक्त और कुछ कहना नहीं चाहते कि बात की तह तक पहुंचने वाले दर्शक स्वयं ही निर्णय कर लेंगे कि यह कहानी कहां तक उचित और यथा-स्थान है। हमें विश्वास है कि मौलवी साहिब के व्यर्थ खेद से कोई सच्ची सहानुभूति करने वाला पैदा न होगा। एक कृतघ्न अधीर की भांति उन्हें तृप्त करने वाला सामान मिल रहा है और वह खेद और शिकायत किए जा रहे हैं। मालूम नहीं ऐसा स्पष्ट अकृतज्ञ बनने से आप स्वयं को क्या सिद्ध करना चाहते हैं। मौलवी साहिब आपको ऐसे स्पष्ट और शुद्ध उत्तर मिल रहे हैं कि उनकी शक्ति और आक्रमण ने आपको ऐसा विक्षिप्त कर दिया है अन्यथा आप स्वयं ही इस वाक्य पर जो लेख के प्रारंभ में आपने लिखा है विचार करके समझ सकते थे कि हज़रत मिर्ज़ा साहिब आपको उचित उत्तर दे चुके हैं और वह वाक्य यह है - "यद्यपि आपने यह बात व्याख्या साहिब ......" अन्त तक। एडीटर

करना चाहता हूं। इस उद्देश्य से मैं अब आप के पिछले लेखों तथा वर्तमान लेखों पर विस्तृत आलोचना करता हूं जिसका वादा मैं अपने पिछले लेखों में दे चुका हूं। इस आलोचना में स्थायी तौर पर तो आपका पर्चा नं. 5 निशाना होगा परन्तु उसके संबंध में आपके पहले समस्त लेखों का उत्तर आ जाएगा अल्लाह तआला की सामर्थ्य के साथ।

आप लिखते हैं कि हदीसों के दो भाग हैं - प्रथम — वह जो अमल में आ चुका है उसमें समस्त धार्मिक आवश्यकताएं, उपासनाएं, समस्याएं और शरीअत के आदेश सम्मिलित हैं यह भाग नि:सन्देह सही है परन्तु इस का सही होना न रिवायत की दृष्टि से है अपितु अमल के माध्यम से। द्वितीय वह भाग जिस पर अमल नहीं पाया गया यह भाग निश्चय ही सही नहीं है क्योंकि इस की निर्भरता केवल रिवायत के नियम पर है और रिवायत के नियम से सही होने का प्रमाण तथा पूर्ण सन्तुष्टि नहीं हो सकती। हां उस भाग की पवित्र क़ुर्आन से अनुकूलता सिद्ध हो तो यह भी नि:सन्देह सही स्वीकार किया जा सकता है। इस कथन से सिद्ध है तथा इस समय इसी से अवगत कराना दृष्टिगत है कि आप हदीस की कला एवं रिवायत के नियमों से अनभिज्ञ मात्र हैं और इस्लामी समस्याओं से अपरिचित।

आप यह नहीं जानते कि धार्मिक आवश्यकताएं इस्लाम के उलेमा की पारिभाषिक शब्दावली में किसे कहते हैं और अमल की क्या वास्तविकता है और वे समस्त हदीसें मामलों एवं आदेशों से संबंधित

क्योंकर हो सकती हैं और अहले इस्लाम की दृष्टि में रिवायत के सही होने के नियम क्या हैं।

ख़ाकसार प्रत्येक बात से आपको तथा अन्य अज्ञान दर्शकों को सूचित करके इस बात को अवगत कराना चाहता है कि आप ने जो कुछ कहा वह अनभिज्ञता पर आधारित है वह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता।

अत: स्पष्ट हो कि धार्मिक आवश्यकताएं वे कहलाती हैं जो धर्म से आवश्यकतानुसार अर्थात् स्पष्ट तौर पर तथा बिना चिन्तन मालूम हों न वे बातें जिन की ओर धर्म की आवश्यकता संबंधित हो।

आवश्यकता से अभिप्राय आवश्यकता से सम्बन्धित बातें हों तो इस से आंहज़रत[स.अ.व.] की कोई हदीस बाहर और अपवाद नहीं होती। आंहज़रत[स.अ.व.] ने जो कुछ धर्म में कहा है वह धार्मिक आवश्कता के सम्बन्ध में है। इस स्थिति में हदीसों का दूसरा भाग जिसे आप निश्चय ही सही नहीं जानते धार्मिक आवश्यकताओं में सम्मिलित हो जाता है।

यदि आप यह कहें कि आवश्यकताओं से मेरा अभिप्राय भी वही है जो तुमने वर्णन किया है तो फिर समस्त आदेश, मामले तथा समझौतों को आवश्यकताओं में सम्मिलित करना ग़लत ठहरता है।

मामलों में से सम्बद्ध आदेश अपितु समस्त उपासनाएं ऐसी नहीं हैं जो स्पष्ट तौर पर धर्म से सिद्ध हों। किसी आदेश या बात पर अमल करने की स्थिति यह है कि वह आदेश सामान्य लोगों के अमल (व्यवहार) में आ जाए। इसका उदाहरण हम शरीअत के आदेशों से

केवल उन सहमति वाली बातों को ठहरा सकते हैं जो समस्त मुसलमानों में सहमति के कारण व्यवहार में आ गए हैं।

जैसे नमाज़ या हज्ज या रोज़े कि ये सहमति वाले स्तम्भ हैं।

उनके प्रतिबंधों एवं विशेषताओं को दृष्टिगत न रखते हुए कि नमाज़ रफ़ा यदैन वाली हो या रफ़ा के बिना हो जिसमें हाथ सीने पर बांधे (रखे) जाएं या नाभि के नीचे या हाथ ले जाना व्यवहार में आए इसी प्रकार यदि उनके प्रतिबंधों तथा विशेषताओं का ध्यान रखा जाए तो उन पर अमल करने का दावा बिल्कुल ग़लत है और कोई व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि हमारे अमल का ढंग सामान्य अहले इस्लाम से सिद्ध है।

इन बातों पर सामान्य तौर पर अमल होता तो उनमें मतभेद कदापि न होता जो आपके निकट काल्पनिक एवं सही न होने का प्रमाण है। इसलिए आपका यह कहना कि उपासनाओं एवं मामलों का हदीसों से सम्बन्धित भाग अमल से सिद्ध है केवल अनभिज्ञता पर आधारित है।

यदि अमल से आपका अभिप्राय विशेष-विशेष समुदायों, शहरों या लोगों का अमल है और इस अमल को निश्चित तौर पर सही होने का प्रमाण समझते हैं तो आप पर बहुत बड़ा संकट आएगा क्योंकि यह विशेष अमल प्रत्येक जाति, शहर तथा धर्म का परस्पर भिन्न है यह विश्वास का कारण हो तो चाहिए कि समस्त विभिन्न हदीसें जिन पर ये विशेष-विशेष अमल पाए जाते हैं विश्वसनीय एवं सही हों और यह बात न केवल आपके मत के बिल्कुल विपरीत हैं अपितु सत्य एवं वास्तविकता के भी विरुद्ध है।

रिवायत के सही होने का नियम मुसलमान अनुसंधान करने वालों के निकट यह नहीं जो आप ने ठहराया है कि वह क़ुर्आन से अनुकूलता है या उम्मत के अमल से, अपितु वे नियम सही होने की शर्तें हैं जिन का आधार चार बातों से न्याय, सहनशीलता, कमी का अभाव तथा कारण का अभाव। इन शर्तों में जो आप ने स्वस्थ बुद्धि वर्णनकर्ता को सम्मिलित किया है यह भी आप की हदीस कला से अनभिज्ञता का प्रमाण है।

अर्थों का बोध प्रत्येक हदीस की रिवायत के लिए शर्त नहीं है अपितु विशेषत: उस हदीस की रिवायत के लिए शर्त है जिसमें सार्थक वृत्तान्त हो और जिस हदीस को वर्णनकर्ता बिल्कुल सही शब्दों में नक़ल कर दे उसमें वर्णनकर्ता (रावी) का अर्थों के समझने की कोई शर्त नहीं ठहराता। हदीसों के नियमों की पुस्तकें शरह नुख़्बा इत्यादि देखें।

इसके उत्तर में कदाचित आप कहेंगे कि सभी हदीसें सार्थक रिवायत होती हैं। जैसे कि आप के अनुकरणीय सय्यद अहमद खां ने (जिसके अनुसरण से आपने क़ुर्आन को हदीस के सही होने का मापदण्ड ठहराया है। अत: शीघ्र ही सिद्ध होगा) कहा है तो उस पर आप को अहले हदीस जो हदीस की कला से परिचित हैं केवल अनभिज्ञ कहेंगे।

पहले बुज़ुर्गों ने नबी[स.अ.व.] की हदीसों को बिल्कुल उन्हीं शब्दों में वर्णन किया है। यही कारण है कुछ रिवायतों में वर्णनकर्ता का सन्देह मौजूद है। यदि पहले वर्णनकर्ताओं सहाबा इत्यादि में सार्थक वृत्तान्त का रिवाज होता तो दो समानार्थक शब्दों को जैसे "मोमिन" और

"मुस्लिम" सन्देह से "मोमिन" या "मुस्लिम" शब्द से रिवायत न किया जाता। इस समस्या की छान-बीन फ़िक़्ह: के नियमों तथा हदीस के नियमों की पुस्तकों में है और हमारी पत्रिकाओं इशाअतुस्सुन्न: इत्यादि में आप देख लें।

आप सही होने की शर्तों की जांच-पड़ताल एवं प्रमाण को संदिग्ध कहते हैं तथा इसी के आधार पर केवल रिवायत के नियम को सही सिद्ध करने वाला नहीं ठहराते। यह बात भी हदीस की कला से आप की अनभिज्ञता का प्रमाण है। मेरे महरबान ! शर्तों की जांच-पड़ताल तथा प्रमाण में हदीसविदों ने ऐसी जांच-पड़ताल की है कि उससे सन्तुष्टि का ज्ञान प्राप्त हो जाता है।

हदीसविदों ने प्रत्येक वर्णनकर्ता की परिस्थितियों की जांच-पड़ताल में कि वह कब पैदा हुआ, कहां-कहां से यात्रा करके उसने हदीस प्राप्त की, किस-किस से हदीस सुनी, किस-किस ने उस से हदीस सुनी, कौन सी हदीस में वह अनुपम रहा, किस हदीस में उसे भ्रम हो गया है तथा किस व्यक्ति ने उसकी हदीस की शर्तों की जांच-पड़ताल की दृष्टि से सही कहा, किस ने कमज़ोर ठहराया है इत्यादि, इत्यादि। रजिस्टरों के रजिस्टर लिख दिए हैं। इसी प्रकार प्रत्येक हदीस के बारे में जिसे हदीसविद इमाम विशेषत: दोनों इमाम बुख़ारी तथा मुस्लिम ने सही ठहराया है और सामान्य मुसलमानों ने उसे सही स्वीकार कर लिया है उनके सही होने पर दृढ़ अनुमान प्राप्त हो जाता है अपितु इब्ने सलाह आदि हदीस के इमामों के निकट दोनों शैखों की सहमति वाली

हदीस जिस पर किसी ने कुछ आपत्ति नहीं की विश्वास का लाभ देती है। आप विश्वास को मानें चाहे न मानें दृढ़ अनुमान से तो इन्कार नहीं कर सकते, क्योंकि अपने लेखों में उसका इक़रार कर चुके हैं।

इस पर जो आपने आयत وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغۡنِىۡ مِنَ الۡحَقِّ شَيۡـًٔا[1] से तर्क देते हुए जो आपत्ति की है वह भी आपके धार्मिक नियम से अनभिज्ञता पर आधारित है। मेरे महरबान ! अमल में दृढ़ अनुमान विश्वसनीय है और पवित्र क़ुर्आन का निषेध है उस से आस्थागत अनुमान अभिप्राय है। क्या आपको इन समस्याओं का ज्ञान नहीं या किसी आलिम (ज्ञानी) से नहीं सुने कि यदि नमाज़ में भूल हो जाए कि रकअत एक पढ़ी है या दो तो नमाज़ी उत्तम बात को चुने और जो दृढ़ अनुमान हो उस पर अमल करे या यदि वुज़ू के टूट जाने में सन्देह हो तो दृढ़ अनुमान पर अमल करे। इसी कारण समस्त उल्मा-ए-इस्लाम की हनफ़ी हैं या शाफ़िई, अहले हदीस हैं चाहे अहले फ़िक: सहमति है कि एक ख़बर सही हो तो अमल करने योग्य है हालांकि एक ख़बर प्रत्येक के निकट अनुमान का कारण है न कि ठोस विश्वास। इसी कारण विशेषत: सहीहैन के बारे में उलेमा-ए-इस्लाम ने जिनमें मुकल्लिद तथा विवेचना करने वाले धर्माचार्य एवं हदीसविद सब सम्मिलित हैं ने सहमति प्रकट की है कि सहीहैन की हदीसें अमल करने योग्य हैं और इमाम इब्ने सलाह ने कहा कि उनकी सहमति वाली हदीसें विश्वास का कारण हैं अत: उनके लेख पर आस्था भी

---

① अन्नज्म - 29

अनिवार्य है और बुज़ुर्ग इमामों ने लिखा है कि यदि कोई क़सम खा ले कि जो हदीसें सहीहैन में हैं वे सही न हों तो उसकी पत्नी पर तलाक़ है तो उसकी पत्नी पर तलाक़ स्थापित नहीं होती और वह इस क़सम में झूठा नहीं होता। इमाम नव्वी ने "शरह मुस्लिम" में कहा है -

اتفق العلماء رحمهم الله تعالىٰ على ان اصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخارى و مسلم و تلقتهم الامت بالقبول و كتاب البخارى اصحهما صحيحا و اكثرهما فوائد و معارف ظاهرة و غامضة و قدصح ان مسلمًا كان ممن يستفيد من البخارى و يعترف بانه ليس له نظير فى علم الحديث و هذا الذى ذكرنا من ترجيح كتاب البخارى هو المذهب المختار الذى قاله الجماهير و اهل الاتقان و الحذق و الغوص على اسرار الحديث۔

शेख़ुल इस्लाम हाफ़िज़ ज़हबी ने तारीख़-ए-इस्लाम में कहा है -

اما جامع البخارى الصحيح فاجل كتب الاسلام وافضلها بعد كتاب الله وهو اعلىٰ فى وقتنا يعنى سنة ثالث عشر بعد سبع مائة و من ثلا ثين سنة يفرحون العلماء بعلو سماعه فكيف اليوم فلورحل شخص لسماعه من الف فرسخ لماضاعت رحلته۔

क़ुस्तानी ने शरह बुख़ारी में कहा है -

اما تاليفه يعنى البخارى فانها سارت مسير الشمس ودارت فى الدنيا فماجحد فضلها الا الذى يتخبطه الشيطان من المس

واجلها واعظمها الجامع الصحيح ۔

हाफ़िज़ इब्ने कसीर ने किताबुलबिदाय: वन्निहाय: में कहा है -

و كتابه الصحيح يستسقى بقرائته الغمام واجمع على قبوله و صحته مافيه اهل الاسلام۔

और हज़रत शाह वलीउल्लाह ने हुज्जतुल बालिग़ा में कहा है -

ا ماالصحيحان فقد اتفق المحدثون على ان جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع وانهما متواتران الى مصنفيهما وانه كل من يهون امرهمافهو مبتدع متبع غير سبيل المومنين۔

तथा साहिब-ए-दिरासात ने कहा है -

و كونهما اصح كتاب فى الصحيح المجرد تحت اديم السماء وانهما اصح الكتب بعد القرآن العزيز باجماع من عليه التعويل فى هذا العلم الشريف قاطبته فى كل عصر واجماع كل فقيه مخالف و موافق۔

इमाम इब्ने सलाह ने कहा है -

وهذا القسم يعنى المتفق عليه مقطوع بصحته والعلم اليقينى النظرى واقع به خلافًا لقول من نفى ذلك محتجًا بانه لايفيدالا الظن وانما تلقته الامت بالقبول لانه يجب عليه العمل بالظن والظن قد يخطئ وقد كنت اميل الى هذا واحسبه قويا ثم بان لى ان المذهب الذى اخترناه اولاهوالصحيح لان الظن من هو معصومًا من الخطاء لايخطى والامة فى اجماعها

معصومة من الخطاء لهذا كان الاجماع المبنى على الاجتهاد حجته مقطوعة بها و اكثر اجماعات العلماء كذالك۔قد قال امام الحرمين لوحلف انسان بطلاق امرأته ان ما فى كتابى البخارى و مسلم مما حكما بصحة من قول النبى صلعم لما الزمته الطلاق ولاحنثته لاجماع علماء المسلمين على صحتهما۔ ①

इस विषय के कथन प्रचुर मात्रा में हैं जिन्हें नक़ल करने से विस्तार होता है। इस की तुलना में आपका यह कहना कि पन्द्रह करोड़ हनफ़ी सही बुख़ारी को नहीं मानते, यह मात्र एक बाज़ारियों जैसी बात है। बाज़ारी लोग जिनकी संख्या जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार आपने बताई है बुख़ारी को न मानते हों तो इसका विश्वास नहीं है।

① मौलवी साहिब को कदाचित अत्यन्त क्रोध एवं आक्रोश फ़ुर्सत नहीं लेने देते कि वह अपने बयानों के विरोधाभास पर विचार करें कि जो आरोप वह अपने प्रतिद्वन्द्वी पर लगाते हैं वह स्वयं उन्हीं पर लगता है। आप प्रत्येक स्थान पर शिकायत करते हैं कि मिर्ज़ा साहिब अनावश्यक विस्तृत वर्णन तथा आयतों को नक़ल करके लेख को बढ़ा देते हैं हालांकि स्वयं अनुचित और बेमौक़ा सहीहैन विशेषत: सही बुख़ारी की प्रशंसा पर लिखा है ? इसलिए कि अपने सहपंथी लोगों को धोखा देने का मार्ग निकालें तथा उन्हें भड़काएं कि मिर्ज़ा साहिब सही बुख़ारी को नहीं मानते। सुनिए मौलवी साहिब ! आपने स्वयं सहीहैन की वर्णित हदीस पर उसके सहीहैन होने पर दृढ़ अनुमान का शब्द बोला है और बस।

हज़रत मिर्ज़ा साहिब भी इसी बात को मानते हैं। अत: लेख नं. 6 में जो अन्तिम लेख है कहते हैं "और हमारा मत तो यही है कि हम दृढ़ अनुमान के तौर पर बुख़ारी और मुस्लिम को सही समझते हैं।"

अब कहिए कि विवाद किस बात का है? निर्णय हो चुका।

हनफ़ी विद्वान तो सही बुख़ारी की प्रमाणिकता का इन्कार नहीं करते। आप इस दावे में सच्चे हैं तो पहले या बाद में आने वालों में से किसी एक विद्वान (आलिम) का नाम बता दें जिसने सही बुख़ारी को उन पर अवगत होकर छोड़ दिया। यह भी एक बाज़ारियों जैसी बात है। आप यह नहीं जानते कि इमाम आ'ज़म साहिब कब हुए और सही बुख़ारी कब लिखी गई। मेरे मेहरबान ! इमाम आ'ज़म साहिब 150 हिज्री में संसार से कूच करके स्वर्गवासी हुए तथा सही बुख़ारी 200 हिज्री के बाद लिखी गई।* सही बुख़ारी इमाम साहिब के समय में प्रकाशित होती तो इमाम आ'ज़म साहिब उसको आंख पर रख लेते। इमाम शौ'रानी मीज़ान कुबरा के पृष्ठ 727 इत्यादि में कहते हैं -

اعتقادناواعتقاد کل منصف فی الامام ابی حنیفه رضی الله عنه بقرینة مارویناه انفا عنه من ذم الرای والتبری

---

* मौलवी साहिब द्वेष की तीव्रता के कारण وهو عليهم عمى का चरितार्थ हो रहे हैं। खेद कि आंखे खुली हैं परन्तु देखते नहीं। मिर्ज़ा साहिब ने बुख़ारी को इमाम साहिब का समकालीन या उनसे पहले होना कहां वर्णन किया है जिससे परिणाम निकल सकता है कि उनकी जामिअ इमाम साहिब के समय मौजूद थी। हां यह कहा जा सकता है कि वे हदीसें जो सामूहिक तौर पर 'जामे बुख़ारी' में लिखी हैं इमाम साहिब के समय में अस्त-व्यस्त तौर पर तथा उनसे पूर्व भी मौजूद थीं और यह कहना उचित है। कोई न्यायवान मौलवी साहिब से पूछे (हमें आशा है कि पूछले वाले अवश्य पूछेंगे क्योंकि मौलवी साहिब का समस्त ज्ञानों में पारंगत होने का पर्दा तो अब और इस मैदान में फटा है। आगे तो उस उद्यान वाले चौकीदार की भांति घर की चारदीवारी में पहलवान बने बैठे थे) कि बात को इतना लम्बा करना किस काम का है ? जब मूल आधार ही कच्चा है तो उस पर जो शाखाएं निकली सब ही व्यर्थ एवं निरर्थक ठहरीं। यह आलोचना मिर्ज़ा साहिब के किस वर्णन के बारे में है ? एडीटर

منه و من تقديمه النص على القياس انه لو عاش حتّٰى دونت احاديث الشريعت و بعد رحيل الحفاظ فى جمعها من البلاد والثغور والظفر بها لاخذ بها و ترك كل قياس كان قاسه و كان القياس قل فى مذهبه كما قل فى مذهب غيره بالنسبت اليه لكن لما كانت ادلة الشريعت مفرقة فى عصره مع التابعين و تابع التابعين فى المدائن و القرىٰ والثغور كثر القياس فى مذهبه بالنسبت الى غيره من الائمة ضرورة لعدم وجود النص فى تلك المسائل التى قاس فيها بخلاف غيره من الائمة فان الحفاظ قد رحلوا فى طلب الاحاديث و جمعها فى عصرهم من المدائن والقرى و دونوها فجادبت احاديث الشريعت بعضها بعضا فهٰذا كان سبب كثرة القياس فى مذهبه و قلته فى مذاهب غيره۔ انتهٰى۔

जिसका सारांश यह है कि हदीसों की किताबें इमाम अबू हनीफ़ा के पश्चात् प्रकाशित हुईं। इमाम साहिब उन हदीसों को पाते तो अवश्य स्वीकार करते तथा इससे पूर्व एक स्थान पर कहते हैं -

فلو ان الامام ابا حنيفة ظفر بحديث من مس فرجه فليتوضا لاخذبها

स्पष्ट रहे कि यह हदीस बुख़ारी में नहीं है अपितु इस से कम स्तर की सुन्नत की पुस्तकों में है। इस छान-बीन से आप को यह भी विदित होगा कि अहले हदीस का सहीहैन को अविलम्ब बिना विचार अमल करने योग्य समझना तर्क रहित अनुसरण नहीं है। अपितु इसमें उन

तर्कों एवं नियमों का अनुसरण है जो हदीस को सही करने में ध्यान में रखे गए हैं विरोधियों तथा सहमत लोगों का इज्मा जिसे विरोधी तथा सहमत नक़ल करते हैं उन हदीसों के सही होने पर बड़ा स्पष्ट प्रमाण है। आप इज्मा के शब्द से घबराते हैं तो उसके स्थान पर उम्मत के अमल और विरासत को स्वीकार करें तथा विश्वास के साथ मान लें कि सही बुख़ारी एवं सही मुस्लिम पर अहले सुन्नत के समस्त समुदायों का अमल तथा प्रमाण चला आया है इस पर आप का जो यह प्रश्न है कि सही बुख़ारी तथा सही मुस्लिम मुसलमानों में सहमति के साथ मान्य चले आए हैं तो कुछ हनफ़ी उलेमा इत्यादि ने उन हदीसों का विरोध क्यों किया और सभी ने उनके अनुकूल मत क्यों नहीं अपनाया। तो इसका उत्तर यह है कि यह समझ के विरुद्ध अर्थों में मतभेद पर आधारित है या कुछ प्राथमिकता देने वाले कारणों पर। आप नियम की पुस्तकों एवं इस्लामी शाखाओं पर दृष्टि नहीं रखते। आप 'फ़त्हुल क़दीर' को जो हनफ़ी मत की प्रसिद्ध पुस्तक है या 'बुरहान शरह मवाहिबुर्रहमान' जो अरब तथा ग़ैर अरब देशों में बड़े सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है एक-दो दिन अध्ययन करके देखें कि उनमें किस मान-सम्मान के साथ सहीहैन की हदीसों से सिद्ध किया गया है कि जिस हदीस से मतभेद किया है उसे कमज़ोर समझ कर मतभेद किया है ? या उसके अर्थों में मतभेद करके अथवा अन्य बाह्य कारणों से दूसरी हदीसों को प्राथमिकता देकर मतभेद किया है ?

आप कहते हैं कि हदीसों को परखने के लिए पवित्र क़ुर्आन से

बढ़कर हमारे पास कोई मापदण्ड नहीं। हदीसविदों ने सही होने का मापदण्ड वर्णन करने के नियमों को ठहराया है परन्तु उन्होंने उसे पूर्ण मापदण्ड नहीं कहा और न पवित्र क़ुर्आन से निस्पृह करने वाला बताया है तथा इस दावे के समर्थन में अनेकों लेखों में अनेकों आयतों का वर्णन किया है जिनमें पवित्र क़ुर्आन के यशोगानों एवं अहले इस्लाम सुन्नी लोगों के अध्यायों की चर्चा है। मेरे महरबान हदीसविदो ! क्या कोई मुसलमान अन्वेषक हनफ़ी या शाफ़िई, हदीस के चारों इमामों में से किसी एक का अनुसरण करने वाला या न करने वाला हदीसों के वर्णन को सही करने का मापदण्ड पवित्र क़ुर्आन को नहीं ठहराता तथा यह नहीं कहता कि जब किसी हदीस के सही होने को परखना हो तो उसे क़ुर्आन की अनुकूलता या प्रतिकूलता से सही या ग़ैर सही ठहराएं अपितु सही करने का मापदण्ड वर्णन करने के उन नियमों को ठहराते हैं जिन में से कुछ वर्णन हो चुके हैं। इसका कारण (ख़ुदा की शरण चाहते हुए पुनः ख़ुदा की शरण) यह नहीं कि पवित्र क़ुर्आन मुसलमानों का हकम तथा निगरान नहीं या वह सुदृढ़ व्यवस्था का इमाम नहीं। कोई मुसलमान जो पवित्र क़ुर्आन पर आस्था रखता है यह नहीं समझता और यदि कोई ऐसा समझे तो वह बहुत बड़ा काफ़िर है अबू जहल का बड़ा भाई न कि छोटा। क्योंकि अबू जहल ने तो पवित्र क़ुर्आन को स्वीकार ही नहीं किया था, यह काफ़िर क़ुर्आन पर ईमान लाकर उसे अपना नहीं बनाता तथा हकम नहीं समझता, ऐसा व्यक्ति वास्तव में क़ुर्आन पर ईमान

नहीं रखता यद्यपि प्रत्यक्षत: ईमान का दावा करता हो।* आपने अकारण तथा अनावश्यक तौर पर इन क़ुर्आनी आयतों को हमारे प्रश्न के उत्तर में प्रस्तुत किया जिन में पवित्र क़ुर्आन के यशोगान आते हैं तथा उनके अनावश्यक लिखने और वर्णन करने से अपने और हमारे समय का खून किया अपितु क़ुर्आन की अनुकूलता को सही होने का मापदण्ड

---

* मौलवी साहिब के क़ुर्आन पर ईमान पर ठीक पंजाबी कहावत चरितार्थ होती है - "*पंचां दा आखिया सर मत्थे ते पर परनाला असां उत्थे ई रखना ए।*"

इस मौखिक ईमान से क्या लाभ जबकि व्यवहार इसके विपरीत है। सुब्हान अल्लाह। नि:सन्देह प्रलय के निकट का युग है तथा अवश्य था कि मसीह मौऊद उस समय आता। क़ुर्आन के नाम से चिढ़ और हठ पैदा होती है वे जो दूसरों को पग-पग पर धृष्टता से मुश्रिक कहते थे अब स्वयं क़ुर्आन के साथ शिर्क में लिप्त हो गए हैं। सच तो यह था और शिष्टता का अन्त यह था कि उस वाक्य को सुन कर कि क़ुर्आन हदीसों के सही होने का मापदण्ड है, क़ुर्आनी शिष्टता की दृष्टि से विलम्ब करते कौन सी वस्तु उन्हें कष्ट देती है, कौन सा षडयंत्र उनकी बग़लों में गुदगुदी करता है कि वह मानव हाथों की पुरानी एवं दोषपूर्ण किताबों के समर्थन के लिए पवित्र क़ुर्आन के पीछे पंजे झाड़कर पड़ गए हैं। कोलाहल हाय री विपत्ति

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرۡنَ مِنۡهُ وَتَنۡشَقُّ الۡاَرۡضُ وَتَخِرُّ الۡجِبَالُ هَدًّا ①

अब सामान्य अनुयायियों की क्या शिकायत है जो कहा करते हैं कि क़ुर्आन के अर्थ करने और केवल क़ुर्आन पर चलने से ईमान जाता रहता है। हे मौलवी साहिब ! काश आप मेंढक की भांति कुंए से बाहर निकल कर विश्व के आधुनिक ज्ञानों तथा विश्व के धर्मों और उनके इस्लाम पर आरोपों से परिचित होते तो आपको ज्ञात होता कि आप उस नियम से जो क़ुर्आन को हदीस से पीछे कर रहे हैं इस्लाम में कैसी खराबी पैदा कर रहे हैं तथा इस्लाम को आरोपों का पात्र बना रहे हैं। हज़रत ! वह पवित्र क़ुर्आन है जिसे हाथ में लेकर हम विश्व के मिथ्या धर्मों का मुक़ाबला कर सकते हैं। नादान मित्रों से ख़ुदा सुरक्षित रखे। (एडीटर)

---

① सूरह मरयम - 91

न ठहराए। इस अध्याय में रिवायतों के नियम की ओर प्रवृत्त होने के दो कारण हैं। एक कारण यह है कि इन रिवायत के नियमों से जो हदीसें सही हो चुकी हों वे स्वयं ही क़ुर्आन के अनुकूल होती हैं और वे कदापि-कदापि क़ुर्आन के विपरीत नहीं होतीं। क़ुर्आन इमाम है और वे हदीसें क़ुर्आन की सेवक तथा उसके कारणों के व्याख्याकार तथा स्पष्टीकरण करने वाले तथा उन क़ुर्आनी अर्थों के कारणों के जो अल्पबुद्धि एवं सोच-विचार से असमर्थ लोगों के विचार में विरोधाभासी होती हैं निर्णायक हैं। जिस स्थिति में एक सही हदीस दूसरी सही हदीस की विरोधी नहीं होती और उनकी परस्पर अनुकूलता संभव है। अत: इमामों के इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा से नकल किया गया है -

لاعرف انه روی عن النبی صلعم حديثان باسنادين صحيحين متضادين فمن كان عنده فلياتينی به لأولف بينهما

तो फिर किसी सही हदीस का क़ुर्आन के विपरीत होना क्योंकर संभव है। जो व्यक्ति किसी सही हदीस को क़ुर्आन के विपरीत समझता है वह अज्ञानी है तथा अपनी अज्ञानता के कारण हदीस को क़ुर्आन का विरोधी ठहराता है। इस्लाम के अन्वेषक, हदीसविद या धर्माचार्य ऐसे नहीं हैं कि सही हदीस को क़ुर्आन का विरोधी समझें। इसलिए उन्हें हदीस के सही होने के लिए इस बात की आवश्यकता नहीं है कि क़ुर्आन की अनुकूलता या प्रतिकूलता से उनकी परीक्षा लें। यही कारण है कि समस्त उलेमा-ए-इस्लाम हदीस का सही होना रिवायत के नियमों द्वारा सिद्ध करते हैं तथा हदीस के सही होने को स्वीकार करने तथा सही होने के

निर्णय से निवृत्त होने के पश्चात् उस हदीस की क़ुर्आन से अनुकूलता करते हैं वह भी इस प्रकार कि उन मतभेदों के कारणों को लोगों की दृष्टि समझने से असमर्थ है उनके समझाने के लिए इमाम क़ुर्आन ही रहे और हदीसें उसकी सेवक, व्याख्याकार, अनुवादक तथा निर्णायक।

दूसरा कारण यह है कि किसी हदीस के विषय से अनुकूलता उसके सही होने का कारण हो तो इस से अनिवार्य होता है कि काल्पनिक हदीसें यदि उनके विषय सच्चे और क़ुर्आन के अनुकूल हों तो सही समझी जाएं जिस को कोई मुसलमान नहीं मानता। इसके मुकाबले में जो आपने कहा है कि क़ुर्आन स्वयं अपना व्याख्याकार है हदीस उसकी व्याख्याकार नहीं हो सकती। इस से भी इस्लामी समस्याओं के नियमों से आपकी अनभिज्ञता सिद्ध होती है। पवित्र क़ुर्आन ने हदीस को स्वयं अपना व्याख्याकार सेवक ठहरा दिया है। ख़ुदा तआला ने पवित्र क़ुर्आन में कुछ आदेश इस प्रकार वर्णन किए हैं कि वे साहिबे हदीस[स.अ.व.] के विवरण के बिना किसी सम्बोध्य मुसलमान की समझ में न आते और न वे कार्य-पद्धति ठहराए जा सकते। एक नमाज़ ही के आदेश को लो क़ुर्आन में उसके बारे में केवल यह उपदेश है اَقِيمو الصلٰوة तथा कहीं इसकी व्याख्या नहीं है कि नमाज़ क्योंकर क़ायम की जाए। साहिबुल हदीस आंहज़रत[स.अ.व.] (मेरे माता-पिता आप पर क़ुर्बान) ने कथनीय एवं क्रियात्मक हदीसों से बताया कि नमाज़ इस प्रकार पढ़ी जाती है तो वह क़ुर्आन का आदेश समझ तथा अमल में आया आप कहेंगे कि नमाज़ का यह विवरण अमल से सिद्ध है। इस पर प्रश्न किया जाएगा कि अमल कब से प्रारंभ हुआ और जिस

पद्धति पर अमल हुआ वह पद्धति किस ने बताई। इसके उत्तर में अन्ततः यही कहोगे कि हदीस या साहिबे हदीस ने। दूसरा प्रश्न यह कि वह अमल किन-किन परिस्थितियों में हुआ है सहमति वाली या मतभेदों वाली पर। केवल सहमति वाली परिस्थितियों में उसे सीमित करोगे तो आप को नमाज़ पढ़ना कठिन हो जाएगा। मतभेद वाली परिस्थितियों का दावा करोगे तो मतभेद नमाज़ छोड़ने का कारण होगा अथवा अन्ततः इस मतभेद का निर्णय सही हदीसों द्वारा होगा जो परस्पर अनुकूल हो सकती हैं। अब हम एक दो ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिन में आपको परस्पर अमल का सन्देह न हो। पवित्र क़ुर्आन ने हराम जानवरों को (जैसे ख़िन्ज़ीर, गला घोंट कर मारा हुआ इत्यादि) अवैध कह कर उन के अतिरिक्त जानवरों को वैध कर दिया है। आयत

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا① هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا②

कुछ जानवरों के अवैध होने का वर्णन आपने हदीस के सेवक या साहिब-ए-हदीस[स.अ.व.] के हवाले कर दिया। इसी प्रकार उसने प्रकट कर दिया कि इन जानवरों के अतिरिक्त जिनके अवैध होने की चर्चा क़ुर्आन में है गधा तथा दरिन्दे (हिंसक पशु) अवैध हैं। अब बताइए इस गधे और दरिन्दे के अवैध होने की व्याख्या पवित्र क़ुर्आन ने स्वयं कहां की है। इस पर अमल होने का भी आप दावा नहीं कर सकते।

① अलअन्आम - 146 ② अलबक़रह - 30

गधे इत्यादि दरिन्दों के अवैध होने की आस्था या उसके प्रयोग का त्याग कोई अमल नहीं है जिस पर अमल करने का दावा हो सके। हदीस को व्याख्या तथा निर्णयों के कारणों की यह सेवा क़ुर्आन करीम ने स्वयं प्रदान की है तथा साहिब-ए-हदीस[स.अ.व.] ने भी अपने कलाम में जिसे हदीस कहा जाता है इस सेवा को प्रदान करने को प्रकट किया है। पवित्र क़ुर्आन में आदेश है -

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ[①]

इस विषय की आयतें पवित्र क़ुर्आन में और बहुत हैं परन्तु हम आप की भांति उन सब की गणना करके कलाम को विस्तृत करना नहीं चाहते[②] अर्थात् हे मुसलमानो ! जो कुछ रसूल[स.अ.व.] तुम को दे।

① अलहश्र - 8

② मौलवी साहिब आयतें नहीं लिखते कलाम को लम्बा करने से डरते हैं परन्तु हदीसें इतनी गिन दी हैं तथा उन की शाखाएं इतनी की हैं कि मर्मज्ञ तथा यथा अवसर कलाम का प्रेमी उदास हो जाता है। अल्लाह-अल्लाह من ضحك ضحك ख़ुदा जाने हमारे शेख साहिब की बुद्धि को क्या हो गया है। कोई उन से पूछे कि इतने कथनों को नकल करने से आप का उद्‌देश्य क्या है। ये सब हदीसें अमल के क्रम की नहीं हैं तथा ये समस्त कथन मिर्ज़ा साहिब के हदीसों के विभाजन की समर्थक नहीं ? मौलवी साहिब आपके ज्ञान की पूंजी यही कथनों को नक़ल करना है। यदि आप के लेख से कथन कोई निकाल ले तो संभवत: आपका स्वनिर्मित मूल लेख कुछ पंक्तियां ही रह जाए। व्यर्थ बातों से रुक जाइए तथा सच्चे वलीउल्लाह

शेष हाशिया :- के सामने (जिसे आप हार्दिक सच्चाई एवं श्रद्धा के साथ मान चुके हैं) यश एवं लाभ का इच्छारूपी घुटना टेक कर बैठिए। न्यायपूर्वक देखिए क्या विशाल लेख लिखा है और ख़ुदा तआला की शिक्षा तथा समझाने से लिखा है न यह कि ज़ैद व उमर की पुस्तकों तथा उनके और अमुक के कथनों से अपने लेख को महत्त्वहीन किया हो। इस मुजद्‌दिद की

क़ुर्आन हो या वह्यी या उच्च स्वर में न पढ़ी जाने वाली हदीस वह ले लो और जिससे रोके अर्थात् किसी वस्तु के प्रयोग न करने के बारे में आदेश दे यद्यपि वह आदेश क़ुर्आन में न हो। उस से रुक जाओ। क़ुर्आन के इस आदेश के निर्देश तथा साक्ष्य से हज़रत इब्ने मसऊद ने वश्म (शरीर को गोदने) पर ला'नत के अज़ाब को जो केवल हदीस में आया है क़ुर्आन में सम्मिलित बताया है। इस पर एक स्त्री उम्मे याक़ूब ने आपत्ति की कि यह लानतपूर्ण बात पवित्र क़ुर्आन में कहीं नहीं है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि जिस स्थिति में हदीस में ला'नत आई है तो आयत وَمَآ اٰتٰـكُمُ الرَّسُوۡلُ فَخُذُوۡهُ[1] के आदेशानुसार यह पवित्र क़ुर्आन में आई है।

अत: सही मुस्लिम में है -

عن عبدالله قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات و المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله قال فبلغ ذٰلك امرأة من بنی اسد يقال لها ام يعقوب و كانت تقرأ القراٰن فاتته فقالت ماحديث بلغنی عنك انك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات

पूंजी तथा सर्वोत्तम पुण्य पवित्र क़ुर्आन है वह उसी से लेता है और उसी से लेकर देता है। वह उन अमलों को जिन पर आप जैसे लोगों को गर्व है और जिसका दूसरा नाम उलेमा के कथन हैं तिरस्कार से देखता है तथा कहता है -

علم آں بود کہ نور فراست رفیق اوست۔ ایں علم تیرہ رابہ پشیزے نمے خرم - एडीटर

① अलहश्र - 8

للحسن المغيرات لخلق الله۔ فقال عبدالله ومالی لا العن من لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم وهو فی کتاب الله عزوجل فقالت امرأة لقد قرات مابین لوحی المصحف فماوجدته فقال لئن کنت قراتیه لقد وجدتیه قال الله عزّوجل وما اتاکم الرسول فخذوه ومانهاکم عنه فانتهوا

जनाब साहिबे हदीस[स.अ.व.] ने इसी क़ुर्आनी वर्णन के अनुसार कहा है -

وعن المقداد ابن معدیکرب قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الا انی اوتیت القرآن ومثله معه الا یوشك رجل شبعان علی اریکة یقول علیکم بهذا القران فماوجدتم فیه من حلال فاحلوه وماوجدتم فیه من حرام فحرموه وانما حرم رسول الله صلی الله علیه و سلم کما حرم الله الا لا یحل لکم الحمار الاهلی ولا کل ذی ناب من اسباع ولا لقطة معاهدالا ان یستغنی عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعلیهم ان یقروه فان لم یقرؤه فله ان یعقبهم بمثل قرأه رواه ابوداؤد۔

तय्यबी ने मिश्कात की शरह (व्याख्या) में लिखा है -

فی هذا الحدیث توبیخ و تقریع ینشأ من غضب عظیم علی من ترك السنة و ماعمل بالحدیث استغنأ عنها بالکتٰب۔

इस हदीस को दारमी ने भी नक़ल किया है तथा इससे यह मसअला निकाला है السنة قاضیة علی کتاب الله अर्थात् हदीस इन क़ुर्आन के मतभेदों का निर्णय करने वाली है जो किताब के विभिन्न अर्थों से जो लोगों के विचार में आते हैं फिर इमाम यह्या बिन अबी

कसीर से नक़ल किया है - قال السنة قاضية علی القرٰان ولیس القرٰان بقاضٍ علی السنة अर्थात् हदीस क़ुर्आन के मतभेदों के कारणों का निर्णय करने वाली है और क़ुर्आन ऐसा नहीं करता कि वह हदीस के मतभेदों के कारणों का निर्णय करे अर्थात् इसलिए कि सेवा सेवक का कार्य है न कि सेव्य का तथा दारमी ने हस्सानरज़ि. से नक़ल किया है قال كان جبرئیل ینزل علی النبی صلعم بالسنة كماینزل علیه بالقرٰان अर्थात् हज़रत जिब्राईल जैसा कि आंहज़रतस.अ.व. पर क़ुर्आन उतारते वैसे ही हदीस। सईद बिन ज़ुबैर से नक़ल किया है - انه حدث یوما بحدیث عن النبی صلعم فقال رجل فی كتاب الله مایخالف هٰذا، قال لا ارانی احدثك عن رسول الله صلی الله علیه و سلم و تعرض فیه بكتاب الله كان رسول الله صلعم اعلم بكتاب اللّٰه منك۔

इमाम शौ'रानी ने 'मन्हजुल मुबीन' में कहा है -

اجتمعت الاُمَّة علی ان السنة قاضیة علی كتاب الله

इन क़ुर्आनी निर्देशों, नबी करीमस.अ.व. के कथन तथा पूर्वजों के लक्षणों की तुलना में आपने जो हदीस तफ़्सीर हुसैनी से नक़ल की है वह विश्वसनीय नहीं है। वह हदीस ज़िन्दीक़ियों अर्थात् छिपे हुए .... मुर्तदों की बनाई हुई है और यदि उस हदीस को कष्ट कल्पना के तौर पर मान लिया जाए तो वह स्वयं अपने लेख को झूठा एवं मिथ्या ठहराने वाली है। हम उस हदीस की दृष्टि से प्रथम उसी को क़ुर्आन पर प्रस्तुत करते हैं तो आयत وماآتاكم الرسول इत्यादि के

आदेशानुसार उसे काल्पनिक पाते हैं। यह बात मैं केवल अपनी राय से नहीं कहता अपितु हदीस के इमामों तथा इमामिया सम्प्रदाय का अनुसरण करने वाले धर्माचार्यों की पुस्तकों में पाता हूं। किताब 'तलवीह' में है

وقد طعن فیه المحدثون بان فی روایة یزید بن ربیعة وھو مجھول۔ وترک فی اسنادہ واسطة بین الاسعث وثوبان فیکون منقطعا۔ وذکر یحی بن معین انه حدیث وضعته الذنادقة۔

मौलाना बहरुल उलूम ने मुसल्लमुस्सबूत की शरह (व्याख्या) में कहा है -

قال صاحب سفر السعادت انه من اشدّالموضوعات قال الشیخ بن حجر العسقلانی قدجاء بطرق لاتخلوعن المقال وقال بعضھم قدوضعته الذنادقة وایضا ھو مخالف لقوله تعالیٰ ماآتاکم الرسول فخذوہ فصحت ھذا الحدیث لیستلزم وضعه وردہ فھو ضعیف مردود

इब्ने ताहिर हनफ़ी साहिब मजमउलबिहार तज़किर: में कहते हैं -

وما اوردہ الاصولیون فی قوله اذاروی عنی حدیث فاعرضوہ علی کتاب اللہ فان وافقه فاقبلوہ وان خالفه ردوہ قال الخطابی وضعته الزنادقة ویدفعه حدیث انی اوتیت الکتب وما یعدله ویروی ومثله وکذاقال الصغانی وھوکما قال انتھٰی۔

क़ाज़ी मुहम्मद बिन अली अल्शोकानी फ़वायद मज्मूअ: में कहते हैं -

اذاروی عنی حدیث فاعرضوہ علی کتاب اللہ فاذا وافقه فاقبلوہ

وان خالفه فردوه۔ قال الخطابی وضعته الذنادقة ویدفعه انی اوتیت القراٰن ومثله معه و کذا قال الصغانی قلت وقد سبقهما الی نسبته الی الزنادقة ابنمعین کماحکاه الذهبی علی ان فی هذاالحدیث الموضوع نفسه مایدل علی رده لانا اذا عرضناه علی کتاب اللّٰہ خالفه ففی کتاب اللّٰہ عزوجل ما اتاکم الرسول فخذوه ومانهاکم عنه فانتهوا۔ ونحوه من الایات انتهٰی۔

और जो हदीस हारिस आ'वर की आपने प्रस्तुत की है वह भी प्रथम तो सही नहीं। जिस किताब मिश्कात से आप ने वह हदीस नक़ल की है उसमें उसकी टीका टिप्पणी मौजूद है जिसे आपने चोरी और बेईमानी से नक़ल नहीं किया। उसमें है

قال الترمذی هذا حدیث اسناده مجهول وفی الحارث مقال۔

इसी प्रकार 'तकरीबुत्तहज़ीब' में हारिस आ'वर को मज्हूल (अज्ञात) कहा है और इस हारिस का हाल यदि 'अस्माउर्रिजाल' पुस्तकों से नक़ल करें तो एक रजिस्टर बन जाए। यह आ'वर भी एक दज्जाल था और यदि कष्ट कल्पना के तौर पर इस हदीस को सही मान लें तो इसके वे अर्थ नहीं जो आपने बतौर अक्षरांतरण किए हैं अपितु उसके अर्थ ये हैं कि लोग शरीअत के तर्कों अर्थात् क़ुर्आन और हदीस को छोड़कर मात्र राय वाली बातों में चिन्तन करें तो इस उपद्रव से मुक्ति कल्पना क़ुर्आन से है तथा हदीसों एवं गत अवशेषों और लक्षणों से प्रकट हो चुका है कि हदीस भी क़ुर्आन के समान है। इस प्रकार उस हदीस के ये अर्थ होंगे कि इस उपद्रव से मुक्ति क़ुर्आन

और हदीस दोनों के अनुसरण से सोची जा सकती है न यह कि हदीस-ए-नबवी उपद्रव है और उससे मुक्ति अभीष्ट है। आपने उस हदीस के अनुवाद में अहादीस के शब्द का अनुवाद हदीसों के शब्द से किया और मुसलमानों को धोखा दिया। सम्पूर्ण विश्व में ऐसा कोई मुसलमान न होगा जो इस कलाम में अहादीस से नबवी हदीसें अभिप्राय लेता हो। यहां अहादीस से लोगों की बातें अभिप्राय हैं जो उसके शब्दकोशीय अर्थ हैं तथा बहुत सी अहादीस-ए-नबविया में ये शब्दकोशीय अर्थ पाए जाते हैं। एक हदीस में है - اياك والظن فان الظن اكذب الحديث एक हदीस में वर्णन है كفابالمرء كذبًا ان يحدث بكل ماسمع यहां भी हदीस से अभिप्राय बात करना है। जिस हदीस में शौच के समय दो व्यक्तियों को परस्पर बातें करने का निषेध आया है उस हदीस में भी يحدثان का शब्द बोला गया है। क्या इन सब हदीसों में हदीस से हदीस-ए-नबवी का अभिप्राय बात करना है कदापि नहीं। आपने उस हदीस आ'वर के अर्थ में अक्षरांतरण करने के समय यह विचार न किया कि हदीस के शब्दकोशीय अर्थ क्या हैं या यह कि जानबूझ कर लोगों को धोखा दिया। हज़रत उमर[रज़ि.] के कथन حسبنا كتاب الله से जो आपने तर्क पकड़ा है इससे यह अभीष्ट नहीं कि सही हदीसें जिनका सही एवं मान्य होना छोड़ कर ख़ुदा की किताब को पर्याप्त समझना चाहिए अपितु इसके अर्थ ये हैं कि जहां हमारे पास सुन्नत-ए-नबविया से कोई विवरण न हो वहां पवित्र क़ुर्आन को पर्याप्त समझेंगे, क्योंकि इस अवस्था में यह बात असंभव है कि

पवित्र क़ुर्आन में इसका पर्याप्त वर्णन न हुआ हो। क़ुर्आन में उसका वर्णन न होता तो आंहज़रत[स.अ.व.] की हदीस में उसका विवरण अवश्य पाया जाता। इस पर स्पष्ट तर्क जिस का कोई मुसलमान इन्कार न करे यह है कि हज़रत उमर फ़ारूक़ ने अपनी सम्पूर्ण आयु में अपने से छोटे स्तर के लोगों की रिवायतों को स्वीकार किया है तथा उन रिवायतों से निस्पृह हो कर किताबुल्लाह पर अमल को पर्याप्त नहीं समझा। इस का विवरण हमारे परिशिष्टों 1887 ई. में पर्याप्त आ चुका। इस स्थान पर उसके कुछ उदाहरणों का वर्णन किया जाता है।

(1) क़ुर्आन करीम में बेटी की विरासत का यह आदेश वर्णन हुआ है कि किसी व्यक्ति की एक बेटी हो तो वह आधे माल की वारिस है। इस क़ुर्आनी आदेश की व्याख्याकार या यों कहें कि विशेष करने वाली आंहज़रत[स.अ.व.] की ये हदीसें हैं। अंबिया के गिरोह का कोई वारिस नहीं होता जिसके दस्तावेज़ से हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ ने हज़रत फ़ातिमा ज़ुहरा को आंहज़रत के शुद्ध माल से विरसा न दिया इसके बावजूद कि उन्होंने मांगा भी तथा आंहज़रत[स.अ.व.] ने बेटी, बेटे इत्यादि वारिसों को इस स्थिति में विरासत से वंचित ठहराया है जबकि वे अपने मूरिस (जिस से विरसा मिला हो) को क़त्ल कर दे या वारिस और मूरिस के धर्म में मतभेद हो जाए हज़रत उमर फ़ारूक़ ने उन हदीसों को स्वीकार किया और उन पर अमल किया और उन हदीसों से निस्पृह होकर विरसे की आयत के अमल को पर्याप्त न समझा।

(2) पवित्र क़ुर्आन में उन स्त्रियों को जिन का निकाह पुरुष पर

अवैध है गिन कर कहा है وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ[1] अर्थात् उन स्त्रियों के अतिरिक्त जिनसे निकाह के अवैध होने का आदेश क़ुर्आन में वर्णन हुआ है तुम पर सब स्त्रियां वैध हैं। क़ुर्आन के इस आदेश की व्याख्या या यों कहें कि उसे विशेष्य करने में आंहज़रत[स.] का यह उपदेश है कि पत्नी की ख़ाला (मासी) और फूफी पत्नी से निकाह की स्थिति में निकाह में न लाई जाए। अत: कहा है لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها आंहज़रत[स.] के समस्त सहाबा ने जिन में हज़रत उमर[रज़ि.] भी सम्मिलित हैं इस हदीस-ए-नबवी को स्वीकार किया है और उस को क़ुर्आन की विरोधी समझ कर उस के अमल से निस्पृहता तथा क़ुर्आन पर अमल करने को पर्याप्त नहीं समझा।

फ़ाज़िल क़ंधारी ने किबात 'मुग़तनिमुल हुसूल' में कहा है

ان الصحابة خصّصوا واحل لكم ما وراء ذالكم بلا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ويوصيكم الله فى اولادكم ولايرث القاتل ولايتوارثان اهل الملتين ونحن معشر الانبياء لا نرث ولا نورث۔

(3) हज़रत उमर फ़ारूक़ ने एक यायावर रिवायत करने वाले की उस हदीस को स्वीकार किया जिसमें वर्णन है कि आंहज़रत[स.अ.व.] ने एक स्त्री को उसके पति की दियत** का वारिस किया, इसके बावजूद

---

① अन्निसा - 25

** दियत - वह नक़द राशि जो क़त्ल किए गए व्यक्ति के वारिस क़त्ल करने वाले से लें (ख़ून का बदला) अनुवादक।

कि पवित्र क़ुर्आन उस स्त्री को दियत का वारिस नहीं बनाता क्योंकि वह दियत मृत्योपरान्त पति का माल होता है और स्त्री पति की मृत्योपरान्त उसकी स्त्री नहीं रहती तथा इसी प्रकार हज़रत उमर फ़ारूक़ की राय यह थी कि वह स्त्री उस माल से विरासत की अधिकारी नहीं, परन्तु जब आप को उपरोक्त हदीस ज्ञात हुई तो अपनी राय को त्याग दिया और हदीस को स्वीकार किया।

كان عمر بن الخطاب يقول الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا حتى قال له الضحّاك بن سفيان كتب الى رسول الله صلعم ان ورث امرأة اشيع الضبابي من دية زوجها فرجع عمر رواه الترمذی وابوداؤد۔

(4) दियत जनीन की हदीस को दो व्यक्तियों के बयान तथा साक्ष्य से आप ने स्वीकार किया और इस बात में पवित्र क़ुर्आन के ख़ून के बदले ख़ून के आदेश को पर्याप्त न समझा।

عن هشام عن ابيه ان عمر بن الخطاب نشد الناس من سمع النبیؐ قضى فی السقط فقال المغيرة انا سمعته قضى فی السقط بغرة عبداوامة قال ائت من يشهد معك على هذا فقال محمد بن مسلمة انا اشهد على النبی صلعم بمثل هذا رواه البخاری صفحه ۱۰۲۰۔

وزاد ابوداؤد فقال عمر بن الخطاب الله اكبر لو لم اسمع بهذا لقضينا بغير هذا۔

(5) सब ही उंगलियों के ख़ून के बदले के बराबर होने की हदीस

आपने स्वीकार की। इसके बावजूद कि इस बारे में आपकी राय यह थी कि छोटी उंगली तथा उसके साथ वाली उंगली के बारह ऊंट, अंगूठे के पन्द्रह ऊंट तो प्रत्यक्षतः उनकी विभिन्न शक्तियों एवं मात्रा की दृष्टि से न्यायसंगत विदित होती है जिसका क़ुर्आन में आदेश है किन्तु आप ने हदीस सुनी तो स्वीकार की तथा क़ुर्आन से उसके अनुकूल करने की परवाह न की। सही बुख़ारी पृष्ठ 1018 में है -

عن النبی صلعم قال هذه وهذه یعنی الخنصر والابهام سواء

और मुसल्लमुस्सबूत की व्याख्या "फ़वातहुर्रहमूत" में है।

وترك عمر رأيه فى دية اصابع وكان رأيه فى الخنصر والبنصر تسعًا وفى الوسطیٰ وفى المسبحة اثنا عشر و فى الابهام خمسة عشر كل ذٰلك فى التيسير قال الشارح و كذا ذكر غيره والذى فى روايته البيهقى انه كان يرى فى المسبحة اثنا عشر و فى الوسطى ثلث عشر بخبر عمر بن حزم فى كل اصبع عشر من الابل۔

इस विषय के अन्य बहुत से उदाहरण हैं किन्तु हम आप की तरह विस्तार पसन्द नहीं करते। इन उदाहरणों को देखकर हर प्रकार का व्यक्ति इस शर्त के साथ कि कुछ समझ और न्याय रखता हो कदापि न कहेगा कि हज़रत उमर ने जो कहा है कि हमें ख़ुदा की किताब पर्याप्त है। इस से अभिप्राय यह है कि हमें हदीस-ए-नबवी की आवश्यकता नहीं और उसके स्थान पर क़ुर्आन पर्याप्त है और न यह अभिप्राय है कि जब तक किसी हदीस की साक्ष्य क़ुर्आन में न पाई

जाए वह स्वीकार करने योग्य नहीं अपितु उस से अभिप्राय केवल वही है जो हमने वर्णन किया कि जिस समस्या में सही सुन्नत से कोई विवरण न हो वहां पवित्र क़ुर्आन पर्याप्त है हज़रत उमर के कथन के स्थान को देखा जाए तो उस से भी यही अर्थ समझ में आते हैं परन्तु उसकी बहस और विवरण के लिए विस्तार करना पड़ता है क्योंकि उसमें शिया-सुन्नियों के परस्पर मतभेदों को जो उस कथन के सम्बन्ध में पाया जाता है का वर्णन करना पड़ता है जिससे अभीष्ट बहस से बाहर जाना अनिवार्य हो जाता है। आपने सहीहैन की हदीस के कमज़ोर होने तथा तिरस्कार की संभावना पर एक यह तर्क प्रस्तुत किया है कि पवित्र क़ुर्आन में उपदेश है कि जब कोई पापी तुम्हारे पास कोई सूचना लाए तो उसकी पड़ताल करो। आपका यह तर्क भी अनभिज्ञता का एक प्रमाण है। सहीहैन की हदीसों के रावी (वर्णनकर्ता) पाप के लांछन से बरी हैं और उनका न्याय मान्य और सिद्ध हो चुका है। इस दृष्टि से उन किताबों की हदीसें अहले इस्लाम की सहमति के साथ सही स्वीकार की गई हैं। इमाम इब्ने हजर 'फ़त्हुलबारी' की भूमिका में कहते हैं

ينبغی لكل منصف ان يعلم ان تخرج صاحب الصحيح لای راوی كان مفض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سيما الی ذلك من اطلاق جمهورالائمة علی تسمية الكتابين بالانصاف بالصحيحين وهذا لمعنٰی لم يحصل بغير من خرج عنه فی الصحيحين فهو نهاية اطباق الجمهور

على تعديل من ذكر فيهما هذا اذا اخرج له فى الاصول فاما ان اخرج فى المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من اخرج له فى الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم وحينئذٍ اذا وجد نالغيره فى احدمنهم طعنا فذالك الطعن مقابل للتعديل لهذا الامام فلا يقبل الامبين السبب مفتقرا بقادح يقدح فى عدالته هذا الراوى و فى ضبطه مطلقا او فى ضبطه الخبر بعينه لان الاسباب الحاملة للائمة على الجرح متفاوتة منهاما يقدح و منها ما لا يقدح وقد كان الشيخ ابوالحسن المقدسى يقول فى الرجل الذى يخرج عنه فى الصحيح هذا جاز القنطرة يعنى بذالك انه لايلتفت الى ماقيل فيه قال الشيخ ابو الفتح القشيرى فى مختصره وهٰكذا معتقدوبه اقول ولا يخرج عنه الالحجة ظاهرة و بيان شياف يزيد فى غلبة الظن على المعنى الذى قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين ومن لوازم ذٰلك تعديل رواتهاقلت فلايقبل الطعن فى احدمنهم الابقادح واضح

इसकी तुलना में जो आप ने लिखा है कि संभावित तौर पर नबी के अतिरिक्त झूठ इत्यादि पाप का हो जाना प्रत्येक व्यक्ति से संभव है। यह आपकी अनभिज्ञता पर एक और प्रमाण है। आप यह नहीं जानते कि रिवायत और साक्ष्य का आदेश एक है जिसमें झूठ का क्रियात्मक तौर पर होना स्वीकारिता एवं विश्वसनीयता में बाधक है न

कि संभावित और यदि संभावित झूठ भी स्वीकार करने तथा विश्वास करने में बाधक होता तो ख़ुदा तआला किसी साक्षी की साक्ष्य निष्पाप नबी के अतिरिक्त स्वीकार न करता और न गवाहों के न्याय का नाम लेता तथा मुसलमानों को यह अनुमति न देता

وَاَشۡهِدُوۡا ذَوَیۡ عَدۡلٍ مِّنۡكُمۡ ①

अर्थात् दो न्याय करने वाले गवाह बनाओ तथा यह न कहता -

مِمَّنۡ تَرۡضَوۡنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ ②

अर्थात् उन लोगों को गवाह बनाओ जिन को पसन्द करो अर्थात् उनको न्याय और दृढ़ता की दृष्टि से अच्छा समझो। अपितु स्पष्ट तौर पर यह प्रकट किया कि प्रत्येक मामले में निष्पाप नबी को साक्षी बना लिया करो, क्योंकि झूठ की संभावना इत्यादि पाप आप के कथनानुसार नबी निष्पाप के अतिरिक्त प्रत्येक गवाह में मौजूद हैं तथा आशा है कि यह बात आप भी न कहेंगे कि झूठ की संभावना की दृष्टि से निष्पाप नबी के अतिरिक्त किसी की साक्ष्य मान्य नहीं। फिर इस झूठ की संभावना की दृष्टि से हदीसों की रिवायत अविश्वसनीय क्यों ठहराते हैं। आप के ऐसे तर्कों एवं कथनों से ज्ञात होता है कि आपको हदीस की कला के कूचे से सर्वथा अज्ञानता है। आपकी हदीस की पुस्तकों पर संयोगवश भी दृष्टि नहीं पड़ी। सही मुस्लिम का पृष्ठ-6 यदि आप की दृष्टि से गुज़रा होता तो इस आयत से अपने दावे पर कदापि तर्क न करते। यह आयत तो इस बात का प्रमाण है कि जब वर्णन करने

① अत्तलाक़ - 3 ② अलबक़रह - 283

वालों या नकल करने वालों के प्रत्यक्ष सत्य और न्याय का हाल ज्ञात न हो तो उनको बिना जांच-पड़ताल स्वीकार न करो, न यह कि जिन का सत्य एवं न्याय तुम पर सिद्ध हो उनको रिवायत के नक़ल करने में इस विचार से कि उनसे झूठ का हो जाना संभव है बिना नवीन जांच-पड़ताल स्वीकार न करो।

सही मुस्लिम पृष्ठ 6 में है -

واعلم وفقك الله ان الواجب على كل احد عرف التميز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات ناقلين لها من المتهمين ان لا يروى منها الا ماعرف صحة مخارجه والستارة فى ناقليه وان يتقٰى منها ما كان منها عن اهل التهم والمعاندين من اهل البدع والدليل على ان الذى قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله تبارك و تعالىٰ ذكره ياايها الذين اٰمنوا ان جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين وقال جل ثناء ه ممن ترضون من الشهداء وقال واشهدوا ذوى عدل منكم مدل بماذكرنا من هذه الاٰىِ ان خبر الفاسق ساقط نجر مقبول و ان شهادة غير العدل مردودة والخبران فارق معناه معنى اشهاده فى بعض الوجوه فقد يجتمعان فى اعظم معنيهما اذكان خبر الفاسق غير مقبول عند اهل العلم كما ان شهادته مردودة عند جميعهم

मेरे इस प्रश्न के उत्तर में कि पवित्र क़ुर्आन को सही हदीसों के

विश्वसनीय होने का मापदण्ड ठहराने में आप का कोई व्यक्ति या इमाम सहमत है तो आप ने कहा कि समस्त मुसलमान जो क़ुर्आन को इमाम जानते हैं और उस पर ईमान रखते हैं इस मसअले में मुझ से सहमत हैं और विशेषत: तफ़्सीर-ए-हुसैनी के लेखक या शैख़ मुहम्मद असलम तूसी मेरा समर्थक है जिन्होंने आंहज़रत[स.अ.व.] के उस आदेश से कि जो कुछ मुझ से रिवायत करो उसे ख़ुदा की किताब पर प्रस्तुत करो हदीस من ترك الصلٰوة متعمدا فقد كفر को पवित्र क़ुर्आन पर प्रस्तुत किया तथा तीस वर्ष के उपरान्त इस आयत -

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ[1]

के अनुसार पाया तो उस हदीस को स्वीकार किया।

इस से पहले भाग का उत्तर तो पीछे गुज़र चुका है कि मुसलमानों का क़ुर्आन को इमाम मानना और उस पर ईमान लाना यह नहीं चाहता कि वे कोई सही हदीस जब तक कि उसको क़ुर्आन पर प्रस्तुत न करें अपितु वह ईमान उनको यह शिक्षा देता है कि वह हदीस को जब उसका सही होना रिवायत के नियमानुसार सिद्ध हो तो तुरन्त स्वीकार करें और उसे पवित्र क़ुर्आन के समान अमल करने योग्य समझें, केवल पवित्र क़ुर्आन को पर्याप्त समझ कर** उस हदीस से लापरवाही

① अर्रूम : 32

** इस धृष्टता एवं चपलता की भी कोई सीमा है ! हे ईमान वालो हे ख़ुदा के पवित्र कलाम के प्रेमियो ! तुम्हारे शरीरों पर रोंगटे खड़े नहीं होते, तुम्हारे हृदय नहीं दहल जाते ! कैसा अन्धेर पड़ गया ! पवित्र क़ुर्आन को अपर्याप्त, अपूर्ण तथा शासन चलाने के योग्य नहीं समझा जाता। वह किताब जिसने उच्च स्वर में दावा किया कि मैं पूर्ण निगरान तथा समस्त सच्चाइयों और समस्त

न करें। रहा उत्तर दूसरे भाग का कि साहिब-ए-तफ़्सीर हुसैनी या शेख़ मुहम्मद असलम तूसी ने आपकी आस्था के अनुकूल अमल किया है और हदीस من ترك الصلٰوة متعمدا को स्वीकार न किया जब तक कि उस को आयत اقيموا الصلٰوة के अनुसार तथा अनुकूल न पाया। अत: इस का उत्तर यह है कि साहिबे हुसैनी या शेख़ मुहम्मद असलम तूसी के कलाम का मतलब वर्णन करने में आपने दो कारणों से धोखा खाया अथवा जानबूझ कर मुसलमानों को धोखा देना चाहा है। प्रथम कारण यह कि साहिब-ए-तफ़्सीर हुसैनी या शेख़ मुहम्मद असलम तूसी ने आप की तरह यह सामान्य नियम नहीं ठहराया कि सही हदीसें जो मान्य हैं के सही सिद्ध हो जाने के पश्चात् उसके सही होने की परीक्षा उस नियम से की जाए और जब तक वह हदीस

शेष हाशिया- धार्मिक आवश्यकताओं पर व्याप्त एवं पूर्ण किताब हूं तथा मैं शासन और न्याय करने वाली हूं। उद्दण्डता देखो तो अपर्याप्त कहा जाता है। कोई इस धृष्ट गिरोह से पूछे कि यदि क़ुर्आन को किसी पूर्ति, पूरक, परिशिष्ट की आवश्यकता थी तो क्यों साहिब-ए-वह्यी (आंहज़रत[स.]) जो क़ुर्आन के उतरने का स्थल थे अलैहिस्सलातो वस्सलाम के युग में उनके आदेश से क़ुर्आन के अतिरिक्त तथा उनके प्रवचनों को लिखने की पूर्ण एवं कड़ी व्यवस्था न की गई क्यों आप ने स्पष्टतापूर्वक न कह दिया कि क़ुर्आन (ख़ुदा की शरण चाहते हैं) संक्षिप्त और अपर्याप्त है। हदीसें अवश्य, अवश्य ही लिख लिया करो अन्यथा क़ुर्आन अधूरा, अपूर्ण और निरर्थक रह जाएगा। अल्लाह-अल्लाह ! क़ुर्आन का तो वह प्रबन्ध हो कि केवल एक आयत के उतरने के लिखने वाले तैयार बैठे हों तथा हड्डियों और पत्तों इत्यादि पर तुरन्त लिख लें और हदीसों के प्रबन्ध की किसी को परवाह न हो। खेद जिस बात का इतने ज़ोर से स्वयं साहिब-ए-हदीस ने नहीं किया आप लोग उससे बढ़कर क्यों पग उठाते हैं। पवित्र क़ुर्आन के बारे में नि:सन्देह दावा किया गया है وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا हदीसों के सम्बन्ध में यह ललकार और यह दावा कहां किया गया है। अत: विचार करो। (एडीटर)

क़ुर्आन के अनुकूल न हो उसे सही नहीं समझना चाहिए। उनके कलाम में इस सामान्य नियम का नाम व निशान भी नहीं है और न आपने यह सामान्य नियम उनसे नक़ल किया है। उन्होंने केवल एक हदीस من ترك الصلٰوة को क़ुर्आन पर प्रस्तुत किया और यदि उस हदीस के अतिरिक्त अन्य हदीसों को भी उन्होंने इसी उद्देश्य के द्वारा सही ठहराया है तो आप उनसे यह बात नक़ल करें, सही सिद्ध करें अन्यथा आप पर यह आरोप क़ायम है कि आप आंशिक घटना को सामान्य नियम बनाते हैं तथा स्वयं धोखा खाते और मुसलमानों को धोखा देते हैं। इस पर यदि यह प्रश्न करो कि उन के निकट सामान्य रिवायतों को सही करने का यह नियम निर्धारित न था तो उन्होंने इस हदीस من ترك الصلٰوة को क़ुर्आन पर क्यों प्रस्तुत किया तो उत्तर यह है कि उस हदीस के सही होने के अर्थों में उन्हें कुछ सन्देह होगा।* उस सन्देह का निवारण करने के उद्देश्य से उन्होंने ऐसा किया या यह कि सही मानने तथा सन्देहरहित होने में उन्होंने अतिरिक्त सन्तोष प्राप्त करने के लिए ऐसा किया और उस हदीस की आस्था को और दृढ़ किया इसके उत्तर में यदि यह कहो कि इस समस्या का सामान्य नियम होना स्वयं उस हदीस के शब्दों से सिद्ध है। इस स्थिति में यह नियम जैसे आंहज़रत का बनाया हुआ नियम हुआ। तो इसका उत्तर यह है

* **हाशिया :** दर्शक मौलवी साहिब की इस "होगा" को भली भांति स्मरण रखें। आप ने इसी **होगा** के कारण मिर्ज़ा साहिब पर आपत्ति की है। यहां आपने न मालूम "होगा" को किस प्रकार के विश्वास का सिद्ध करने वाला ठहराया है। एडीटर

कि उस हदीस का आंहज़रत से सिद्ध न होना अपितु ज़िन्दीक़ों,* छिपे काफ़िरों की बनावट होना भली भांति सिद्ध हो चुका है। इसलिए इस मामले का नबवी आदेश से सामान्य नियम होना सिद्ध नहीं हो सकता। दूसरा कारण यह है कि साहिबे तफ़्सीर हुसैनी या शेख़ मुहम्मद असलम तूसी के कलाम में यह स्पष्टीकरण नहीं है कि जब तक शेख़ तूसी ने उस हदीस को आयत اقيموالصلٰوة के अनुकूल न कर लिया था तब तक उसे ग़ैर सही या काल्पनिक समझा था या तीस वर्ष की अवधि तक उस हदीस के सही होने या सही न होने के सम्बन्ध में कोई निर्णय न किया था क्यों वैध नहीं कि वे उस हदीस को मान चुके थे परन्तु अतिरिक्त सन्तोष के लिए वे तीस वर्ष तक पवित्र क़ुर्आन से उसका अनुकूल होना ढूंढते रहे। आप सच्चे हैं तो इस आशंका को तर्क द्वारा दूर करें तथा नक़ल के साथ स्पष्टत: सिद्ध करें कि शेख़ तूसी तीस वर्ष तक उस हदीस को ग़ैर सही या काल्पनिक समझते रहे या उस के सही होने के असमंजस तथा متوقف रहे। इस आशंका को तर्कों द्वारा दूर करके इस बात को स्पष्ट नक़ल से सिद्ध किए बिना

* **हाशिया :** हे बेचारे ग़रीब मसलमानो ! हे अल्लाह के सच्चे निष्कपट लोगो ! तुम्हें ज़िन्दीक़ (नास्तिक), कपटाचारी तथा गुप्त काफ़िर केवल इस कारण कहा गया कि तुम ने ख़ुदा के कलाम का सम्मान किया, उसकी वास्तव में बड़ाई की। तुम ने यह कहा कि ख़ुदा की किताब के विपरीत जो हदीस हो वह विश्वसनीय नहीं। तुम ने यह बड़ा अन्याय किया कि पवित्र क़ुर्आन को हदीस के सही होने का मापदण्ड ठहराया। प्रिय सज्जनो ! अत्याचारियों ने तुम्हें इस अपराध पर काफ़िर तथा और क्या कुछ नहीं कहा। नहीं, नहीं तुम क़ुर्आन का हमारे प्रियतम का सम्मान करने वाले हो। तुम हमारे मुकुट हो, आओ तुम्हें सर आंखों पर बैठाएं। क़ुर्आन के गुप्त शत्रु तुम्हें जो चाहे कहें, परन्तु हम तो तुम्हें सच्चा मुसलमान जानते और विश्वास करते हैं। (एडीटर)

आप का उस तूसी के कथन से प्रमाणित करना तथा उस पर यह निवेदन करना कि मैंने एक व्यक्ति का नाम अपने सहपंथियों में से बता दिया। अब आप हठ छोड़ दें। बड़े आश्चर्य का स्थान है तथा लज्जा का कारण ثبت العرش ثم النقش आप शेख़ मुहम्मद असलम तूसी द्वारा इस प्रस्तुति को सामान्य नियम का हदीसों का सही होना या तीस वर्ष का विशेषतः हदीस من ترك الصلٰوة के सही होने के बारे में विलम्ब रखना सिद्ध करें तब हमारे इन्कार को हठ कहें। यह न हो सके तो उस हदीस का सही होना ही सिद्ध करें फिर हम मुहम्मद असलम तूसी से उन बातों का प्रमाण उपलब्ध कराने की मांग नहीं करेंगे और उस हदीस को जिस का विषय स्वयं एक नियम है स्वीकार करके अपने इन्कार से लौट जाएंगे, ख़ुदा की क़सम, पुनः ख़ुदा की क़सम फिर ख़ुदा की क़सम, ख़ुदा पर्याप्त साक्षी है और ख़ुदा पर्याप्त वकील है और यदि आप हदीस का सही होना सिद्ध न कर सके या शेख़ तूसी से उपरोक्त बातें स्पष्टतः नक़ल के द्वारा सिद्ध न करें तो आप अपने नवीन* घड़े हुए नियम पर आग्रह एवं हठ छोड़ दें। अधिक हम क्या कहें।

---

* **हाशिया :** मोमिनों और ख़ुदा का भय करने वाले दर्शकों पर स्पष्ट रहे कि मौलवी साहिब मिर्ज़ा साहिब के उस नियम को कि "क़ुर्आन करीम हदीसों के सही होने का मापदण्ड है।" नवीन स्वयं बनाया हुआ नियम ठहराते हैं। निःसन्देह मिर्ज़ा साहिब का बड़ा भारी अपराध है कि वह मतभेद के समय पवित्र क़ुर्आन को हकम ठहरा देते हैं। मौलवी साहिब इस पर जितना भी क्रोध करें उचित है। खेद मौलवी साहिब। एडीटर।

(5) आप लिखते हैं क्या आप पवित्र क़ुर्आन की उन विशेषताओं के बारे में कि वह कसौटी, मापदण्ड और तुला है कुछ सन्देह में हैं। यह पूर्णतया धोखा देना है और वह अपने पर्चा नं. में मेरा यह इक़रार कि मैं क़ुर्आन को इमाम जानता हूं तथा सहीहैन की हदीसों को क़ुर्आन के समान नहीं समझता। नक़ल करने के पश्चात् यह पूछना एक झूठ बांधना है जिस का उद्देश्य अपने अज्ञानी दर्शक मुरीदों को मेरी ओर से कुधारणा पैदा करना है और यह अवगत कराना है कि यह व्यक्ति क़ुर्आन को नहीं मानता। इस का उत्तर मैं पहले भी दे चुका हूं कि जो व्यक्ति क़ुर्आन को हकम (मध्यस्थ) और इमाम न माने वह काफ़िर है। अब पुनः कहता हूं कि क़ुर्आन हमारा हकम, इमाम, तुला, मापदण्ड तथा सत्य और असत्य में अन्तर करने वाला कथन इत्यादि है किन्तु आप अपने से अतिरिक्त पर अर्थात् लोगों के परस्पर मतभेदों तथा विवादों पर जो राय पर आधारित हों तथा सही हदीस तो क़ुर्आन की सेवक, व्याख्याकार तथा अमल की अनिवार्यता में क़ुर्आन के समान है। वह इस से विपरीत एवं विवादित नहीं तथा किसी मुसलमान का उसे सही स्वीकार करने में मतभेद नहीं तो फिर क़ुर्आन उस के सही होने का हकम, मापदण्ड तथा कसौटी क्योंकर हो सकता है। हे ख़ुदा की प्रजा ! ख़ुदा से डरो ! मुसलमानों को धोखे में न डालो। क़ुर्आन और सही हदीस एक ही वस्तु हैं और एक-दूसरे का सत्यापन करने वाले हैं। अतः एक दूसरे के लिए कसौटी तथा मापदण्ड होना क्या अर्थ रखता है।* आप

* मौलवी साहिब ! होश से बोलिए। आप दुहाई क्यों देते हैं। मिर्ज़ा साहिब कब कहते हैं कि

लिखते हैं कि किसी हदीस का काल्पनिक होना और बात है, कमज़ोर होना और है तथा मैंने इमाम बुख़ारी को सही मुस्लिम की हदीस-ए-दमिश्क़ी के कमज़ोर होने का मानने वाला ठहराया है। उन्होंने उस हदीस की रिवायत को छोड़ दिया तो इस से मुझे विदित हुआ कि उन्होंने उस हदीस को कमज़ोर समझा है जिसका काल्पनिक होने से कोई सम्बन्ध नहीं। इस कथन में एक तो आप ने धोखा दिया है दूसरे आपने अपनी अनभिज्ञता प्रकट की है। धोखा यह कि यहां आप कमज़ोर और काल्पनिक में अन्तर को स्वीकार करते हैं, हालांकि आप के निकट जो

सही हदीस क़ुर्आन की विरोधी होती है। मिर्ज़ा साहिब का कथन यह है कि प्रत्येक हदीस को पवित्र क़ुर्आन की कसौटी पर कसना चाहिए जो इस परीक्षा में पूरी उतरे वह सही होगी और फिर वह अनिवार्य तौर पर क़ुर्आन का सत्यापन करने वाली होगी तथा क़ुर्आन और उस का विषय परस्पर अनुकूल होगा। आप का इस प्रकार चिल्लाना व्यर्थ है। मौलवी साहिब कहते हैं कि फिर "उसके सही होने का क़ुर्आन क्योंकर मापदण्ड और हकम बन सकता है।" हम कहते हैं कि वह सही तब ही होगी जब क़ुर्आन के मापदण्ड के अनुसार पूरी सिद्ध होगी। पहले उसका सही होना तो सिद्ध होना चाहिए। बात तो बड़ी सरल है कुछ थोड़ा ही सा फेर है मौलवी साहिब यदि विचार करें तो शायद समझ जाएँ। स्मरण रखिए कि क़ुर्आन की व्याख्याकार एवंसेवक भी वही हदीस हो सकेगी जो क़ुर्आन की तुला में पूरी उतरेगी। मौलवी साहिब ! बताइए तो आपको इस व्यर्थ पच ने क्यों पकड़ रखा है। कहीं क़ुर्आन के अतिरिक्त किसी अन्य पुस्तक या संग्रह के बारे में कहा गया है ? यह कलाम जिसका साहित्य उच्च स्वर में पढ़ा जाने वाला न हो तथा भिन्न-भिन्न मुखों की श्वासों से मिलकर दाखिल और ख़ारिज हुआ हो कभी सुरक्षित रह सकता है जाने दो व्यर्थ हठ को। एडीटर

हदीस क़ुर्आन के अनुकूल न हो वह काल्पनिक है और रसूल का कलाम होने से बाहर, न कि अन्य प्रकार की कमज़ोर। यही कारण है कि आप अपने पर्चा नं. में ऐसी हदीसों को कभी काल्पनिक कहते हैं, कभी ग़ैर सही और कमज़ोर। जिस से स्पष्ट तौर पर सिद्ध है कि आप की परिभाषा में काल्पनिक और कमज़ोर एक है तथा सही मुस्लिम की दमिश्क़ी हदीस को भी आप पवित्र क़ुर्आन की विरोधी समझते हैं और इज़ाला औहाम में उसके मतभेदों के कारण बड़े ज़ोर से वर्णन कर चुके हैं। इसलिए वह आपके निकट काल्पनिक है न कि अन्य प्रकार की कमज़ोर। यहां आप इस आस्था से अवगत करा के मुसलमानों को धोखा देते हैं। जिस अनभिज्ञता को आपने प्रकट किया है वह यह है कि मुस्लिम की सही रिवायत को इमाम बुख़ारी के छोड़ देने से आपने यह विवेचना की है कि उन्होंने उस हदीस को कमज़ोर ठहराया है, सही समझते तो वह उसे अवश्य ही अपनी किताब में लाते।

यह बात वही व्यक्ति कहेगा जिसे हदीस के कूचे में भूले से भी कभी गुज़र नहीं हुआ होगा। इमाम बुख़ारी ने बहुत सी सही हदीसों का अपनी पुस्तक में वर्णन नहीं किया तथा यह कह दिया है कि मैंने उन्हें विस्तार के भय के कारण छोड़ दिया है।* सही बुख़ारी की भूमिका में है :-

* इस असभ्यता और झूठ बांधने का जो आदरणीय इमाम बुख़ारी के बारे में उस नादान मित्र ने किया है हज़रत मिर्ज़ा साहिब का उत्तर ध्यानपूर्वक देखें। मौलवी साहिब आप ने बुख़ारी को धर्म के एक बहुत बड़े सही भाग का जानबूझ कर छोड़ने वाला कहा है كبرت كلمة تخرج من افواههم मेरे ख़ुदा इन मित्रों से सुरक्षित रखना। (एडीटर)

وروی من جھات عن البخاری قال صنفت کتاب الصحیح بِستّ عشر سنة اخرجته من ستة مأیة الف حدیث وجعلته حجة بینی و بین اللّٰہ۔ وروی عنه قال رأیت النبی صلعم فی المنام و کأنی واقفت بین یدیه وبیدی مروحة اذب عنه فسألت بعض المعبرین فقال انت تذب عنه الکذب فھو الذی حملنی علی اخراج الصحیح۔ وروی عنه قال ما ادخلت فی کتاب الجامع الا ماصح و ترکت کثیرا من الصحاح لحال الطول۔*

---

* मौलवी साहिब ! इन नक़ल किए गए वक्तव्यों को जिन पर वास्तव में हज़रत इमाम बुखारी की कोई मुहर या हस्ताक्षर नहीं कौन असभ्य स्वीकार कर सकता है उस कठोर एवं अनुपम आरोप के सामने जो बुख़ारी[रह.] पर लगता है (ऐसी अवस्था में इन उद्धरणों को वास्तव में बुख़ारी से नकल किया हुआ स्वीकार किया जाए) कि उसने बुख़ारी धर्म के अधिक से अधिक भाग को तथा सही और प्रमाणित भाग को अर्थात् नबी[स.अ.व.] के कलाम को जिसका प्रचार उस पर अनिवार्य था जान बूझ कर सुस्ती तथा आलस्य के कारण त्याग दिया और विस्तार के भय का नितान्त अधम तथा न सुनने योग्य बहाना प्रस्तुत कर दिया। ध्यान में लाओ। इन कठिन परिश्रमों और लम्बे संकटों को जिन्हें विस्तारपूर्वक सुनने से एक दृढ़संकल्प व्यक्ति की रूह कांप उठती है तथा जिन्हें हज़रत इमाम बुख़ारी ने हदीसों के संकलन के लिए विभिन्न यात्राओं में पसन्द किया तथा उन युगों में दुर्गम मरुस्थलों की यात्रा की, जबकि पग-पग पर मृत्यु की आशंका थी और फिर जब कई लाख हदीसों को एकत्र करके उन में से एक लाख सही छांटीं "तो नेकी कर और दरिया में डाल" की कहावत पर अमल करके अकारण किसी प्राथमिकता के चार हज़ार को रख लिया और शेष छियानवे हज़ार को नष्ट कर दिया !!! ابلہ گفت دیوانہ باور کرد हे निष्ठुर एवं क्रूर मौलवियो ! तुम्हें किसने धर्म का

शेष हाशिया- समर्थन करना सिखाया। तुम ख़ुदा का, उसके चुने हुए रसूल के आदरणीय सेवकों का अपमान कर रहे हो। وَّلٰكِنۡ لَّا تَشۡعُرُوۡنَ[1] सच है ख़ुदा के वलियों के मुकाबले में जो लोग आएं अल्लाह तआला उनके हृदयों को विकृत कर देता है, उनकी अक़्लें भ्रष्ट

इमाम बुख़ारी से यह भी नक़ल किया गया है कि मुझे दो लाख हदीसें ग़ैर सही और एक लाख हदीसें सही स्मरण हैं। इसके बावजूद कि सही बुख़ारी में चार हज़ार हदीसें नक़ल की गई हैं जिन से सिद्ध होता है कि छियानवे हज़ार और हदीसें इमाम बुख़ारी के निकट सही हैं जिन्हें वह अपनी पुस्तक में नहीं लाए -

وجملة ما فی الصحیح البخاری من الاحادیث المسندة سبعة الاف ومئتان و خمسة و سبعون حدیثا بالاحادیث المکررة و بحذف المکررة نحو اربعة الاف کذا ذکر النووی فی التهذیب والحافظ بن حجر فی مقدمة فتح الباری۔

शेख़ अब्दुल हक़ ने शरह मिश्कात की भूमिका में कहा है -

ونقل عن البخاری انه قال حفظت من الصحاح مائة الف حدیث ومن غیر الصحاح مأتی الف۔

इस से स्पष्ट तौर पर सिद्ध है कि इमाम बुख़ारी का किसी सही हदीस के वर्णन को त्यागना इस बात को सिद्ध नहीं करता कि उन्होंने उसे कमज़ोर (ज़ईफ़) ठहरा दिया है। इमाम बुख़ारी का प्रमाणित हदीस को त्यागना कमज़ोरी का कारण क्योंकर हो सकता है। इमाम मुस्लिम ने स्वयं अपनी किताब में बहुत सी हदीसों को जिन्हें वे सही समझते हैं वणन नहीं किया। जैसा कि 'शरह मिश्कात' की भूमिका में है -

---

हो जाती हैं। हे मेरे दयालु स्वामी ! हमें इससे सुरक्षित रखना कि हम तेरे चुने हुए रसूलों से लड़ाई करें। (एडीटर)

① अलबक़रह - 155

قال مسلم الذی اوردت فی ھذا الکتب من الاحادیث صحیح ولااقول ان ماترکت ضعیف۔

इमाम मुस्लिम ने स्वयं अपनी किताब सही में कहा है -

لیس کل شیٔ عندی صحیح وضعتہ ھنا یعنی فی کتاب الصحیح وانما وضعت ھھنا ما اجمعوا علیہ

आप हृदय में सोचकर न्याय से कहें कि इमाम बुख़ारी या स्वयं इमाम मुस्लिम की किसी हदीस के वर्णन को छोड़ देने से यह कहां अनिवार्य होता है कि वह हदीस उनके अनुसार सही न हो। आप ऐसी निरर्थक बातें कहकर यह प्रकट कर रहे हैं कि हदीस की कला से आपको कोई संबंध तथा कुछ ज्ञान नहीं। इस धोखा देने तथा अनभिज्ञता के आरोप को आप मानें चाहे न मानें आप की बातों से यह तो सिद्ध होता है कि जिसको मानने से आपको भी इन्कार नहीं कि सही मुस्लिम की दमिश्क़ी हदीस को आपने अपनी विवेचना से कमज़ोर ठहराया है तथा आपके सहीहैन के अपमान की गुप्त आस्था को प्रकट करने के लिए यहां इतना ही पर्याप्त है।

अहले हदीस* जो आप के पंजे में फंसे हुए हैं आपके इस कथन

---

* मौलवी साहिब ! अहंकार और अभिमान त्याग दो। महत्ता ख़ुदा तआला की चादर है, यहां शेखी काम नहीं आ सकती। आपको अपने काल्पनिक ज्ञान ने पाताल के अंधकार तथा गंधक के कुएं में डाल रखा है, आप उन लोगों को बहुधा तिरस्कार से याद कर चुके हैं जो हज़रत मसीह मौऊद, मुजद्दिद, मुहद्दिस हज़रत मिर्ज़ा साहिब (दयालु ख़ुदा उन्हें सुरक्षित रखे) से श्रद्धा रखते हैं उनका अधिकार है कि आप को तुरन्त यह सुनाएं اَلَآ اِنَّھُمْ ھُمُ السُّفَھَآءُ "पंजे में गिरफ़्तार हैं।" कैसे तिरस्कारपूर्ण वाक्य हैं। हज़रत मसीह को اجلۃ الفضلاء (मौलाना

एवं इक़रार से विश्वास करेंगे कि आप सही मुस्लिम की हदीस को कमज़ोर ठहराते हैं और उस पर जो फ़त्वा लगाएंगे वह गुप्त नहीं है।

(6) आप लिखते हैं कि इज़ाला औहाम में सही बुख़ारी तथा सही मुस्लिम की हदीसों के बारे में मैंने यह फैसला बिल्कुल नहीं दिया कि वे काल्पनिक हैं अपितु शर्त के साथ कहा है कि यदि उनके परस्पर विरोधाभास को दूर न किया जाएगा तो एक ओर की हदीसों को काल्पनिक मानना पड़ेगा। यह आपकी मात्र बहानेबाज़ी है। जिस स्थान में आप ने उन हदीसों को काल्पनिक कहा वहां विरोधाभास की शर्त वर्णन नहीं की अपितु बड़ी दृढ़ता से प्रथम उनका विरोधाभासी होना सिद्ध किया है फिर उन पर मौज़ूअ (कमजोर) होने का आदेश लगा

रफ़ीक़ी व अनीसी मौलवी नूरुद्दीन साहिब, हज़रत मौलवी मुहम्मद अहसन साहिब भोपालवी, मौलाना मौलवी ग़ुलाम नबी साहिब ख़ुशाबी इत्यादि जिनमें अधिकतर की सूची हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने इज़ाला औहाम के अन्त में प्रकाशित की है, मानते हैं, उन पर तन-मन से न्योछावर हैं। ख़ुदा के बड़े-बड़े सदाचारी पुरुष, संयमी, ख़ुदा की ओर झुकना, ख़ुदा से भय तथा शुद्धता रखने वाले हज़रत अक़दस को हार्दिक निष्कपटता से ख़ुदा के धर्म का सेवक विश्वास करते हैं। एक यह ख़ाकसार गुनहगार अब्दुल करीम भी है जो किताब और सुन्नत पर पूर्ण विवेक के साथ अवगत होकर यशस्वी हज़रत को अपना सेव्य और पथ-प्रदर्शक मानता है। देखो मौलवी साहिब ! ख़ुदा के बन्दों को तिरस्कृत समझना आख़िरत (परलोक) खराब करने का कारण होता है, जला दो उन बेकार पुस्तकों की अलमारियों को जो सच पहचानने के मार्ग में बहुत बड़ी बाधक बन रही हैं। डरो कहीं उस गिरोह में सम्मिलित न हो जाओ जिन पर يَحْمِلُ اَسْفَارًا बोला गया। अन्ततः हमारा भी प्रतिफल एवं दण्ड के दिन पर ईमान है। हम स्वयं को ख़ुदा के आगे अपने कर्मों का उत्तरदायी विश्वास करते हैं। कोई कारण नहीं कि आप अभिमान और अहंकार से मुसलमानों को तिरस्कार की दृष्टि से देखें। اتقوا الله اتقوا الله ايها المفرطون المعتدون (एडीटर)

दिया है जिससे स्पष्ट होता है कि आपके निकट उन हदीसों में तआरुज़ व तनाकुज़ है तथा इसी प्रकार वे हदीसें आप के निकट काल्पनिक हैं। हां आप ने उन हदीसों में कुछ-कुछ अलग प्रकार से व्याख्याएं भी की हैं जिन से यह अभिप्राय निकलता है कि आप उपरोक्त हदीसों के सही होने के उद्देश्य से वे व्याख्याएं करते हैं आप के कलाम से स्पष्टतः यह तात्पर्य होता है कि वे हदीसें प्रथम तो आप के निकट सही नहीं, काल्पनिक हैं और यदि उन्हें कष्ट कल्पना के तौर पर सही मान लें तो फिर वे आप के निकट प्रत्यक्ष अर्थ से फेर दी गई हैं। ये अर्थ 'इज़ाला औहाम' की उन इबारतों से जो हम पर्चा नं. में नक़ल कर चुके हैं इनमें आपने बिना शर्त उन हदीसों को काल्पनिक कहा है स्पष्ट तौर पर सिद्ध है। आप उस के विपरीत होने के दावेदार तथा अपने वर्तमान दावे में सच्चे हैं तो उस लेख की इबारत नक़ल करें जिसमें पहले अपने ठोस और स्पष्ट तौर पर उन हदीसों को सही मान लिया हो फिर उस सही होने के बयान के पश्चात् सशर्त यह कहा हो कि उन हदीसों की प्रत्यक्ष अर्थों से हटकर व्याख्या न की जाए तो ये काल्पनिक ठहरती हैं। आप अपनी पुस्तक से यह व्याख्या निकाल देंगे तो हम आपको इस आरोप से कि आप ने सहीहैन की हदीसों को काल्पनिक कहा है बरी कर देंगे अन्यथा प्रत्येक छोटे-बड़े व्यक्ति को विश्वास होगा कि वास्तव में आप सही बुख़ारी तथा मुस्लिम की हदीसों को काल्पनिक ठहरा चुके हैं किन्तु आप अहले हदीस लोगों के अनुसरण के भय से उनको काल्पनिक कहने से इन्कार करते हैं ताकि

वे लोग आपको हदीसों का इन्कारी न कहें तथा समस्त अहले सुन्नत से बाहर न करें।

(7) आप लिखते हैं कि मेरी दृष्टि में इज्मा (सर्वसम्मति) का शब्द उस अवस्था पर चरितार्थ हो सकता है कि जब सहाबा में से प्रसिद्ध सहाबा अपनी राय प्रकट करें और दूसरे सुनने के बावजूद उस राय का विरोध न करें। अत: यही इज्मा है। पुन: आप कहते हैं कि इब्ने उमर[रज़ि.] तथा जाबिर[रज़ि.] ने इब्ने सय्याद को दज्जाल कहा तो यह बात शेष सहाबा से गुप्त न रही होगी। अत: यही इज्मा है। आपकी राय में यह इज्मा नहीं तो आप बता दें कि किस सहाबी ने इब्ने सय्याद के दज्जाल होने से इन्कार किया है। फिर आप लिखते हैं कि हज़रत उमर के इब्ने सय्याद को दज्जाल कहने पर आंहज़रत[स.अ.व.] मौन रहे हैं और यह हज़ार इज्मा से श्रेष्ठ है। इन इबारतों में आपने मेरे प्रश्नों का नं. (1) को इज्मा की यह परिभाषा जो आपने लिखी है वह किस पुस्तक में है (2) कुछ सहाबा की सहमति को इज्मा कौन कहता है (3) शेष सहाबा के मौन पर सही नक़ल की साक्ष्य कहां पाई जाती है, उसे नक़ल करें कदाचित और होगा से काम न लें, कुछ उत्तर न दिया और फिर अपने पिछले विचारों को दोबारा नक़ल कर दिया, जिससे स्पष्ट तौर पर सिद्ध है कि आप ज्ञान संबंधी प्रश्नों को समझ नहीं सकते तथा इज्मा से सम्बन्धित समस्याओं से परिचित नहीं या जान बूझ कर मुसलमानों को धोखा देने के उद्देश्य से उनके उत्तर से जो आपके दावों का खण्डन करते हैं निगाह बचाते हैं। अब मैं उन

प्रश्नों की पुनः पुनरावृत्ति नहीं करता क्योंकि मैं आप से उत्तर मिलने की आशा नहीं रखता* और इसके स्थान पर आपकी बातों का स्वयं ऐसा उत्तर देता हूं जिस से सिद्ध हो कि आपने जो कुछ कहा है वह आपकी अज्ञानता पर आधारित है और वह मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं हो सकता।

आपके पर्चे में तीन व्यक्तियों की जमाअत की सहमति को बहुमत ठहराया था जो सर्वथा ग़लत और अनभिज्ञता पर आधारित है। इस्लाम के उलेमा जो बहुमत को मानते हैं बहुमत की परिभाषा यह करते हैं कि एक समय के समस्त विवेचनकर्ता जिन में एक व्यक्ति भी पृथक और विरोधी न हो सहमति का नाम है। तौज़ीह में है

هو اتفاق المجتهدين من امة محمد صلعم فى عصر على حكم شرعى-

उसूल की पुस्तकों में इस की भी व्याख्या की गई है कि **خلاف الواحد مانع** अर्थात् एक विवेचनकर्ता भी सहमति वालों में से विरोध करे तो फिर सर्वसम्मति सिद्ध न होगी। मुसल्लिमुस्सबूत और उसकी शरह (व्याख्या) 'फ़वातिहुर्रहमूत' में है -

<u>قيل اجماع الاكثر مع ندرة المخالف اجماع كغير ابن عباس</u>

* **हाशिया** - अन्ततः खेद करते-करते मौलवी साहिब की दशा निराशा एवं हताशा तक पहुंच गई। मौलवी साहिब ① وَلَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ② لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ धैर्य धारण कीजिए। अभी हज़रत मिर्ज़ा साहिब सौ पृष्ठ तक का उत्तर विस्तार से आप को सुनाते हैं। एडीटर

① अज़्ज़ुमर - 54 ② यूसुफ़ - 88

اجمعوا مایقول علی العول وغیر ابی موسی الاشعری اجمعوا علی نقض النوم الوضوء وغیر ابی هریرة وابن عمر اجمعوا علی جواز الصوم فی السفر والمختار انه لیس باجماع لانتفاء الکل الذی هو مناط العصمة

तथा उसमें है -

لا ینعقد الاجماع باهل البیت وحدهم لانهم بعض الامة خلافا للشیعة

तथा उस में है -

ولا ینعقد بالخلفاء الاربعة خلافا لاحد الامام۔

शेष सहाबा से आपने सर्वसम्मति का परिणाम निकाला है किन्तु इसका प्रमाण नहीं दिया अपितु उल्टा हम से विरोध का प्रमाण मांगा है। यह प्रमाण प्रस्तुत करना हमारा कर्त्तव्य न था परन्तु हम आप पर उपकार करते हैं। आपको पूर्ण ख़ामोशी का प्रमाण प्रस्तुत करना क्षमा करके स्वयं विरोध का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं।

अतः स्पष्ट हो कि इब्ने सय्याद को कथित दज्जाल न समझने वाले एक अबू सईद ख़ुदरी सहाबी हैं, उन से सही मुस्लिम में नक़ल किया गया है -

قال صحبت ابن صیاد الی مکة فقال لی ماقدلقیت من الناس یزعمون الی الدجال الست سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم یقول انه لا یولدله قال قلت بلی قال فقد ولد لی اولیس سمعت رسول اللہ صلعم یقول لا یدخل المدینة ولا مکة قلت

بلی قال فقد ولدت بالمدینۃ وھاانا اریدمکۃ قال ثم قال لی فی اخر قولہ اماواللہ انی لاعلم ولدہ ومکانہ واین ھو قال فلبّسنی

अबू सईद ख़ुदरी का यह शब्द فلبّسنی स्पष्ट तौर पर प्रकट करता है कि वह दज्जाल इब्ने सय्याद को निश्चय ही मौऊद दज्जाल नहीं समझते थे अपितु उसमें उनको लब्बस अर्थात् सन्देह था। दूसरे तमीमदारी जो दज्जाल को अपनी आंख से एक द्वीप में क़ैद किया हुआ देख कर आए थे। अत: सही मुस्लिम में है -

وفی روایۃ فاطمۃ بنت قیس قالت سمعت نداء المنادی رسول اللہ صلعم ینادی الصلٰوۃ جامعۃ فخرجت الی المسجد فصلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکنت فی صف النساء الذی یری ظھور القوم فلما قضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلٰوتہ جلس علی المنبر وھو یضحک فقال لیلزم کل انسان مصلاہ ثم قال اتدرون لم جمعتکم قال اللہ و رسولہ اعلم قال انی و اللہ ما جمعتکم لرغبۃ و لا لرھبۃ و لکن جمعتکم لان تمیم الداری کان رجلا نصرانیا فجاء فبایع فاسلم وحدثنی حدیثا وافق الذی کنت احدثکم عن مسیح الدجال حدثنی انہ رکب فی سفینۃ بحریۃ مع ثلثین رجلا من الخم وجزام فلعب بھم الموج شھرا فی البحر ثم رفعوا الی جزیرۃ فی البحر حین تغرب الشمس فجلسوا فی اقرب السفینۃ فدخلوا الجزیرۃ فلقیتھم دابۃ اھلب کثیر الشعر لا یدرون ماقبلہ من دبرہ

من كثرة الشعر فقالوا و يلك ماانت فقالت اناالجساسة قالوا
و ماالجساسة قالت يا ايها القوم انطلقوا الى هذا الرجل فى
الدير فانه الى خبركم بالاشواق قال لما سمت لنا رجلا فرقنا
منها ان تكون شيطانة قال فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الدير
فاذا فيه اعظم انسان رأيناه قط خلقا و اشد وثاقا مجموعة
يداه الى عنقه ما بين ركبتيه الى كعبيه بالحديد قلنا و يلك
ما انت قال قدرتم على خبرى فاخبرونى ما انتم قالوا نحن
اناس من العرب ركبنا فى سفينة بحرية فصادفنا البحر حين
اغتلم فلعب بنا الموج شهرا ثم رقينا الى جزيرتك هذه
فجلسنا فى اقربها فدخلنا الجزيرة فلقينا دابة اهلب كثير
الشعر لاندرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقلنا و يلك
ما انت فقالت انا الجساسة قلنا ما الجساسة قالت اعمدوا الى
هذا الرجل فى الدير فانه الى خبركم بالاشواق فاقبلنا اليك
سراعا وفزعنا منهاولم نطمئن ان تكون شيطانة فقال
اخبرونى عن نخل بيسان قلنا عن اى شاهنا تستخبر قال
اسئلكم عن نخلها هل يثمر قلنا له نعم قال امانها يوشك
ان لاتثمر قال اخبرونى عن بحيرة طبرية قلنا عن اى شاهنا
تستخبر قال هل فيها ماء قالوا هى كثيرة الماء قال اما ان ماء
ها يوشك ان يذهب قال اخبرونى عن عين زغر قالوا عن اى
شاهنا تستخبر قال بل فى العين ماء وهل يزرع اهلها بماء
العين قلنا له نعم هى كثيرة الماء واهلها يزرعون من ماء

ها قال اخبرونی عن نبی الامیین مافعل قالوا قد خرج من مکة ونزل بیثرب قال ا قاتله العرب قلنانعم قال کیف صنع بهم فاخبرناه انه قدظهر علی من یلیه من العرب واطاعوه قال لهم قد کان ذاك قلنا نعم قال اما ان ذاك خیر لهم یطیعوه وانی مخبرکم عنی انی انا المسیح الدجال وانی اوشك ان یوذن لی فی الخروج فاخرج فاسیر فی الارض فلا ادع قریة الاهبطتها فی اربعین لیلة غیر مکة وطیبة فهما محرمتان علی کلماتها کلما اردت ان ادخل واحدة او واحدا منهما استقبلنی ملك بیده السیف سلطا یصدنی عنها وان علی کل نقب منها ملائکة یجرسونها قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وطعن بمخصرته فی المنبر هذه طیبة هذه طیبة یعنی المدینة الاهل کنت حدثتکم ذالك فقال الناس نعم فانه اعجبنی حدیث تمیم انه وافق الذی کنت احدثکم عنه وعن المدینة ومکة الا انه فی بحر الشام اوبحر الیمن لابل من قبل المشرق ماهو من قبل المشرق ماهو اومی بیده الی المشرق قالت فحفظت هذا من رسول الله صلعم

इस हदीस से स्पष्ट तौर पर सिद्ध है कि तमीमदारी ने दज्जाल को आंख से देखा फिर क्योंकर संभव था कि वह इब्ने उमर के कथना-नुसार इब्ने सय्याद को दज्जाल समझते। आपने इस हदीस का कमज़ोर होना एक मित्र के हवाले से स्वर्गीय नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान साहिब से नकल किया है। इसका उत्तर हम उस समय देंगे जब आप नवाब साहिब का मूल कलाम नक़ल करेंगे।

तीसरे वे लोग जो हज़रत इब्ने उमर के सामने इब्ने सय्याद के दज्जाल होने से इन्कार कर चुके थे। अतः सही मुस्लिम के पृष्ठ 399 में हज़रत इब्ने उमर से नक़ल किया है

فقلت لبعضهم هل تحدثون انه هو قال لا والله قال قلت كذبتنى والله لقد اخبرنى بعضكم انه لايموت حتى يكون اكثر مالا وولدا فذالك هو زعم اليوم

अर्थात् हज़रत इब्ने उमर ने कि मैंने कुछ लोगों को (जिन से उनके समकालीन साथी अभिप्राय हैं) कहा कि क्या तुम कहते हो कि इब्ने सय्याद दज्जाल है तो वे बोले ख़ुदा की क़सम हम नहीं कहते। मैंने कहा तुम मुझे झूठा करते हो। ख़ुदा की कसम तुम्हीं में से कुछ ने मुझे सूचना दी है कि दज्जाल सन्तान वाला होकर मरेगा। अब वह (इब्ने सय्याद) ऐसा ही सन्तान वाला है। इब्ने उमर का यह कथन इस बात पर स्पष्ट आदेश है कि इब्ने सय्याद को हज़रत इब्ने उमर के सम-कालीन अन्य लोग दज्जाल नहीं जानते हैं। उनके सामने उनकी राय के विपरीत प्रकट करते थे।

केवल इब्ने उमर ही का ऐसा कथन कि जिसमें इब्ने सय्याद को दज्जाल मौऊद मसीहुद्दज्जाल के शब्द से पुकारा गया है क्योंकि जाबिर और हज़रत उमर के कथन से यह स्पष्ट नहीं है कि वह कथित दज्जाल है अपितु उन्होंने इब्ने सय्याद को केवल दज्जाल कहा है। जिससे उन तीस दज्जालों में से एक दज्जाल अभिप्राय हो सकता है। अतः शीघ्र ही इसका प्रमाण आता है तथा जबकि हज़रत इब्ने उमर

के स्पष्ट कथन का इन्कार माना गया है तो इससे बढ़कर विपरीत की व्याख्या आप क्या चाहेंगे। आप के हवारी हकीम नूरुद्दीन ने हमारे प्रश्न के उत्तर में इस मतभेद को स्वीकार किया तथा यह कहा है कि दज्जाल के बारे में विभिन्न विचार हैं।

आप ने बड़ा आक्रोश दिखाया कि इब्ने सय्याद के दज्जाल होने पर सहाबा के इज्मा का दावा कर लिया। अपने हवारी से तो परामर्श कर लिया होता। अन्त में जो आप ने फ़ारूक़ी कथन पर आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के मौन रहने का दावा किया है। उस का उत्तर यह है कि हज़रत उमर ने जो आंहज़रत[स.] के सामने इब्ने सय्याद को दज्जाल कहा उस पर क़सम खाई थी उसमें यह व्याख्या निरर्थक है कि इब्ने सय्याद ही वह दज्जाल है जिसके आने के आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने विशेष लक्षण वर्णन करके सूचना दी थी तथा पहले समसत नबियों ने अपनी उम्मत को डराया था। इसलिए मुमकिन और मुहतमिल* है कि हज़रत उमर के इस कथन से यह अभिप्राय हो कि इब्ने सय्याद उन तीस दज्जालों में से है जिन के निकलने की आंहज़रत[स.अ.व.] ने सूचना दी है। इस स्थिति में आंहज़रत[स.अ.व.] का मौन आप के लिए कुछ लाभप्रद नहीं है क्योंकि यह मौन इब्ने सय्याद अन्तिम दज्जाल कहने पर न हुआ अपितु उन दज्जालों में से कोई अन्य दज्जाल। मुल्ला अली क़ारी ने 'मिरक़ात शरह मिश्कात' में कहा है -

* **हाशिया** - दर्शकगण ! मुमकिन और मुहतमिल का शब्द विचार योग्य है। एडीटर

قیل لعل عمر اراد بذالك ان ابن صیاد من الدجالین الذین یخرجون فیدعون النبوت و یضلون الناس و یلبسون علیهم

इस पर कदाचित् आप यह आक्षेप करें कि जाबिर के इब्ने सय्याद अद्दज्जाल कहने में जो हज़रत उमर की ओर भी सम्बद्ध हुआ है। शब्द दज्जाल पर अलिफ़ लाम बता रहा है कि दज्जाल से उनका अभिप्राय विशेष दज्जाल है न कि कोई दज्जाल तथा अर्थ और वर्णन करने वाले विद्वानों ने कहा है अलिफ़लाम पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा को संक्षिप्त तथा विशिष्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है। इसका उत्तर यह है कि यदि दज्जाल से अभिप्राय अन्तिम दज्जाल न लें अपितु सभी तीस को एक दज्जाल अभिप्राय लें तो इस स्थिति में भी विशेष दज्जाल की ओर अलिफ़, लाम का संकेत हो सकता है। रहा उत्तर संक्षिप्त होने का तो वह यह है कि अलिफ़लाम के साथ व्यक्तिवाचम से पूर्व ख़बर (कर्म) हो तो वह यह है कि ख़बर संज्ञा व्यक्तिवाचक लाम के साथ पहले हो जैसा कि इब्ने उमर के कथन अलमसीहुद्दज्जाल इब्ने सय्याद में है तो निस्सन्देह तथा बिना मतभेद ख़बर (कर्म) का व्यक्तिवाचक संज्ञा पर संक्षेप और लक्ष्य होता है परन्तु इस स्थिति में कि ख़बर (कर्म) बाद में हो तो उसके संक्षिप्त होने का लाभप्रद होना मतभेद का कारण है। कश्शाफ़ के लेखक ने 'फ़ायक़' में इस से इन्कार किया है। अत: विद्वान अब्दुल करीम सियालकोटी ने 'मुतव्वल' के हाशिए में कहा है -

قال مال صاحب الكشاف الى التفرقة بينهما حيث ذكر فى

الفائق ان قولك الله هو الدهر معناه انه الجالب للحوادث لاغير الجالب و قولك الدهر هو الله معناه ان الجالب للحوادث هو الله لاغيره۔

इसी प्रकार अद्दज्जाल से संक्षेप सिद्ध नहीं होता। लाभ को युगीन कहो या पूर्ण प्रजाति के लिए तथा जाबिर[रज़ि.] के कथन या हज़रत उमर के कथन के यह अर्थ बनते हैं कि इब्ने सय्याद दज्जाल है न कुछ और। यह अर्थ नहीं हैं कि दज्जाल वही है न कोई और*, किन्तु इन बातों के समझने के लिए शास्त्रार्थ, साहित्य एवं अर्थ विद्याओं का ज्ञान होना आवश्यक है जिस से आप इस आशंका को कि हज़रत उमर ने दज्जाल से तीस दज्जालों में से एक दज्जाल अभिप्राय रखा था किसी तर्क द्वारा उल्टा दें और उनके स्पष्ट शब्दों से सिद्ध करें कि दज्जाल से उनका अभिप्राय अन्तिम दज्जाल था तो फिर हम उसका उत्तर यह देंगे कि आंहज़रत[स.अ.व.] ने हज़रत उमर को जब उन्होंने इब्ने सय्याद का वध करना चाहा तो यह कहा था कि इब्ने सय्याद वह दज्जाल है कि तुझे उसका वध करने की शक्ति न होगी। उसका वध करने वाले हज़रत ईसा[अ.] हैं। अतः सही मुस्लिम में है -

فقال عمر بن الخطاب ذرنی یارسول الله اضرب عنقه فقال له رسول الله صلعم ان یکنه فلن تسلط علیه و ان لم یکنه فلا خیرلك فی قتله۔

---

* हाशिया - पाठकों ! इन अधम स्पष्टीकरणों को तनिक ध्यानपूर्वक देखो। इस पर हज़रत मिर्ज़ा साहिब का दावा तथा ललकार देखिए। एडीटर।

अबू दाऊद की रिवायत में यों आया है -

ان یکن فلست صاحبه انما صاحبه عیسی ابن مریم وان لا یکن ھو فلیس لك ان تقتل رجلا من اھل الذمة

आंहज़रत[स.अ.व.] के कथन से स्पष्ट तौर पर सिद्ध है कि आप[स.] ने हज़रत उमर को इस विचार से (उन्होंने मान लो कि प्रकट किया हो चाहे मन में रखा हो) इब्ने सय्याद कथित दज्जाल है रोक दिया तथा इसी प्रकार उसका वध करने से रोक दिया। आंहज़रत[स.] के इस कथन के हदीसों में मौजूद होने के साथ यह कहना कि आंहज़रत[स.] ने हज़रत उमर के इब्ने सय्याद को मौऊद दज्जाल कहने या समझने पर मौन किया उसी व्यक्ति का कार्य है जिसे हदीस अपितु किसी व्यक्ति का कलाम समझने से कोई सम्बन्ध न हो।

इस वर्णन से बिल्कुल स्पष्ट है कि आपने इस अध्याय में जो कुछ लिखा है वह हदीस धर्मशास्त्र के नियम, अर्थ, शास्त्रार्थ तथा साहित्य आदि विद्याओं से अनभिज्ञता पर आधारित है।

(8) आप लिखते हैं कि किसी बात का मानने वाला ठहराना व्याख्या पर निर्भर नहीं, उस बात के सम्बन्ध में उसके संकेत पाए जाने से भी उसे मानने वाला समझा जाता है। आंहज़रत का एक लम्बी अवधि तक इब्ने सय्याद के दज्जाल होने से डरते रहना आशंका की बात नहीं। आंहज़रत[स.] ने मुख से डर सुनाया होगा तब ही सहाबी ने 'लम यज़ल' का शब्द कहा। आंहज़रत[स.] तथा समस्त नबी दज्जाल से डराते आए हैं।

एक व्यक्ति का दस वर्ष से देहली की तैयारी करना कोई व्यक्ति वर्णन करे तो इस से यह समझ में आता है कि उस व्यक्ति ने देहली जाने का इरादा कभी मौखिक तौर से बताया होगा।

यदि यही संभावना मान्य हो कि आंहज़रत[स.] की परिस्थितियों से उनका डरना समझ लिया था तो यह भी संभावना है कि मौखिक सुना हो और शब्द लम यज़ल (لم يزل) से दृढ़ संभावना होती है। इस स्थिति में आप का मुझे झूठ बनाने वाला कहना अनुचित है।

इससे आप का पिछला झूठ बनाना दृढ़ एवं विश्वसनीय होता है और यह भी सिद्ध होता है कि आप ने जो पहले कहा था वह ग़लती से नहीं कहा जानबूझ कर झूठ बनाया है तथा उस पर आप को अब तक ऐसा आग्रह है कि सूचित करने से भी नहीं रुकते तथा अपनी ग़लती को स्वीकार नहीं करते। मुहद्दिसीन ने वर्णन किया है कि जो व्यक्ति हदीस की रिवायत में ग़लती पर सतर्क किया जाए और वह फिर भी उस से न रुके तो वह न्याय से बाहर हो जाता है।

आप का यह कहना कि संकेतों से भी एक व्यक्ति को एक बात का मानने वाला समझा जाता है यह आप के पक्ष में तब लाभप्रद हो जब सहाबी आंहज़रत[स.अ.व.] को उस कथन का कहने वाला बनाता, जिसका कहने वाला आपने आंहज़रत[स.अ.व.] को बना दिया है। सहाबी ने आप[स.] को कथित कथन का कहने वाला नहीं बनाया अपितु अपना विचार प्रकट किया है। अतः इस कहने से आप को क्या लाभ है कि संकेतों से भी कहने वाला समझा जाता है। आंहज़रत[स.] की ओर किसी

कथन को सम्बद्ध करना इसी स्थिति और शैली में वैध है जिस स्थिति एवं शैली में आप ने कहा हो। सांकेतिक तौर पर हो तो सांकेतिक, स्पष्टतापूर्वक हो तो स्पष्टतापूर्वक। आंहज़रत[स.] ने फ़रमाया -

اتقوا عنی الا ماعلمتم فمن کذب علی متعمدا فلیتبوء مقعده من النار

हदीसों की पुस्तकों पर यदि आप की दृष्टि हो तो आप को ज्ञात हो कि आंहज़रत के सहाबा से कोई ऐसा शब्द नक़ल न करते जो आप ने न कहा होता और यदि उनको आंहज़रत[स.] के मूल शब्द के बारे में सन्देह हो जाता तो सन्देह एवं असमंजस के साथ शब्दों का वर्णन करते। आपने इसका ज्ञान न होने के बावजूद कि आंहज़रत ने वे शब्द कहे हैं जो आप ने नक़ल किए हैं और अब तक, उसके ज्ञात होने पर विश्वास नहीं केवल काल्पनिक संभावना है। फिर आप ने उस शब्द को आंहज़रत की ओर सम्बद्ध किया तो जान-बूझ कर झूठ घड़ने के अतिरिक्त और क्या हो सकता है।

आंहज़रत[स.] के इब्ने सय्याद से डरने को संभावित कौन कहता है वह हमेशा उस से तथा सहाबा इस बात को देखते, तभी एक सहाबी ने कह दिया कि आंहज़रत हमेशा डरते थे। शब्द हमेशा (مالم یزل) को यह अनिवार्य नहीं है कि आप मुख से भी यह कह दिया करते थे कि मैं डरता हूं।

पहले नबियों तथा आंहज़रत[स.अ.व.] सभी ने नि:सन्देह कथित दज्जाल से डराया है किन्तु इस से यह निकालना कि आपने इब्ने सय्याद को

दज्जाल कह कर डराया है, आंहज़रत पर एक और झूठ बांधना है। दज्जाल से डराना इब्ने सय्याद से डराना नहीं है। ख़ुदा से डरो, आंहज़रत पर झूठ न बांधते जाओ।

देहली की तैयारी के उदाहरण में आप ने मुसलमानों को धोखा दिया है। एक व्यक्ति को दस वर्ष से यदि कोई देखे कि वह कभी-कभी देहली का टिकट खरीद कर वापस कर आता है और ऐसी स्थिति में अन्तिम वर्ष तक वह रहा है तो उसके बारे में यह कह सकता है कि वह दस वर्ष से तैयार है, यद्यपि तैयारी का शब्द कभी मुख पर न लाए। हम से एक और उदाहरण सुनिए - एक व्यक्ति जीवनपर्यन्त नमाज़ों और दुआओं में रोता रहे, शरीअत के आदेशों को पालन करता हो, ख़ुदा और उसकी प्रजा के अधिकार का हनन न करे, उसके बारे में प्रत्येक छोटा-बड़ा व्यक्ति इस शर्त पर कि विक्षिप्त न हो यह कह सकता है तथा समझ सकता है कि वह ख़ुदा से डरता है यद्यपि वह मुख से न कहे कि मैं ख़ुदा से डरता हूं।

एक संभावना के सामने दूसरी संभावना हो तो दावेदार का इस से सिद्ध करना उचित नहीं है कि उसके इन्कार करने वाले प्रतिद्वन्द्वी को पहुंचता है कि वह उस संभावना को लेकर اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال के आदेशानुसार दावेदार के तर्क का खण्डन कर दे। आप इस बात से अनभिज्ञ हैं तभी दावेदार बन कर संभावना से सिद्ध करते हैं।

इफ़्तिरा (झूठ बनाना) आपकी प्राचीन आदत* है। इन झूठ बनाने

* **हाशिया** - क्या उसी समय से जबकि आपने उनको अल्लाह का वली, मुल्हम, मुदद्दिद

के अतिरिक्त जो सिद्ध किए गए हैं आप ने इज़ाला औहाम के पृष्ठ-201 में हदीस - كيف انتم اذانزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم का अनुवाद किया तो इसमें इस प्रश्नोत्तर का रसूले करीम[स.अ.व.] पर झूठ बांधा है कि इब्ने मरयम कौन है वह तुम्हारा ही एक इमाम होगा और तुम में से ही (हे उम्मती लोगो) पैदा होगा। आपने जान-बूझ कर रसूले ख़ुदा पर यह झूठ नहीं बांधा तो बताएं किस हदीस के किस ढंग या कारण में ये प्रश्नोत्तर आए हैं।

पुस्तक 'इज़ाला औहाम' के पृष्ठ 218 में आपने कथित दज्जाल के उतरने के स्थान के बारे में उलेमा में मतभेद वर्णन किया तो इसमें इस्लाम के उलेमा पर यह झूठ बांधा कि कुछ उलेमा कहते हैं कि वह न बैतुल मक़दिस में उतरेगा न दमिश्क़ में उतरेगा अपितु मुसलमानों की सेना में उतरेगा। आप इस कथन को वर्णन करने में झूठ बनाने वाले नहीं तो बता दें कि किस विद्वान का कथन है कि वह बैतुल मक़दिस में उतरेंगे न दमिश्क़ में।

आप के इन झूठ बनाने से पूर्ण विश्वास होता है कि आप किसी इल्हाम के दावे में सच्चे नहीं तथा जो ताना-बाना आपने फैला रखा है सब बनाया हुआ झूठ है।

और मुहद्दिस माना और उनकी अद्वितीय पुस्तक बराहीन अहमदिया की विशेष बरकतों में सम्मिलित होने के लिए ख़ुदा तआला से दुआ मांगी थी ? देखिए रीव्यू बराहीन का अन्तिम भाग। शेख़ साहिब सा'दी के कथनानुसार बड़ी अधमता और नीचता है :-

"باندک تغیر خاطر از مخدوم قدیم بر گشتن و حقوق نعمت سالہا درنوشتن۔"

शेख़ साहिब ऐसी हठधर्मी छोड़ दो। एडीटर

9. आप लिखते हैं कि आप बुख़ारी बुख़ारी करते हैं और न्बुखरी की यह हदीस अपनी पुस्तक में नक़ल कर चुके हैं कि मुहद्दिस की बात में शैतान का कुछ हस्तक्षेप नहीं होता। बुख़ारी पर आपका ईमान है तो उस हदीस के स्वीकार करने से इब्न अरबी का कथन आपके निकट सही है फिर मैंने आप पर क्या झूठ गढ़ा।

इसमें आप ने मुझ पर एक और झूठ बनाया और मुसलमानों को धोखा दिया। मेरे मेहरबान ! मैं सही बुख़ारी को मानता हूं और उस हदीस पर जो सही बुख़ारी में मुहद्दिस की प्रतिष्ठा में वर्णन की गई है मैं ईमान रखता हूं। इसके साथ ही यह आस्था रखता हूं कि जो व्यक्ति मुहद्दिस कहलाए और सही बुख़ारी या सही मुस्लिम की हदीसों को इल्हाम की साक्ष्य द्वारा स्वयं काल्पनिक ठहराए वह मुहद्दिस नहीं है शैतान की ओर से संबोध्य है। वास्तविक मुहद्दिस तथा मुल्हम वही व्यक्ति है जिसके वार्तालाप और पुराने इल्हाम पवित्र क़ुर्आन तथा सही हदीसों के विपरीत न हों और जो व्यक्ति मुहद्दिस अथवा मुल्हम होने का दावा करे और उसके साथ यह कहे कि मुझे फ़रिश्तों ने किया है या ख़ुदा ने इल्हाम किया या ख़ुदा के रसूल ने कहा कि सहीहैन की हदीसें काल्पनिक हैं मैं उसे शैतान का संबोध्य तथा उसकी ओर से मुहद्दिस अपितु साक्षात शैतान समझता हूं ऐसा झूठा मुहद्दिस बिल्कुल वैसा है जो मुहद्दिस बन कर कहे कि मुझे इल्हाम हुआ है कि पवित्र क़ुर्आन का कलाम नहीं है। जिसे, आशा है कि आप भी मुहद्दिस नहीं मानेंगे।

यही कारण है कि इस समय के मुसलमान जो बुख़ारी को मानते हैं आप के मुहद्दिस होने के दावे को स्वीकार नहीं करते। क्या वह इस इन्कार के कारण बुख़ारी की इस हदीस के इन्कारी हो सकते हैं, कदापि नहीं।

ख़ुदा से डरो और मुसलमानों को धोखा न दो। यह आप के कलाम का संक्षिप्त उत्तर है जिस से आप के गुमराह करने, अनभिज्ञ होने तथा धोखा देने का भली भांति प्रकटन हो गया।

पिछले तथा अन्तिम पर्चे के कुछ प्रश्नों के उत्तर और परिणामों को विस्तार हो जाने की आशंका से छोड़ दिया गया है क्योंकि हमने जो कुछ वर्णन किया है वह हमारे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। इन बातों का हमारे मूल उद्देश्य से ऐसा सम्बन्ध नहीं है कि वह इन बातों को वर्णन किए बिना वह उद्देश्य प्राप्त न होता। इन बातों का प्रकटन केवल इस कारण हुआ है कि आपने मूल प्रश्न का उत्तर न दिया तथा इन बातों के वर्णन करने से जिन का उत्तर हमने दिया है उत्तर को टलाया। भविष्य में अपनी लेखन शैली, कलाम को विस्तार देना तथा समय को टालना त्याग दें तो इस ओर से भी इस प्रकार की बातों से क़लम को रोक लिया जाएगा और यदि इसी लेख के उत्तर में आप ने फिर वही शैली धारण की तो आप देख लें कि इस ओर से भी ऐसा ही व्यवहार होगा। आप के लिए उचित है कि इस शैली को परिवर्तित कर दें तथा मेरे मूल प्रश्न का उत्तर इतनी पंक्तियों में दें जितनी पंक्तियों में मेरा प्रश्न है। मैं तत्काल उत्तर या प्रमाण नहीं चाहता

मात्र एक उत्तर का अभिलाषी हूं। जिस समय मैं किसी समस्या के प्रति आप से बहस एवं तर्कों की मांग करूंगा उस समय आप विस्तृत बहस करें, मेरी यह नसीहत स्वीकार हो तो आप संक्षिप्त तौर पर बता दें कि सही बुख़ारी तथा सही मुस्लिम की सही हदीसें जो सही हैं या सभी काल्पनिक अमल करने योग्य नहीं अथवा मिश्रित हदीसें जिन में से कुछ सही हों कुछ काल्पनिक। इस प्रश्न का आपने दो शब्दीय उत्तर दिया तो फिर मैं और प्रश्न करूंगा तथा इसी प्रकार संक्षेप को आपने दृष्टिगत रखा तो मुबाहसा ख़ुदा ने चाहा तो एक दिन में समाप्त होगा।كماتدين تدان

अबू सईद मुहम्मद हुसैन

26 जुलाई - 1891 ई.

मिर्ज़ा साहिब

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदोहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम

हज़रत मौलवी साहिब मैं नितान्त खेदपूर्वक लिखता हूं कि जिस प्रश्न के उत्तर को मैं कई बार आपकी सेवा में दे चुका हूं वही प्रश्न आप बार-बार बहुत सी असंबंधित बातों के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे ज्ञात होता है कि आप ने मेरे लेखों पर भली भांति विचार भी नहीं किया और न मेरे कलाम को समझा इसी कारण आप उन बातों का आरोप भी मुझ पर लगाते हैं जिनको मैं नहीं मानता। इसलिए मैं उचित समझता हूं कि संक्षेप को दृष्टिगत रखते हुए फिर आपको अपनी आस्था और मत से जो मैं हदीसों के बारे में रखता हूं सूचित करूं।

अतः मेरे महरबान ! आप पर स्पष्ट हो कि मैं अपने लेख चतुर्थ तथा पंचम में विस्तार एवं विवरण सहित वर्णन कर चुका हूं कि हदीसों के दो भाग हैं। एक वह भाग जो अमल के क्रम के अन्तर्गत आ गया है अर्थात् वे हदीसें जिन को अमल के ठोस एवं शक्तिशाली तथा सन्देहहीन क्रम ने शक्ति प्रदान की है।

और दूसरा वह भाग है जिनका अमल के क्रम से कुछ भी सम्बन्ध नहीं और केवल वर्णनकर्ताओं के सहारे तथा उनके सच बोलने के विश्वास पर स्वीकार की गई हैं। अतः यद्यपि सहीहैन की हदीसों को इस श्रेणी पर नहीं समझता कि क़ुर्आन की नितान्त स्पष्ट आयतों के विपरीत होने के बावजूद उन्हें सही समझ सकूं, परन्तु अमल के क्रम की हदीसें मेरी इस शर्त से बाहर हैं। अतः मैं अपने लेख संख्या पांच

में स्पष्टतापूर्वक लिख चुका हूं। यदि अमल के क्रम की हदीसों के अनुसार किसी हदीस का विषय क़ुर्आन के किसी विशेष आदेश से प्रत्यक्षतः विपरीत विदित हो तो मैं उसे स्वीकार कर सकता हूं क्योंकि अमल के क्रम की हदीसें शक्तिशाली प्रमाण हैं और क़ुर्आन को मापदण्ड ठहराने से अमल के क्रम की हदीसें अपवाद हैं देखो आपके लेख के उत्तर में लेख संख्या पंचम।

आप मेरा लेख संख्या पंचम के पढ़ने के पश्चात् यदि समझ और विचार से काम लेते तो निरर्थक और असंबंधित बातों से अपने लेख को लम्बा न करते। मैंने कब और कहां यह आस्था प्रकट की है कि विरासत में मिली हुई क्रियात्मक सुन्नत तथा अकेली हदीस दोनों इस बात की मुहताज हैं कि पवित्र क़ुर्आन से अपनी जांच-पड़ताल के सही होने के लिए परखी जाएं अपितु मैं तो कथित संख्या पर स्पष्ट तौर पर लिख चुका हूं कि अमल के क्रम की हदीसें जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इस से बाहर हैं।

अब पुनः उच्च स्वर में आप पर स्पष्ट करता हूं कि धार्मिक कर्मक्षेत्र की हदीसें अर्थात् वे पद्धतियां जो परस्पर श्रृंखलाबद्ध रूप में उपलब्ध, जो सक्रिय आदर्श उपस्थित करने वालों एवं निरंकुश शासकों के विचाराधीन चली आई हैं तथा अपेक्षानुगत मुसलमानों के धार्मिक कर्मों में शताब्दियों से सन्तत-सतत निरन्तर प्रविष्ट रही हैं वे मेरे विवाद का स्थान नहीं और न पवित्र क़ुर्आन को उनका मापदण्ड ठहराने की आवश्यकता है और यदि उनके द्वारा कुछ क़ुर्आन की शिक्षा पर

अधिकता हो तो इस से मुझे इन्कार नहीं। यद्यपि मेरा मत यही है कि क़ुर्आन अपनी शिक्षा में पूर्ण है तथा कोई सच्चाई उस से बाहर नहीं, क्योंकि अल्लाह तआला का कथन है -

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ[1]

अर्थात् हमने तुझ पर वह किताब उतारी जिस में प्रत्येक वस्तु का वर्णन है और पुनः कहता है -

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ[2]

अर्थात् हमने कोई वस्तु इस किताब से बाहर नहीं रखी परन्तु इसके साथ यह भी मेरी आस्था है कि पवित्र क़ुर्आन से समस्त धार्मिक समस्याओं का निकालना और परिणाम प्राप्त करना तथा उसके संक्षेपों के सही विवरणों पर सामर्थ्यवान ख़ुदा की इच्छानुसार प्रत्येक विवेचनकर्ता एवं मौलवी का कार्य नहीं अपितु यह विशेषतः उनका कार्य है जो ख़ुदा की वह्यी से बतौर नबुव्वत या बतौर महान विलायत की सहायता दिए गए हों। अतः ऐसे लोगों के लिए जो मुल्हम न होने के कारण क़ुर्आनी ज्ञानों से समस्याओं को छांटना और परिणाम निकालने पर समर्थ नहीं हो सकते। यह सीधा मार्ग है कि वह इरादे के बिना क़ुर्आन की समस्त शिक्षाओं से उन अध्यात्म ज्ञानों का चयन करना तथा परिणाम निकालना जो विरासत में मिली क्रियात्मक पद्धतियों के माध्यम से मिले हैं बिना विचार अविलम्ब स्वीकार कर लें तथा जो

① अन्नहल - 90

② अलअन्आम - 39

लोग महान विलायत की वह्यी के प्रकाश से प्रकाशित हैं और الاالمطهرون के गिरोह में सम्मिलित हैं उनसे नि:सन्देह ख़ुदा का नियम यही है कि वह समय-समय पर क़ुर्आन के गुप्त रहस्य उन पर खोलता रहता है तथा उन पर यह बात सिद्ध कर देता है कि आंहज़रत[स.अ.व.] ने कोई अतिरिक्त शिक्षा कदापि नहीं दी अपितु सही हदीसों में संक्षेप एवं संकेत पवित्र क़ुर्आन का विवरण है। अत: इस अध्यात्म ज्ञान के पाने से उन पर पवित्र क़ुर्आन का चमत्कार प्रकट हो जाता है तथा उन स्पष्ट आयतों की सच्चाई उन पर प्रकाशित हो जाती है जो अल्लाह तआला कहता है कि पवित्र क़ुर्आन से कोई वस्तु बाहर नहीं।

यद्यपि भौतिकवादी उलेमा भी एक संकीर्णता की अवस्था के साथ उन आयतों पर ईमान लाते हैं ताकि उन को झुठलाना न पड़े, परन्तु वह पूर्ण विश्वास, सन्तोष एवं सन्तुष्टि जो पूर्ण मुल्हम को सही हदीसों तथा पवित्र क़ुर्आन की अनुकूलता देखने के पश्चात् और उस पूर्ण परिधि को ज्ञात करने के उपरान्त जो वास्तव में क़ुर्आन को समस्त हदीसों पर है मिलती है वह भौतिकवादी उलेमा को किसी प्रकार मिल नहीं सकती। अपितु कुछ लोग तो पवित्र क़ुर्आन को अपूर्ण और अधूरा समझ बैठते हैं और जिन असीमित सच्चाइयों, वास्तविकताओं तथा अध्यात्म ज्ञानों पर पवित्र क़ुर्आन के अनश्वर तथा सम्पूर्ण चमत्कारों की नींव है उसके वे इन्कारी हैं और न केवल इन्कारी अपितु अपने इन्कार के कारण उन समस्त आयतों एवं स्पष्ट आदेशों को झुठलाते

हैं जिनमें स्पष्ट तौर पर महावैभवशाली ख़ुदा ने कहा है कि क़ुर्आन सम्पूर्ण धार्मिक शिक्षाओं का संग्रहीता है !!!

अतः दर्शकगण समझ सकते हैं कि मैंने श्रृंखलाबद्ध रूप में निरन्तर चली आ रही क्रियात्मक पद्धतियों का अपने चतुर्थ तथा पंचम पर्चे में एक पृथक भाग स्पष्टतापूर्वक वर्णन कर दिया है तथा मेरे पंचम पर्चे को पढ़ने से स्पष्ट होगा कि मैंने उन श्रंखलाबद्ध निरन्तर क्रियात्मक रूप में चली आ रही पद्धतियों को एक ही श्रेणी के विश्वास पर नहीं ठहराया अपितु मैं उनकी श्रेणियों की भिन्नता को मानता हूं जैसा कि मेरे पंचम पर्चे के पृष्ठ 3 में यह इबारत है कि जितनी हदीसें क्रियात्मक श्रृंखला से प्राप्त हैं वे लाभ उठाने तथा लाभान्वित होने के अनुसार विश्वास की श्रेणी तक पहुंचती हैं अर्थात् उनमें से कोई विश्वास की प्रथम श्रेणी पर पहुंच जाती है और कोई मध्यम श्रेणी पर और कोई विश्वास की निम्न श्रेणी तक, जिसे दृढ़ अनुमान कहते हैं, परन्तु वे समस्त हदीसें इसके बिना कि उन को क़ुर्आन की कसौटी पर परखा जाए रिवायत के **क्रियात्मक** तथा **सही** होने अर्थात् दोनों शक्तियों के एकत्र होने के कारण संतोष के योग्य हैं, किन्तु ऐसी अकेली हदीसें जो श्रृंखलाबद्ध निरन्तर क्रियात्मक पद्धतियों में से नहीं हैं और निरन्तर क्रियात्मक क्रम से कोई पर्याप्त सम्बन्ध नहीं रखतीं वह इस श्रेणी के सही होने से गिरी हुई हैं। अतः प्रत्येक बुद्धिमान समझ सकता है कि ऐसी हदीसें केवल अतीत की सूचनाएं तथा भूतकालीन कहानियां या भावी क़िस्से हैं जिनका निरन्तरता से भी कोई सम्बन्ध नहीं। यह मेरा

वह बयान है जो मैं इस लेख से पूर्व लिख चुका हूं। यही कारण है कि मैंने अपने किसी पर्चे में इन दूसरे भाग की हदीसों का नाम श्रृंखलाबद्ध निरन्तर क्रियात्मक पद्धतियां नहीं रखा अपितु लेख के प्रारंभ प्रत्येक स्थान पर हदीस के नाम से याद किया, जिससे मेरा अभिप्राय भूतकालीन घटनाएं तथा पिछले वृत्तान्त अथवा भावी वृत्तान्त थे और स्पष्ट है कि श्रृंखलाबद्ध निरन्तर क्रियात्मक पद्धतियों एवं प्रचलित आदेशों के निकालने के पश्चात् जो हदीसें पूर्णरूपेण क्रियात्मक अनिवार्यता से बाहर रह जाती हैं वे यही घटनाएं, सूचनाएं एवं वृत्तान्त हैं जो क्रियात्मकता के अनिवार्य क्रम से बाहर हैं और एक मूर्ख भी समझ सकता है कि यह बहस आदेशों के मतभेदों के कारण आरंभ नहीं की गई तथा मैं समस्त मुसलमानों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं किसी एक आदेश में भी दूसरे मुसलमानों से पृथक नहीं। जिस प्रकार समस्त मुसलमान पवित्र क़ुर्आन के स्पष्ट आदेशों, सही हदीसों तथा विवेचना करने वाले मान्य लोगों के अनुमानों का पालन करना अनिवार्य समझते हैं उसी प्रकार मैं भी समझता हूं केवल कुछ पिछली एवं भावी सूचनाओं के सम्बन्ध में ख़ुदा के इल्हाम के कारण जिसे मैंने क़ुर्आन से पूर्णरूपेण अनुकूल पाया है, मैं हदीसों की कुछ सूचनाओं के अर्थ इस प्रकार से नहीं करता जो इस समय के उलेमा करते हैं, क्योंकि ऐसे अर्थ करने से वे हदीसें न केवल पवित्र क़ुर्आन की विरोधी ठहरती हैं अपितु दूसरी हदीसों की जो सही होने में उनके बराबर हैं की विरोधी और विपरीत ठहरती हैं। अतः वास्तव में यह सारी बहस उन सूचनाओं

से सम्बन्धित है जिनके निरस्त होने के बारे में पहले और बाद में आने वाले विद्वानों में कोई भी नहीं मानता। कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं जिसकी यह आस्था हो कि पवित्र क़ुर्आन की वे आयतें जिनमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मृत्यु का वर्णन है हदीसों से निरस्त हो चुकी हैं या यह आस्था हो कि हदीसें अपने सही होने में उन से बढ़कर हैं अपितु इस मार्ग में इन्कार की स्थिति में इस पद्धति के अतिरिक्त बात करने की शक्ति नहीं कि यह कहा जाए कि वे आयतें प्रस्तुत करे हम हदीसों के अनुकूल कर देंगे। अत: हे हज़रत मौलवी साहिब ! आप क्रोधित न हों। काश आपने ईमानदारी को दृष्टिगत रखकर वही अभीष्ट पद्धति धारण की होती ! क्या आप को ज्ञात नहीं था कि जो हदीसें क्रियात्मक क्रम में सम्मिलित हों उन्हें मैं विवादित बहस से बाहर कर चुका हूं ? और यदि ज्ञात था तो फिर आप ने गधे के अवैध होने की हदीस क्यों प्रस्तुत की ? क्या किसी वस्तु को अवैध या वैध करना आदेशों में से नहीं ? और क्या खान-पान के आदेश लोगों के क्रियात्मक क्षेत्र से बाहर हैं ? और फिर आपने-

لعنت علی الواشمات والمستوشمات

की हदीस भी प्रस्तुत कर दी और आपको कुछ विचार न आया कि ये तो सब आदेश हैं जिन के लिए क्रियात्मक क्रम के अन्तर्गत आना आवश्यक है। आप सच कहें कि इन समस्त असंबंधित बातों से आपने अपना और श्रोताओं का समय नष्ट किया या कुछ और किया ? लोग प्रतीक्षा में थे कि मूल बहस के सुनने से जिसका प्रत्येक स्थान

पर शोर मच गया है लाभ उठाएं तथा सत्य और असत्य का निर्णय हो, किन्तु आपने निरर्थक, व्यर्थ तथा असंबंधित बातें प्रारंभ कर दीं। कदाचित इन बातों से वे लोग बहुत प्रसन्न हुए होंगे जिनमें मूल उद्देश्य को पहचानने का तत्त्व नहीं, परन्तु मैं सुनता हूं कि वास्तविकता को पहचानने वाले लोग आप के इस भाषण से बहुत क्रुद्ध हुए और उन्होंने आपकी शास्त्रार्थ की योग्यता का तत्त्व ज्ञात कर लिया कि कहां तक है। बहरहाल चूंकि आप अपने इस धोखा देने वाले लेख को एक सार्वजनिक जलसा में सुना चुके हैं। इसलिए मैं उचित अवसरों से आप के कथनों को उसका कथन और मेरा कथन की शैली पर नीचे वर्णन करता हूं ताकि न्यायाधीशों पर स्पष्ट हो जाए कि आपने कहां तक ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सभ्यता तथा शास्त्रार्थ की पद्धति का ध्यान रखा है। ख़ुदा की सामर्थ्य के साथ।

उसका कथन - आप ने मेरे प्रश्न का स्पष्ट और निश्चित उत्तर नहीं दिया कि समस्त हदीसें सही हैं या समस्त काल्पनिक या मिश्रित।

मेरा कथन - हज़रत ! मैं आपको कई बार उत्तर दे चुका हूं कि हदीसों का दूसरा भाग जो क्रियात्मक क्रम से या यों कहो कि श्रृंखलाबद्ध निरन्तर क्रियात्मक पद्धतियों से बाहर है केवल अनुमान की श्रेणी पर है और यही मेरा मत है और चूंकि उस भाग से जो भूतकालीन सूचनाओं या स्थायी प्रकारों में से है निरस्त होना भी सम्बद्ध नहीं इसलिए क़ुर्आन के नितान्त स्पष्ट आदेशों के विरोधी होने की अवस्था में स्वीकार करने योग्य नहीं। यदि कोई ऐसी हदीस क़ुर्आन के नितान्त

स्पष्ट आदेश की विरोधी होगी तो प्रत्यक्ष अर्थों से हटकर व्याख्या करने योग्य होगी या काल्पनिक ठहरेगी।

उसका कथन - सही बुख़ारी तथा मुस्लिम में कोई हदीस विरोधाभास के कारण काल्पनिक ठहर सकती है ?

मेरा कथन - निःसन्देह भाग द्वितीय के बारे में कई ऐसी हदीसें हैं जिन में बहुत विरोधाभास पाया जाता है जैसे कि वही हदीसें जो इब्ने मरयम के उतरने के बारे में हैं क्योंकि क़ुर्आन निश्चित तौर पर निर्णय देता है कि मसीह इब्ने मरयम मृत्यु पा चुका है तथा सहीहैन की कुछ हदीसें भी इस निर्णय पर ठोस गवाह हैं तथा सहाबा और उम्मत के विद्वानों का एक गिरोह भी शताब्दियों से इसी बात का इक़रार करने वाला है और ईसाइयों का यूनीटेरियन सम्प्रदाय भी इसी बात को मानता है तथा यहूदियों की भी यही आस्था है। अब यदि इन विरोधी हदीसों को जो क़ुर्आन और सही हदीसों के विपरीत हैं हमारी पद्धति के अनुसार प्रत्यक्ष अर्थों से हटकर व्याख्या न की जाए तो फिर निःसन्देह काल्पनिक ठहरेंगी और वे हदीसें स्वयं पुकार कर कह रही हैं कि इब्ने मरयम का शब्द इनमें वास्तविकता पर चरितार्थ नहीं, परन्तु इस युग के अधिकतर मौलवी लोग और विशेषतः आप की इच्छा विदित होती है कि क़ुर्आन से उन को अनुकूलता न दी जाए, यद्यपि वे इस विरोध के कारण काल्पनिक ही ठहर जाएं। आप का अनुकूल करने का दावा है परन्तु इस व्यर्थ दावे को कौन सुनता है जब तक आप इस बहस को प्रारंभ करके अनुकूलता करके न

दिखाएं। इसी प्रकार कई हदीसें और भी हैं जिनमें परस्पर बहुत भिन्नता पाई जाती है। उदाहरणतया बुख़ारी के पृष्ठ 455 में जो मे'राज की हदीस मालिक की रिवायत से लिखी है वह दूसरी हदीसों से जो इसी बुख़ारी में लिखी हैं बिल्कुल भिन्न है केवल नमूने के तौर पर दिखाता हूं कि उस हदीस में लिखा है कि आंहज़रत[स.अ.व.] ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को छठे आकाश पर देखा, परन्तु बुख़ारी के पृष्ठ 471 में अबूज़र की रिवायत से मूसा की बजाए इब्राहीम[अ.] का छठे आकाश पर देखना लिखा है और फिर बुख़ारी की वह हदीस जो नमाज़ (सलात) के अध्याय में है तथा इमाम अहमद की मुसनद में भी है उस से ज्ञात होता है कि मे'राज जागने की अवस्था में था और इसी पर अधिकतर सहाबा की सहमति भी है परन्तु बुख़ारी की हदीस पृष्ठ 455 जो मालिक की रिवायत से है तथा बुख़ारी की वह हदीस जो शरीफ़ बिन अब्दुल्लाह से है स्पष्ट तौर पर वर्णन कर रही है कि वह इस्रा अर्थात् मे'राज नींद की अवस्था में था। तीनों हदीसों में जिब्राईल के उतरने का स्थान अलग-अलग लिखा है। किसी में बैतुल्लाह के निकट और किसी में अपना घर प्रकट किया है और शरीफ़ की हदीस में قبل ان یوحیٰ का शब्द भी लिखा है, जिस से समझा जाता है कि आंहज़रत की पैग़म्बरी से पूर्व मे'राज हुआ था हालांकि इसमें कुछ सन्देह नहीं कि यह मे'राज अवतरित होने के पश्चात् हुआ है तभी तो नमाज़ें भी अनिवार्य हुईं और स्वयं हदीस भी अवतरित होने के पश्चात् इसी को ही सिद्ध कर

रही है जैसा कि उसी हदीस में जिब्राईल का कथन بواب السمآء के उस प्रश्न के उत्तर में कि أبُعِثَ-نَعَمْ लिखा है। इन मतभेदों का यदि यह उत्तर दिया जाए कि यह इस्त्रा अनेक समयों में हुआ है इसी कारण कभी मूसा[अ.] को छठे आकाश में देखा और कभी इब्राहीम को तो यह तावील अधम है क्योंकि नबी और वली मृत्योपरांत अपने-अपने स्थानों से सीमोल्लंघन नहीं करते जैसा कि पवित्र क़ुर्आन से सिद्ध होता है।

इसके अतिरिक्त कई बार मे'राज को मानने में एक बड़ा दोष यह है कि कुछ अपरिवर्तनीय एवं सदैव रहने वाले आदेशों को व्यर्थ तौर पर निरस्त मानना पड़ता है और स्वच्छन्द नीतिवान को एक व्यर्थ और अनावश्यक निरस्तता करने वाला ठहरा कर फिर लज्जा के तौर पर पहले ही आदेश की ओर लौटने वाला विश्वास करना पड़ता है क्योंकि यदि मे'राज की घटना कई बार हुई है जैसा कि हदीसों का विरोधाभास दूर करने के लिए उत्तर दिया जाता है तो फिर इस स्थिति में यह आस्था और विश्वास होना चाहिए कि उदाहरणतया प्रथम बार के समय में पचास नमाज़ें अनिवार्य की गईं और उन पचास में कमी कराने के लिए आंहज़रत[स.अ.व.] ने कई बार मूसा और अपने रब्ब में आना-जाना किया यहां तक कि पचास नमाज़ों से कमी करा के पांच स्वीकार कराईं और ख़ुदा तआला ने कह दिया अब सदैव के लिए यह आदेश अपरिवर्तनीय है कि नमाज़ें पांच निर्धारित हुईं और क़ुर्आन पांच के लिए उतर गया फिर दूसरी बार की मे'राज में यही विवाद पुनः नए

सिरे से सामने आ गया कि ख़ुदा तआला ने फिर पचास नमाज़ें निर्धारित कीं और क़ुर्आन में जो आदेश आ चुका था उस का कुछ भी ध्यान न रखा और निरस्त कर दिया परन्तु फिर आंहज़रत[स.अ.व.] ने पहल बार के मे'राज की भांति पचास नमाज़ों में कुछ कमी कराने के उद्देश्य से कई बार हज़रत मूसा और अपने रब्ब में आ-जा कर पांच नमाज़ें निर्धारित कराईं और ख़ुदा के दरबार से यह सदैव के लिए स्वीकार हो गईं कि नमाज़ें पांच पढ़ा करें और पवित्र क़ुर्आन में यह आदेश अपरिवर्तनीय ठहर गया, परन्तु फिर तीसरी बार के मे'राज में वही पहला संकट पुनः आ गया नमाज़ें पचास निर्धारित की गईं और पवित्र क़ुर्आन की आयतें जो अपरिवर्तनीय थीं निरस्त की गईं फिर आंहज़रत[स.अ.व.] ने बहुत परिश्रम और बार-बार जाकर पांच नमाज़ें स्वीकृत कराईं परन्तु निरस्त की हुई आयतों के पश्चात् फिर कोई नई आयत नहीं उतरी !!! अब क्या यह समझ आ सकता है कि ख़ुदा तआला एक बार कमी करके फिर पांच से पचास नमाज़ें बना दे और फिर कम करे और पुनः पचास की पांच हो जाएं और क़ुर्आन की आयतें बार-बार निरस्त की जाएं तथा * نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا इच्छानुसार और कोई निरस्त करने वाली आयत न उतरे। वास्तव में ऐसा विचार करना ख़ुदा की वह्यी के साथ एक बाज़ी है। जिन लोगों ने ऐसा सोचा था उनका उद्देश्य यह था कि किसी प्रकार से विरोधाभास दूर हो परन्तु ऐसी तावीलों से विरोधाभास कदापि दूर नहीं हो सकता

* अलबक़रह - 107

अपितु आरोपों का भंडार और भी बढ़ता है। इसी प्रकार अन्य कई हदीसों में विरोधाभास है।

उसका कथन - आप लिखते हैं कि हदीसों के दो भाग हैं। प्रथम वह भाग जो क्रियात्मक क्रम में आ चुका है जिसमें वे समस्त धार्मिक आवश्यकताएं उपासनाएं, मामले और शरीअत के आदेश सम्मिलित हैं। द्वितीय वह भाग जो क्रियात्मक क्रम से संबंध नहीं रखता। यह भाग निश्चित तौर पर सही नहीं है और यदि क़ुर्आन के विपरीत न हो तो सही स्वीकार हो सकता है। इस कथन से सिद्ध होता है कि आप हदीस के ज्ञान और रिवायतों के नियमों तथा रिवायत को बौद्धिक तौर पर परखने के सिद्धान्तों से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं और इस्लामी समस्याओं से अपरिचित।

मेरा कथन - आप का यह सिद्ध करना इस बात को सिद्ध कर रहा है कि हदीस के ज्ञान के अतिरिक्त आपको बात समझाने की भी बहुत योग्यता है।* दर्शक समझ सकते हैं कि मैंने जो कुछ अपने पूर्व लेखों के संख्या चतुर्थ तथा पंचम में वर्णन किया है वह सामान्य लोगों के समझाने के लिए एक सामान्य इबारत है। इसीलिए मैंने

---

* हाशिया - हमारे धर्मगुरु ! मौलवी साहिब की बात को समझना था समझने की योग्यता को यह खाकसार भी स्वीकार करता है और प्रमाण में मौलवी साहिब का यह अनुपम शे'र प्रस्तुत करता है -

آنکس کہ خود ز ضعف و مرض لاغری کند　　الله الله ! صدق من قال وھو القائل العزیز

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِیْٓ اَکِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَیْهِ وَفِیْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ[1] (एडीटर)

① हा मीम अस्सज्दह - 6

अहले हदीस की परिभाषा से कोई सरोकार नहीं रखा, क्योंकि जो लेख सार्वजनिक जल्से में पढ़ा जाए वह यथासंभव जनसामान्य की समझ और योग्यता के अनुसार होना चाहिए न कि मुल्लाओं की भांति एक-एक शब्द में अपने ज्ञान का प्रदर्शन हो और यह बात प्रत्येक व्यक्ति की समझ में आ सकती है कि हदीसों के दो ही भाग हैं। एक वह जो आदेश तथा ऐसे मामलों से सम्बद्ध है जो इस्लाम की मूल शिक्षा तथा उनका पालन करने से सम्बन्ध रखते हैं और एक वह जो वृत्तान्त, घटनाएं, कहानियां तथा सूचनाएं हैं जिन का क्रियात्मक श्रृंखला से कुछ ऐसा आवश्यक सम्बन्ध नहीं ठहराया गया। अतः मैंने धार्मिक आवश्यकताओं के शब्द से अभिप्राय उन्हीं बातों को लिया है जिनका क्रियात्मक श्रृंखला से आवश्यक सम्बन्ध है तथा आप अपने हदीस के ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए इस स्पष्ट और सीधे भाषण पर अनुचित पकड़ करना चाहते हैं तथा अकारण आवश्यकताओं के शब्द को पकड़ लिया है। क्या आप को इस बात का भी ज्ञान नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए परिभाषा बनाने का अधिकार रखता है ? आप का कहना है कि यदि आवश्यकताओं से अभिप्राय आवश्यकता से संबंधित बातें हों तो इस से आंहज़रत[स.अ.व.] की कोई हदीस अपवाद से बाहर नहीं रहती। आंहज़रत[स.अ.व.] ने जो कुछ धर्म के बारे में कहा है वह धार्मिक आवश्यकता के बारे में है परन्तु खेद कि आप जानबूझ कर सत्य को छिपा रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सूचनाओं तथा

कहानियों में जो बात विवादित है उसका क्रियात्मक श्रृंखला से कोई अधिक सम्बन्ध नहीं। हमें जो कुछ मुसलमान बनने के लिए आवश्यकताएं हैं वे आदेश ख़ुदा और रसूल द्वारा प्राप्त हैं और वही आदेश क्रियात्मक रूप में एक युग के बाद दूसरे युग में प्रचलित होते रहते हैं। मुस्लिम और बुख़ारी में कई स्थानों पर बनी इस्राईल के क़िस्से तथा नबियों, वलियों तथा काफ़िरों के भी वृत्तान्त हैं जिन पर विशेष-विशेष व्यक्तियों के अतिरिक्त जो हदीस-विद्या का अभ्यास रखते हैं दूसरों को सूचना तक नहीं और न इस्लामी वास्तविकता के अनुसंधान के लिए उन की सूचना कुछ आवश्यक है। अतः वही तथा इस प्रकार के अन्य मामले हैं जिनका नाम मैं केवल हदीसें रखता हूं उन्हें श्रृंखलाबद्ध, निरन्तर उपलब्ध की संज्ञा नहीं देता तथा वही हैं जो कर्मक्षेत्र की श्रृंखला से बाहर हैं और मुसलमानों को कर्मक्षेत्र की हदीसों की भांति उनकी कुछ भी आवश्यकता नहीं। यदि इसी सभा में बुख़ारी या मुस्लिम के कुछ क़िस्से इस समय उपस्थित मुसलमानों से पूछे जाएं तो ऐसे लोग बहुत ही कम निकलेंगे जिन्हें वे परिस्थितियां ज्ञात हों अपितु किसी ऐसे व्यक्ति के अतिरिक्त जो अपनी जानकारियों में वृद्धि करने के लिए दिन-रात हदीसों का कार्य करता है तथा कोई नहीं जो वर्णन कर सके परन्तु प्रत्येक मुसलमान उन समस्त आदेशों एवं कर्त्तव्यों को जिन्हें हम प्रथम भाग में सम्मिलित करते हैं क्रियात्मक तौर पर स्मरण रखता है क्योंकि वे मुसलमान बनने की स्थिति में उसे स्थायी तौर पर करने पड़ते हैं या

कभी-कभी करने के लिए वह विवश किया जाता है। हां यह सच है कि क्रियात्मक रूप से संबंधित आदेश वे सब प्रमाण की दृष्टि से एक श्रेणी पर नहीं। जिन मामलों की श्रृंखलात्मक क्रिया में निरन्तरता बिना विघ्न तथा बिना मतभेद चली आई है वे प्रथम श्रेणी पर हैं तथा जितने आदेश अपने साथ आदेश लेकर क्रियात्मक परिधि में सम्मिलित हुए हैं वे मतभेद के अनुसार इस प्रथम श्रेणी से कम स्तर पर हैं उदाहरणतया रफ़ा यदैन या रफ़ा यदैन रहित जो दो प्रकार की क्रियात्मक पद्धति चली आती है इन दोनों पद्धतियों से जो क्रिया प्रथम सदी से आज तक प्रचुरता के साथ पाई जाती है उसकी श्रेणी अधिक होगी तथा इसके बावजूद दूसरे को बिदअत नहीं कहेंगे अपितु इन दोनों क्रियाओं को अनुकूल बनाने के उद्देश्य से यह विचार होगा कि निरन्तर क्रियात्मक प्रचलन के बावजूद फिर उस मतभेद का पाया जाना इस बात पर प्रमाण है कि स्वयं आंहज़रत[स.अ.व.] ने सात क़िरअतों की भांति नमाज़ की अदायगी के ढंगों में उम्मत के कष्ट निवारण के लिए विशालता दे दी होगी और इस मतभेद को स्वयं जानबूझ कर ढील देने में सम्मिलित कर दिया होगा ताकि उम्मत को कष्ट न हो। अतः इसमें कौन सन्देह कर सकता है कि क्रियात्मक श्रृंखला से नबी[स.अ.व.] की हदीसों को शक्ति मिलती है और उन्हें निरन्तर श्रृंखलाबद्ध उपलब्ध पद्धतियों की संज्ञा प्राप्त होती है। स्मरण रखना चाहिए कि प्रथम श्रेणी पर आदेशों की क्रियात्मक श्रृंखला है वह मतभेद से पूर्णतया सुरक्षित है। कोई मुसलमान इस बात में मतभेद

नहीं रखता कि प्रातः फ़ज्र की दो रकअत फ़र्ज़ और मग़रिब की तीन तथा ज़ुहर, अस्र और इशा की चार-चार तथा इस बात में किसी को मतभेद नहीं कि प्रत्येक नमाज़ में इस शर्त पर कि कोई रुकावट न हो खड़ा होना (क़ियाम), बैठना (क़ुऊद) और रुकू आवश्यक हैं और सलाम फेर कर नमाज़ से बाहर आना चाहिए। इसी प्रकार ख़ुत्बा जुमा, ईदैन, इबादत, रमज़ान के अन्तिम दस दिनों में एतिकाफ़, हज और ज़कात ऐसे मामले हैं कि यह क्रियात्मक रूप की बरकत अपने अस्तित्व में सुरक्षित चली आती हैं और हमारा यह दावा नहीं कि प्रत्येक नबवी आदेश तथा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा[स.] की शिक्षा समान रूप से क्रियात्मक श्रृंखला में आ गई है। हां जो पूर्ण रूप से आ गई है वह पूर्ण रूप से प्रमाण का प्रकाश अपने साथ रखती है अन्यथा जितनी या जिस श्रेणी तक कोई आदेश क्रियात्मक श्रृंखला से लाभान्वित हुआ है उतना ही प्रमाण और विश्वास के रंग से रंगीन हो गया है।

उसका कथन - आपने जो वर्णनकर्ता की समझ का सही होना शर्त के तौर पर ठहराया है यह आपकी हदीस के ज्ञान की अनभिज्ञता का प्रमाण है। अर्थ का समझना प्रत्येक हदीस के वर्णन के लिए शर्त नहीं है अपितु विशेष तौर पर उस हदीस के वर्णन के लिए शर्त है जिसमें अर्थ-सहित वर्णन हो।

मेरा कथन - हज़रत ! मैंने समझ के सही होने को शर्त ठहराया

है न कि अर्थ के समझने को। ख़ुदा तआला आपको सही समझ* प्रदान करे। समझ का सही होना यह है कि समझने की शक्ति में कोई विकार न हो, मानसिक विघ्न न हो और यह भी आपकी सर्वथा मूर्खता मालूम होती है कि हदीस से वर्णनकर्ताओं ने मात्र शब्दों से मतलब रखा है। यह स्पष्ट है कि जब तक शब्द के सुनने से उसके अर्थ की ओर मस्तिष्क न जाए अकेले शब्द बिना अर्थ के स्मरण हों। जैसे एक व्यक्ति अंग्रेज़ी से सर्वथा अज्ञान उसके कुछ शब्द सुनकर याद कर ले, ऐसा व्यक्ति प्रचारकों में सम्मिलित नहीं हो सकता। सहाबा[रज़ि.] आंहज़रत की हदीसों के प्रचारक थे तथा प्रचार के लिए कम से कम इतनी समझ तो आवश्यक है कि शब्दकोश के तौर पर उन इबारतों के अर्थ ज्ञात हों, जो व्यक्ति इतनी समझ भी नहीं रखता कि मुझे दूसरे तक पहुंचाने के लिए जो बात कही गई है वह किस भाषा में है। क्या अरबी है या अंग्रेज़ी या तुर्की या इब्रानी तथा उसके अर्थ क्या हैं। ऐसा व्यक्ति क्या ख़ाक उस सन्देश का प्रचार करेगा और यदि हदीसों के ऐसे ही प्रचारक थे कि उनके लिए लेशमात्र भी यह शर्त नहीं थी कि शब्दों के शब्दकोशीय अर्थ भी

---

* **हाशिया** - इसकी तो बहुत कम आशा है। अब अवश्य है कि जल्दबाज़ी का स्वभाव रखने वाले मौलवी साहिब अंजाम, विघ्न और अनिवार्यताओं को अपने ऊपर लागू होता देखें जो एक दृढ़ प्रतिज्ञ ख़ुदा का योद्धा और वली के विरोध एवं शत्रुता का अटल परिणाम हैं। सच है, **من عادی لی ولیافقد آذنتہ بالحرب** सही प्रकृति और सही होश तथा हमेशा की औचित्य प्रियता मौलवी साहिब से जाती रही है तथा उनमें मौजूद लेख इसके साक्षी है। एडीटर

उन्हें ज्ञात हों तो ऐसे प्रचारकों से ख़ुदा हाफ़िज़* तथा ऐसे लोगों से हदीस की विद्या की प्रतिष्ठा को जो धब्बा लगता है वह गुप्त नहीं। जो व्यक्ति एक ऐसा सन्देश पहुंचाता है कि उस की बोध-शक्ति पूर्णतया उसके सन्देश के शब्दों को समझने से वंचित है, वह उन शब्दों को स्मरण रखने में भी कब और क्योंकर सुरक्षित रह सकता है ? जैसे वह व्यक्ति जो अंग्रेज़ी भाषा से सर्वथा अपरिचित है वह अंग्रेज़ी इबारतों को कई बार सुनकर भी स्मरण नहीं रख सकता अपितु एक शब्द भी जीभ से अदा नहीं कर सकता और आपका यह दावा भी बिल्कुल व्यर्थ है कि हदीसें बिल्कुल शब्दशः नक़ल हुई हैं इस स्थिति के अतिरिक्त कि सहाबी ने अर्थों सहित वृत्तान्त का इक़रार कर दिया हो क्योंकि यदि आप की यही आस्था है तो आप पर बहुत बड़ा संकट आएगा और आप उस विरोधाभास को जो मात्र शब्दों के मतभेद के कारण जो कुछ हदीसों में पैदा होता है किसी प्रकार भी दूर नहीं कर सकेंगे। उदाहरणतया बुख़ारी की उन्हीं हदीसों को देखें जिनमें अटल और दृढ़ तौर पर कुछ स्थानों पर मे'राज की रात में हज़रत मूसा को छठे आसमान में बताया है और कुछ स्थानों में हज़रत इब्राहीम को। फिर जिस अवस्था में आप के इक़रार के अनुसार हदीसों के प्रचारक हदीसों के बोध से रिक्त थे अर्थात् उनके

---

* मौलवी साहिब के होश व हवास को क्या हो गया, मौलवी साहिब ने ठीक उस समय नादान मित्र का रूप धारण किया हुआ है, ख़ुदा के लिए वह विचार करें कि علی غفلۃٍ (अला ग़फ़लतिन) हदीस की हिमायत की आड़ में उस को रद्द कर रहे हैं।

लिए उन शब्दों का समझना जो उनके मुख से निकले थे आवश्यक नहीं था तथा स्मरण शक्ति की यह दशा थी कि कभी मूसा को छठे आसमान पर स्थान दिया और कभी इब्राहीम को। अत: फिर ऐसे प्रचारकों की वे साक्ष्यें जो हदीस के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत कीं कितना महत्त्व रखती हैं। लज्जा का स्थान है ! आप क्यों अकारण उन बुज़ुर्गों पर ऐसे आरोप लगाते हैं जो साधारण मानवता से भी दूर हों। बिल्कुल स्पष्ट है कि जिसकी बोध शक्ति जाती रही हो वह अर्धपागल या अचेतना के आदेश में है। ऐसा कौन बुद्धिमान है कि ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के मुख से कोई हदीस सुनकर फिर उसे पालन करने योग्य बताए या उसके साथ क़ुर्आन पर अधिकता वैध हो। खेद कि आप ने यह भी नहीं समझा कि यदि हदीस के वर्णनकर्त्ता (रावी) के लिए समझ का सही होना शर्त नहीं तो फिर सही समझविहीन होना जो बुद्धि के विकार का समानार्थक है किसी वर्णनकर्ता में पाया जाना वैध होगा इस स्थिति में पागलों एवं नशे में मस्त लोगों की रिवायत नि:संकोच वैध और सही होगी क्योंकि समझ के उचित होने से अभिप्राय यह है कि बोध-शक्ति व्यर्थ एवं विक्षिप्त न हो। आप अपने वर्णन में रिवायत करने वाले पर न्याय की शर्त लगाते हैं और न्याय की विशेषता उचित बोध के अधीन है यदि उचित बोध में विकार हो और उचित समझ की विशेषताओं में विघ्न पैदा हो तो फिर किसी के कथन या कर्म में न्याय भी स्थापित नहीं रह सकता। न्याय के लिए बोध का उचित होना सदैव अनिवार्य है। यदि आप

अब भी हठ को न छोड़ें तो फिर आप पर अनिवार्य होगा कि आप किसी विश्वसनीय पुस्तक का हवाला दें जिस से सिद्ध हो कि विक्षिप्त लोगों की रिवायत भी हदीसविदों के निकट स्वीकार करने योग्य है ताकि आपका हदीस में पारंगत होना सिद्ध हो अन्यथा वे समस्त शब्द, ज्ञान से अनभिज्ञता जो अपनी आदत की विवशता के कारणवश आप इस विनीत के बारे में प्रयोग करते हैं आप पर लागू होंगे और मैं तो हदीसविदों का अनुयायी और शिष्य होकर वार्तालाप नहीं करता ताकि मेरे लिए उनके पदचिह्नों पर चलना या उनकी परिभाषाओं का पाबन्द होना आवश्यक* हो अपितु ख़ुदा के समझाने से वार्तालाप करता हूं परन्तु मैं आपके इस बार-बार के तिरस्कारपूर्ण शब्दों से जो आप कहते हैं कि तुम हदीस-विद्या से बिल्कुल अनभिज्ञ हो आप पर कुछ खेद नहीं करता क्योंकि जिस स्थिति में आप इस तिरस्कार की आदत से ऐसे विवश हैं कि **बुज़ुर्ग इमाम अबू हनीफ़ा**[रह.] भी जिन्होंने कुछ अनुयायियों को भी देखा था और जो धार्मिक ज्ञान के एक सागर

---

* **हाशिया** - क्या कोई कह सकता है कि हदीसविदों की परिभाषाएं हैं तथा शारिअ अलैहिस्सलाम की सत्यापन की उन पर मुहर लगी हुई है। इसमें सन्देह नहीं कि जैसे अन्य विद्याओं एवं कलाओं की परिभाषाएं मनुष्यों ने अपनी बुद्धि की शुद्धता से बनाई हैं, इस पवित्र ज्ञान का (जिस पर अवधि की दीर्घता तथा मतभेदों का अन्तर और बनू अब्बास एवं बनू उमैया, बनू फ़ातिमा के परस्पर गृह-युद्धों तथा ईर्ष्या एवं शत्रुता का भयंकर अंधकार छा गया था) अनुसंधान तथा समीक्षा के लिए उत्तम बोध से, न कि ख़ुदा के इल्हाम और वह्यी से नियम और सिद्धान्तों का निर्माण किया। इस आधार पर कदापि आवश्यक नहीं कि एक ख़ुदा से समर्थित मुल्हम तथा साहिब-ए-वह्यी मनुष्य को उनका पालन अनिवार्य हो। एडीटर।

थे आपके तिरस्कार से सुरक्षित नहीं रह सके* और उनके बारे में

---

* ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में क्रूर हृदय यहूदियों ने नितान्त तिरस्कारपूर्ण चर्चा करना और उन पर अकथनीय आरोपों का क्रम जारी कर रखा था और कोई भी विवेकवान एवं स्वाभिमानी व्यक्ति का समर्थक ऐसा न था जो जनाब रूहुल्लाह के मान-सम्मान को बेईमानों के हाथ से बचाने का प्रयत्न करता और अन्तत: बनी आदम का एक सच्चा शुभ चिन्तक और समस्त सत्यनिष्ठों का बहुत बड़ा समर्थक (اللّٰھم صل علیہ وعلی آلہ واجعلنی فداہ ووفقنی لاشاعۃ ماجاء بہ صَلَّی اللہ علیہ وسلم) संसार में आया जिसने وَجِیْھًا فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَۃِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِیْنَ (आले इमरान- 46) का शुभ सन्देश सुनाकर उनके खोए हुए सम्मान को पुन: यथावत् किया। इमाम अबू हनीफ़ा का अत्यधिक अपमान, तिरस्कार, मानहानि उस अनुदार, नीरस तथा बुद्धिहीन गिरोह-ए-ग़ैर मुकल्लिदीन ने अपने लेखों एवं भाषणों में की। उनके ज्ञान और महानता, उनकी किताब तथा सुन्नत के ज्ञान पर बड़े साहस से आलोचनाएं कीं। अन्तत: उसी अहमद, मुहम्मद (علیہ افضل الصلوات و التسلیمات) का सेवक और सच्चा सेवक आया और ख़ुदा के चुने हुए बन्दे, सुन्नत के वास्तविक अनुयायी के मान-सम्मान को कुछ धृष्ट शेखों के अनुचित हस्तक्षेप से बचाया और यह बात स्वाभाविक तौर पर इसलिए हुई कि उस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को महान इमाम हज़रत अबू हनीफ़ा से एक बहुत बड़ी समानता एवं सम्बन्ध है क्योंकि हज़रत इमाम[रह.] भी पवित्र क़ुर्आन से समस्याएं निकालने में विशेष महारत और ख़ुदा की प्रदत्त विशेष योग्यता रखते थे और यथासामर्थ्य समस्त घटनाओं और सामने आने वाली समस्याओं का आधार एवं उद्देश्य पवित्र क़ुर्आन को ही बनाते थे और बहुत कम अपितु अत्यन्त ही कम हदीसों की ओर ध्यान उनके असुरक्षित होने एवं अस्त-व्यस्त होने तथा कमज़ोर होने के ध्यान देते थे। इसी प्रकार हमारे मुर्शिद और मार्ग-दर्शक मिर्ज़ा साहिब भी पवित्र क़ुर्आन से सूक्ष्म बातें अध्यात्म ज्ञान और ख़ुदाई ज्ञानों को निकालने में महारत रखते हैं और पवित्र क़ुर्आन के साथ जो शिर्क किया गया है उसका वास्तविक सम्मान और बिना भागीदारी के सम्मान उससे छीन कर अन्य-अन्य दोषपूर्ण किताबों को दिया गया है। इस अक्षम्य शिर्क के निवारण के लिए आए हैं। ख़ाकसार के सामने भरी सभा में हुज़ूर ने कहा था कि यदि विश्व की समस्त किताबें, फ़िक:, हदीस, शास्त्रार्थ विद्या इत्यादि, इत्यादि जो मानव की सांस्कृतिक, सामाजिक, सामूहिक एवं राजनीतिक जीवन से सम्बन्ध रखती हैं और जिन्हें लोग आवश्यक और अनिवार्य कहते हैं। मान लीजिए यदि संसार से सर्वथा समाप्त कर दी जाएं, मैं

भी कह दिया कि युग व स्थान की निकटता के बावजूद आंहज़रत[स.] की हदीस पाने से वंचित रहे और विवशतावश अनुमानित अटकलों पर गुज़ारा रहा तो फिर यदि मुझे भी आप उन्हीं उपाधियों से उपाधित करें तो वास्तव में मुझे प्रसन्न होना चाहिए कि जो कुछ **इमाम साहिब** के बारे में आपकी आपके मुख से निकला वही बातें मेरे लिए भी प्रकट हुईं।

उसका कथन - कदाचित् आप कहेंगे कि सभी हदीसें अर्थसहित रिवायत होती हैं जैसा कि आप के अग्रसर सय्यद अहमद खां ने कहा है जिसके अनुसरण से आपने क़ुर्आन को हदीसों के सही होने का मापदण्ड ठहराया।

मेरा कथन - यह आप का सर्वथा बनाया हुआ झूठ है। कि सय्यद अहमद खां को इस विनीत का अग्रसर ठहराते हैं। मेरा अग्रसर एवं मार्गदर्शक महावैभवशाली अल्लाह का कलाम है तथा

दावे के साथ कहता हूं कि मैं अल्लाह की सहायता एवं सामर्थ्य से उन समस्त आवश्यकताओं एवं नवीन पैदा होने वाली आवश्यकताओं को पवित्र क़ुर्आन से निकाल कर पूर्ण करके दिखा दूंगा। सुब्हान अल्लाह ! निश्चय ही आपका दावा उचित देखा गया है। आशा है कि 'बराहीन अहमदिया' और अन्ततः 'इज़ाला औहाम' के पाठक इस दावे की पुष्टि में तनिक भी असमंजस में नहीं पड़ेंगे। कहां और किस तफ़्सीर की किताब में वे अद्‌भुत रहस्य एवं बारीकियां हैं जो इस मुजद्दिद, मुहद्दिस और ख़ुदा के योद्धा ने पवित्र क़ुर्आन से निकाल कर दिखाई हैं ? यह आरोप लगाना कि महान इमाम अबू हनीफ़ा रह. की प्रशंसा हनफ़ियों को प्रसन्न करने के लिए की गई है इस योग्य है कि उसके उत्तर से मुख फेर लिया जाए। इसलिए कि प्रत्येक बुद्धिमान जानता है कि मिर्ज़ा साहिब अपने बुलन्द और सच्चे दावों से कहां तक लोगों और क़ौमों को प्रसन्न कर रहे हैं। एडीटर

फिर उसके रसूल का कलाम। मैंने किस समय कहा है कि सभी हदीसें अर्थसहित रिवायत होती हैं ? अपितु मेरा मत तो यह है कि यथासंभव सहाबा नबी अलैहिस्सलाम के मूल शब्दों को कंठस्थ करने को प्रयासरत थे ताकि प्रत्येक व्यक्ति उन बरकत वाले शब्दों पर विचार कर सके और नबी अलैहिस्सलाम का वास्तविक अर्थ समझने के लिए वे शब्द मौजूद हों। हां उनकी रिवायतों पर और इसी प्रकार दूसरों की रिवायतों पर पूर्ण विश्वास करने के लिए उचित समझ का होना आवश्यक शर्त है, क्योंकि यदि समझ में वृद्धावस्था या मानसिक-विकार के कारण कोई विघ्न पैदा हो जाए तो केवल शब्दों का कंठस्थ होना पर्याप्त नहीं अपितु ऐसी स्थिति में तो शब्दों पर सन्देह पड़ता है कि कदाचित् मानसिक विकार के कारण उसमें भी कुछ कमी-बेशी हो गई और पवित्र क़ुर्आन को मापदण्ड बनाने से आप क्यों क्रोधित होते हैं ? जबकि क़ुर्आन सत्य और असत्य में अन्तर करने के लिए आया है फिर यदि मापदण्ड नहीं तो और क्या है? निस्सन्देह पवित्र क़ुर्आन समस्त सच्चाइयों पर व्याप्त है और समस्त ज्ञानों में जहां तक सही होने से उनका सम्बन्ध है पवित्र क़ुर्आन में पाए जाते हैं, परन्तु वे श्रेष्ठताएं और वे विशेषताएं जो क़ुर्आन में हैं पवित्रात्माओं पर खुलती हैं जिन्हें ख़ुदा की वह्यी से सम्मानित किया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति तब मोमिन बनता है जब सच्चे हृदय से इस बात का इक़रार करे कि वास्तव में पवित्र क़ुर्आन हदीसों के लिए जो वर्णन करने वालों की सहायता से एकत्र

की गई हैं, मापदण्ड है यद्यपि इस मापदण्ड के पूर्ण प्रयोग पर जनसामान्य को बोध-शक्ति प्राप्त नहीं केवल विशिष्ट लोगों को प्राप्त है परन्तु शक्ति का प्राप्त न होना और बात है तथा एक वस्तु का एक के लिए निश्चित तौर पर मापदण्ड होना यह और बात है। मैं पूछता हूं कि जो विशेषताएं अल्लाह तआला ने पवित्र क़ुर्आन के लिए स्वयं वर्णन की हैं क्या उन पर ईमान लाना अनिवार्य है या नहीं ? और यदि अनिवार्य है तो फिर मैं पूछता हूं कि उस अल्लाह तआला ने पवित्र क़ुर्आन का नाम **क़ौल-ए-फ़सल** और **फ़ुरक़ान, मीज़ान**, और **नूर** (प्रकाश) नहीं रखा ? और क्या उसे समस्त मतभेदों का निवारण करने का उपकरण नहीं ठहराया ? और क्या यह नहीं कहा कि इसमें प्रत्येक समस्या का विवरण है ? और प्रत्येक बात का वर्णन है और क्या यह नहीं लिखा कि उसके निर्णय के विपरीत कोई हदीस मानने योग्य नहीं ? और यदि यह सब बातें सच हैं तो क्या मोमिन के लिए आवश्यक नहीं कि उन पर ईमान लाए और मुख से इक़रार और हृदय से सत्यापन करे ? और निश्चित तौर पर अपनी यह आस्था रखे कि वास्तव में पवित्र क़ुर्आन मापदण्ड, हकम और इमाम है, परन्तु वैसे लोग जिनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ा है पवित्र क़ुर्आन के संकेतों एवं रहस्यों की तह तक नहीं पहुंच सकते और इससे शरीअत की समस्याओं को निकालने पर समर्थ नहीं। इसलिए वे नबी[स.अ.व.] की सही हदीसों को इस दृष्टि से देखते हैं कि जैसे वे पवित्र क़ुर्आन पर कुछ अतिरिक्त वर्णन करती हैं या कुछ

आदेशों में उनको निरस्त करने वाली हैं और न अतिरिक्त वर्णन करती हैं अपितु पवित्र क़ुर्आन के कुछ संक्षिप्त संकेतों की व्याख्या करती हैं। पवित्र क़ुर्आन स्वयं कहता है -

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا[1]

अर्थात् हम कोई आयत निरस्त या भुलाते नहीं जिसके बदले में दूसरी वैसी ही आयत या उस से उत्तम नहीं लाते।

अतः इस आयत में पवित्र क़ुर्आन ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि आयत का निरस्तीकरण आयत से ही होता है। इसी कारण वादा दिया है कि निरस्तीकरण के पश्चात् निरस्त की गई आयत के स्थान पर आयत उतरती है। हां विद्वानों ने आसान समझकर उसकी ओर ध्यान ने देते हुए कुछ हदीसों को कुछ आयतों को निरस्त करने वाली ठहराया है। जैसा कि हनफ़ी फ़िक: की दृष्टि से प्रसिद्ध हदीस से आयत निरस्त हो सकती है, किन्तु इमाम शाफ़िई इस बात को मानता है कि हदीस की निरन्तरता से क़ुर्आन का निरस्तीकरण वैध नहीं तथा कुछ मुहद्दिस अकेली ख़बर से भी आयत के निरस्तीकरण को मानते हैं परन्तु निरस्तीकरण मानने वालों का यह तात्पर्य कदापि नहीं कि वास्तविक एवं निश्चित तौर पर हदीस से आयत निरस्त हो जाती है अपितु वे लिखते हैं कि वास्तविक बात तो यही है कि क़ुर्आन पर न अधिकता वैध है और न किसी हदीस से निरस्तीकरण, किन्तु हमारी अल्प दृष्टि में जो पवित्र क़ुर्आन से समस्याएं निकालने में असमर्थ है

[1] अलबक़रह - 107

ये समस्त बातें उचित प्रतीत होती हैं और सच यही है कि वास्तविक निरस्तीकरण और वास्तविक अधिकता क़ुर्आन पर वैध नहीं, क्योंकि इस से उसका झूठा होना अनिवार्य होता है। 'नूरुल अन्वार' जो हनफ़ियों के फ़िक: के सिद्धान्तों की किताब है उसके पृष्ठ-91 में लिखा है -

روی عن النبی صلی اللہ علیہ و سلم بعث معاذا الی الیمن قال له بماتقضی یامعاذ فقال بکتاب اللّٰہ قال فان لم تجد قال بسنة رسول اللہ قال فان لم تجد قال اجتهد برأی فقال الحمدللّٰہ الذی وفق رسوله بما یرضی به رسوله لا یقال انه یناقض قول اللہ تعالی ما فرطنا فی الکتاب من شیءٍ فکل شیءٍ فی القرآن فکیف یقال فان لم تجد فی کتاب اللہ لانّا نقول ان عدم الوجدان لا یقضی عدم کونه فی القرآن ولهٰذا قال صلی اللہ علیه و سلم فان لم تجد، ولم یقل فان لم یکن فی الکتاب۔

इस उपरोक्त इबारत में इस बात का इक़रार है कि प्रत्येक धार्मिक मामला पवित्र क़ुर्आन में लिखित है, कोई बात उस से बाहर नहीं और यदि तफ़्सीरों के कथन जो इस बात के समर्थक हैं वर्णन किए जाएं तो इसके लिए एक दफ़्तर चाहिए। इसलिए वास्तविक बात यही है कि जो बात क़ुर्आन से बाहर या उसके विपरीत है वह रद्द की गई और सही हदीसें क़ुर्आन से बाहर नहीं क्योंकि उच्च स्वर में न पढ़ी जाने वाली वह्यी की सहायता से वे समस्त समस्याएं क़ुर्आन से निकाली गई हैं। हां यह सच है कि वह समस्याओं का निकालना रसूलुल्लाह

या उस व्यक्ति के अतिरिक्त जो प्रतिबिम्ब के तौर पर उन विशेषताओं तक पहुंच गया हो प्रत्येक का कार्य नहीं। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि जिन को प्रतिबिम्ब के तौर पर ख़ुदा की कृपा ने वह ज्ञान प्रदान किया हो जो उसके अनुकरणीय रसूल को प्रदान किया था वह सच्चाइयों और बारीक अध्ययन ज्ञानों से अवगत किया जाता है जैसा कि महावैभवशाली ख़ुदा का वादा है।

لَّا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ①

और जैसा कि वादा है

يُّؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا②

यहां **हिकमत** से अभिप्राय **क़ुर्आन का ज्ञान** है। अत: ऐसे लोग विशेष वह्यी के माध्यम से ज्ञान और विवेक के मार्ग से अवगत किए जाते हैं तथा सही और काल्पनिक में उस विशेष प्रकार के नियम से अन्तर कर लेते हैं। यद्यपि जन सामान्य तथा उलेमा को उसकी ओर मार्ग नहीं परन्तु उनकी आस्था भी तो यही होनी चाहिए कि पवित्र क़ुर्आन नि:सन्देह वर्णित हदीसों के लिए भी मापदण्ड तथा कसौटी है, यद्यपि सामान्यत: विवेकहीन होने के कारण इस मापदण्ड से वे काम नहीं ले सकते परन्तु हदीस के दोनों भागों में जो हम वर्णन कर आए हैं दूसरे भाग के बारे में जो सूचनाएं एवं घटनाएं तथा क़िस्से और वादे इत्यादि हैं जिन पर निरस्तीकरण जारी नहीं नि:सन्देह वह स्पष्ट तौर पर पवित्र क़ुर्आन के स्पष्ट आदेशों तथा निश्चित और अटल निर्णयों

① अलवाक़ियह - 80 ② अलबक़रह - 270

को वर्णित हदीसों को परखने के लिए मापदण्ड और कसौटी ठहरा सकते हैं अपितु अवश्य ठहराना चाहिए ताकि वे उस ज्ञान से लाभान्वित हो जाएं, जो उन्हें दिया गया है क्योंकि पवित्र क़ुर्आन स्पष्ट आदेश तथा ज्ञान है और क़ुर्आन के विपरीत जो कुछ है वह अनुमान है और जो व्यक्ति ज्ञान होते हुए अनुमान का अनुसरण करे वह इस आयत के अन्तर्गत है -

مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ①

اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ②

उसका कथन - आपने जो आयत وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ③ से सिद्ध करते हुए हदीसों पर आक्षेप किया है यह आपकी अज्ञानता पर आधारित है।

मेरा कथन - आप क्यों बार-बार अपनी अज्ञानता प्रकट करते हैं। मेरा सामान्यतया हदीसों पर आक्षेप नहीं अपितु उन हदीसों पर आक्षेप है जो ठोस, अटल, नितान्त स्पष्ट प्रमाणों से पवित्र क़ुर्आन के विपरीत हों।

उसका कथन - इस्लाम के उलेमा का चाहे वे हनफ़ी हों या शाफ़िई, अहले-हदीस हों या अहले फ़िक्र: इस बात पर सहमत हैं कि अकेली ख़बर सही हो तो अमल करने योग्य है।

मेरा कथन - आपका ज्ञान, योग्यता और जानकारी बात-बात में प्रकट हो रही है। हज़रत ! हनफ़ियों का कदापि यह मत नहीं कि

① अज़्ज़ुख़रुफ़ - 21 ② यूनुस : 67 (3) अन्नज्म : 29

क़ुर्आन से मतभेद की स्थिति में अकेली ख़बर अमल करने योग्य है और न शाफ़िई का यह मत है कि यदि हदीस आयत की विरोधी हो तो निरन्तरता के बावजूद भी न होने के समान है। फिर आपने कहां से और किस से सुन लिया कि इन सब के निकट अकेली ख़बर अमल करने योग्य है ? यदि यह कहो कि इस कलाम से हमारा तात्पर्य यह है कि अकेली ख़बर क़ुर्आन की विरोधी न हो तो इस स्थिति में उन बुज़ुर्गों की दृष्टि में निकट अमल करने योग्य है तो इसका उत्तर यह है कि आपकी कब और किस दिन यह इच्छा हुई थी ? यदि आपकी यह इच्छा होती तो आप इस बहस को क्यों लम्बा करते !

उसका कथन - इसी कारण (जो ख़बर अमल करने योग्य है) इस्लाम के विद्वानों ने जिसमें मुक़ल्लिद और मुहद्दिस सब सम्मिलित हैं सहमत हुए हैं कि सहीहैन की हदीसें अमल करने योग्य हैं तथा सहमत एवं असहमत दोनों लोगों की उन पर सर्वसम्मति है।

मेरा कथन - मैं नहीं जानता कि **इस सफेद झूठ से** आपका उद्देश्य क्या है। यदि मुक़ल्लिदीन उलेमा के निकट बुख़ारी और मुस्लिम की हदीसें बिना किसी निरस्तीकरण इत्यादि बहाने के बहरहाल अमल करने योग्य होतीं तो वे भी आपकी भांति इमाम के पीछे फ़ातिहा पढ़ते तथा उनकी मस्जिदें भी आपकी मस्जिदों की भांति आमीन के शोर से गूंज उठतीं तथा वे रफ़ा यदैन और इसी प्रकार समस्त कर्मों को बुख़ारी तथा मुस्लिम के निर्देशानुसार पूर्ण करते और आपका यह कहना कि वे लोग हदीस को सही और अमल करने योग्य ठहराते,

केवल दूसरे तौर पर अर्थ करते हैं। यह दूसरा झूठ है। हज़रत ! वह तो स्पष्ट तौर पर कमज़ोर या निरस्त ठहराते हैं। यदि आप इस बात में सच्चे हैं तो लुधियाना शहर के उलेमा को एकत्र करके उन से अपने कथन की साक्ष्य लाओ, अन्यथा आप का बनाया हुआ झूठ ऐसा नहीं है कि जिस से आप कच्चे बहानों के साथ बरी हो सकें।

उसका कथन - इमाम इब्नुस्सलाह ने कहा है कि सहीहैन की सहमति वाली हदीसें विश्वसनीय हैं और इमाम नववी ने 'शरह मुस्लिम' में कहा है कि इस पर सहमति हो गई है कि किताबुल्लाह के बाद सब से सही किताब सहीहैन हैं।

मेरा कथन - किसी एक या दो लोगों का अपनी ओर से राय प्रकट करना शरीअत का प्रमाण नहीं हो सकता। अत: यदि इमाम इब्ने सलाह ने सहीहैन की सहमति वाली हदीसों को सामान्यत: विश्वास का कारण स्वीकार कर लिया है तो स्वीकार करें, हमारे लिए वह कुछ प्रमाण नहीं। यदि ऐसी सहमत रायें प्रमाण ठहर सकती हैं तो फिर उन लोगों की रायें भी प्रमाण होनी चाहिएं जिन्होंने बुख़ारी तथा मुस्लिम की कुछ हदीसों का खण्डन किया है। अत: 'तल्वीह' में लिखा है कि बुख़ारी में यह हदीस है -

تكثرلكم الاحاديث من بعدى فاذاروى لكم حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فماوافقه فاقبلوه وما خالفه فردوه

अर्थात् मेरे बाद हदीसें बड़ी प्रचुर मात्रा में निकल आएंगी। अत:

तुम यह नियम रखो कि मेरे बाद जो हदीस तुम्हें पहुंचे अर्थात् जो हदीस ما اتاكم الرسول के युग के पश्चात् मिले उसे ख़ुदा की किताब पर प्रस्तुत करो। यदि उसके अनुसार हो तो उसको स्वीकार करो और यदि विरोधी हो तो अस्वीकार करो।

هذا مانقلناه من كتاب التلويح والعهدة على الراوى*

* **हाशिया** - सही बुख़ारी की जितनी छपी हुई प्रतियां मैंने देखी हैं उनमें यह हदीस इन शब्दों में नहीं पाई जाती। यद्यपि बुख़ारी में दूसरी ऐसी हदीसें मौजूद हैं जो अपने परिणाम, उद्देश्य और बोध में इस हदीस के अर्थों में सहायक और शक्ति देने वाली हैं और मुस्लिम में है -

امابعدفان خير الحديث كتاب الله۔ انما هلك من كان قبلكم باختلافهم فى الكتاب

और दार-ए-क़ुत्नी में है -

كلامى لا ينسخ كلام الله۔ المراء فى القرآن كفر رواه احمد وابوداؤد۔ وفى البخارى قال عمر رضى الله عنه حسبنا كتاب الله

परन्तु छपी हुई प्रतियों में इस हदीस का शब्दश: न पाया जाना इस बात को सिद्ध नहीं करता कि विद्वान तफ़्ताज़ानी ने जान बूझ कर झूठ बोला और झूठ बनाया है क्योंकि दृढ़ संभावना है कि उपरोक्त विद्वान ने किसी हस्त-लिखित प्रति में बुख़ारी की यह हदीस अवश्य देखी होगी। बुख़ारी की विभिन्न प्रतियों पर गहरी दृष्टि डालने से अब तक सिद्ध होता है कि सघन प्रयास, सही करने तथा अनुकूल करने के बावजूद फिर भी कुछ प्रतियों के कुछ शब्द अन्य प्रतियों के शब्दों से भिन्न हैं। फिर क्या आश्चर्य का स्थान है कि बुख़ारी की किसी प्राचीन हस्तलिखित प्रति में जो उपरोक्त विद्वान की दृष्टि से गुज़रा यह हदीस में मौजूद हों। अपितु विश्वास का पलड़ा उसी ओर झुकता है कि अवश्य किसी प्रति में यह हदीस लिखी होगी। एक ऐसे मुसलमान की साक्ष्य जो हनफ़ी विद्वानों में से है कदापि विश्वसनीयता से गिरी हुई नहीं हो सकती। किस में साहस है और किस का इस्लाम तथा ईमान इस बात को उचित समझता है कि ऐसे महान इस्लाम के विद्वानों, ऐसे ख़ुदा से डरने वाले प्रकाण्ड विद्वानों को झूठ बोलने और झूठ बनाने और स्पष्ट झूठ घड़ने का लांछन लगाया जाए। इस में सन्देह नहीं कि यदि साक्ष्य वास्तविकता के विपरीत होती तो उपरोक्त विद्वान के जीवन में 'तल्वीह' का यह स्थान संशोधनीय ठहरता, न यह कि अब तक यह इबारत 'तल्वीह' में सुरक्षित चली

तथा सही मुस्लिम की मिन्हाज-ए-शरह में हाफ़िज़ अबू ज़करिया बिन शर्फ़ुन्नववी ने हदीस शरीक पर जो मुस्लिम और बुख़ारी दोनों में है जिरह की है कि यह वाक्य कि ذلك قبل ان يوحى اليه है बिल्कुल ग़लत है।

अत: यह प्रकाण्ड विद्वान नववी की जिरह (प्रतिप्रश्न) आप लोगों के ध्यान देने योग्य है क्योंकि प्रकाण्ड विद्वान नववी की प्रतिष्ठा हदीस की कला में किसी से गुप्त नहीं तथा प्रकाण्ड विद्वान तफ़्ताज़ानी ने अपनी 'तल्वीह' में सही बुख़ारी की एक हदीस को काल्पनिक ठहराया है तथा हमारा मत तो यही है कि हम दृढ़ अनुमान के तौर पर बुख़ारी और मुस्लिम को सही समझते हैं। उचित जानने वाला तो ख़ुदा ही है। शरह 'मुसल्लिमुस्सबूत' में लिखा है -

ابن الصلاح وطائفة من الملقبين باهل الحديث(زعموا ان رواية الشيخين محمدابن اسماعيل البخارى ومسلم بن الحجاج صاحبى الصحيحين يفيدالعلم النظرى للاجماع على

शेष हाशिया - आती। अत: जिस स्थिति में तल्वीह के लेखक की साक्ष्य से यह सिद्ध हुआ है कि बुख़ारी की किसी प्रति में यह इबारत लिखी हुई थी तो जब तक संसार की समस्त हस्तलिखित प्रतियां देख न ली जाएं यह आशंका कदापि दूर नहीं हो सकती। बुख़ारी की किसी हस्तलिखित प्रति में इसका अस्तित्व स्वीकार करना बहुत सरल है इसकी अपेक्षा कि एक चुने हुए विद्वान के बारे में झूठ घड़ने की लांछन लगाया जाए। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी पत्नी को इन शब्दों में तलाक़ दी हुई ठहराए कि यदि बुख़ारी में यह हदीस है तो मेरी पत्नी पर तलाक़ है। अत: यद्यपि निश्चित तौर पर तलाक़ न पड़े, किन्तु कुछ सन्देह नहीं कि दृढ़ अनुमान के तौर पर तलाक़ अवश्य पड़ गई, क्योंकि हम मामूर हैं मोमिन पर सद्भावना करें और उसकी साक्ष्य को विश्वसनीयता से गिरा हुआ न समझें। अत: विचार करो। एडीटर।

ان للصحيحين مزية على غير هماوتلقت الامة بقبولهما
والاجماع قطعى وهٰذابهت فان من راجع الى وجدانه يعلم
بالضرورية ان مجرد روايتهما لايوجب اليقين البتة وقد
روى فيهما اخبارٌ متناقضة فلوا فاد روايتهما علمالزم
تحقق النقيض فى الواقع وهذا اى ماذهب اليه ابن الصلاح
واتباعه بخلاف ماقاله الجمهور من الفقهاء والمحدثين لان
انعقاد الاجماع على المزية على غيرهما من مرويات ثقات
اٰخرين ممنوع والاجماع على مزيتهما فى انفسهما لايفيد
لان جلالة شانهما وتلقى الامة بكتابهما لوسُلّم لايستلزم
ذالك القطع والعلم فان القدر المسلم المتلقى بين الامة
ليس الا ان رجال مروياتهما جامعة للشروط التى اشترطها
الجمهور بقبول روايتهم وهذا لايفيد الاالظن واما ان
مروياتهما ثابتة عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم فلا
اجماع عليه اصلا كيف ولا اجماع على صحته جميع ما فى
كتابهما لان رواتهما منهم قدريون وغيرهم من اهل البدع
و قبول رواية اهل البدع مختلف فيه فاين الاجماع على صحة
مرويات القدرية غاية مايلزم ان احاديثها اصح الصحيح
يعنى انها مشتملة على الشروط المعتبرة عند الجمهور على
الكمال وهذا لايفيدالاالظن القوى هذا هوالحق المتبع
ولنعم ماقال الشيخ ابن الهمام ان قولهم بتقديم مروياتهم
على مرويات الائمة الاٰخرين قول لا يعتدبه ولا يقتدى بل هو

من محکماتھم الصرفۃ کیف لاوان الاصحۃ من تلقاء عدالۃ الرواۃ وقوۃ ضبطھم واذا کان رواۃ غیرھم عادلین ضابطین فھما وغیرھما علی السواء لا سبیل للتحکم بمزیتھا علی غیرھما الاتحکما والتحکم لا یتلفت الیہ فافھم۔

अनुवाद का सारांश यह है "मुसल्लमुस्सबूत" के लेखक जिनकी उपाधि 'बहरुल उलूम' है कहता है कि इब्नुस्सलाह तथा अहले हदीस के एक गिरोह ने यह अनुमान लगाया है कि दोनों शेख़ों मुहम्मद बिन इस्माईल अल बुख़ारी तथा मुस्लिम की रिवायत जो सहीहैन में है अवास्तविक ज्ञान का लाभ देती है क्योंकि इस बात पर इज्मा हो चुका है कि सही बुख़ारी और मुस्लिम को उनके अतिरिक्त पर श्रेष्ठता है और उम्मत इन दोनों को स्वीकार कर चुकी है और इज्मा निश्चित है।"

अत: स्पष्ट हो कि इन दोनों पुस्तकों के सही होने पर इज्मा होना आरोप है। प्रत्येक व्यक्ति अपने विवेक की ओर लौट कर आवश्यक तौर पर ज्ञात कर सकता है कि इन दोनों की एकमात्र रिवायत विश्वास का कारण नहीं अर्थात् कोई बात ऐसी नहीं जिससे अकारण इनकी रिवायत विश्वास का कारण समझी जाए अपितु स्थिति इसके विपरीत है, क्योंकि इन दोनों पुस्तकों में विरोधाभासी बातें मौजूद हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं। अत: स्पष्ट है कि यदि इन दोनों की रिवायत ठोस और निश्चित ज्ञान का कारण है तो इस से अनिवार्य होता है कि एक दूसरे के विपरीत बातें वास्तव में सच्ची हों तथा स्मरण रहे कि इब्ने सलाह और उसके सहपंथियों की राय अधिकांश धर्माचार्यों एवं

हदीसविदों के विपरीत है क्योंकि यह एक बात निषेध है जिसे कोई सिद्ध नहीं कर सकता कि बुख़ारी और मुस्लिम को अपने वर्णन के अनुसार दूसरों पर कुछ अधिकता है तथा इमाम बुख़ारी और मुस्लिम की महान प्रतिष्ठा और उनकी पुस्तकों का उम्मत में स्वीकार किया जाना यदि मान भी लिया जाए तब भी इस बात का प्रमाण नहीं हो सकती कि वे पुस्तकें निश्चित और विश्वसनीय हैं क्योंकि उम्मत ने उनके निश्चित और विश्वास की श्रेणी पर कदापि इज्मा नहीं किया, अपितु केवल इतना ही माना गया तथा स्वीकार किया गया है कि दोनों पुस्तकों के वर्णनकर्ता सम्पूर्ण शर्तें रखते हैं जो जनता ने रिवायत की स्वीकारिता के लिए लगा रखी हैं और स्पष्ट है कि केवल इतना मान लेने से विश्वास पैदा नहीं होता अपितु केवल अनुमान पैदा होता है तथा यह बात कि वास्तव में सही बुख़ारी और मुस्लिम की रिवायतें सिद्ध हैं और उनमें जितनी हदीसें वर्णन की गई हैं वे वास्तव में जिरह (प्रतिप्रश्नों) से पवित्र हैं उस पर उम्मत का इज्मा कदापि नहीं अपितु उस इज्मा को तो वर्णन ही क्या, इस बात पर भी इज्मा नहीं कि जो कुछ उन दोनों पुस्तकों में है वह सब सही है क्योंकि बुख़ारी और मुस्लिम के कुछ वर्णन करने वालों में से क़दरी* भी हैं और कुछ अहले बिदअत भी वर्णन करने वाले हैं जिनकी रिवायत स्वीकार नहीं हो सकती। अत: जबकि स्थिति यह है तो इज्मा कहां रहा ! क्या क़दरिया की रिवायतों पर भी इज्मा हो जाएगा ? इस अध्याय का

* क़दरी या क़दरिय: एक समुदाय जो ख़ुदा के प्रारब्ध का इन्कारी है। (अनुवाद)

सारांश यह है कि उनकी हदीसें अधिक सही हैं तथा अधिकांश लोगों की पूर्णरूपेण विश्वस्त शर्तों पर आधारित हैं। अतः इस से भी एक दृढ़ अनुमान पैदा होता है न कि विश्वास। फिर हमने जो बुख़ारी और मुस्लिम की सहीहों के बारे में वर्णन किया है यह सच बात है जिसका अनुसरण करना चाहिए और शेख़ इब्नुल हम्माम ने क्या ही अच्छा कहा है कि हदीसविदों का यह कथन कि सहीहैन की रिवायतें उनके अतिरिक्त पर प्राथमिकता रखती हैं एक ऐसा निरर्थक कथन है जो विश्वसनीय तथा ध्यान देने योग्य नहीं और कदापि अनुकरणीय नहीं अपितु स्पष्ट और खुली ज़बरदस्ती करना है। उन्हीं ज़बरदस्तियों में से जो खुले-खुले तौर पर उन लोगों ने की हैं। स्पष्ट है कि अधिक सही होने का आधार न्याय और सहनशीलता पर है तो क्या ऐसी पुस्तकें जिनमें यह शर्त पाई जाती है कम स्तर पर होंगी। अतः इन दोनों पुस्तकों की अधिकता पर आदेश लगाना मात्र ज़बरदस्ती है और ज़बरदस्ती ध्यान देने योग्य नहीं। अतः विचार कर। और शरह नववी के भाग द्वितीय पृष्ठ - 90 में मुस्लिम की उस हदीस की व्याख्या के अन्तर्गत कि

يا اميرالمؤمنين اقض بينى وبين هذا الكاذب الاٰثم الغادر الخائن۔

इमाम नववी कहते हैं कि जब इन शब्दों की व्याख्या से हम असमर्थ हो जाएं तो हमें कहना पड़ता है कि इसके रिवायत करने वाले झूठे हैं।

अब इस सम्पूर्ण जांच-पड़ताल से स्पष्ट है कि सहीहैन के विश्वसनीय स्तर के बारे में जो कुछ अतिशयोक्ति की गई है वह कदापि सही नहीं और न उस पर इज्मा है और न उनकी समस्त हदीसें जिरह क़दह (प्रतिप्रश्नों एवं आरोपों) से पवित्र समझी गई हैं और न वे क़ुर्आन के विपरीत होने की स्थिति में इज्मा के साथ अमल करने योग्य समझी गई हैं अपितु उनके सही होने पर कदापि इज्मा नहीं हुआ।

उसका कथन - यह आपकी बाज़ारी बात है कि पन्द्रह करोड़ हनफ़ी सही बुख़ारी को नहीं मानते अपितु सामान्य हनफ़ी तो सही बुख़ारी के सही होने का कदापि इन्कार नहीं करते।

मेरा कथन - इस का उत्तर दिया जा चुका है कि हनफ़ी उलेमा अकेली ख़बर से यद्यपि वह बुख़ारी हो या मुस्लिम पवित्र क़ुर्आन के किसी आदेश का त्याग नहीं करते और न उस से अधिक करते हैं तथा इमाम शाफ़िई हदीस मुतवातिर को भी क़ुर्आन की आयत की तुलना में न होने जैसा समझता है तथा इमाम मालिक के निकट अकेली ख़बर से आयत न मिलने की शर्त पर अनुमान को प्राथमिकता है। देखो किताब नूरुल अन्वार उसूले फ़िक़: - 150

इस स्थिति में इन इमामों की दृष्टि में जो कुछ क़ुर्आन के विपरीत होने की अवस्था में हदीसों का सम्मान हो सकता है। स्पष्ट है, चाहे इस प्रकार की हदीसें अब बुख़ारी* में हों या मुस्लिम में। यह स्पष्ट है

---

* क्योंकि यदि ये रचनाएं उनके समक्ष होतीं तो उन्हें अपनी आस्था तथा मान्य नियम उन पुस्तकों की विरोधी हदीस की पुस्तकों पर (यदि हों) जारी करने में कौन बाधक हो सकता है।

कि बुख़ारी और मुस्लिम अधिकतर एकाकी हदीसों का संग्रह है और जब एकाकी के बारे में इमाम मालिक, इमाम शाफ़िई तथा इमाम अबू हनीफ़ा की यही राय है कि वह क़ुर्आन की विरोधी होने की स्थिति में कदापि स्वीकार करने योग्य नहीं। अत: अब बताइए कि क्या इस से यह परिणाम निकलता है कि उन बुज़ुर्गों के निकट यह हदीसें बहरहाल अमल करने योग्य हैं ? प्रथम हनफ़ियों तथा मालिकियों इत्यादि से उन सब पर अमल कराए और फिर यह बात मुख पर लाए।

उसका कथन - आप यदि उस दावे में सच्चे हैं तो पहले या बाद में आने वालों में से कम से कम एक विद्वान का नाम बता दें जिसने सही बुख़ारी या सही मुस्लिम की हदीसों को ग़ैर सही या काल्पनिक कहा हो।

मेरा कथन - जिन इमामों का अभी मैंने वर्णन किया है यदि वे वास्तव में तथा विश्वसनीय तौर पर सहीहैन की हदीसों को अमल करने योग्य समझते तो आपकी भांति उनका भी यही मत होता कि अकेली ख़बर को क़ुर्आन से बढ़कर मान लेना या आयत को निरस्त समझ लेना अनिवार्य बातों में से है, परन्तु मैं वर्णन कर चुका हूं कि वे अकेली ख़बर को क़ुर्आन की विरोधी होने की स्थिति में कदापि स्वीकार नहीं करते। इस से स्पष्ट है कि वे केवल पवित्र क़ुर्आन के सहारे तथा सहीहैन की अकेली हदीसों को क़ुर्आन के अनुकूल होने की शर्त पर जो कि सहीहैन की सम्पूर्ण पूंजी है मानते हैं और विरोधी होने की स्थिति में कदापि नहीं मानते। आप 'तल्वीह' की इबारत सुन चुके हैं कि انما یرد خبر الواحد من معارضۃ الکتاب अर्थात् यदि एकाकी हदीसों में से कोई हदीस

क़ुर्आन की विरोधी होगी तो वह अस्वीकार की जाएगी। अब देखिए कि वह नया विवाद जो अब तक आपने केवल अपनी अज्ञानता के कारण किया है कि क़ुर्आन हदीसों का मापदण्ड नहीं क्योंकि 'तल्वीह' के लेखक ने आपको इस बारे में झूठा ठहराया है और तीनों इमाम इसी राय में आप के विरोधी हैं और मैं वर्णन कर चुका हूं कि मेरा मत भी यही है कि विरसे में प्राप्त नियम जिन पर अमल होता रहा को छोड़कर जो आदेश, कर्त्तव्य तथा दण्डविधान से संबंधित हैं शेष दूसरे भाग की हदीसों में से जो सूचनाएं, क़िस्से तथा घटनाएं हैं जिन पर निरस्तता भी लागू नहीं होती। यदि कोई हदीस क़ुर्आन के नितान्त स्पष्ट, व्यापक एवं मान्य आदेशों के स्पष्टत: विपरीत हो यद्यपि वह बुख़ारी की हो या मुस्लिम की मैं उसके लिए इस प्रकार के अर्थ को जिससे क़ुर्आन का विरोध अनिवार्य होता हो स्वीकार नहीं करूंगा। मैं अपने मत को बार-बार इसलिए वर्णन करता हूं ताकि आप अपनी आदत के अनुसार मुझ पर पुन: कोई ताज़ा बनाया हुआ झूठ तथा लांछन न लगा दें और न ही लगाने की गुंजायश हो।* स्पष्ट है कि मेरा यह मत इमाम शाफ़िई तथा इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक के मत की अपेक्षा हदीस को अधिक दृष्टिगत रखने वाला है क्योंकि मैं सहीहैन की अकेली ख़बर को भी जो अमल की निरन्तरता से दृढ़ है तथा आदेशों, दण्डविधान तथा कर्त्तव्यों में से हो न कि दूसरे भाग में से इस योग्य मानता हूं कि क़ुर्आन

---

* हज़रत हमारे धर्म गुरू ! आप हज़ार युक्तियां किया करें, सौ सौ बार घुमा कर अपना उद्देश्य वर्णन करें, बहादुर मौलवी साहिब झूठ गढ़ने से कब रुकने वाले हैं। (एडीटर)

को उससे बढ़कर समझा जाए तथा तीनों इमामों का यह मत नहीं, परन्तु स्मरण रहे कि मैं वास्तव में अधिकता को नहीं मानता वरन मेरा ईमान انا انزلنا الکتاب تبیانالکل شیء पर है जैसा कि मैं प्रकट कर चुका हूं। अतः आप समझ सकते हैं कि मैं इस मत में अकेला नहीं हूं अपितु अपने साथ कम से कम तीन शक्तिशाली मित्र रखता हूं जिनकी आस्था मेरे अनुसार अपितु मुझ से बढ़कर है।

उसका कथन - आप का यह कहना कि इमाम आज़म[रह.] ने बुख़ारी की हदीसों को छोड़ दिया यह भी बाज़ारी बात है। आप यह नहीं जानते कि इमाम आज़म कब हुए और सही बुख़ारी कब लिखी गई।

मेरा कथन - जनाब मौलवी साहिब ! आप ईमान के साथ उत्तर दें कि मैंने कब और कहां लिखा है कि सही बुख़ारी इमाम आज़म के युग में मौजूद थी ? इस व्यर्थ तथा झूठे बनाए हुए लेखों से आपका मात्र यह उद्देश्य है कि जनता के सामने प्रत्येक बात में इस विनीत की शर्मिन्दगी तथा अज्ञानता प्रकट करें परन्तु स्मरण रखें कि मुझे कुछ मुसलमानों की भांति लोगों की प्रशंसा एवं स्तुति की और विचार और न सर्वसाधारण की प्रशंसा तथा घृणा की कुछ परवाह है। प्रत्येक बुद्धिमान अपितु एक बच्चा भी समझ सकता है कि सही बुख़ारी की हदीसें इमाम मुहम्मद इस्माईल का अपना आविष्कार तो नहीं ताकि यह आरोप हो कि जब तक कोई पहले लोगों में से इमाम बुख़ारी का युग पाता और उनकी पुस्तक को न पढ़ता, तब तक असंभव था कि उन हदीसों से वह अवगत होता अपितु हदीसों के रिवाज तथा मौखिक

प्रचार का युग उसी समय अर्थात् प्रथम सदी से प्रारंभ हुआ है जबकि इमाम बुख़ारी साहिब के पूर्वज भी पैदा नहीं हुए होंगे, तो फिर क्या असंभव था कि वे हदीसें जिन के प्रचार का सहाबा को आदेश था इमाम आज़म को न पहुंचतीं अपितु विश्वास के निकट यही है कि अवश्य पहुंची होंगी क्योंकि उन का युग प्रथम सदी से निकट था तथा हदीस के बहुत से कंठस्थ करने वाले जीवित थे और विशेष तौर पर उसी देश में रहते थे जो हदीस का स्रोत एवं उद्गम था फिर आश्चर्य कि बुख़ारी[रह.] जो समय एवं स्थान की दृष्टि से इमाम आज़म साहिब से कुछ संबंध नहीं रखते थे एक लाख सही हदीसें संकलित कर लीं तथा उनमें से छियानवे हज़ार सही हदीसों को रद्दी माल की भांति नष्ट कर दिया और **इमाम आज़म साहिब** को युग और स्थान के निकट होने के बावजूद सौ हदीस भी न पहुंच सकी। क्या किसी का हार्दिक प्रकाश यह साक्ष्य देता है कि एक बुख़ारा का रहने वाला व्यक्ति जो अरब की सीमाओं से सुदूर तथा आंहज़रत[स.अ.व.] के दो सौ वर्ष के उपरान्त पैदा हो वह लाख सही हदीसें प्राप्त करे और इमाम आज़म जैसे ख़ुदा के मार्ग में विरक्त महापुरुष को नमाज़ के बारे में भी दो चार सही हदीसें युग और स्थान की निकटता के बावजूद प्राप्त न हो सकीं और हमेशा मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब के कथनानुसार अटकलों से काम लेते रहे ! हे हज़रत मौलवी साहिब ! आप क्रोधित न हों, आप लोगों को **बुज़ुर्ग इमाम अबू हनीफ़ा से यदि लेशमात्र भी सुधारणा होती तो आप इतने तिरस्कार और अपमान के शब्द**

प्रयोग न करते। आप को इमाम साहिब की प्रतिष्ठा ज्ञात नहीं वह एक महासागर था और दूसरे सब उस की शाखाएं हैं। उसका नाम अहले राय रखना एक भारी बेईमानी है। महान इमाम अबू हनीफ़ा नबी करीम[स.अ.व.] के अवशेषों के ज्ञान में श्रेष्ठता के अतिरिक्त क़ुर्आनी मामले निकालने में पारंगत थे। ख़ुदा तआला हज़रत मुजद्दिद अलिफ़ सानी (बारहवीं सदी के मुजद्दिद) पर दया करे उन्होंने पत्र पृष्ठ संख्या 307 में कहा है कि **इमाम आज़म की आने वाले मसीह के साथ क़ुर्आन से मसाइल निकालने में एक अध्यात्मिक अनुकूलता है।**

उसका कथन - अन्वेषक मुसलमान हनफ़ी हो या शाफ़िई मुक़ल्लिद हो या ग़ैर मुक़ल्लिद हदीसों की रिवायतों के सही होने का मापदण्ड पवित्र क़ुर्आन को नहीं ठहराता।

मेरा कथन - इस बात का उत्तर अभी विस्तार के साथ गुज़र चुका है कि तीनों विद्वानों के मत ने अकेली हदीस को चाहे वे बुख़ारी की हों अथवा मुस्लिम की इस शर्त के साथ स्वीकार किया है कि वे पवित्र क़ुर्आन की विरोधी एवं विपरीत न हों। अभी मैंने 'तलवीह' की इबारत सुनाई आपको स्मरण होगा कि जिस स्थिति में तीनों इमाम उन हदीसों से जो अकेली हैं तथा क़ुर्आन की विरोधी हैं सेवा नहीं लेते और निरस्त की भांति छोड़ देते हैं। अत: यदि वे पवित्र क़ुर्आन को मापदण्ड नहीं ठहराते तो हदीसों को उसके विरोधी पाकर क्यों छोड़ देते हैं, क्या मापदण्ड मानना कुछ अन्य प्रकार से होता है ? जबकि उन लोगों ने

यह सिद्धान्त ही बना लिया है कि अकेली ख़बर क़ुर्आन की विरोधी होने की स्थिति में स्वीकार करने योग्य कदापि नहीं, यद्यपि उसका वर्णन करने वाली मुस्लिम हो या बुख़ारी हो। अतः क्या अब तक उन्होंने पवित्र क़ुर्आन को मापदण्ड स्वीकार नहीं किया ? اتقوا اللہ ولاتغلوا

उसका कथन - इमामों के इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा से नक़ल किया गया है -

لاعرف انه روی عن النبی صلی اللہ علیه و سلم حدیثان باسنادین صحیحین متضادین فمن کان عنده فلیاتینی به لالّف بینهما

अर्थात् इमामों के इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा से नक़ल किया गया है कि मैं ऐसी दो हदीसों को नहीं पहचानता जो सही सनद के साथ नबी[स.अ.व.] से रिवायत की गई हों और फिर एक दूसरे के विपरीत हों। यदि किसी के पास ऐसी हदीसें हों तो मेरे पास लाए मैं उनमें संबंध पैदा कर दूंगा।

मेरा कथन - इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा का तो स्वर्गवास हो गया अब उनके दावे के बारे में कुछ आपत्ति करना व्यर्थ है, परन्तु मुझे स्मरण है कि आपने अपना लेख सुनाते समय बड़े जोश में आकर कहा था कि इब्ने ख़ुज़ैमा तो समय के इमाम थे। मैं स्वयं दावा करता हूं कि दो विरोधाभासी हदीसों में जिन दोनों की सनद सही स्वीकार की गई हो तो उनमें अनुकूलता और समानता कर सकता हूं और अभी कर सकता हूं ? आप का यह दावा यद्यपि उस समय ही व्यर्थ समझा गया था, परन्तु शास्त्रार्थ की निर्धारित शर्तों की

दृष्टि से उस समय आप के भाषण में बोलना अनुचित एवं निषेध था। चूंकि आप का अहंकार सीमा का अतिक्रमण कर गया है तथा विनय, विनम्रता और मानव होने का कोई स्थान दिखाई नहीं देता और हर समय मैं अधिक जानता हूं का जोश आपकी मनोवृत्ति में पाया जाता है, इसलिए मैं ने उचित समझा कि उसी दावे के अनुसार आप के कौशलों की परीक्षा लूं। जिस परीक्षा के संबंध में मेरी मूल बहस भी लोगों पर स्पष्ट हो जाए। मैं स्वाभाविक तौर पर इसे पसन्द नहीं करता कि किसी से अकारण हाथापाई करूं परन्तु चूंकि आप दावा कर बैठे हैं और दूसरों को तिरस्कार एवं अपमान की दृष्टि से देखते हैं, यहां तक कि आपके विचार में इमाम आज़म[रह.] को भी हदीस के ज्ञान में आप से कुछ तुलना नहीं। इसलिए सा'दी के कथनानुसार -

ندارد کسے باتو ناگفتہ کار   ولیکن چو گفتی دلیلش بیار

चाहता हूं कि छः सात हदीसें बुख़ारी तथा मुस्लिम की एक के बाद दूसरी जिनमें मेरी दृष्टि में विरोधाभास* है आप की सेवा में प्रस्तुत

* मौलवी साहिब लीजिए इस समय विरोधाभास का कुछ उदाहरण यह खाकसार प्रस्तुत करता है। अवसर है, अवसर है अपने हदीस के ज्ञान का प्रमाण लोगों पर प्रकट कीजिए। (1) 'शरीक' की रिवायत से मे'राज की हदीस हाशिए पर 'फ़त्हुल बारी' की यह इबारत लिखी है-

قال النووی جاء فی روایۃ شریک اوھام انکرھا العلماء من جملتھا انہ قال ذالك قبل ان یوحی الیہ و ھو غلط لم یوافق علیہ احد و ایضا اجمعوا علی ان فرض الصلٰوۃ کانت لیلۃ الاسراء فکیف یکون قبل الوحی- و قول جبرائیل

करूं। यदि आप उन में इब्ने ख़ुज़ैमा की भांति अनुकूलता एवं एकरूपता कर दिखाएं तो मैं क्षतिपूर्ति के तौर पर आपको पच्चीस रुपए नक़द

فی جواب بواب السماء- اذ قال ابعث؟ نعم- صریح فی انہ کان بعد البعث

अनुवाद - नववी कहता है कि शरीफ़ की रिवायत में कितने भ्रम हैं जिन पर विद्वानों ने आपत्ति की है। उनमें से एक यह कि शरीफ़ की रिवायत में قبل ان یوحی الیہ लिखा है। जिसका तात्पर्य यह है कि आंहज़रत[स.अ.व.] को मे'राज की रात में फ़र्ज़ (अनिवार्य) की गई थीं। फिर वह्यी से पूर्व क्योंकर फ़र्ज़ हो सकती थीं !! तथा विचित्र तौर पर इस हदीस में यह विरोधाभास है कि हदीस के सर पर तो यह लिखा है कि अवतरण एवं नुबुव्वत से पूर्व मे'राज हुई फिर हदीस की बाद की इबारतें अपने स्पष्ट कथन से प्रकट कर रही हैं कि मे'राज अवतरित होने के पश्चात् हुई तथा इसी हदीस में नमाज़ों के फ़र्ज़ होने का भी वर्णन है। अत: यह हदीस कितने अधिक विरोधाभास से भरी है।

(2) फिर बुख़ारी किताबुत्तफ़्सीर पृष्ठ-652 में एक हदीस हे जिसकी इबारत है - مامن مولود یولد الا و الشیطان یمسہ فیستھل صارخا من مس الشیطان ایاہ الا مریم وابنھا अर्थात् कोई ऐसा बच्चा नहीं जो पैदा हुआ और पैदा होने के साथ शैतान उसको स्पर्श न कर जाए और वह शैतान के स्पर्श करने के कारण चीखें न मारे सिवाए मरयम और उसके बेटे के। ज्ञात होना चाहिए कि यह हदीस पृष्ठ 776 की हदीस के विरोधी पड़ती है तथा बुख़ारी का व्याख्याकार पृष्ठ 652 की हदीस के हाशिए पर लिखता है कि ज़मख़शरी को उस हदीस के सही होने में आपत्ति है क्योंकि यह अल्लाह तआला के कलाम के विपरीत है। कारण यह कि अल्लाह तआला का कथन है اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ (अलहिज्र-41) इस आयत से स्पष्ट समझा जाता है कि मरयम और इब्ने मरयम की विशेषता के बिना समस्त निष्कपट बन्दे शैतान के स्पर्श से सुरक्षित रखे जाते हैं तथा यह्या अलैहिस्सलाम

दूंगा और अपना पराजित होना स्वीकार कर लूंगा तथा इसके कारण जो मुझ से पच्चीस रुपया बतौर क्षतिपूर्ति लिया जाएगा, आप के हदीस-ज्ञान के निशान हृदय पर भली भांति अंकित हो जाएंगे तथा हमेशा संसार में सम्मान के साथ स्मृति के तौर पर रहेंगे परन्तु इसमें यह व्यवस्था होनी चाहिए कि इसमें तीन न्यायाधीश दोनों पक्षों की सहमति द्वारा नियुक्त किए जाएं जो भाषण को समझने तथा तर्कों को परखने की योग्यता रखते हों तथा दोनों पक्षों से उनका किसी भी प्रकार का संबंध न हो। न रिश्ता, न धर्म, न मित्रता और यदि बाद में संबंध सिद्ध हो तो वह निर्णय निरस्त किया जाए अन्यथा निर्णय सुदृढ़ और विश्वसनीय ठहरा कर विजयी होने की स्थिति में पच्चीस रुपए आपके सुपुर्द कर दिए जाएं, परन्तु न्यायाधीशों की योग्यता को परखने के लिए आवश्यक होगा कि वे अन्तिम आदेश पत्र की भांति लिखित निर्णय सन्तोषजनक कारणों के साथ लिख कर दोनों सदस्यों को सार्वजनिक जल्सा में सुना दें तथा ठोस तर्कों से उस सदस्य का विजयी होना अपने

के पक्ष में कहता है - وَسَلٰمٌ عَلَيۡهِ يَوۡمَ وُلِدَ (मरयम - 16) अत: यदि जन्म का दिन शैतान के स्पर्श का दिन है तो सलाम का शब्द जो सलामती को सिद्ध करता है उस पर क्योंकर चरितार्थ हो सकता है। फिर प्रकाण्ड विद्वान ज़मख़शरी ने प्रत्यक्ष अर्थों से हटकर व्याख्या की है कि यदि मरयम तथा इब्ने मरयम से अभिप्राय विशेष तौर पर यही दोनों न रखे जाएं अपितु प्रत्येक व्यक्ति मरयम और इब्ने मरयम की विशेषता अपने अन्दर रखता है उसे भी मरयम तथा इब्ने मरयम ही ठहराया जाए तो फिर इस हदीस के अर्थ नि:सन्देह सही हो जाएंगे। अत: समझ और विचार कर। एडीटर

निर्णय में प्रकट करें जिसे अपनी राय में उन्होंने विजयी समझा है। ये शर्तें कुछ कठिन नहीं हैं। ऐसी योग्यता रखने वाले लोग बहुत हैं विशेषत: ऐसे अधिकारी जिन्हें हर समय फैसले देने का अभ्यास है तथा प्रमाणित एवं अप्रमाणित में अन्तर करने की प्रतिभा है बड़ी सरलतापूर्वक न्याय करने के लिए उपलब्ध हो सकते हैं और यदि आप को न्यायाधीशों के निर्णय के सम्बन्ध में हृदय में फिर भी कुछ धड़का रहे तो न्यायाधीशों के लिए शपथ का प्रतिबन्ध भी लगा सकते हैं। अब यदि आप मेरी इस विनती की अवहेलना करेंगे तो फिर नि:सन्देह आप के वे समस्त दावे व्यर्थ ठहराए जाकर वे समस्त अपमान, तिरस्कार और मानहानि की बातें जो आपने मेरे बारे में अपने लेखों में अपनी बड़ाई के उद्देश्य से की हैं आप पर लागू समझी जाएंगी। लेख द्वारा एक सप्ताह तक आप इस का उत्तर दें।

उसका कथन - यदि केवल क़ुर्आन से किसी हदीस के विषय का अनुकूल होना उसके सही होने का कारण हो तो इस से अनिवार्य होता है कि काल्पनिक हदीसें यदि उनके विषय सच्चे तथा क़ुर्आन के अनुकूल हों सही समझे जाएं।

मेरा कथन - हज़रत ! यह आपने मेरी किस इबारत से निकाला है कि मैं हदीसविदों के रिवायत के नियम को निरर्थक एवं व्यर्थ समझ कर प्रथम अवस्था से ही प्रत्येक सनदरहित कथन के लिए पवित्र क़ुर्आन के सत्यापन को हदीस बनाने के लिए पर्याप्त समझता हूं। यदि मेरा यही मत होता तो मैं क्यों कहता कि मैं अनुमान के तौर पर सहीहैन

को सही समझता हूं तथा जिन हदीसों के साथ क्रियात्मक क्रम हर सदी में पाया जाता है उनको न केवल अनुमानित अपितु स्तर के अनुसार ठोस क्रियात्मक संबंध के रंग में रंगीन समझता हूं तथा यद्यपि मैं हदीसों के दूसरे भाग को अनुमान के तौर पर सही समझता हूं, परन्तु यदि उनके सही होने पर क़ुर्आन की साक्ष्य है तो वह सही होना दृढ़ अनुमान हो जाता है, परन्तु जबकि पवित्र क़ुर्आन सर्वथा इसका विरोधी हो और अनुकूलता का कोई मार्ग न हो तो मैं ऐसी हदीस को जो हदीसों के दूसरे भाग के प्रकार में से है स्वीकार नहीं करता, क्योंकि यदि मैं स्वीकार कर लूं तो फिर क़ुर्आन की ख़बर को मुझे निरस्त मानना पड़ेगा। उदाहरणतया क़ुर्आन ने ख़बर दी है कि सुलेमान दाऊद का बेटा था इस्हाक़ इब्राहीम का और याक़ूब इस्हाक़ का। अब यदि कोई हदीस इसके विपरीत है और यह वर्णन करे कि दाऊद सुलेमान का बेटा था और इब्राहीम नि:सन्तान था, मैं क्योंकर समझ लूं कि जो कुछ क़ुर्आन ने कहा था वह निरस्त हो गया है। प्रत्येक बुद्धिमान समझ सकता है कि ऐतिहासिक घटनाएं तथा समाचार इत्यादि पर निरस्तता कदापि लागू नहीं होती अन्यथा इससे ख़ुदा तआला का झूठ अनिवार्य आता है। अत: मैं यह तो नहीं कहता कि हदीस के सही होने के लिए रिवायत के नियम की आवश्यकता नहीं। हां यह मैं अवश्य कहता हूं कि जब इस नियम के प्रयोग के पश्चात् किसी रिवायत को हदीस-ए-नबवी का नाम दिया जाए फिर यदि वह हदीसों के दूसरे भाग में से है तो उसके पूर्ण रूप से सही होने के लिए यह आवश्यक है कि

व्याख्याएं पवित्र क़ुर्आन की विरोधी न हों।

उसका कथन - आपने जो कहा है कि पवित्र क़ुर्आन अपना स्वयं व्याख्याकार है हदीस उसकी व्याख्याकार नहीं। इससे भी आप की इस्लाम के नियमों से अनभिज्ञता सिद्ध होती है।

मेरा कथन - हे हज़रत ! आप इतने अधिक झूठ घड़ने पर क्यों कटिबद्ध हैं। मैंने कहां और किस स्थान पर लिखा है कि हदीस क़ुर्आन की व्याख्या नहीं करती। मैंने तो आयत के हवाले द्वारा केवल इतना वर्णन किया है कि क़ुर्आन का प्रथम व्याख्याकार स्वयं क़ुर्आन है। तत्पश्चात् दूसरे नम्बर पर हदीस व्याख्याकार है। इससे मेरा तात्पर्य यह था कि हदीस की व्याख्या देखने के समय क़ुर्आन की व्याख्या की अवहेलना न हो और यदि कोई ऐसी समस्या जो हदीस के दोनों भागों में से भाग दो में से हो अर्थात् ख़बरों और घटनाओं इत्यादि में से जिस से निरस्त होना ज्ञात नहीं हो सकता और न उस पर अधिकता की कल्पना की जा सकती है तो ऐसी अवस्था में किसी संक्षिप्त आयत की वह व्याख्या प्राथमिकता पाएगी तथा विश्वसनीय ठहरेगी जो क़ुर्आन ने स्वयं की है और यदि हदीस की व्याख्या उस व्याख्या के विपरीत हो तो स्वीकार करने योग्य नहीं होगी।

उसका कथन - आयत - قُلْ لَّآ اَجِدُ فِیْ مَآ اُوْحِیَ اِلَیَّ مُحَرَّمًا عَلٰی طَاعِمٍ یَّطْعَمُہٗۤ اِلَّآ اَنْ یَّکُوْنَ مَیْتَۃً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا[1] स्पष्ट तौर पर सिद्ध करती है कि क़ुर्आन में केवल ये कुछ वस्तुएं अवैध की गई हैं परन्तु

[1] सूरह अलअन्आम - 146

हदीस की दृष्टि से गधा और हिंसक पशु भी अवैध कर दिए गए हैं।

मेरा कथन - हज़रत यह क़िस्सा आपने अकारण छेड़ दिया। मैं कहते-कहते थक भी गया कि प्रथम भाग की हदीसें जो धार्मिक आदेशों, शिक्षाओं, फ़राइज़ तथा इस्लाम के दण्डों के सम्बन्ध में हैं जिनका आयत के क्रम से अधिक या अल्प तौर पर धार्मिक रहन-सहन में अनिवार्य तौर पर एक संबंध है वे मेरी बहस से बाहर हैं अपितु मेरी बहस से विशेष तौर पर वे बातें सम्बद्ध हैं जिन्हें निरस्तता एवं न्यूनाधिकता से कुछ सम्बन्ध नहीं जैसे ख़बरें, घटनाएं, क़िस्से, किन्तु आप ने मेरे उद्देश्य को कदापि नहीं समझा और अकारण कागज़ों को काला करके कुछ पैसों की हानि की। इसके बावजूद मेरा यह मत नहीं है कि क़ुर्आन अपूर्ण है और हदीस का मुहताज है अपितु वह اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ[1] का अवनति रहित मुकुट अपने सर पर रखता है तथा تبيانا لكل شى के विशाल और जड़े हुए सिंहासन पर विराजमान है। क़ुर्आन में अपूर्णता कदापि नहीं तथा वह अपूर्णता के दोष एवं अपूर्ण होने से पवित्र है परन्तु समझ की कमी के कारण उस के उच्च रहस्यों तक प्रत्येक बुद्धि की पहुंच नहीं ! क्या ही उत्तम कहा गया है -

و كل العلم فى القرآن لٰكن تقاصر منه افهام الرجال

नबी[स.अ.व.] ने स्वयं ही ख़ुदा की वह्यी द्वारा क़ुर्आन के आदेश निकाल कर क़ुर्आन ही से ये अतिरिक्त मामले लिए हैं। जिस अवस्था

[1] सूरह अलमाइदह - 4

में पवित्र क़ुर्आन स्पष्ट तौर पर प्रकट करता है कि समस्त बुरी वस्तुएं अवैध की गईं तो क्या आप के निकट हिंसक पशु और गधे पवित्र वस्तुओं में से हैं ? जिन्हें अवैध करने के लिए किसी हदीस की वास्तव में आवश्यकता थी। गधे की निन्दा करते हुए अल्लाह तआला कहता है اِنَّ اَنۡکَرَ الۡاَصۡوَاتِ لَصَوۡتُ الۡحَمِیۡرِ [1] फिर जो उसकी दृष्टि में किसी कारण से ख़राब अप्रिय, घृणित तथा बुरी वस्तुओं में सम्मिलित है वह किस प्रकार वैध हो जाता ? और समस्त हिंसक पशु (दरिन्दे) दुर्गन्ध से भरे होते हैं। चिड़िया घर में जाकर देखो कि शेर और भेड़िया तथा चीता इत्यादि इतनी दुर्गन्ध रखते हैं कि पास खड़ा होना कठिन होता है। फिर यदि ये बुरी वस्तुओं में सम्मिलित नहीं हैं तो और क्या हैं ? इसी प्रकार मैं आप की प्रस्तुत की हुई प्रत्येक हदीस का जो आपने अतिरिक्त आदेशों के बारे में लिखी है उत्तर दे सकता हूं और क़ुर्आन से उनका निरस्त होना दिखा सकता हूं, परन्तु ये बातें भी बहस से बाहर हैं। मैंने आप को कब और किस समय कहा था कि विरासत और अमल में आए हुए नियम तथा ऐसे आदेश जो अमल के क्रम की निरन्तरता से संबंधित हैं प्रत्यक्षतः हदीसों को उनके निरस्त करने या अधिक करने में हस्तक्षेप नहीं। खेद होता है कि आपने अकारण बात को लम्बा करके अपने और लोगों के समय को बरबाद किया। हज़रत ! पहले समझ तो लिया होता कि मेरा उद्देश्य क्या है। मैंने जिस बात को लक्ष्य रख कर अर्थात् मसीह की मृत्यु और जीवित रहने

[1] सूरह लुक़मान - 20

की समस्या को रखकर यह भाषण प्रस्तुत किया था। खेद कि इस बात की ओर भी आप को विचार न आया कि वह उन ख़बरों से एक ख़बर है या आदेशों के वर्ग से है। भविष्य में ऐसी जल्दबाज़ी से सावधानी रखें।

پشیمان شو ازاں عجلت کہ کردی

उसका कथन - इमाम शो'रानी ने 'मन्हजुलमुबीन' में लिखा है

اجمعت الامة على ان السنة قاضية على كتاب الله

मेरा कथन - इज्मा के बारे में आप ज्ञात कर चुके हैं कि इमाम मालिक ने अकेली ख़बर पर अनुमान को प्राथमिक दी है, कहां यह कि ख़ुदा की आयत उस पर प्रमुखता रखे। तथा हनफ़िया की दृष्टि में हदीसें यदि क़ुर्आन की विरोधी हों तो सब छोड़ी गई हैं और इमाम शाफ़ई की दृष्टि में निरन्तरता रखने वाली हदीस भी ख़ुदा की किताब की विरोधी होने की अवस्था में तुच्छ है। फिर जबकि ये इमाम जिनके करोड़ों लोग मुरीद और अनुयायी हैं यह निर्णय देते हैं तो इज्मा कहां है ?

उसका कथन - आप ने जो हदीस तफ़्सीर हुसैनी से नक़ल की है वह विश्वसनीय नहीं।

मेरा कथन - हज़रत ! वह तो वास्तव में 'तल्वीह' के लेखक के कथनानुसार बुख़ारी की हदीस* है जैसा कि हम पहले भी 'तल्वीह'

---

* हम इस से पूर्व एक नोट में लिख आए हैं कि वर्तमान प्रकाशित बुख़ारी की प्रति में यह हदीस अक्षरश: नहीं और न सही विवेकशील समीक्षक समझ सकता है कि सहीहों में इन

शेष हाशिया- अर्थों की समर्थक और साक्षी हदीसें आती हैं तो क्या हानि है। यदि इन शब्दों

की इबारत नक़ल कर चुके हैं, फिर क्या बुख़ारी भी काल्पनिक हदीसों से भरी हुई है ? और कहो कि वह ख़ुदा की आयत مَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوۡلُ के विरुद्ध है तो मैं कहता हूं कि कदापि विरुद्ध नहीं مَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوۡلُ का आदेश बिना किसी प्रतिबंध और शर्त के नहीं। प्रथम यह तो देख लेना चाहिए कि कोई हदीस वास्तव में مَآ اٰتٰكُمُ में सम्मिलित है या नहीं। مَآ اٰتٰكُمُ में तो वह सम्मिलित होगी जिसे हम पहचान लें कि वास्तव में रसूल ने उसको दिया है और जब वह पूर्णतया विश्वास न हो तो क्या यह वैध है कि हदीस का नाम सुनने से مَآ اٰتٰكُمُ में उसे सम्मिलित कर दें ? और 'तल्वीह' के कथनानुसार यह हदीस तो बुख़ारी में मौजूद है। न भी हो तो तब भी क़ुर्आन के उद्देश्य के तो अनुकूल है तथा तीनों इमामों ने लगभग इसी के अनुसार अपना फ़िक़्ह: का उसूल स्थापित रखा है तो फिर इसे क्यों स्वीकार न करें ? और यदि उसके वर्णन करने वालों में से यज़ीद बिन रबीआ का होना उसे कमज़ोर करता है तो इसी प्रकार उसका क़ुर्आन के उद्देश्य से अनुकूल होना उसके कमज़ोर होने को दूर करता है क्योंकि अल्लाह तआला का कथन है-

فَبِاَیِّ حَدِیۡثٍۭ بَعۡدَ اللّٰہِ وَاٰیٰتِہٖ یُؤۡمِنُوۡنَ

में बुख़ारी के अन्दर यह हदीस न हो। शब्दों से इतना हटने का क्या अवसर है। क्या वास्तव में यह सही नहीं कि केवल ख़ुदा की किताब की विरोधी एवं विपरीत हदीस को स्वीकार करने और अस्वीकार करने का मापदण्ड हो सकती है ? क़ुर्आन इसी का साक्षी है। तीनों इमामों का मत भी यही है तो फिर इन शब्दों में सौ बार नहीं हज़ार बार एक किताब बुख़ारी में न हो। एडीटर

अर्थात् अल्लाह तआला की आयतों के पश्चात् किस हदीस पर ईमान लाओगे ? इस आयत में स्पष्ट तौर पर इस बात की ओर प्रेरणा है कि प्रत्येक कथन और हदीस को ख़ुदा की किताब पर देख लेना चाहिए। यदि ख़ुदा की किताब ने एक बात के बारे में एक ठोस और समर्थक निर्णय दे दिया है जो परिवर्तनीय नहीं, तो फिर ऐसी हदीस सही होने की परिधि से बाहर होगी जो उसके विपरीत है, किन्तु यदि ख़ुदा की किताब समर्थक एवं अपरिवर्तनीय निर्णय नहीं देती तो फिर यदि वह हदीस रिवायत के नियमानुसार सही सिद्ध हो तो मानने योग्य है। अतः क़ुर्आन ऐसी संक्षिप्त किताब नहीं जो कभी तथा किसी भी स्थिति में मापदण्ड का काम दे सके। जिसका ऐसा विचार है, निःसन्देह वह बहुत बड़ा मूर्ख है वरन् उसका ईमान खतरे की दशा में है और हदीस انی اوتیت الکتاب و مثلہ से आप के विचार को क्या सहायता पहुंच सकती है ? आप को ज्ञात नहीं कि पढ़ी जाने वाली वह्यी की विशेषता है कि उसके साथ तीन वस्तुएं अवश्य होती हैं चाहे वह वह्यी रसूल की हो या नबी की या मुहद्दिस की।

प्रथम - सही कश्फ़ जो वह्यी की ख़बरों तथा वर्णनों को कश्फ़ी तौर पर प्रकट करते हैं, मानो ख़बर का निरीक्षण कर लेते हैं जैसा कि हमारे नबी[स.अ.व.] को वह स्वर्ग और नर्क दिखाया गया जिसे पवित्र क़ुर्आन ने वर्णन किया था और उन पहले रसूलों से भेंट कराई गई जिनकी पवित्र क़ुर्आन में चर्चा की गई थी। इसी प्रकार आख़िरत (परलोक) की बहुत सी खबरें कश्फ़ी तौर पर प्रकट की गईं ताकि वह

ज्ञान जो क़ुर्आन के द्वारा दिया गया था अत्यधिक प्रकट हो तथा सन्तोष एवं आराम का कारण हो जाए।

द्वितीय - उच्च स्वर में पढ़ी जाने वाली वह्यी के साथ सच्चे स्वप्न भी दिए जाते हैं जो नबी रसूल और मुहद्दिस के लिए एक प्रकार की वह्यी में ही सम्मिलित होते हैं तथा कश्फ़ के बावजूद स्वप्न की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि रूपकों का ज्ञान जो स्वप्न पर प्रभुत्व रखता है वह्यी प्राप्त पर खुल जाए और स्वप्नफल की विद्याओं में महारत पैदा हो और ताकि कश्फ़, स्वप्न तथा वह्यी बहुत से तरीकों के कारण एक दूसरे पर साक्षी हों और इस कारण ख़ुदा का नबी विशेषताओं एवं सच्चे अध्यात्म ज्ञानों में उन्नति करे।

तृतीय - उच्च स्वर में पढ़ी जाने वाली वह्यी के साथ एक गुप्त स्वर में पढ़ी जाने वाली वह्यी प्रदान की जाती है जिसे ख़ुदा के बोध कराने का नाम दिया जा सकता है। यही वह्यी है जिसे उच्च स्वर में न पढ़ी जाने वाली वह्यी कहते हैं तथा सूफ़ी लोग इसका नाम वह्यी -ए-ख़फी तथा दिल की वह्यी भी रखते हैं। इस वह्यी का उद्देश्य यह होता है कि कुछ संक्षिप्त बातें तथा संकेत उच्च स्वर में पढ़ी जाने वाली वह्यी के अवतरित होने वाले व्यक्ति पर प्रकट हों। अत: ये वे तीनों वस्तुएं हैं जो आंहज़रत[स.अ.व.] के लिए أُوتيت الكتاب के साथ مثله का चरितार्थ हैं तथा प्रत्येक रसूल और नबी तथा मुहद्दिस को उसकी वह्यी के साथ ये तीनों चीज़ें अपने-अपने सनिध्य की श्रेणी के अनुसार

प्रदान की जाती हैं। अत: इस बारे में यह लेखक अनुभव* रखता है ये तीन समर्थक अर्थात् कश्फ़, स्वप्न तथा उच्च स्वर में न पढ़ी जाने वाली वह्यी वास्तव में अतिरिक्त बातें नहीं होतीं अपितु उच्च स्वर में पढ़ी जाने वाली वह्यी जो मूल इबारत की भांति है व्याख्या करने वाली तथा स्पष्टीकरण करने वाली होती है।

उसका कथन - हदीस हारिस आ'वर की सही नहीं है और यह आ'वर भी एक दज्जाल है।

मेरा कथन - खेद है कि दज्जाल की हदीस अब तक मिश्कात तथा अन्य पवित्र किताबों में लिखी चली आई है। आप जैसे किसी बुज़ुर्ग ने उस पर निरस्त होने का क़लम नहीं फेरा। जिस अवस्था में वह हदीस बिल्कुल झूठी है और उसका वर्णनकर्ता दज्जाल है ! तो वह क्यों बाहर नहीं की जाती ? मैं नहीं जानता कि अपवित्र का पवित्र से क्या संबन्ध है ! किन्तु इस हदीस को छोड़ने से हमारी कुछ हानि नहीं। इस विषय के निकट कुछ हदीसें बुख़ारी में भी हैं जैसा कि कुछ परिवर्तन या शब्दों की न्यूनाधिकता से यह हदीस बुख़ारी में भी मौजूद है-

انی ترکت فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا کتاب اللّٰہ و سنتی**

---

* **हाशिया** - मौलवी साहिब ऐसे ख़ुदा के वली के मुक़ाबले के लिए आप कटिबद्ध हैं। मौलवी साहिब ! अनुमान वाले तथा विश्वास वाले समान नहीं हो सकते। समय है, रुक जाइए अन्यथा दांत पीसना और रोना होगा। एडीटर

** **हाशिया** - इस हदीस की समानार्थक जो हदीसें बुख़ारी में मौजूद हैं उनमें से एक वह हदीस है जो बुख़ारी की किताबुल ए'तिसाम में लिखी है और वह यह है- وهذا الکتاب الذی هدی
اللّٰہ به رسولکم فخذوا به تهتدوا उनमें से एक यह हदीस है- و کان وقّافًا عند کتاب اللّٰہ

और आप चोरी करने का आरोप मुझ पर लगाते हैं हालांकि मैंने فی الحارث مقال के शब्द को एक निरर्थक जिरह समझकर जान बूझ कर छोड़ दिया है क्योंकि क़ुर्आन की जितनी विशेषताओं की ओर यह हदीस संकेत करती है वे कश्फ़ वालों तथा पवित्रात्मा लोगों पर प्रकट हो चुकी हैं और होती हैं तथा हारिस की रिवायत की प्रत्येक युग में पुष्टि हो रही है। यह सिद्ध हो चुका है कि पवित्र-क़ुर्आन निस्सन्देह

शेष हाशिया - पृष्ठ-179 उसी में से यह हदीस है- ما عندنا شیء الا کتاب اللہ उसी में से यह हदीस है - ما کان من شرط لیس فی کتاب اللہ فھو باطلٌ قضاء اللہ احق - पृष्ठ -377- उसमें से ही एक यह हदीस है- اوصی بکتاب اللہ। पृष्ठ-751, उसी में से यह हदीस है जो बुखारी के पृष्ठ 172 में है कि जब हज़रत उमर[रज़ि.] गहरी चोट से घायल हुए तो सुहैब[रज़ि] रोते हुए उनके पास गए कि हाय मेरे भाई, हाय मेरे मित्र। उमर[रज़ि.] ने कहा कि हे सुहैब क्या तू मुझ पर रोता है तुझे याद नहीं कि ख़ुदा के रसूल[स.अ.व.] ने कहा है कि शव पर उसके परिवार वालों के रोने से अज़ाब दिया जाता है। फिर जब हज़रत उमर रज़ि का निधन हो गया तो हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने हदीस प्रस्तुत करने का समस्त वृत्तान्त आइशा सिद्दीका[रज़ि.] को सुनाया तो उन्होंने कहा- ख़ुदा उमर पर दया करे। ख़ुदा की क़सम कभी आंहज़रत[स.अ.व.] ने ऐसा नहीं कहा कि मोमिन पर उसके परिवार के रोने से अज़ाब दिया जाता है तथा कहा कि तुम्हारे लिए क़ुर्आन पर्याप्त है। ख़ुदा तआला का कथन है- لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰي (फ़ातिर-19) अर्थात् हज़रत आइशा सिद्दीक़ा ने सीमित ज्ञान होने के बावजूद केवल इसलिए क़सम खाई कि यदि इस हदीस के ऐसे अर्थ किए जाएं कि अकारण प्रत्येक शव उसके परिवार के रोने से अज़ाब दिया जाता है तो हदीस क़ुर्आन की विरोधी और विपरीत ठहरेगी और जो हदीस क़ुर्आन की विरोधी हो वह स्वीकार करने योग्य नहीं - کان النبی صلعم بین رجلین بجمع من قتلی احد ثم یقول ایھما احفظ للقرآن فاذا اشیر لہ الی احدھما قدمہ فی اللحد (बुख़ारी पृष्ठ -100) अल्लाह अल्लाह ! आपने क़ुर्आन का कितना सम्मान और ध्यान रखा है। एडीटर

सम्पूर्ण वास्तविकताओं एवं अध्यात्म ज्ञानों का संग्रहीता तथा हर युग की बिदअतों का मुकाबला करने वाला है। इस ख़ाकसार का सीना उसकी आंखों देखी बरकतों और उसकी नीतियों से परिपूर्ण है। मेरी आत्मा साक्ष्य देती है कि हारिस उस हदीस का वर्णन करने में नि:सन्देह सच्चा है, नि:सन्देह हमारा कल्याण एवं ज्ञान की उन्नति तथा हमारी अनश्वर विजयों के लिए हमें क़ुर्आन दिया गया है और उसके रहस्य तथा भेद असीमित हैं जो आत्मशुद्धि के पश्चात् आत्मशक्ति तथा प्रतिभा के द्वारा खुलते हैं। ख़ुदा तआला ने हमें कभी जिस क़ौम के साथ टकरा दिया उस कौम पर क़ुर्आन द्वारा ही हमने विजय पाई। वह जैसा एक अनपढ़ देहाती की संतुष्टि करता है वैसा ही एक तर्कशास्त्री दार्शनिक को सन्तोष प्रदान करता है। यह नहीं कि वह केवल एक समूह के लिए उतरा है दूसरा समूह उस से वंचित रहे। नि:सन्देह इसमें प्रत्येक व्यक्ति तथा प्रत्येक युग और प्रत्येक योग्यता के लिए उपचार मौजूद है। जो लोग अधोमुख बनावट तथा अपूर्ण स्वभाव नहीं वे क़ुर्आन की उन श्रेष्ठताओं पर ईमान लाते हैं तथा उनके प्रकाशों से लाभन्वित होते हैं। जिस हारिस के मुख से हमारे प्यारे क़ुर्आन की ये प्रशंसाएं, मैं तो उस के मुख पर बलिहारी हूं। आप उसे दज्जाल समझें तो आप को अधिकार है- كل احد يوخذ من قوله ويترك

रही यह बात कि आप ने मेरा नाम चोर रखा तो मैं अपना और आपका फैसला ख़ुदा के सुपुर्द करता हूं। यदि पवित्र क़ुर्आन के लिए मैं चोर कहलाऊं तो यह मेरा सौभाग्य है। यह तो एक शब्द की कमी

का नाम चोरी रखा गया है परन्तु कृपालु ख़ुदा अधिक उत्तम जानता है कि इस वास्तविक चोरी या उसके साथ सहयोग करने वाला कौन है जिसके करने से एक दिरहम के मूल्य पर हाथ काटा जाता है। अतः इस बात पर विचार कर और बहुत अधिक ज्ञाता ख़ुदा जो हिसाब लेने वाला है से भय कर।

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ①

उसका कथन - सहीहैन की हदीसों के वर्णनकर्ता पाप के लांछन से बरी हैं। अतः आयत प्रस्तुत करना जब कोई पापी ख़बर लाए तो उसकी पड़ताल करो आपकी अज्ञानता पर एक प्रमाण है।

मेरा कथन - मैं पहले वर्णन कर चुका हूं कि बुख़ारी और मुस्लिम के कुछ रिवायत करने वालों पर बिदअती होने का आरोप लगाया गया है जो पापी के आदेशों में है जैसा कि मान्य प्रमाण का हवाला दे चुका हूं जिसमें सहीहैन के बारे में यह इबारत है - لان رواتهما قدريون وغيرهم اهل البدع अर्थात् बुख़ारी और मुस्लिम के कुछ रिवायत करने वाले क़दरी और बिदअती हैं। अब हे हज़रत कहिए कि आपकी अनभिज्ञता सिद्ध हुई या मेरी और यदि आप कहें कि दूसरे ढंग से वे हदीसें सिद्ध हैं तो इसका प्रमाण आप का दायित्व है कि हर प्रकार से उन हदीसों का पूरा भाव एवं विषय रिवायत की दूसरी शैली से सिद्ध करके दिखाएं। 'तल्वीह' में लिखा है कि "कुछ काल्पनिक हदीसें जो नास्तिकों का बनाया हुआ झूठ विदित होती हैं

① अस्सफ़ - 4

बुख़ारी में मौजूद हैं।" और इमाम नववी ने अब्बास और अली की हदीस के सम्बन्ध में जो कहा है वह पहले लिख चुका हूं तथा मेरा यह कहना है कि संभावित तौर पर झूठ बोल जाने की नबी के अतिरिक्त प्रत्येक से संभावना है इस आरोप का पात्र नहीं हो सकता कि झूठ की संभावना के कारण साक्ष्य अस्वीकार नहीं की जा सकती और न कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि संभावना दो प्रकार की होती है - एक प्रत्याशित संभावना और एक घटित होने के लिए तत्पर संभावना। इसका उदाहरण यह है कि जैसे एक व्यक्ति के लिए जो ज़मीन खोद रहा है संभव है कि उस ज़मीन से कुछ दफ़्न किया हुआ धन निकल आए और घटित होने के लिए तत्पर संभावना का उदाहरण यह है कि एक ऐसे घर में कुत्ता चला जाए जिस में भिन्न-भिन्न प्रकार के भोजन खुले पड़े हैं। अतः संभव है कि वह कुत्ता खाना आरंभ करे। इसी प्रकार मनुष्य के दो गिरोह हैं। एक वह जो पापों से आज़ाद किए जाते हैं, संयम एवं ईमान उनके स्वभाव के लिए प्रिय किया जाता है दूसरे वह गिरोह हैं कि यद्यपि वे बनावट के तौर पर भलाई करते हैं और संयमी कहलाते हैं परन्तु कामभावनाओं से अभय और सुरक्षित नहीं होते। तथा कामोद्देश्यों के अवसर पर उनका पुनः फिसल जाना प्रत्याशित संभावना में सम्मिलित होता है क्योंकि शुभ कर्म उन के ~~स्वभाव के अंग नहीं होते। यह बात साक्ष्यों में भी सुरक्षित रहती है।~~ इसी कारण से एक ऐसे साक्षी का साक्ष्य जो दूसरे सदस्य से जिस पर वह साक्ष्य देता है अत्यन्त शत्रुता रखता है और खुले तौर पर हानि

पहुंचाने के लिए तत्पर है तथा प्रथम सदस्य का जिसके लिए साक्ष्य देता है निकट संबंधी तथा उसके समर्थन पर उसे कड़ी आपत्ति है कमज़ोर अपितु रद्द करने योग्य समझी जाती है, क्यों समझी जाती है ? इसी कारण से कि उसके झूठ बोलने के बारे में प्रत्याशित संभावना की दृढ़ आशंका पैदा हो जाती है तथा इस संभावना के कारण उसकी साक्ष्य वह स्तर नहीं रखती जो न्यायवान साक्ष्यें रखती हैं। तथा किसी प्रकार से भी पूर्ण विश्वसनीय नहीं ठहर सकतीं, विशेषतः ऐसे युग में जो पाप और झूठ के प्रसार का युग हो। अब मैं पूछता हूं कि क्या ख़वारिज और क़दरियों की साक्ष्य में उनके मत की वक्रता के कारण झूठ बोलने की प्रत्याशित संभावना पैदा है या नहीं ? और यही मेरा उद्देश्य था।

उसका कथन - आपके ऐसे तर्कों एवं कथनों से विदित होता है कि आपको हदीस के ज्ञान से बिल्कुल अनभिज्ञता है।

मेरा कथन - हज़रत मौलवी साहिब ! इस युग में जबकि सहीहैन का उर्दू में अनुवाद हो चुका है हदीस के ज्ञान का कूचा ऐसा दुर्गम नहीं रहा जिस पर विशेष तौर पर आप का गर्व उचित हो। शीघ्र ही समय आने वाला है अपितु आ गया है कि उर्दू में हदीसों के अभ्यस्त लोग अपने मानसिक एवं हार्दिक प्रकाश के कारण अरबी जानते मूर्ख स्वभाव मुल्लाओं पर हंसेंगे और उस्ताद बन बन कर उन्हें दिखाएंगे। हज़रत ! मैं केवल ख़ुदा के लिए आप को परामर्श देता हूं कि आप अपने ज्ञान-प्रदर्शन को कम कर दें कि ख़ुदा तआला की दृष्टि में

श्रेष्ठता संयम में है। इस व्यर्थ की आत्मप्रशंसा और दूसरे के तिरस्कार से क्या लाभ ? और अद्‌भुत यह कि आप तो मुझ पर मूर्खता और अज्ञान होने का आरोप लगाना चाहते हैं परन्तु ख़ुदा तआला वही आरोप लौटा कर आप पर डालना चाहता है -

من اراد هتك ستراخيه هتك الله ستره ان الله لايحب كل مختالٍ فخور والله بصيرٌ بالعباد ولا يحب الله الجهر بالسوء من القول الامن ظلم۔

उसका कथन - तफ़्सीर हुसैनी के लेखक या शेख़ मुहम्मद असलम तूसी ने हदीसों को क़ुर्आन पर प्रस्तुत करने के बारे में आपकी तरह यह नियम तो नहीं ठहराया कि सही हदीसों की मान्यता सही सिद्ध होने के पश्चात् उनके सही होने की परीक्षा क़ुर्आन से की जाए और जब तक वह हदीस क़ुर्आन के अनुकूल न हो उसे सही न समझा जाए।

मेरा कथन - तफ़्सीर हुसैनी की इबारत से यह प्रकट है कि शेख़ मुहम्मद असलम तूसी तीस वर्ष तक इस बारे में विचार करते रहे कि नमाज़ को छोड़ने की हदीस की पुष्टि जिस का विषय यह है कि जो कोई नमाज़ को जानबूझ कर छोड़ दे वह काफ़िर हो जाता है क़ुर्आन से सिद्ध है। अब स्पष्ट है कि यदि यह हदीस रिवायत के नियमानुसार उनके निकट काल्पनिक होती तो फिर उसकी अनुकूलता के लिए क़ुर्आन की ओर ध्यान देना एक व्यर्थ बात और निरर्थक कार्य था, क्योंकि यदि हदीस काल्पनिक थी तो फिर उसका विचार हृदय से निकाल दिया होता। क्या यह अनुमान के निकट है कि कोई बुद्धिमान

एक हदीस को काल्पनिक समझकर फिर इस काल्पनिक होने की पुष्टि के लिए तीस वर्ष तक समय नष्ट करे। स्पष्ट है कि जिस हदीस को पहले से काल्पनिक समझ लिया फिर उसका सत्यापन क़ुर्आन से चाहना क्या मायने रखता है ! अपितु सच और वास्तविक बात जो मौजूदा क्रम से विदित होती है यह है कि एक ओर तो शेख़ मुहम्मद असलम तूसी को उस हदीस के सही होने का पूर्ण विश्वास था दूसरे प्रत्यक्षतः क़ुर्आन की सामान्य शिक्षा से उसे विपरीत पाता था। इसलिए उसने सही बुख़ारी की उस हदीस के अनुसार जिसमें उसे क़ुर्आन पर प्रस्तुत करने का वर्णन है क़ुर्आन से उसकी अनुकूलता चाही तथा ख़ुदा जाने उसे नमाज़ छोड़ने की हदीस के सही होने पर कितना दृढ़ विश्वास था कि इसके बावजूद कि उन्तीस वर्ष तक या इस से कुछ अधिक वर्षों तक उस हदीस का सत्यापन करने वाली कोई आयत उसे पवित्र क़ुर्आन में न मिली तथापि उसने खोजने से हिम्मत न हारी, यहां तक कि आयत وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ[1] उसे मिल गई। यह खोज इसके अतिरिक्त और किस उद्देश्य के लिए थी कि एक ओर तो शेख़ असलम तूसी को नमाज़ छोड़ने की हदीस में उसके सही होने के बारे में कुछ आपत्ति न थी और दूसरी ओर इबारत पवित्र क़ुर्आन की प्रत्यक्ष शिक्षा के विपरीत मालूम होती थी और इस बात को एक अल्प समझ वाला भी समझ सकता है कि यदि शेख़ साहिब को हदीस और प्रत्यक्ष क़ुर्आन में कुछ विरोध दिखाई नहीं देता

① अर्रूम - 32

था तो फिर तीस वर्ष तक किस बात में डूबा रहा और कौन सी वस्तु खो गई थी जिसे वह ढूंढता रहा ? अन्ततः यही तो कारण था कि वह उस हदीस के अनुसार कोई आयत नहीं पाता था इसी विचार से वह क़ुर्आन की आयतों को उस हदीस के विपरीत समझता था। आप कहते हैं कि "कथित शेख़ के कलाम में क़ुर्आन को मापदण्ड ठहराने का नामो निशान नहीं।" किन्तु आपकी समझ पर न स्वयं मैं अपितु प्रत्येक बुद्धिमान आश्चर्य करेगा कि यदि शेख़ की राय में क़ुर्आन ऐसी हदीसों की पुष्टि के लिए जो प्रत्यक्षतः क़ुर्आन के विपरीत मालूम हों मापदण्ड नहीं था तो फिर शेख़ ने उसकी पुष्टि के लिए तीस वर्ष तक क्यों टक्करें मारीं ? तीस वर्ष की अवधि कुछ कम नहीं होती। एक युवा इस अवधि में वृद्ध हो जाता है। क्या किसी की समझ में आ सकता है कि किसी कठिन कार्य को बिना इरादे के कर लेना तथा बिना प्रण मुक्ति की एक बड़ी कठिनाई से यों ही कोई अतिरिक्त सन्तुष्टि के लिए अपनी प्रिय आयु की इतनी लम्बी अवधि नष्ट करे। फिर आप पूछते हैं कि क्या शेख़ मुहम्मद असलम तूसी ने इस नमाज़ छोड़ने वाली हदीस के अतिरिक्त किसी अन्य हदीस को भी क़ुर्आन पर प्रस्तुत किया ? यह कैसा पागलपन से भरा प्रश्न है ! क्या किसी वस्तु का ज्ञान न होने से उस वस्तु का न होना अनिवार्य होता है ? अतः संभव है कि प्रस्तुत किया हो और हमें ज्ञात न हो तथा यह भी संभव है कि अन्य हदीसों में यह कठिनाई उनके सामने न आई हो तथा उनकी दृष्टि में कोई अन्य हदीस इस प्रकार से क़ुर्आन की विरोधी न हो जिस से

क़ुर्आन की पूर्ण और अपरिवर्तनीय निर्देशों को क्षति पहुंच सके और यदि यह कहो कि उस तीस वर्ष की अवधि तक अर्थात् जब तक कि आयत नहीं मिली थी। नमाज़ छोड़ने की हदीस के सही होने के बारे में शेख़ की क्या आस्था थी तो उत्तर यह है कि शेख़ उसमें रिवायत के नियमानुसार सही होने के लक्षण पाता था, परन्तु प्रत्यक्ष विरोध के कारण क़ुर्आन, हैरानी एवं उद्विग्नता में था और स्थायी तौर पर कोई राय स्थापित नहीं कर सकता था और आयत के मिल जाने का अत्यधिक प्रत्याशी था। मैं पुनः कहता हूं कि आप हठ* छोड़ दें और ख़ुदा तआला से शर्म करें। आपने केवल एक व्यक्ति का पता मांगा था जो विभिन्न हदीसों के बारे में क़ुर्आन पर प्रस्तुत करने को मानता हो, परन्तु हमने कई इमाम और बुज़ुर्ग इस आस्था को रखने वाले प्रस्तुत कर दिए। पुनः यह कि आप स्मरण रखें कि शेख़ तूसी का तीस वर्ष तक आयत की खोज में लगे रहना शेख़ के उस मत को प्रकट कर रहा है जो उसका नमाज़ छोड़ने की हदीस के सम्बन्ध में और फिर क़ुर्आनी सत्यापन की आवश्यकता के संबंध में था। यदि आप मौजूद लक्षणों से नहीं समझेंगे तो संसार में अन्य समझने वाले बहुत

---

* हां मौलवी साहिब एक सदुपदेशक ख़ुदा को पहचानने वाले की बात मान लीजिए। इस से आप की प्रतिष्ठा को बट्टा नहीं लगेगा अपितु समस्त ख़ुदा को पहचानने वाले समस्त लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। किन्तु खेद कि एक मौलवी का अपनी प्रसिद्ध की हुई राय से लौटना ऐसा ही है जैसा सुई के नाके से ऊंट का गुज़रना। وَاللّٰہُ یَھْدِیْ مَنْ یَّشَآءُ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ (अलबक़रह - 214) एडीटर

हैं उन्हीं को लाभ होगा।

उसका कथन - मैं क़ुर्आन को इमाम मानता हूं।*

मेरा कथन - यह सर्वथा घटना के विपरीत है। यदि आप क़ुर्आन को इमान और प्रथम मार्गदर्शक समझते तो आप के इन्कार और हठ की यह नौबत क्यों पहुंचती आप कहते हैं कि मुझ पर यह झूठ बनाया गया है कि मेरे बारे में कहा गया कि मैं क़ुर्आन के इमाम होने का इन्कारी हूं। आप के इस साहस का क्या उत्तर दूं। लोग स्वयं ज्ञात कर लेंगे।

उसका कथन- ख़ुदा की सृष्टि ख़ुदा से डरो।

मेरा कथन - हज़रत कुछ आप भी तो डरें**

لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ۔ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ①

उसका कथन - यह अनुमान कि इमाम बुख़ारी ने दमिश्क़ी हदीस को कमज़ोर जान कर छोड़ दिया है,यह बात वही व्यक्ति कहेगा जिसे हदीस के कूचे में भूले से भी कभी गुज़र नहीं हुआ।

मेरा कथन - हज़रत आप के इस वर्णन से सिद्ध होता है कि

* **नोट** -अवश्य। تیر از کمان جستہ باز بدست نے آید एडीटर

** हज़रत ! वह क्यों डरें। इस युग के मौलवियों पर इसकी पाबन्दी कुछ आवश्यक नहीं कि जो कुछ वे लोगों को कहें स्वयं भी उसका पालन किया करें। इसी से तो ख़ुदा की प्रजा में उपद्रव पैदा हो गया है तथा इसी उपद्रव और इन मौलवियों के टेढ़ेपन तथा झूठ के सुधार के लिए अल्लाह तआला ने हुज़ूर को संसार में भेजा है। भाग्यशाली है वह जो आप को पहचाने। एडीटर

① अस्सफ़ - 4

आप का इस कूचे से स्वयं गुज़र नहीं। आप नहीं मानते कि इमाम बुख़ारी जैसा एक व्यक्ति पूर्ण जानकारियों का दावा करने वाला जिसने तीन लाख हदीसें कंठस्थ की थीं उसके संबध में आवश्यक रूप से स्वीकार करना पड़ता है कि सिहाह सित्तः की समस्त लिखित हदीसों का उसे ज्ञान था, क्योंकि सिहाह सित्तः में जितनी हदीसें लिखी हैं वे बुख़ारी की जानकारियों का छठा भाग भी नहीं अपितु उन सब को इमाम बुख़ारी की जानकारियों में सम्मिलित करके फिर भी ढाई लाख हदीसें ऐसी रह जाती हैं जिनको क्रमबद्ध करने तथा कंठस्थ करने में इमाम बुख़ारी का कोई अन्य भागीदार नहीं। अतः इस तर्क से दृढ़ अनुमान द्वारा ज्ञात होता है कि दमिश्क़ी हदीस इमाम बुख़ारी को अवश्य स्मरण होगी और उन समस्त हदीसों के लिखते समय जो इमाम बुख़ारी ने मसीह इब्ने मरयम और मसीह दज्जाल के बारे में लिखी है बुख़ारी का यह कर्त्तव्य था इस अपूर्ण क़िस्से को पूर्ण करने के लिए जिसके प्रचार के लिए आंहज़रत[स.अ.व.] ने सर्वाधिक ज़ोर दिया है वह दमिश्क़ी हदीस भी लिख देता जो मुस्लिम में लिखी है। हालांकि बुख़ारी ने अपनी हदीसों में इस क़िस्से के कुछ अंश लिए हैं और कुछ छोड़ दिए हैं। अतः सही बुख़ारी का इन सम्बन्धित क़िस्सों से रिक्त होना इस बात पर चरितार्थ नहीं हो सकता कि इमाम बुख़ारी उन शेष भागों से अज्ञान रहा, क्योंकि उसको तीन लाख हदीसों के कंठस्थ का दावा है और चालीस हज़ार हदीसें जारी करके फिर भी दो लाख साठ हज़ार हदीसों का विशेष संग्रह इमाम बुख़ारी के पास मानना पड़ता है।

अन्ततः उपलब्ध लक्षण जो बुख़ारी की हदीसों की परिधि पर दृष्टि डालने से ज्ञात होते वह एक अन्वेषक को शनैः शनैः उस ओर ले आएंगे कि इमाम बुख़ारी ने उस क़िस्से की कुछ सम्बन्धित बातों को जो दमिश्क़ी हदीस में पाई जाती हैं जानबूझ कर छोड़ा। यह अनुमान कदापि नहीं हो सकता कि नवास बिन समआन की हदीस बुख़ारी को नहीं मिली। अपितु यह अनुमान भी नहीं है कि नवास बिन समआन के अतिरिक्त ऐसी रिवायत के बारे में और भी हदीसें मिली हों जिसे उसने वर्णन करने से छोड़ दिया, परन्तु यह विचार किसी भी प्रकार सन्तोषजनक नहीं कि बुख़ारी ने उस हदीस को भी उसी गुप्त ख़ज़ाने में सम्मिलित कर दिया जो तीन लाख हदीसों का ख़ज़ाना उसके हृदय में था क्योंकि उसको वर्णन करने के आवश्यक कारण मौजूद थे और क़िस्से की पूर्णता उस शेष वर्णन पर निर्भर थी। अतः उसका सही और उचित उत्तर जो बुख़ारी की महान प्रतिष्ठा के यथायोग्य है इसके अतिरिक्त और कोई नहीं कि बुख़ारी ने वह हदीस नवास बिन समआन की इस स्तर की नहीं समझी जिससे वह उसे अपनी सही में सम्मिलित करता। इस पर एक अन्य प्रमाण भी है और वह यह है कि बुख़ारी की कुछ हदीसें यदि ध्यानपूर्वक देखी जाएं तो उस दमिश्क़ी हदीस से कई बातों में विरोधी सिद्ध होती हैं तो यह भी एक कारण था कि बुख़ारी ने उस हदीस को नहीं लिया ताकि अपनी सही को विरोधाभास से सुरक्षित रखे तथा विदित होता है कि शेष हदीसें भी जो छियानवे हज़ार के लगभग बुख़ारी को कंठस्थ थीं वे अपनी सनद की दृष्टि से सही

होने के बावजूद सही बुख़ारी की हदीसों से कुछ विरोधाभास रखती होंगी तभी तो बुख़ारी जैसे रसूलुल्लाह की सुन्नत के प्रचार के लोलुप व्यक्ति ने उनको किताब में नहीं लिखा और न किसी दूसरी किताब में उन्हें लिखा और अन्यथा बुख़ारी जैसे रसूल के कथन के प्रेमी पर एक अखण्डनीय आरोप होगा। उसने ख़ुदा के रसूल की हदीसों को पाकर क्यों नष्ट किया। क्या उसकी प्रतिष्ठा से दूर नहीं कि सोलह वर्ष कष्ट सहन करके आंहज़रत[स.अ.व.] की एक लाख हदीसें एकत्र कीं और फिर एक अधम विचार से कि किताब लम्बी हो जाती है उस ख़ज़ाने को नष्ट कर दे ?

چہ عقل است صد سال اندوختن   پس انگاہ در یک دمے سوختن

ख़ुदा प्रदत्त ज्ञान और नीति को नष्ट करना निर्विवाद रूप से बड़ा पाप है फिर यह अनुचित कार्य इमाम बुख़ारी से क्योंकर संभव है ! अतः यद्यपि कि गुप्त कारण की दृष्टि से इमाम बुख़ारी ने प्रकट नहीं किया और या प्रकट किया परन्तु सुरक्षित नहीं रहा। किन्तु बहरहाल यही कारण है और यही शरीअत की दृष्टि से आपत्ति है जिस के प्रस्तावित करने से इमाम मुहम्मद इस्माईल की धार्मिक सहानुभूति का दामन आलस्य और लापरवाही की मलिनता से पवित्र रह सकता है।

उसका कथन - आपने इज्मा के बारे में कि इज्मा किसे कहते हैं कुछ उत्तर न दिया जिस से स्पष्ट तौर पर सिद्ध होता है कि आप ज्ञान संबंधी प्रश्नों की कुछ समझ नहीं रखते। इज्मा की परिभाषा यह है कि एक समय के समस्त विवेचन करने वाले जिन से एक व्यक्ति

भी पृथक एवं विरोधी न हो एक शरीअत के आदेश पर सहमत हो जाएं यदि एक विवेचना करने वाला भी विरोधी हो तो फिर इज्मा स्थापित नहीं होगा।

मेरा कथन - मेरे सीधे-सीधे वर्णन में इज्मा की परिभाषा का सारांश मौजूद है। हां मैंने उसूलियों की निर्मित काल्पनिक शैली पर जो कठिनाई से रिक्त नहीं उस वर्णन को प्रकट नहीं किया ताकि सर्वसाधारण लोग बात को समझने से वंचित न रहें, परन्तु आपने परिभाषा के तौर पर इज्मा की परिभाषा का दावा करके फिर उसमें बेईमानी की है तथा पूर्णरूप से उस का वर्णन नहीं किया जिससे आपके हृदय में आशंका होगी कि जिन शर्तों को फ़िक़्ह: के उसूल वालों ने इज्मा को छानबीन के लिए निर्धारित किया है उन समस्त शर्तों के अनुसार आप के मान्य इज्माओं में से कोई इज्मा सही नहीं ठहर सकता और या यह तात्पर्य होगा कि उसमें जो बातें मेरे हित में हों उनको गुप्त रखा जाए और वह इज्मा उसकी शर्तों सहित इस प्रकार से वर्णन किया गया है

الاجماع اتفاق مجتھدین صالحین من امة محمد مصطفٰی صلی اللہ علیه و سلم فی عصرٍ واحدٍ والا ولی ان یکون فی کل عصر علی امر قولی او فعلی و رکنه نوعان عزیمة وھو التکلم منھم بما یوجب الاتفاق بان یقولوا اجمعنا علی ھذا ان کان ذلك الشیء من باب القول او شروعھم فی الفعل ان کان ذالك الشیء من باب الفعل و النوع الثانی منه رخصة وھو ان یتکلم او یفعل البعض من المجمعین دون البعض

ای یتفق بعضهم علی قول او فعل ویسکت الباقون منهم ولا یردون علیهم الی ثلثة ایام اوالی مدة یعلم عادة انه لوکان هناك مخالف لاظهر الخلاف ویسمی هذا اجماعا سکوتیا و لابد فیه من اتفاق الکل خلافا للبعض وتمسکا بحدیث رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیه و سلم و ذهب بعضهم الی کفایة قول العوام فی انعقاد الاجماع کالباقلانی و کون المجمعین من الصحابة اومن العترة لا یشترط وقال بعضهم لااجماع الاللصحابة و بعضهم حصر الاجماع فی اهل قرابة رسول اللّٰہ و عند البعض کونهم من اهل المدینة یعنی مدینة رسول اللّٰہ شرط ضروری و عند بعضهم انقراض عصرهم شرط لتحقق الاجماع وقال الشافعی علیہ الرحمۃ یشترط فیه انقراض العصر وفوت جمیع المجتهدین فلایکون اجماعهم حجة مالم یموتوا لان الرجوع قبله محتمل ومع الاحتمال لایثبت الاستقراء ولابدلنقل الاجماع من الاجماع والاجماع اللاحق جائز مع الاختلاف السابق والاولی فی الاجماع ان یبقی فی کل عصر وقال بعض المعتزلة ینعقد الاجماع باتفاق الاکثر بدلیل من شذشذ فی النار۔ قال بعضهم ان الاجماع لیس بشیء ولا یتحقق لجمع شرائط

अर्थात् सर्वसम्मति उस सहमति का नाम है जो उम्मत-ए-मुहम्मदिया के उत्तम एवं उचित मार्ग निकालने वाले सदाचारी लोगों में एक ही युग में पैदा हो और उत्तम तो यह है कि प्रत्येक

युग में पाई जाए तथा जिस बात पर सहमति हो समान है कि वह बात मौखिक हो अथवा क्रियात्मक। सर्वसम्मति के दो प्रकार हैं। एक वह है जिसे अज़ीमत (संकल्प) कहते हैं और अज़ीमत इस बात का नाम है कि सर्वसम्मति करने वाले स्पष्ट वार्तालाप द्वारा अपनी सर्वसम्मति को प्रकट करें कि हम इस कथन या कर्म पर सहमत हो गए परन्तु कर्म में शर्त है कि उस कर्म को करना भी आरंभ कर दें। दूसरा प्रकार सर्वसम्मति का वह है जिसे रुख़सत कहते हैं और वह इस बात का नाम है कि यदि सर्वसम्मति किसी कथन पर है तो कुछ लोग अपनी सहमति को मुख से प्रकट करें और कुछ मौन रहें और यदि सर्वसम्मति किसी कर्म पर है तो कुछ लोग उसी कर्म को करना प्रारंभ कर दें और कुछ क्रियात्मक विरोध से पृथक रहें। यद्यपि उस कर्म को भी न करें और तीन दिन तक अपने कथन या कर्म से विरोध प्रकट न करें या उस अवधि तक विरोध प्रकट न करें जो स्वाभाविक तौर पर उस बात को समझने के लिए प्रमाण हो सकता है। यदि कोई यहां विरोधी होता तो अवश्य अपना विरोध प्रदर्शित करता। और इस सर्वसम्मति का नाम मौन सर्वसम्मति है। इसमें यह आवश्यक है कि सब की सहमति है किन्तु कुछ लोग सब की सहमति को आवश्यक नहीं समझते ताकि मन शज़्ज़ा शज़्ज़ा की हदीस का स्थान शेष रहे और हदीस मिथ्या न हो जाए और कुछ लोग इस ओर गए हैं कि उचित एवं सही मार्ग निकालने वालों का होना आवश्यक शर्त नहीं अपितु

सर्वसम्मति स्थापित होने के लिए जनता का कथन पर्याप्त है जैसा कि बाक़लानी का यही मत है तथा कुछ के निकट इज्मा (सर्वसम्मति) के लिए यह आवश्यक शर्त है कि इज्मा सहाबा का हो न कि किसी और का तथा कुछ के निकट इज्मा वही है जो इतरत अर्थात् आंहज़रत[स.अ.व.] के निकट सम्बन्धियों का हो और कुछ की दृष्टि में यह अनिवार्य शर्त है कि इज्मा करने वाले विशेष तौर पर मदीना निवासी हों और कुछ की दृष्टि में इज्मा को सही सिद्ध करने के लिए यह शर्त है कि इज्मा का युग गुज़र जाए। अतः शाफ़िई के निकट यह शर्त अनिवार्य है। यह कहता है कि इज्मा तब सिद्ध होगा कि इज्मा के युग का बोरिया लपेट दिया जाए और वे समस्त लोग मृत्युप्राप्त हो जाएं, जिन्होंने इज्मा किया था और जब तक उन सब की मृत्यु न हो जाए तब तक इज्मा उचित नहीं ठहर सकता, क्योंकि संभव है कि कोई व्यक्ति अपने कथन से फिर जाए। यह सिद्ध होना आवश्यक है कि किसी ने अपने कथन से वापसी तो नहीं की तथा इज्मा के नक़ल पर भी इज्मा चाहिए अर्थात् जो लोग किसी बात के बारे में इज्मा को मानते हैं उन में भी इज्मा हो तथा इज्मा पहले मतभेद के साथ वैध है अर्थात् यदि एक बात पर पहले लोगों ने इज्मा न किया और फिर किसी दूसरे युग में इज्मा हो गया तो वह इज्मा भी विश्वसनीय है। और उत्तम इज्मा यह है कि प्रत्येक युग में उसका क्रम चला जाए। और कुछ

मौ'तज़िला* का कथन है कि बहुमत की सहमति से भी इज्मा हो सकता है इस तर्क के अनुसार - من شذشذ فى النار तथा कुछ ने कहा है कि इज्मा कोई वस्तु नहीं और अपनी सभी शर्तों के साथ सिद्ध नहीं हो सकता। देखो चारों इमामों की उसूले फ़िक: की पुस्तकें।

अत: इस सम्पूर्ण वर्णन से स्पष्ट है कि उलेमा का इस इज्मा की परिभाषा पर भी इज्मा नहीं तथा इन्कार एवं स्वीकार के दोनों मार्ग खुले हुए हैं। इसलिए मैंने जब कुछ कथनों से इब्ने सय्याद के मौऊद (प्रतिज्ञात) दज्जाल होने पर निश्चित मौन का प्रमाण दे दिया है। अबू सईद ने इब्ने सय्याद के दज्जाल होने से कदापि कदापि इन्कार नहीं किया। एक बात का किसी पर संदिग्ध होना और बात है तथा इन्कार और बात है। तमीमदारी का भी इन्कार सिद्ध नहीं क्योंकि तमीमदारी ने गिरजा वाले दज्जाल के बारे में अपना विश्वास प्रकट नहीं किया, केवल एक ख़बर सुना दी और अकेली ख़बर सुनाने से इन्कार अनिवार्य नहीं होता और वह ख़बर जिरह (प्रतिप्रश्नों) से ख़ाली भी नहीं क्योंकि तमीमदारी कहता है कि उस दज्जाल ने परोक्ष की बातें तथा भविष्य में प्रकट होने वाली भविष्यवाणियां खुले-

* मुसलमानों का एक समुदाय जो बुद्धिजीवी कहलाता है। उन के निकट क़ुर्आन सृष्टि है। उनकी आस्था है कि ख़ुदा तआला का एकत्व बुद्धि द्वारा ज्ञात हो सकता है, इसलिए वह्यी के बिना ही बुद्धिजीवी एवं फ़िलॉस्फ़र एकत्व (एकेश्वरवाद) पर ईमान ला सकते हैं। ये लोग ख़ुदा को विशेषताओं से बरी मानते हैं अर्थात् ख़ुदा में एक दूसरे की विरोधी विशेषताएं नहीं हो सकतीं। मामून रशीद के शासनकाल में यह सरकारी धर्म बन गया था। (अनुवादक)

खुले तौर पर सुनाईं और यह बात क़ुर्आन के विरुद्ध है क्योंकि अल्लाह तआला कहता है -

فَلَا يُظۡهِرُ عَلٰى غَيۡبِهٖۤ اَحَدًا ۝ اِلَّا مَنِ ارۡتَضٰى مِنۡ رَّسُوۡلٍ

(अलजिन्न - 27, 28)

अर्थात् ख़ुदा तआला खुले खुले तौर पर किसी को अपने परोक्ष (ग़ैब) पर रसूलों के अतिरिक्त अर्थात् उन लोगों के अतिरिक्त जो रसूल या वली होने की वह्यी के साथ मामूर हुआ करते हैं और ख़ुदा की ओर से समझे जाते हैं अवगत नहीं करता, परन्तु दज्जाल ने तो उस स्थान पर परोक्ष की पक्की-पक्की खबरें सुनाईं।* अब प्रश्न यह है कि वह रसूलों के किस प्रकार में से था ? क्या वह वास्तविक तौर पर

* **हाशिया** - एक ख़ुदा की इबादत करने वाला (एकेश्वरवादी) नाम रखवा कर शर्म करनी चाहिए ! जब प्रजा को (तथा प्रजा भी काफ़िर और दज्जाल ! कितना आश्चर्यजनक) ख़ुदाई शक्तियां तथा विशेषताएं प्राप्त हो गईं। अत: स्रष्टा और सृष्टि में अन्तर क्या रहा ?

खेद यह नीरस मानसिकता एवं शब्दों की पुजारी क़ौम ख़ुदा के कलाम में कुछ भी विचार नहीं करती जैसे उन्हें ख़ुदा के कलाम से कोई प्रेम और अनुकूलता ही नहीं। एकेश्वरवाद एकेश्वरवाद मौखिक तौर पर कहते हैं और भयंकर अनेकेश्वरवाद में लिप्त हैं। हज़रत मसीह जैसे कमज़ोर मनुष्य को स्रष्टा, रोगों का निवारक, जीवन देने वाला, जीवित रहने वाला, स्वयं स्थापित रहने वाला विश्वास कर रखा है !! इस पर आक्रोश यह कि अन्य समस्त इस्लामी समुदायों को बिदअती (धर्म में नवीन बातें निकालने वाला) और अनेकेश्वरवादी के अतिरिक्त अन्य कोई उपाधि देना पसन्द नहीं करते। मुबारकबाद हो ख़ुदा के चयन किए हुए पर। उसने इस मसीह मौऊद को जिसने एकेश्वरवाद के मूल रहस्य को संसार पर प्रकट किया तथा भांति-भांति के गुप्त भागीदारी से इस्लाम को अवगत किया और पवित्र क़ुर्आन के प्रकाश से प्रकाशमान होकर ख़ुदा तआला की विशेषताओं के स्रोत को अनेकेश्वरवाद के कूड़ा कर्कट से पवित्र एवं पावन किया। हे अल्लाह, हे मेरे स्वामी! मुझे उसके सेवकों में सम्मिलित रख कर उसकी बरकतों से लाभान्वित कर ! आमीन। एडीटर

रसूल का पद रखता था या नबी था या मुहद्दिस था ? संभव नहीं कि ख़ुदा तआला के कलाम में झूठ हो तथा आंहज़रत[स.अ.व.] ने जो तमीमदारी के कथन का सत्यापन किया। यह सत्यापन वास्तव में उस व्यक्ति तथा निश्चित व्यक्ति का नहीं जो तमीमदारी के मस्तिष्क में था अपितु सामान्यतया उन घटनाओं का सत्यापन है जो आंहज़रत[स.अ.व.] बताया करते थे कि दज्जाल आएगा तथा मदीना और मक्का में नहीं जा सकेगा और यहां किसी शब्द से सिद्ध नहीं होता कि ख़ुदा की वह्यी के अनुसार आंहज़रत[स.] ने तमीमदारी का सत्यापन किया वरन् साधारण तौर पर तथा मानव स्वभाव की पद्धति से किसी विशेषता को दृष्टिगत रखे बिना कुछ घटनाओं का सत्यापन किया था तथा हदीस के शब्दों से प्रकट होता है कि तमीमदारी के उस शब्द की कि दज्जाल एक द्वीप में था आंहज़रत[स.] ने सत्यापन नहीं किया अपितु एक प्रकार से इन्कार किया, क्योंकि हदीस के शब्द ये हैं :-

الا انه فی بحر الیمن لا بل من قبل المشرق ماهو واومابیده الی المشرق

अर्थात् अवगत हो क्या निश्चय ही दज्जाल इस समय शाम के दरिया में है या यमन के दरिया में। नहीं अपितु वह पूर्व की ओर से निकलेगा तथा पूर्व की ओर संकेत किया। मा हुवा (ماهو) के शब्द में संकेत किया कि **व्यक्तिगत तौर पर वह न निकलेगा अपितु उसका मसील (समरूप) निकलेगा।** तमीमदारी नसारा की जाति में से था और नसारा हमेशा शाम देश की ओर यात्रा करते थे। अत:

आंहज़रत[स.अ.व.] ने तमीमदारी के इस विचार को रद्द कर दिया कि वह शाम (सीरिया) के दरिया में किसी द्वीप में दज्जाल को देख आया है तथा कहा कि दज्जाल पूर्व की ओर से निकलेगा **जिसमें हिन्दुस्तान सम्मिलित है** तथा यह भी स्मरण रखो कि साधारण सत्यापन करने में जो बिना वह्यी के हो नबी से भी विवेचना में ग़लती होने की संभावना है जिस प्रकार कि आंहज़रत[स.अ.व.] ने उस ख़बर का सत्यापन कर लिया था कि रोम का बादशाह क़ैसर आंहज़रत[स.अ.व.] पर चढ़ाई करने का इरादा रखता है। इस सत्यापन के कारण ठीक ग्रीष्म ऋतु में इतनी लम्बी यात्रा भी की। **अन्ततः वह ख़बर ग़लत निकली** और सहाबा के इतिहास में ऐसी ख़बरों के और बहुत से उदाहरण हैं जो आंहज़रत[स.अ.व.] को पहुंचाई गईं और आपने उन पर विचार किया परन्तु अन्ततः वे सही न निकलीं। स्पष्ट है कि जिस अवस्था में क़ैसर के आक्रमण की ख़बर सुनकर आंहज़रत[स.] भीषण गर्मी में अविलम्ब सहाबा की एक सेना लेकर रोम की ओर कूच कर गए थे। यदि तमीमदारी की ख़बर आंहज़रत[स.अ.व.] के विवेक के प्रकार के आगे कुछ सच्चाई के लक्षण रखती तो आंहज़रत ऐसे अद्भुत दज्जाल को देखने के लिए उस द्वीप की ओर अवश्य यात्रा करते ताकि न केवल दज्जाल अपितु उसके अद्भुत रूप आकार को भी देख लेते। जिस जिस स्थिति में आंहज़रत[स.अ.व.] इब्ने सय्याद को देखने के लिए गए थे तो इस अद्भुत रूप वाले दज्जाल को देखने के लिए क्यों नहीं जाते अपितु अवश्य था कि जाते। <u>यह बात स्वयं आंहज़रत[स.अ.व.] की आंखों देखी होकर पूर्णतया निर्णय</u>

पा जाती। आपको यह भी स्मरण रखना चाहिए कि गिरजा वाले दज्जाल का सत्यापन उस श्रेणी का कदापि नहीं हो सकता जैसे इब्ने सय्याद का दज्जाल होना ! हज़रत उमर इत्यादि सहाबा की क़समों से सिद्ध हो गया है गिरजा वाले दज्जाल का सत्यापन क़सम खा कर किसने किया जिसकी इज्मा की परिभाषा को मैंने प्रस्तुत किया है, जो उसूले फ़िक़ः की पुस्तकों के विभिन्न कथनों का सारांश है। क्या कोई भी भाग उस परिभाषा का इब्ने सय्याद के इज्मा के बारे में सिद्ध नहीं होता। नि:सन्देह सिद्ध होता है और आपका हस्तक्षेप व्यर्थ है। हज़रत उमर[रज़ि.] का अन्तिम समय तक अपने कथन से लौटना सिद्ध नहीं तथा अबू सईद की हदीस से कम से कम यह सिद्ध होता है कि सहाबा का एक समूह इब्ने सय्याद के दज्जाल होने को मानता था और यदि मान लें कि कोई सदस्य इस से बाहर रहा है तो जैसा कि हम वर्णन कर चुके हैं इज्मा में बाधक नहीं। **अद्दज्जाल** शब्द के बारे में आपने जो कुछ वर्णन किया है वह सब **निरर्थक** है। आप नहीं जानते कि मौऊद दज्जाल के लिए अद्दज्जाल एक नाम निर्धारित हो चुका है देखो सही बुख़ारी पृष्ठ 1055। यदि आप अद्दज्जाल सही बुख़ारी में मौऊद दज्जाल के अतिरिक्त किसी अन्य के बारे में बोला जाना सिद्ध कर दें तो पांच रुपए आप को भेंट किए जाएंगे। अन्यथा है मौलवी साहिब ! इन व्यर्थ हठधर्मियों से रुक जाओ !

اِنَّ السَّمۡعَ وَالۡبَصَرَ وَالۡفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔوۡلًا*

* बनी इस्राईल - 37

आप यदि हदीस समझाने की कुछ योग्यता रखते हैं तो अद्दज्जाल के शब्द से प्रयुक्त सही बुख़ारी या सही मुस्लिम में दज्जाल मौऊद के अतिरिक्त किसी अन्य में सिद्ध करें अन्यथा आप के कथनानुसार ऐसी बातें करना उस व्यक्ति का कार्य है जिसे हदीस अपितु किसी व्यक्ति का कलाम समझने से कोई सम्बन्ध न हो। यह आप ही का वाक्य है। आप नाराज़ न हों - ایں ہمہ سنگ است کہ برسرے من زدی

उसका कथन - आप की यह आपत्ति कि किसी को (कथन के लक्षण देखकर) किसी बात का मानने वाला ठहराना झूठ बनाना नहीं। इससे आप का झूठ बनाना और सिद्ध होता है।

मेरा कथन - यदि यही बात है तो आंहज़रत[स.अ.व.] की क्रियात्मक बात का नाम हदीस क्यों रख लेते हैं ? तथा बुख़ारी ने क्यों कहा कि मैंने रसूलुल्लाह की तीन लाख हदीसें वर्णन कीं? स्पष्ट है कि हदीस बात और कथन को कहते हैं किन्तु हदीसों में केवल आंहज़रत[स.अ.व.] की बातें नहीं कथन भी तो हैं। आपने उन कार्यों का नाम कथन क्यों रखा, क्या यह झूठ बनाना है या नहीं ? यदि कहो कि हदीस में यह परिभाषा बतौर आसानी जारी हो गई है। तो इसी प्रकार आपको समझ लेना चाहिए कि मनुष्य बहुत सी बातें आसानी समझ कर करता है और उनको झूठ बनाना नहीं कहा जाता। यदि व्यक्ति मात्र हाथ के संकेत से किसी को कहे कि बैठ जा तो इस बात का नकल (लिखने वाला) करने वाला प्राय: कह सकता है कि उसने मुझे बैठने के लिए कहा। एक व्यक्ति किसी को कहता है कि तू शेर है, उस पर कोई

आपत्ति नहीं कर सकता कि तूने झूठ बनाया। यदि यह शेर है तो शेर की भांति इसकी खाल कहां है और शेर के समान पंजे कहां हैं, पूंछ कहां है ? इसी प्रकार अपनी विवेचना के अनुसरण का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। जो व्यक्ति अधिकार के अनुसार एक अनुमानित बात को निश्चित बात समझ लेता है चाहे उसके बारे में कुछ कहा जाए, परन्तु उसे झूठ घड़ने या बनाने वाला तो नहीं कहा जाता। मेरा और आपका कथन अब शीघ्र जनता के सामने आएगा लोग स्वयं अनुमान लगा लेंगे। हदीस के वर्णन करने वालों की सावधानियां केवल इस उद्देश्य से थीं कि उनका कथन हदीस समझा जाता था परन्तु मेरा कथन तो हदीस नहीं। मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि मेरी विवेचना है और विवेचना के तौर पर ही कहता हूं कि आंहज़रत[स.अ.व.] ने अवश्य इब्ने-सय्याद के दज्जाल होने पर डर प्रकट किया और मैंने उपलब्ध अनुकूलताओं से ऐसा परिणाम निकाला है। इस डर का प्रकटन अवश्य कलाम के द्वारा होगा। अतः फ़िक़ः के उसूल की दृष्टि से मौन भी कलाम का आदेश रखता है तथा आंहज़रत के स्पष्ट कलाम से भी जो मुस्लिम में मौजूद है प्रकट हो रहा है कि आंहज़रत इब्ने सय्याद के दज्जाल होने के बारे में अवश्य शंका में थे। मुस्लिम की दूसरी हदीसें ध्यानपूर्वक देखो ताकि आप पर सच्चाई का प्रकाश पड़े।

उसका कथन - एक आपका झूठ घड़ना यह है कि आपने इज़ाला औहाम के पृष्ठ 201 में हदीस व इमामुकुम के अनुवाद में अपनी इबारत मिला दी।

मेरा कथन - मैं कहता हूं कि यह आप की समझ का दोष है या बहुत समझदार होने की स्थिति में एक झूठ घड़ना है क्योंकि इस विनीत की हमेशा से यह आदत है कि अनुवाद की नीयत से नहीं अपितु व्याख्या की नीयत से अर्थ किया करता है परन्तु अपनी ओर से नहीं अपितु वही खोलकर सुनाया जाता है तो मूल इबारत में होता है। नि:सन्देह यहां وَاِمَامُكُمْ की वाउ (و) पहले वाक्य की व्याख्या के लिए है। जिस समय आप से यह बहस प्रारंभ होगी उस समय आपको व्याकरण के नियमों के अनुसार समझा दिया जाएगा। तनिक धैर्य रखिए और मेरी पुस्तक बराहीन अहमदिया को देखिए मेरा अनुवाद हमेशा व्याख्या की शैली में होता है। खेद कि रीव्यू लिखने के बावजूद उन अनुवादों पर आपने आपत्ति नहीं की तथा किसी स्थान पर झूठ घड़ना नाम नहीं रखा इस का मूल कारण इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कि उस समय आपकी आंखें और थीं और अब और हैं। ख़ुदा तआला आप की पहली दृष्टि आपको प्रदान करे। वह ख़ुदा प्रत्येक बात पर समर्थ है। आपको स्मरण रहे कि बैतुल मुक़द्दस या दमिश्क़ में ईसा के उतरने का वर्णन भी मैंने केवल व्याख्या के तौर पर किया है केवल अनुवाद नहीं है।

उसका कथन - आपने मुझ पर यह आरोप लगाकर कि मेरा बुख़ारी की हदीसों पर ईमान है झूठ बनाकर यह परिणाम निकाला है कि मैं किसी ऐसे मुल्हम को भी मानता हूं कि जो बुख़ारी या मुस्लिम की किसी हदीस को काल्पनिक कहें।

मेरा कथन - नि:सन्देह आपने ऐसे मुल्हम को जो किसी सही हदीस को अपने कश्फ़ की दृष्टि से काल्पनिक जानता हो या काल्पनिक को सही जानता हो अपनी पुस्तक इशाअतुस्सुन्नः में शैतान को संबोध्य नहीं ठहराया। यह आपका बनाया हुआ सर्वथा झूठ तथा युद्ध के पश्चात् मुक्का मारने वाली बात है कि अब आप अपने लेख में यह लिखते हैं कि मेरे अनुसार ऐसा मुहद्दिस शैतान की ओर से संबोध्य है और जो व्यक्ति किसी सही हदीस को जो सहीहैन में से हो काल्पनिक कहे वह न केवल शैतान का संबोध्य अपितु साक्षात् शैतान है। आप ने इशाअतुस्सुन्नः में उन बुज़ुर्गों का नाम जिन्होंने ऐसे कश्फ़ या अपनी ऐसी आस्था वर्णन की थी साक्षात् शैतान नाम कदापि नहीं रखा अपितु प्रशंसा के अवसर एवं स्थान पर उनकी चर्चा लाए हैं। उदाहरणतया आपने जो मेरे समर्थन हेतु इब्ने अरबी का कथन लिखा और 'फ़ुतूहात' में से यह नक़ल किया कि कुछ हदीसें कश्फ़ी तौर पर काल्पनिक प्रकट की जाती हैं। सच कहो कि आप की उस समय क्या नीयत थी। क्या यह नीयत थी कि (नऊज़ुबिल्लाह) इब्ने अरबी काफ़िर और साक्षात् शैतान है? क्या अकाबिर का शब्द जो उस स्थान में है यही सिद्ध कर रहा है कि वे लोग कुफ़्र के अकाबिर (महापुरुष) थे? आप एक पत्र में मुहियुद्दीन अरबी को सूफ़ियों के रईस तथा ख़ुदा के वलियों में सम्मिलित कर चुके हैं। वह पत्र तो इस समय मौजूद नहीं परन्तु एक दूसरा पत्र है जिससे भी यही अर्थ निकलता है कि जिसे आपने स्वर्गीय मौलवी अब्दुल्लाह गज़नवी को लिखा था, जिसकी

इबारत यह है -

علم دو قسم است یکے ظاہری کہ بکسب و اکتساب ونظر و استدلال حاصل میشود دوم باطنی کہ غیب الغیب بہم مے رسد چنانچہ انبیاء علیہم السلام ومن بعدھم اولیاء کرام را حاصل بود **كما قال الشيخ المحى الدين العربى فى الفتوحات وقع لى اولاً** الخ

कहिए कि आपने ऐसे स्थान में कि **ख़ुदा के वलियों के कलाम का हवाला देना चाहिए था मुहियुद्दीन अरबी का क्यों वर्णन किया?** यदि वह बुज़ुर्ग आप के स्वच्छन्द हृदय के बारे में नऊज़ुबिल्लाह साक्षात् शैतान था तो क्या आपने अपने पत्र में जो आपने अपने धर्म-गुरू (पीर) को लिखा था एक शैतान का हवाला देना था ! इसके अतिरिक्त आपका वह पर्चा इशाअतुस्सुन्नः मौजूद है मैं स्वयं पर सौ रुपए क्षतिपूर्ति के तौर पर स्वीकार करता हूं यदि न्यायकर्ता उस पर्चे को पढ़कर यह राय प्रकट करें कि आप ने उन वलियों को जिन्होंने ऐसी राय प्रकट की थी काफ़िर और शैतान ठहराया था तथा उनके इल्हामों को शैतानी सम्बोधनों में सम्मिलित किया था, तो मैं सौ रुपए जमा कर दूंगा। आप अपने प्रकाशित रीव्यू के उद्देश्य से भागना चाहते हैं* और एक पुरानी क़ौम की पद्धति द्वारा अक्षरान्तरणों पर ज़ोर लगा रहे हैं وانّٰى لكم ذالك ولات حين مناص

उसका कथन - आपके इन झूठ घड़ने से पूर्ण विश्वास होता है

* कहीं अक्षरान्तरण करते हैं और कभी यह अनुचित बहाना बनाकर कि पहले धोखा हो गया था, जनता में अपनी लज्जा प्रकट करते हैं। ख़ुदा के एक वली से शत्रुता का परिणाम है ! (एडीटर)

कि अब आप किसी इल्हाम के दावे में सच्चे नहीं और जो ताना-बाना आपने फैला रखा है वह सब झूठ घड़ा है।

मेरा कथन - मैं आपकी इन बातों से अप्रसन्न नहीं होता और न कभी चिन्ता करता हूं क्योंकि जो लोग सत्य के विरोधी थे सदैव ख़ुदा के वलियों, सत्यनिष्ठों अपितु नबियों के बारे में ऐसी-ऐसी ही कुधारणाएं रखते चले आए हैं। **हज़रत मूसा** का नाम झूठ बनाने वाला रखा गया, **हज़रत ईसा** का नाम झूठ बनाने वाला रखा गया, **हमारे सरदार एवं स्वामी** का नाम झूठ बनाने वाला रखा गया। फिर यदि मेरा नाम भी आप ने झूठ बनाने वाला रख लिया तो कौन सी खेद की बात है ? وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ[1] मैं आप को सच-सच कहता हूं कि **मैं** झूठ बनाने वाला नहीं हूं तथा दयालु ख़ुदा ने जो सदैव बन्दों के हित को दृष्टिगत रखता है मुझे सत्य और न्याय के तौर पर नियुक्त करके भेजा है वह भली भांति जानता है और अब सुन रहा है कि उसने मुझे अवश्य भेजा है ताकि मेरे हाथ पर **उन दोषों** का सुधार हो जो मौलवियों की टेढ़ी समझ से उम्मते मुहम्मदिया में फैल गए हैं और ताकि मुसलमानों में सच्चे-ईमान का बीज पुनः फूले-फले। अतः मैं ख़ुदा की कृपा और उसकी दया से सच्चा हूं और सच्चाई के समर्थन हेतु आया हूं। अवश्य था कि मेरा इन्कार किया जाता, क्योंकि बराहीन अहमदिया में मेरे पक्ष में ख़ुदा का इल्हाम लिखा जा चुका है कि दुनिया में एक नज़ीर (डराने वाला)

[1] सूरह अलहिज्र - 14

आया परन्तु दुनिया ने उसे स्वीकार न किया, परन्तु ख़ुदा उसे स्वीकार करेगा और बड़े शक्तिशाली आक्रमणों से उसकी सच्चाई प्रकट कर देगा। अत: मैं जानता हूं कि मेरा ख़ुदा ऐसा ही करेगा। मैं किसी के मुख की फूंकों से समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह जिसने मुझे भेजा है मेरे साथ है वह मेरी सहायता करेगा अवश्य सहायता करेगा और मेरी सच्चाई मेरे आकाशीय निशान देखने वालों पर प्रकट है यद्यपि आप पर प्रकट न हो। इसी सभा में कुछ लोग ऐसे उपस्थित हैं कि वे शपथ खा कर कह सकते हैं कि उन्होंने मुझ से आकाशीय निशान देखे हैं। **शेख़ महर अली साहिब** रईस होशियारपुर भी शपथ उठाकर यह साक्ष्य दे सकते हैं कि मैंने छ: माह पूर्व उन पर एक विपत्ति आने की उन्हें सूचना दी और ठीक उस समय कि जब उनके लिए फांसी का आदेश जारी हो चुका था उनके शुभ अंजाम तथा बरी होने की सूचना दुआ के स्वीकार होने के पश्चात् उन तक पहुंचा दी। मैंने सुना है कि यह सूचना होशियारपुर तथा उस ज़िले में इतनी अधिक फैल गई कि हज़ारों लोग इसके गवाह हैं। फिर मैंने अपने मुख से दिलीप सिंह की असफलता तथा हिन्दुस्तान में प्रवेश न करने की समय से पूर्व सूचना दी और सैकड़ों लोगों को मौखिक तौर पर सुनाया तथा विज्ञापन प्रकाशित किया और पंडित दयानन्द के तीन माह तक मृत्यु होने तक की पहले से सूचना दे दी तथा ख़ुदा तआला भली भांति जानता है कि संभवत: तीन हज़ार के लगभग मुझ पर ऐसी बातें प्रकट हुईं कि वे ठीक-ठीक प्रकट हो गई हैं। मैं यह दावा

नहीं करता कि कभी मेरे कश्फ़ों के कारण ग़लती नहीं हो सकती क्योंकि इस कारण तो नबियों के कश्फ़ों में भी कभी-कभी ग़लती हो जाती है। बुख़ारी की हदीस فذهب وهلى बहुत से लोगों को स्मरण होगी। हज़रत मसीह की यहूदा इस्क्रियूती के बारे में ग़लत भविष्यवाणी कि वह बारहवें तख़्त का स्वामी है, अब तक किसी उत्तम व्याख्या के अनुसार सही नहीं हो सकी, परन्तु बहुमत की ओर देखना चाहिए। जो लोग मुझे झूठ बनाने वाला समझते हैं और स्वयं को शुद्ध, पवित्र और संयमी ठहराते हों मैं उनकी तुलना में ऐसे निर्णय के लिए सहमत हूं कि चालीस दिन निर्धारित किए जाएं और प्रत्येक सदस्य اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّیْ عَامِلٌ[1] पर कार्यरत हो कर ख़ुदा तआला से कोई आकाशीय विशेषता अपने लिए मांगे। जो व्यक्ति इसमें सच्चा निकले और कुछ परोक्ष - के प्रकट होने से ख़ुदा का समर्थन उसके साथ हो जाए वही सच्चा ठहराया जाए। हे दर्शकगण ! इस समय अपने कानों को मेरी ओर करो कि मैं ख़ुदा तआला की क़सम खाकर कहता हूं कि <u>यदि मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब चालीस दिन तक मेरे मुक़ाबले पर ख़ुदा तआला की ओर ध्यान लगाकर वे आकाशीय निशान या परोक्ष (ग़ैब) के निशान दिखा सकें जो मैं दिखा सकूं तो मैं स्वीकार करता हूं तो वह जिस शस्त्र से चाहें मेरा वध कर दें और जो क्षतिपूर्ति चाहें मुझ पर लगा दें। दुनिया में एक नज़ीर आया परन्तु दुनिया से उसको स्वीकार न किया परन्तु</u>

[1] अलअन्आम - 136

ख़ुदा उसे स्वीकार करेगा तथा बड़े शक्तिशाली आक्रमणों से उसकी सच्चाई प्रकट कर देगा।

अन्तत: मैं लिखता हूं कि अब मैं यह वर्तमान बहस* समाप्त कर चुका हूं। यदि मौलवी साहिब को किसी बात के स्वीकार करने में कुछ बहाना हो तो पृथक तौर पर अपनी पत्रिका में लिखें। अब इन प्रारंभिक बातों में अधिक विस्तार देना कदापि उचित नहीं। हां यदि मौलवी साहिब मूल दावे में जो मैंने किया है मुक़ाबले पर तर्कों को प्रस्तुत करने से बहस करना चाहें तो मैं तैयार हूं और वे विशेष बहसें जिनका इस लेख में निवेदन किया गया है यदि पसन्द करें तो उनके लिए भी उपस्थित हूं। अब ख़ुदा ने चाहा तो ये पर्चे छप जाएंगे तथा मौलवी साहिब ने जितनी अधिक कटुता के साथ असत्य को सत्य ठहरा दिया है जनता को उस पर राय देने का अवसर प्राप्त होगा।

واٰخر دعوٰنا ان الحمد للّٰہ رب العٰلمین

लेखक विनीत - ग़ुलाम अहमद

29 जुलाई 1891 ई.**

---

* हे सत्याभिलाषी दर्शको ! ख़ुदा के लिए इस वाक्य को और बाद के वाक्य - "अब इन प्रारम्भिक बातों में" अन्त तक को पढ़िएगा और फिर तुलना कीजिएगा। मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब के लुधियाना वाले विज्ञापन के साथ जिसमें आपने किस धृष्टता से हज़रत मिर्ज़ा साहिब का भविष्य में बहस के जारी रहने से पलायन लिख दिया है। हज़रत मिर्ज़ा साहिब का क्या उद्देश्य और क्या इरादा है और मौलवी साहिब उसे किस ढांचे में डालते हैं -

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ؕ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا (अलकहफ़ - 6) (एडीटर)

** यह लेख 29 तारीख को लिखा गया था और मौलवी मुहम्मद हुसैन को सूचना दी गई थी परन्तु उन्होंने 31 तारीख पर लेख का सुनना स्थगित कर दिया। अत: 31 को सुनाया गया।

लाहौर के प्रतिष्ठित मुसलमानों के सत्यान्वेषण के लिए निष्ठापूर्वक निवेदन

मौलवी मुहम्मद साहिब लखूके, मौलवी अब्दुर्रहमान साहिब लखूके, मौलवी उबैदुल्लाह साहिब तिब्बती, मौलवी रशीद अहमद साहिब गंगोही, मौलवी ग़ुलाम दस्तगीर साहिब क़सूरी, मौलवी अब्दुल जब्बार साहिब अमृतसरी, मौलवी सैय्यद मुहम्मद नज़ीर हुसैन साहिब देहलवी, मौलवी अब्दुल अज़ीज़ साहिब लुधियानवी, मौलवी अहमदुल्लाह साहिब अमृतसरी, मौलवी मुहम्मद सईद साहिब बनारसी, मौलवी अब्दुल्लाह साहिब टोंकी के नाम लाहौर के मुसलमान विशेषतः हाफ़िज़ मुहम्मद यूसुफ़ साहिब ज़िलेदार, ख़्वाजा अमीरुद्दीन साहिब, मुन्शी अब्दुल हक़ साहिब, मुहम्मद चट्टो साहिब, मुन्शी शम्सुद्दीन सेक्रेटरी हिमायत-ए-इस्लाम, मिर्ज़ा साहिब पड़ोसी अमीरुद्दीन साहिब तथा मुन्शी करम इलाही साहिब इत्यादि इत्यादि की ओर से-

अस्सलामो अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू

मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब क़ादियानी ने हमारे नबी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की मृत्यु पर तथा स्वयं मसीह मौऊद होने के बारे में जो दावे किए हैं आप से गुप्त नहीं। उनके दावों का प्रसारण तथा हमारे धार्मिक इमामों की ख़ामोशी ने मुसलमानों को जिस असमंजस तथा बेचैनी में डाल दिया है उसे भी वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, यद्यपि समस्त वर्तमान विद्वानों का व्यर्थ विरोध करना और स्वयं मुसलमानों की प्राचीन आस्था ने मिर्ज़ा साहिब के दावों का प्रभाव

सामान्यतः फैलने नहीं दिया तथापि खण्डन के भय के बिना इस बात को वर्णन करने का साहस किया जाता है कि ईसा इब्ने मरयम के जीवन और नुज़ूल (उतरने) के बारे में मुसलमानों की प्राचीन आस्था में बड़ा भारी भूचाल आ गया है। यदि हमारे धार्मिक पेशवाओं का मौन रहना अथवा उनके बहस से बाहर भाषण एवं लेख ने कुछ और विस्तार पकड़ा तो संभावना क्या अपितु पूर्ण विश्वास है कि मुसलमान सामान्यतः अपनी प्राचीन एवं प्रसिद्ध आस्था को अलविदा कह देंगे और फिर इस स्थिति एवं आस्था में सुदृढ़ धर्म के समर्थकों को कठोरतम कठिनाइयों से दो चार होना पड़ेगा। हम लोगों ने जिन की ओर से यह निवेदन है अपनी संतुष्टि के लिए विशेषतः तथा साधारण मुसलमानों के लाभ के लिए सामान्यतः अत्यन्त सद्भावना से बड़े प्रयास एवं परिश्रम के पश्चात् अबू सईद मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब बटालवी को मौलवी हकीम नूरुद्दीन साहिब के साथ (जो मिर्ज़ा साहिब के निष्ठावान श्रद्धालुओं में से हैं) मिर्ज़ा साहिब के दावे पर वार्तालाप करने के लिए विवश किया था परन्तु नितान्त आश्चर्य है कि हमारे दुर्भाग्य से हमारी इच्छा एवं उद्देश्य के विरुद्ध मौलवी अबू सईद साहिब ने मिर्ज़ा साहिब के दावों से जो बहस का मूल विषय था की अवहेलना करके व्यर्थ बातों में बहस आरंभ कर दी, जिसका परिणाम यह हुआ कि दुविधा में ग्रस्त लोगों के सन्देहों को और दृढ़ता प्राप्त हो गई तथा अत्यधिक आश्चर्य ग्रस्त हो गए। तत्पश्चात् लुधियाना में मौलवी अबू सईद साहिब को स्वयं मिर्ज़ा साहिब से बहस करने का

संयोग हुआ। तेरह दिन वार्तालाप होता रहा, उसका परिणाम भी हमारे विचार में वही हुआ जो लाहौर की बहस से हुआ था अपितु उससे अधिक हानिप्रद, क्योंकि इस बार भी मौलवी साहिब मिर्ज़ा साहिब के मूल दावे की ओर कदापि नहीं गए, यद्यपि (जैसा कि सुना गया है और प्रमाणित हो गया है) कि मिर्ज़ा साहिब ने बहस के मध्य में भी अपने दावों की ओर मौलवी साहिब को ध्यान दिलाने के लिए प्रयास किया। चूंकि समय के विद्वानों की ख़ामोशी तथा कुछ व्यर्थ भाषण एवं लेखों ने मुसलमानों को सामान्यतः बड़े आश्चर्य तथा व्याकुलता में डाल रखा है तथा इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य कोई चारा नहीं कि अपने इमामों की ओर जाएं। अतः हम सब लोग आपकी सेवा में नितान्त विनयपूर्वक मात्र इस्लामी भ्राताओं की भलाई की दृष्टि से निवेदन करते हैं कि आप इस उपद्रव और उत्पात के समय मैदान में निकलें तथा अपने ख़ुदा के प्रदान किए हुए ज्ञान एवं विद्या से काम लें। ख़ुदा के लिए मिर्ज़ा साहिब के साथ उनके दावों पर बहस करके मुसलमानों को असमंजस के भंवर से निकालने का प्रयास करके लोगों की दृष्टि में कृतज्ञ तथा ख़ुदा की दृष्टि में प्रतिफल पाने वाले हों। हमारी अभिलाषा है कि आप जिनके अस्तित्व पर मुसलमानों को भरोसा है विशेष तौर पर लाहौर में मिर्ज़ा साहिब के साथ उनके दावों में आमने-सामने लिखित बहस करें। मिर्ज़ा साहिब से उनके दावों का प्रमाण ख़ुदा की किताब तथा रसूल करीम[स.अ.व.] की सुन्नत से लिया जाए या उनका इस प्रकार के स्पष्ट तर्कों द्वारा खण्डन किया जाए। हमारे विचार में

मुसलमानों की संतुष्टि तथा असमंजस के निवारण के लिए इस से उत्तम अन्य कोई उपाय नहीं। यदि आप इस पद्धति पर बहस को स्वीकार करें तथा दृढ़ आशा है कि आप अपना एक महत्त्वपूर्ण पद एवं धर्म संबंधी कर्त्तव्य समझ कर मात्र ख़ुदा की प्रसन्नता तथा ख़ुदा की प्रजा के मार्ग-दर्शन हेतु अवश्य स्वीकार करेंगे तो सूचित करें ताकि मिर्ज़ा साहिब से भी इस बारे में फैसला करके तिथि निर्धारित हो जाए और आपको लाहौर पधारने का कष्ट दिया जाए। शान्ति स्थापित रखने से संबंधित समस्त प्रबन्ध करने का दायित्व हमारा होगा तथा ख़ुदा ने चाहा तो आप सज्जनों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया जाएगा। उत्तर से शीघ्र अवगत करें।

वस्सलाम

नोट :- हमारे पास एक और भी लम्बा आवेदन लुधियाना के मुसलमानों का आया है जिस पर 109 लोगों के नाम लिखें हैं, और जो उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त विद्वानों के पास उपरोक्त उद्देश्य से किया है और साथ ही एक इक़रारनामः की प्रति है जो हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने उन आवेदनकर्ताओं के साथ किया है जिसका सारांश यह है कि मिर्ज़ा साहिब उनके आवेदन के अनुसार महान और प्रतिष्ठित विद्वानों से प्रत्यक्ष तथा आन्तरिक तौर पर शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार है और लाहौर को ही इस शास्त्रार्थ का केन्द्र बनाना पसन्द करते हैं। उपरोक्त आवेदन में यह भी वर्णन है कि यदि सम्बोधित मौलवी लोग एक माह तक उनकी याचनानुसार शास्त्रार्थ के लिए नहीं आएंगे तो वे मिर्ज़ा साहिब के दावों को

निस्संकोच सही और सच्चा स्वीकार कर लेंगे तथा मौलवी लोगों के पलायन को सार्वजनिक तौर पर प्रसिद्ध कर देंगे। चूंकि इस आवेदन का उद्‌देश्य उपरोक्त आवेदन के अनुसार है। इसलिए हमने उसे लिखने की आवश्यकता नहीं समझी। एडीटर।

समाप्तम